छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा

षोडश सत्र

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023

(फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1944)

[अंक 10]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2023

(फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1944)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अमितेश शुक्ल जी का दूसरे नंबर में प्रश्न लग गया है और आज बाजू वाले के साथ प्रश्न लगा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह बहुत खुशी की बात है। बढ़िया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले सामने वाले के साथ लगा था। वहीं पर सामने वाले और बाजू वाले से आपस में बात करके, वह प्रश्न लगाते हैं, लेकिन किसी के साथ उनका प्रश्न लगे। आप उनका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवा दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से स्वाथ्य शिविर लगा हुआ है। लखेश्वर बघेल जी।

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था जरूर दे दीजिएगा। वह अंग्रेजी में प्रश्न पूछेंगे और माननीय खाद्य मंत्री जी अंग्रेजी में जवाब देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो ओरिजनल अंग्रेजी बोल लेंगे, लेकिन आप अपना सरगुजिया अंग्रेजी चला देना ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय धर्मजीत जी, आज मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह:- हां। आप थोड़ा करिये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- वह उत्तर तो जो आना है, जो बोलत हस, वही टेंशन के बात हे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अमितेश जी वह प्रश्न पूछने के लिए लंगोट पहन कर आये हैं, माने पूरी तैयारी से आए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में पर्यटन विभाग के द्वारा निर्मित किये गये मोटल्स/पर्यटन अतिथि गृह के कार्यसंचालन की अद्यतन स्थिति के संबंध में

[पर्यटन]

1. (*क्र. 1213) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पर्यटन विभाग के द्वारा बस्तर संभागान्तर्गत कहां-कहां मोट्लस/पर्यटन अतिथि गृह निर्मित किये गये हैं ? इनके कार्यसंचालन की अद्यतन स्थिति बतावें ? **(ख)** वर्ष 2020 - 21 से 31.01.2023 तक इनके आय-व्यय सहित, इनके रखरखाव व मरम्मत के लिए स्वीकृत व खर्च की गई राशि की जानकारी देवें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : **(क)** पर्यटन विभाग के द्वारा बस्तर संभागान्तर्गत में निर्मित मोटल्स/पर्यटन अतिथि गृह एवं उनके कार्य संचालन की अद्यतन स्थिति की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'अ'** अनुसार है। **(ख)** वर्ष 2020-21 से 31.01.2023 तक बस्तर संभागान्तर्गत निर्मित मोटल्स/पर्यटन अतिथि गृह से प्रापत आय-व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-'ब'** अनुसार है। तथा प्रश्नांकित अवधि में निर्मित मोटल्स/पर्यटन अतिथि गृह में किये गये रखरखाव व मरम्मत के लिए स्वीकृत व खर्च की गई राशि की जानकारी [1]**संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय मंत्री जी से पर्यटन विभाग के द्वारा बस्तर संभागान्तर्गत में निर्मित मोट्लस/पर्यटन अतिथि गृह के कार्यसंचालन की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है, लेकिन आपके माध्यम से पूरक प्रश्न करना चाहूंगा। बस्तर सभागार्न्गत जिलों में मोट्ल/पर्यटन अतिथि गृह का निर्माण कब हुआ था और कितनी लगात की थी ? और मितान मोटल आसना जगदलपुर और कोंडागांव आदि को किराये पर दिया गया बता रहे हैं तो इससे कितना किराया आता है और कई जगहों पर मोटल/पर्यटन अतिथि गृह से प्राप्त आय-व्यय की निरंकता बताई गई है तो यह विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है या यह मोटल्स/पर्यटन अतिथि गृह ऐसी खाली पड़े हैं, उसके संबंध में जानकारी चाहूंगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो "क" और "ख" में जो प्रश्न पूछा है, मैंने उसकी विस्तृत जानकारी दे दी है, उसके बाद मितान मोटल आसना जगदलपुर की बात आयी है तो इसको आदिवासी विकास विभाग ने किराये पर लिया हुआ है और वैसे ही एक-दो और हैं। कोई हमारा मोटल बी.एस.एफ. के पास है, एकाध मोटल सी.आर.पी. एफ. के पास है उनकी आवश्यकता के अनुसार लिया है। एक एन.एम.डी.सी. के क्षेत्र में बीच में है तो उसको उनको दे दिया गया है । रही सवाल, मोटल/पर्यटन अतिथि गृह से प्राप्त आय-व्यय वाली बात है तो आय-व्यय में एक दो

[1] परिशिष्ट "एक"

जगह आय से व्यय अधिक दिख रहा है उसका मुख्य कारण कोरोना काल आया और कोरोना काल में करीब-करीब सभी होटल, मोटल बंद हो गए थे, पर हम लोगों ने कर्मचारियों को नहीं हटाया। इसलिए उनके वेतन के कारण, एक दो जगह आय से व्यय अधिक दिख रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्।

<u>गरियाबंद जिले में पौष्टिक आहार योजना के तहत चना वितरण</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

2. (*क्र. 1291) श्री अमितेश शुक्ल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-23 में दिनांक 10 फरवरी, 2023 तक पौष्टिक आहार योजना के तहत स्वादिष्ट चना वितरण कार्यक्रम अंतर्गत गरियाबंद जिले के विकासखण्ड गरियाबंद/छुरा/मैनपुर/फिंगेश्वर/देवभोग हेतु कब-कब तथा कितनी-कितनी मात्रा में चना, वितरण हेतु प्राप्त हुआ है? विकासखण्डवार विस्तृत विवरण देवें ? **(ख)** कंडिका "क" के तहत गरियाबंद जिला हेतु प्रदाय किये जाने वाले स्वादिष्ट चना के भण्डार तथा पैकेजिंग का कार्य किस-किस फर्म द्वारा किया गया है ? फर्म चयन के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्धारित मापदण्ड हैं? क्या, निर्धारित मापदण्डों का पालन किया गया है? नही,तो क्यों ? **(ग)** क्या यह सही है कि कंडिका "क" के तहत गरियाबंद जिला में वितरण हेतु प्रदाय किये गये चना के गुणवत्ताहीन होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** प्रश्नांश "क" की जानकारी [2]**संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदायकर्ता एजेंसी से चना की प्राप्ति पीडीएस प्रदाय केन्द्रवार की जाती है, अतः संलग्न प्रपत्र में जानकारी प्रदाय केन्द्रवार दी गयी है ।**(ख)** प्रश्नांक "क" के तहत गरियाबंद जिले हेतु प्रदाय किये जाने वाले स्वादिष्ट चना के पैकेजिंग तथा सप्लाई का कार्य (1) मेसर्स नेशनल एग्रीकल्चर को आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड)नई दिल्ली (जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक एवं (2) मेसर्स संजय ग्रैन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ग्राम सकरी विधानसभा रोड रायपुर (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक) द्वारा किया गया है। फर्म का चयन ई- निविदा के माध्यम से किया गया है । जिसमें राज्य शासन के छ.ग. भण्डार क्रय नियम का पालन करते हुए ई-निविदा के माध्यम से चना सप्लाई फर्म को सूचीबद्ध किया गया है। **(ग)**जी हां, प्रश्नांश 'क' अवधि में चना गुणवत्ताहीन होने संबंधी समाचार दैनिक अखबार में प्रकाशित हुआ था। चना की गुणवत्ता जांच करने पर गुणवत्ताहीन प्राप्त चना को रिजेक्ट किया गया तथा मूलतः सप्लायर द्वार वापस ले जाया गया।

---

[2] परिशिष्ट "दो"

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि गरियाबंद जिले में पौष्टिक आहार योजना के तहत चना गुणवत्तहीन होने संबंधी समाचार दैनिक अखबार के माध्यम से प्राप्त हुई है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न दो ही नंबर में है। आप तीसरे प्रश्न को तो नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने ज्ञानी आदमी हैं, इनको थोड़ा शांत रहने बोला करिये। ये जानकारी के बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। उसमें लिखा है तो यह अखबार के माध्यम से किस तिथि को विभाग के संज्ञान में आया ? और आपने क्या-क्या कार्यवाही की, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वर्ष 2022-23 से दिनांक 10 फरवरी, 2023 तक पौष्टिक आहार योजना की सप्लाई और गुणवत्ताहीन चना सप्लाई के संदर्भ में प्रश्न लगाया है, उसमें प्रश्नांश अवधि में जो हमारे पास शिकायत आयी, हमने समाचार पत्र के माध्यम से संज्ञान में लिया और कार्यवाही की। गरियाबंद जिले के देवभोग में चना गुणवत्ता के संबंध में दिनांक 23.09.2022 को दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, आंचलिक समाचार पत्र में गरीबों के लिए घुन लगा चना सप्लाई करने संबंधी छपा था। उसको हमने संज्ञान में लिया । 23 तारीख को निगम के गुणवत्ता कर्मी श्री सतपति लाल कश्यप को हमने इसके लिए निर्देश भी जारी किया। उससे स्पष्टीकरण भी मांगा। इसके बाद आगे जो भी कार्यवाई करना था, उसको हमने किया।

श्री अमितेश शुक्ल :- क्या अखबार के माध्यम से जो आपने संज्ञान में लाया, उसमें सप्लायर द्वारा चने की पैकिंग, Supply and packages commodity act 2011 का पालन किया जा रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सतत प्रक्रिया है कि जो भी सामग्री का वितरण होता है, उसका भंडारण कराने से पहले उसमें हम उसकी गुणवत्ता का परीक्षण कराते हैं और गुणवत्तायुक्त सही स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उसकी सप्लाई करते हैं। आप जो कह रहे हैं, उसका हमने पालन किया गया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- आपने पालन किया गया है तो commodity act 2011 में क्या-कया प्रावधान है, उसको जरा बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारण सा है। commodity act में आवश्यक वस्तु अधिनियम 2011 के तहत बोल रहे हैं कि जिसकी सप्लाई करनी है तो पहला तो यह है कि हमको इसकी क्वालिटी का स्टैण्डर्ड मेन्टेन करना है। उसकी क्वालिटी मेन्टेन करने के लिए हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्टर रहते हैं। क्वालिटी इंस्पेक्टर उसको पहले परीक्षण करते हैं और अगर स्टैण्डर्ड में सही पाया जाता है तभी हम उसकी सप्लाई करते हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रावधान पूछा था, इनने उसका जवाब अच्छी तरह दिया। मगर मैं उसका जरा प्रावधान बता देता हूं। उसके प्रावधान हैं :-

The common or generic names of the commodity contained in the package and in case of packages with more than one product, the name and number or quantity of each product shall be mentioned on the package.

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समझ रहे हैं।

The net quantity,..

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप और मंत्री जी समझेंगे और बाकी कोई नहीं समझेंगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय मंत्री जी को इंग्लिश का काफी ज्ञान है आप उसके बारे में चिंता न करें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य महोदय, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते। उनके लिए आप हिन्दी में पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के बाद सब अंग्रेजी पढ़ने लगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमको शांति से समझाया है, वह बीच-बीच में अंग्रेजी में बोलते रहते हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अंग्रेजी में समझते हैं, वह अंग्रेजी में जवाब देने वाले हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- वह इंग्लिश में पूरा समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जो सदन में चर्चा हो रही है वह आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है, पूरे सदन की चर्चा है, पूरे प्रदेश की चर्चा है।

श्री अजय चनद्राकर :- आप एक मिनट सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- सुन रहा हूं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत भगत जी अंग्रेजी बोलते हैं, एक और दूसरा राज्यपाल जी के अभिभाषण में माननीय लखमा जी टेबल थपथपा रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- वह ठीक है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को इंग्लिश में बोलने दीजिए, वह समझ गये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपको पता नहीं है वह राज्यपाल के अभिभाषण को ऐसे उलट-पलट कर देख-देख कर पढ़ भी रहे थे। आप क्या समझते हैं, हमारे लखमा जी विद्वान आदमी हैं। लखमा जी जितनी आपमें समझ नहीं है।

श्री अमितेश शुक्ल :- The net quantity, in the terms of the standard unit of weight of measue.

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट रूक जाईये न। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके भाषण का छत्तीसगढ़ी में भी प्रचार-प्रसार होता है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, आपने बोला कि अंग्रेजी में ज्यादा न बोला जाये, मैं नहीं बोलता। मेरा सिर्फ यह कहना है कि इसमें पैकेजिंग सप्लायर को जो करा गया है, उसमें बहुत जी ज्यादा घपला और बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं। उसमें सबसे ज्यादा उदाहरण यह है कि एक ही माल को गरियाबंद के गोदाम में फील किया गया, उसी माल को चना सप्लायर द्वारा, सेम आदेश को देवभोग में पास कर दिया गया। माननीय मंत्री जी से मेरा सिर्फ आग्रह ये है कि इसकी अच्छी तरह से जांच करायें और जांच कराकर उसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करें। माननीय मंत्री जी से मेरा यही आग्रह है कि समय-सीमा में जांच करा दें।

श्री अमरजीत भगत :- First hon'ble speaker साहब, My friend is a rasing question to english. So I trying to your answer is a fully english. तो First social and news paper cliping is a not base discussion in the house. (मजों की थपथपाहट)
कोई भी समाचार पत्र का क्लिपिंग, समाचार का अंश इस विधानसभा में चर्चा का आधार नहीं हो सकता। अब मैं उसमें बोलना चाहता हूं कि if you have made specific complain then you tell the details to me. कोई भी आपके पास दस्तावेज हो, कम्प्लेन हो। आप प्रस्तुत करें, मैं जरूरत उस पर इन्क्वायरी करवाऊंगा।

श्री सौरभ सिंह :- Spealer sir, it is my request the amitesh shukla ji should ask the question in English to the replying well in English.

श्री अमितेश शुक्ल :- इन्होंने जांच के लिए बोल दिया है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि समय-सीमा में जांच करवा दें।

श्री सौरभ सिंह :- Amitesh ji, Please ask the english. He is replying well in English. why do you the ask English only?

श्री अमितेश शुक्ल :- Spealer sir, the specific question ..।

श्री सौरभ सिंह :- Speaker sir is ready. He is giving permission to speak in English.

श्री अमितेश शुक्ल :- the specific question has been given not to speak in English.

श्री सौरभ सिंह :- Instruction has come. Now has giving you speak in English.

श्री अमितेश शुक्ल :- I have to obay the instruction of speaker sir. He is saying it is the not the metter between my self and the minister.

श्री सौरभ सिंह :- Honourabel speaker sir, He want to also speak in English.

श्री नारायण चंदेल :- अमितेश भैया, बैठिये। वह आपका ही मामला है। माननीय मंत्री जी, यह जो प्रश्न चल रहा है, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, गरियाबंद जिला में हर सोसायटी और सड़क में चना मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न आ रहा है। आप उसकी बात करिये।

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी, क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदान करने वाली जो फर्म है, वह पूर्व में कभी ब्लैक लिस्टेड हुई है क्या? यदि हुई है तो कब हुई है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहल तो मूल प्रश्नकर्ता का ही प्रश्न चल रहा है। उसके बाद आप जो बोल हरे हैं, मैं उस विषय पर भी आऊंगा, लेकिन माननीय सदस्य, जिस विषय की ओर आपने कहा है तो मैंने कहा कि दो कम्प्लेन हमारे पास आई। एक तो दैनिक भास्कर के माध्यम से और दूसरा लल्लू डॉट काम के माध्यम से जो पहला दैनिक भास्कर के माध्यम से आया, उसमें हमने टीम भेजा और उसमें कमेटी बनाकर जांच किया, उसका रिजेक्शन किया और उसको वापस कर दिया। दूसरा कम्प्लेन 16.11 को आया। मेसर्स संजय ग्रील्स जो इनके सप्लायर है, इनके खिलाफ कम्प्लेन आया। तो उसमें हमने 16.11 को जांच किया। जो अमानक पाया गया उसको रिजेक्ट किया गया और 24 तारीख को लल्लू डाट काम वाला पर एक न्यूज चलाया, उसके पहले 16 तारीख को ही उस पर कार्रवाई कर दिया गया था और रीजेक्ट करने के बाद उसको वापस करने के लिए हमने कह दिया था। तो यह प्रश्न ही नहीं होता है कि आपने कहा कि एक जगह का रीजेक्ट हुआ और दूसरे जगह का सप्लाई कर दिया गया। जब हम रीजेक्ट कर दिये, वापस दे दिये तो दूसरे जगह कैसे सप्लाई हो सकता है।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अधिकारी लोग सही जानकारी देते नहीं हैं। यह जो कह रहे हैं मेसर्स संजय ग्रील्स प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने खुद माना कि उसमें एक्शन लिया, हटाया। उसको फिर बलौदा बाजार में क्यों दे दिया गया। भ्रटाचार का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। एक जगह से आप हटा रहे हैं और उसको बलौदाबाजार आर्डर दे दिये। मेरे पास कॉपी है। मेरा यह कहना है कि इसकी सही तरीके से जांच करा लें और मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि इसकी जांच करा लीजिये, क्योंकि बहुत घपला हुआ है। आप उसको जांच कराकर समय-सीमा पर करके इसको पूरा कार्रवाई करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कराने का बोल दीजिये, जांच करा देंगे। उसमें क्या दिक्कत है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत समझदार हैं और मंत्री भी रहे हैं। इनको पूरी जानकारी है। यह तो सतत् प्रक्रिया है। यदि कोई सामान हमारे पास सप्लाई के लिए आ रहा है, उसकी गुवत्ता का हम परीक्षण करा लेंगे। यदि गुणवत्ताहीन हुआ तो हम वही से रिजेक्ट कर देते हैं। यदि कहीं पर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। तो आप जिनके बारे में बोल रहे हैं। यह सतत् प्रक्रिया है। यदि किसी का लाड केंसिल हुआ है तो हम उसको वापस भेज देते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उससे हमको और नहीं लेना है। गुणवत्ताविहीन यदि देगा तो नहीं लेंगे। रिजेक्ट करेंगेऔर यदि गुणवत्ताविहीन सामान फिर लायेगा तब उसको हम लोग सप्लाई करेंगे और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे संज्ञान में आया, हमने जांच कराया, उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ में कार्रवाई किया और क्या-क्या कार्रवाई करवाया है, अगर उसको भी जानना चाहते हैं तो वह भी बता देंगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जांच कर लें। एक ही मांग, जिसके आर्डर क्रमांक सेम है। जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। जो आदेश का आर्डर नं है, वह 23/174। उसी चना को गरियाबंद में फिल कर दिया गया और वहीं आपके ही अधिकारियों ने आप के ही लोगों ने उस चने को देवभोग में पास कर दिया तो यह घपला हो रहा है । मैं चाह रहा हूं कि आप एक कमेटी बना दें, उसकी जांच करा दें और जांच कराकर जिन भी चीजों की गड़बड़ी हुई है । अगर हुई है तो उसकी जांच कराकर उस पर आप कार्यवाही करें ।

अध्यक्ष महोदय :- अमितेश जी, आप जो पूछ रहे हैं वह समाचार पत्रों के आधार पर पूछ रहे हैं या कोई व्यक्तिगत जानकारी है ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदेश के हिसाब से प्रश्न पूछ रहा हूं । इन्होंने तो समाचार पत्र का उल्लेख करते हुए कार्यवाही की ।

अध्यक्ष महोदय :- कल इसमें बहुत बहस हो चुकी है कि समाचार-पत्रों में क्या देना है और क्या नहीं देना है ।

श्री अमितेश शुक्ल :- जी, हां । माननीय अध्यक्ष महोदय, वह उल्लेख जो है । समाचार पत्रों में उल्लेख करके इन्होंने तो संज्ञान लेकर कार्यवाही की जबकि यह बोलते हैं कि उसमें कोई संज्ञान नहीं किया जाता लेकिन इन्होंने की । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा केवल यह कहना है कि मेरे पास जो यह आदेश क्रमांक है यह आपके समाचार-पत्र की कटिंग नहीं है । मेरा सिर्फ यह है कि ये जांच करवा दें। मेरा बस यही कहना है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप कह दीजिये न, जांच करा देंगे । उसमें क्यों इतना लंबा-चौड़ा कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैंने आपकी बात पर आपत्ति नहीं ली है । मैंने यह कहा कि विधानसभा में चर्चा का आधार समाचार-पत्र की कटिंग या क्लिपिंग नहीं हो सकती । बाकी सूचना के लिये हम समाचार के माध्यम से भी लेते हैं, सोशल मीडिया से भी लेते हैं तथा कोई और भी माध्यम रहता है उससे भी लेते हैं । हमने कहा कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेंट पेंडिंग नहीं है । अगर आपको किसी के संदर्भ में आपत्ति है तो आप लिखित में दीजिये । हम निश्चित रूप से उसकी जांच करायेंगे और यदि जांच में सही पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नेता प्रतिपक्ष जी ।

श्री अमितेश शुक्ल :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- अमितेश भाई आपने लगातार 4-5 प्रश्न पूछ लिये हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो अंतिम होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको नहीं, उनको बोल रहा हूं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के समक्ष फिर से उसको दोहरा हूं कि क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदाय करने वाली जो फर्म है, संस्था है क्या वह कभी ब्लेक लिस्टेड हुई है ?

अध्यक्ष महोदय :- इसको आप पूछ चुके हैं । भगत जी ।

श्री अमरजीत भगत :- आप कृपया प्रश्न को एक-बार और कर लेंगे । आप एक-बार और प्रश्न कर दीजिये ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अंग्रेजी में करियेगा ।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, वे छत्तीसगढ़ी अच्छी समझते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गरियाबंद जिले में चना प्रदान करने वाली जो फर्म है, संस्था है। क्या वह पूर्व में कभी ब्लेकलिस्टेड हुई है ? और हुई है तो कब हुई है ?

अध्यक्ष महोदय :- ब्लेकलिस्टेड को हिंदी में बोल दो या छत्तीसगढ़ी में बोल दो ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्लेकलिस्टेड 3 वर्ष पहले वर्ष 2016 में हुई थी जिसकी समय-सीमा वर्ष 2019 में समाप्त हो गयी है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. रमन सिंह जी ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी प्रश्न है । यह जब ब्लेकलिस्टेड है तो उसको बलौदाबाजार में...।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाजू में पूछ लीजिये न ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि I want to talk tell you one thing only.

अध्यक्ष महोदय :- Yes. तो आज आप बाजू वाले से पूछ लीजिये ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, In my supervision you please make a inquiry and help you.

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी ।

<u>राशन दुकानों द्वारा अनाज शक्कर का आबंटन</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 844) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या शासन ने राशन दुकानों में आगामी दो माह के, शत प्रतिशत अनाज, शक्कर आबंटन संबंधी नियम बनाया है, यदि हाँ, तो कब से प्रचलन में है? (ख) क्या लगातार दो माह शत-प्रतिशत, अनाज, शक्कर आबंटन देने के बाद, तीसरे महीने, बीते दो महीनों में, वितरण के बाद, शेष बचे अनाज और शक्कर की मात्रा को घटा कर, तीसरे महीने शेष आबंटन देने का प्रावधान है? (ग) यदि हां तो जनवरी, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि में, प्रदेश की राशन दुकानो में, शेष बचत की माहवार, जीन्सवार मात्रा और उसको घटाकर दिए गए, अनाज शक्कर की मात्रा का जिलावार, माहवार, जीन्सवार विवरण देवें? इस प्रकार अवशेष मात्रा की राशि का विवरण दिया जाये? (घ) क्या उपरोक्त प्रक्रिया का पालन सभी जिलों में किया गया है? यदि नहीं तो जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी नहीं, राज्यल शासन द्वारा ऐसा नियम नही बनाया गया है, शेष प्रश्नां श उपस्थित नही होता।(ख) जी नही, ऐसा कोई निर्धारित नियम नही है, शेष प्रश्नां श उपस्थित नही होता।(ग) प्रश्नां श "ख" की जानकारी के परिपेक्ष्यख में प्रश्नां श उपस्थित नही होता।(घ) प्रश्नां श "ख" की जानकारी के परिपेक्ष्य् में प्रश्नांश उपस्थित नही होता।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न राशन दुकानों द्वारा अनाज, शक्कर के आवंटन के संबंध में है और बड़ा सरल प्रश्न है । मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, आप तैयार रहिये ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय मंत्री जी, कृपया यह बतायेंगे कि यदि राशनकॉर्ड धारक चावल-शक्कर नहीं ले जाता तो दुकान में बचेगा कि नहीं ? दूसरा अगर शक्कर बचा है, चावल बचा है तो उसको अगले माह का जो आवंटन होता है उसमें उसको समाहित किया जाता है कि नहीं और इसके संबंध में क्या कोई नियम-कानून बना है कि नहीं ? माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि इसके संबंध में क्या नियम है, क्या कानून है और क्या प्रक्रिया है ? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अतिशेष जो स्टॉक बचता है

उसके संबंध में क्या विभाग ने कोई निर्देश या कोई पत्र या कोई नियम बनाये हैं जिसके तहत् यह संचालित होता है ? कृपया माननीय मंत्री जी पहले इसका जवाब दे दें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय डॉ. साहब, आपने जो प्रश्न किया है । वह है तो बहुत महत्वपूर्ण लेकिन प्रश्न जो बनाया उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया और आपको पूछना कुछ और था और पूछ कुछ और दिये इसलिये वह उद्भुत नहीं होता है लेकिन चूंकि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत जिम्मेदार सीनियर हैं । मैं बताना चाहूंगा कि जनवरी-फरवरी 2022-23 की अवधि के दौरान जो है । हमने जो वितरण किया है उसमें यम मायनस टू प्लस थ्री यह जो फार्मूला आपने बनाया था उस फार्मूले के तहत् किया है । अब उस फार्मूला के बारे में तो आप ज्यादा बेहतर जानेंगे। चूंकि आपने इतने साल तक उस फार्मूले को चलाया ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उसको आप बताईये । समझाईये ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जांच प्रतिवेदन मेरे हाथ में है । इस जांच प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में संचालित 13,391 दुकानों में से 18 दुकानों को छोड़कर बाकी सबकी जांच की गई । इसमें विभाग ने इस पूरी जांच में यह पाया कि 18 उचित मूल्य दुकानों को छोड़ शेष सभी उचित मूल्य दुकानों में चावल के स्टॉक परीक्षण किया, विभागीय डेटाबेस में दिसम्बर 2022 की मात्रा में खाद्य निरीक्षण मॉड्यूल जिले में दर्ज की गई बचत की मात्रा । जो खाद्य विभाग का डेटाबेस है और जिले का डेटाबेस है दोनों में कितना फर्क है । इतना बड़ा स्टॉक है । इस रिपोर्ट में करीब-करीब 68,930 मेट्रिक टन चावल स्टॉक में है । यह इतना चावल है कि आने वाले 2 से 5 महीने तक चावल वितरण किया जा सकता है । जब यह पूरी लिस्ट हमारे पास है और इस पूरी लिस्ट में । यानी इससे बड़ा ब्लंडर और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता । पूरे प्रदेश का डेटाबेस देखें तो 1 लाख, 65 हजार मेट्रिक टन चावल है और जिले की मात्रा 96 हजार मेट्रिक टन है । इसका मतलब यह है कि 68,930 मेट्रिक टन चावल गायब है । वह स्टॉक में नहीं है । डेटाबेस के मुताबिक जारी हुआ लेकिन जिले के स्टॉक में गायब है । इसका मतलब है कि जितनी मात्रा में चावल जारी किया गया और जितनी मात्रा में चावल गया, यह चावल की मात्रा इतनी है कि आने वाले 2 से 5 महीने तक चावल दिया जा सकता है । गुड़ और शक्कर दिया जा सकता है । इसकी जांच हो रही है । ई.ओ.डब्ल्यू. जांच कर रहा है । मंत्री जी ने कहा कि हम किसी दोषी को छोड़ेंगे नहीं । अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों को देखकर आप आश्चर्य करेंगे कि दुकानों में स्टॉक कितना है । नाम सहित बताऊं ग्राम पंचायत रायगढ़ की क्रांति प्रकाशपुर में ओवर स्टॉक, यानी जितना स्टॉक होना चाहिए उससे 5093 मेट्रिक टन चावल ज्यादा है । ऐसे ही नवापारा रायपुर की 8 दुकानों में 6 हजार मेट्रिक टन चावल ज्यादा है । सर्वमंगला कोरबा में 1400 मेट्रिक टन ज्यादा है, नवोदय नवापारा में 1638 मेट्रिक टन ज्यादा है । ये स्टॉक है। जो डेटाबेस स्टेट का होता और डिस्ट्रिक्ट का डेटाबेस में कितना अंतर है? ये मेरे आंकड़े नहीं हैं । संचालनालय द्वारा जारी किये गये आंकड़े हैं ।

इतना सब मालूम होने के बाद भी 59 हजार मेट्रिक टन चावल न स्टेट के डेटाबेस में है और न ही जिले में है । दुकानदारों ने खा लिया, बेच दिया, क्या कार्रवाई हुई, ई.ओ.डब्ल्यू. की जांच में क्या रिपोर्ट हुआ और मंत्री जी बार-बार बोलते थे, जांच कराएंगे । क्या जांच रिपोर्ट का कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है ? ई.ओ.डब्ल्यू. ने कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया या विभागीय जांच प्रतिवेदन है ? जहां तक सवाल नियम है या नहीं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि इसके संबंध में स्पष्ट नियम और प्रावधान हम लोगों ने बनाया था । जिसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा । पहले इसका जवाब आ जाए।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, आपने तो प्रश्न नहीं किया, पूरा भाषण कर दिया । अच्छी बात है आपने इसको बताने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब, जितने बोगस राशन कार्ड थे, बोगस एलॉटमेंट आपके समय होते थे । आपने कभी इसका वेरीफिकेशन नहीं कराया । एक बार 2007 में आपने वेरीफिकेशन कराया था, उसका कोई डिटेल्स नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्वाइंटेड प्रश्न है तो प्वाइंटेड उत्तर दो ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुन तो लीजिए । 2017 में जो हुआ, इसका भी कुछ नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- 2017 का नहीं, 2022-23 का बताइए ।

श्री अमरजीत भगत :- हमने 2022 में वेरीफिकेशन कराया ।

डॉ. रमन सिंह :- 450 दुकानों में जो 63 हजार मेट्रिक टन चावल की गड़बड़ी हुई उस पर क्या कार्रवाई की गई ।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनिएगा । आपने प्रश्न कर लिया अब हमसे उत्तर सुनिये । आप थोड़ा तसल्ली से सुनियेगा तब तो उत्तर आएगा । जो 13,952 उचित मूल्य दुकानें है, हमने 2022 में उनका वेरीफिकेशन कराया और स्टॉक का सत्यापन कराया । जिसमें बाकी में ठीक पाया गया, 4952 उचित मूल्य दुकान में 41,900 टन चावल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गयी तथा इसमें तकनीकी त्रुटि, विवरण में डेटा अपलोड ना होने के कारण एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है। इन मामलों में अब तक 13 प्रकरणों में एफ.आई.आर दर्ज कराई गयी है, 19 प्रकरणों में चावल की राशि वसूल कर ली गयी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण पंजीबद्ध होकर इसमें कार्रवाई प्रचलित है। इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकान निलंबित किए गए हैं एवं 140 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है। सभी जिलों को इस परीक्षण की कार्रवाई को 24 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर विभाग को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें हम वही बोल रहे हैं कि M-2+3. आपने कभी भी जो ओवर स्टॉक होता था, उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। आपके समय जितना आवंटन आ रहा है, आप उसको सेल्फ डिक्लेरेशन मानते रहे। लेकिन आज जब से ई-कोष मशीन लगा है, भारत सरकार उसको तीन बार परीक्षण कराती है। इसके बाद ही हमारा जो क्लेम रहता है उसमें भुगतान

मिलता है। आपने जो जांच के संदर्भ में कहा, जांच में कमी पाई गयी है, उसमें कार्रवाई प्रचलन में है और मार्च तक का समय दिया गया है। उसमें जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह पूर्ववर्ती सरकार के कानून का क्रियान्वयन किए होते तो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, यानी मै तो कहता हूं कि 500-600 करोड़ का घोटाला इसमें साबित होता है। 450 दुकानदारों के पास जिनके पास 100 क्विंटल रखने का स्टॉक नहीं है, आश्चर्य करेंगे, उनके पास 700-700 क्विंटल का चावल का स्टॉक है। यह इतना बड़ा ब्लंडर है कि 450-500 दुकान 13000 दुकानों में अवैध रूप से शक्कर, गुड़ और चना की तस्करी पूरे प्रदेश में हो रहा है। यानी जो पी.डी.एस. हिन्दुस्तान का सबसे बेहतर पी.डी.एस. कहलाता था, आज वह बिचौलियों के हाथ में चला गया है। (शेम-शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है, यह जो अतिशेष के संबंध में नियम क्या है बोलते हैं, मैं नियम पढ़कर बताता हूं। यह नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित है, मैं नियम की डिटेल पढ़ देता हूं। नियम 17 कहता है कि विगत् माह के दौरान वितरण राशन सामग्री अतिशेष स्टॉक की घोषणा प्रपत्र, यानी अतिशेष है तो वह दुकान उसके लिए घोषणा पत्र देगा, डिमांड ड्राफ्ट की राशि प्राप्त होने पर संबंधित खाद निरीक्षक वेबसाईड में इसकी डाटा एंट्री करेगा। यानी हर दुकान की डाटा एंट्री करने की जवाबदारी खाद निरीक्षक को है। इसके बाद भी 450-500 दुकानों में ना स्टॉक देखा गया, ना सुना गया और हजार-हजार कहीं 8 हजार क्विंटल के भी चावल की अफरा-तफरी हुई है। इसकी जांच के लिए, इसमें छोटी मोटी जांच की जरूरत नहीं है, यह गरीब जनता के पी.डी.एस. का मामला है। चावल हो, गुड़ हो, नमक हो, शक्कर हो। इसके लिए मंत्री जो को खुले दिल से बात करना चाहिए और विधायकों की एक कमेटी बनाकर जांच करना चाहिए। सारे विधायकों के क्षेत्र की समस्या है। यदि इसकी जांच करना है तो अधिकारी जांच नहीं कर सकता, क्योंकि सब लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि इसमें विधायक दल से जांच करा लें तो इतना बड़ा ब्लंडर सामने आएगा। 500-600 करोड़ रूपये का यह जो स्टॉक है, मैं 67 हजार मीट्रिक टन की बात कर रहा हूं। यह कंटीन्यूयस चल रहा है। इसमें अलग से कानून बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, नॉन आपूर्ति तब देगा जब संबंधित खाद निरीक्षक द्वारा वेबसाइड पर इसकी डाटा एंट्री की पुष्टि करेगा। यानी हर महीने स्टॉक का, डाटा एंट्री का एंट्री करने के बाद खाद निरीक्षक एंट्री करेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, इसको गंभीरतापूर्वक लेकर आप निर्देशित करें कि विधायकों की कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से हमने कहा कि यह जो प्रक्रिया थी, वह आपके फार्मूले में वितरण की जाती थी, उसमें जो सेल्फ डिक्लेरेशन देता था, उसको मानते थे। आज भारत सरकार हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन को नहीं मानती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर सुनाता हूं। पहले क्या था और अब क्या है। उचित मूल्य दुकान का कम्प्यूटरीकरण हो गया है। वर्ष 2017-2018 में संचालित 11,898 दुकानों में टेबलेट के जरिये राशन का वितरण होता था और

वर्तमान में 13,473 दुकानों में ई-पॉश मशीन लग गये हैं। उसका गलत उपयोग कर पाना संभव नहीं है। दूसरा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए आपके समय प्रत्येक माह 8 प्रतिशत हितग्राहियों को राशन का वितरण होता था और आज हमारी जो व्यवस्था है उसमें 96 प्रतिशत लोगों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए उनका चावल उठता है। राशन सामग्री के दुरूपयोग से औसतन 92 प्रतिशत हितग्राहियों को टेबलेट के माध्यम से राशन का वितरण होता था और आज वर्तमान में औसतन 96 प्रतिशत हितग्राहियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन वितरण का किया जा रहा है। इसपर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया है। वर्ष 2017-2018 के सभी हितग्राहियों को पसंद की दुकान से राशन लेने का ऑप्शन नहीं था, उसको हमने 35 जिलों में ऑप्शन सो करने की व्यवस्था की है। आज केलेजियल बैलेंस 2017 दुकानों में 2 माह पूर्व बचत राशि को घटाकर। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भाषण न दें। वह बताये कि चोरी का चावल कहां गया?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 41,000 टन चावल कम पाया गया है। यह तो भाषण दे रहे हैं। यह पढ़ने का विषय थोड़ी न है। यह प्वाइंटेड प्रश्न है तो इस प्वाइंटेड प्रश्न का प्वाइंटेड उत्तर आना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर ही आ रहा है। आप सुनिये न। जनवरी, 2017 से प्रत्येक माह दुकान को 2 माह पूर्व की बचज मात्रा को घटाकर 3 माह की बचत मात्रा को जोड़कर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा था। कुछ दुकानों में ओव्हर स्टॉकिंग है जो कि आपको दिख रहा है। अब हमारे समय में यह हो गया है कि वर्तमान में प्रत्येक माह में दुकानों को 2 माह के पूर्व की बचत की मात्रा को घटाकर राशन सामग्री प्रदाय की जा रही है ताकि दुकानों में बचत स्टॉक के दुरूपयोग की स्थिति निर्मित न हो। इसलिए आप जो बता रहे हैं कि इसमें कमी दिख रही है तो यह कमी आपके समय की है और उसमें जांच के निर्देश दे दिये गये हैं और यह जांच मार्च तक पूरी होगी और मांर्च तक इस सदन में। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह हमारे समय का नहीं है। आपकी सरकार को तो 4 साल हो गये। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह आपकी सरकार के समय का है। वह 40,000 टन चावल कहां गया ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- 68,000 मीट्रिक टन चावल कहां है ? (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मोटा-मोटा जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- 4 साल में 68,000 मीट्रिक टन चावल कहां गया?

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिये न।

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी कन्फर्म नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में मिलकर चोरी की जा रही है। यह सबसे बड़ा घोटाला है। 68,000 मीट्रिक टन चावल गायब हो गया और मंत्री जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 600 करोड़ रूपये का घोटाला है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- 68,000 मीट्रिक टन चाव गायब हो गया। मतलब, 6 लाख 80 हजार मीट्रिक टन चावल गायब हो गया। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश हो जाए कि सदन की जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की कराई जाए।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो साबित है कि यह किसी के भी कार्यकाल हो, सवाल यह नहीं है। यह तो सार्वजनिक संपत्ति है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आप जांच करा लीजिए। यदि इनके कार्यकाल का है तो आप इसकी जांच करवा लीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- इसकी जांच होनी चाहिए और चोरों को जेल भेजा जाना चाहिए। जिन्होंने चोरी की है उनको जेल भेजा जाना चाहिए। वह चोर के साथ सम्मिलित हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप सदन की जांच समिति से जांच करा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन की समिति से इसकी जांच करवा लीजिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन की जांच समिति से जांच करवा लीजिए। मंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह आपके समय का है और जो भी गड़बड़ी किया है उससे 1-1 पैसे की वसूली की जाएगी। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- जो चोर हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। उनकी सदन की कमेटी से जांच कराई जाएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज। मंत्री जी, एक मिनट। हुजूर, मैं तो यह कह रहा हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी 15 साल के अनुभव वाले हैं। वह स्वयं सक्षम हैं कि उनको क्या कहना हैं। आप लोग 6-7 लोग एक साथ बोल रहे हैं। यह उचित नहीं हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह सक्षम तो हैं लेकिन यह लोग तो इनको अक्षम कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको जो भी कहना है, कहने दीजिए। मैं उत्तर देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यदि आप सही हैं और आपके राज में यह नहीं हुआ है तो आप हाई कोर्ट के जस्टिस से इसकी जांच करवा दीजिए। सदन की कमेटी से जांच करवा दीजिए। आप सी.बी.आई. से इसकी जांच करवा दीजिए। आप एन.आई.ए. से इसकी जांच करवा दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- हम बोल तो रहे हैं कि अभी जांच प्रक्रियाधीन है और उसकी वसूली की जा रही है। उसकी वसूली की जाएगी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मंत्री जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 600 करोड़ रूपये के घपले (घोटाले) का मामला है। आपसे निवेदन है क्योंकि यह राशन से जुड़ा हुआ मामला है और गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। आप इसकी सदन की जांच कमेटी से पूरा विस्तार से जांच कराएं। आसंदी से यह आदेशित हो जाएं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं मंत्री जी यह स्वीकार कर रहे हैं कि स्टॉक कम पाया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- यह आपके समय का है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। जांच हो रही है और कोई नही बचेगा। वसूली चल रही है। अभी जांच प्रक्रियाधीन है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप क्या काम कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह किसी के भी कार्यकाल का हो, इसकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- भैया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब को सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- इस सदन में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत जिम्मेदारी से सरकार को आइना दिखाने का प्रयास किया है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जो गरीबों का चावल खाये हैं उनको नहीं छोड़ेगें।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच कराई जाएं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इसकी तीन बार जांच...करायी गयी है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- गरीबों की आवाज नहीं सुनने वाली यह सरकार नहीं चलेगी। गरीबों का चावल चोरी करने वाली सरकार नहीं चलेगी।

श्री कवासी लखमा :- यह पूरे लोग क्यों उठ गये हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- चावल चोरी का पूरा मामला बाजार में समझ में जा जाएगा। आप इसकी जांच करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी नॉन घोटाला हुआ था। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्फेसिफिक है इसलिए इसकी जांच करानी चाहिए। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं ? यदि आप कहेंगे तो जांच की घोषणा हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आप इसकी जांच करवा दीजिए क्योंकि यह आखिरी सत्र है।

श्री धर्मजीत सिंह :- विधायकों की कमेटी से जांच करवा दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- यह सारा पेपर रिकॉर्ड में है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- सदन की कमेटी से इसकी जांच करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- विधायकों की कमेटी से इसकी जांच करवा दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- सदन की कमेटी से जांच करवा दीजिए ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी नान घोटाला हुआ है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, यह आखरी सत्र है। 600 करोड़ के घपले का मामला है (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गरीबों का चांवल खाने वाली सरकार है (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- गरीबों का चांवल चोरी करके कौन खा रहा है, यह जनता को जानने का अधिकार है (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- इसमें नान के अध्यक्ष की क्या भूमिका है ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, क्या यह मान्यता प्राप्त है ? इसमें आप कुछ बोलेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- जो गड़बड़ किया है, उससे वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन बार जांच करवाने के बाद इसकी जांच की अंतिम तिथि 25.11.2022 रखी गई थी । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जिसने भी गरीबों का चांवल खाया है, उसे छोड़ेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- मजाक बना रखा है । इसकी जांच करवाईए । उसमें जांच करवाईए (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रकरण का जांच विधायकों की कमेटी से करानी चाहिए ।

श्री अमरजीत भगत :- जिसने भी गरीबों का चांवल खाया है, उसे छोड़ेंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- मंत्री जी जांच नहीं करेंगे, हम आसंदी से आग्रह करेंगे कि आसंदी से जांच का निर्देश हो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- एक-एक चीज की जांच होगी, वसूली होगी । अगर कोई गड़बड़ी पाए जाएगी, शार्ट पाया जाएगा तो हम वसूलेंगे। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब सक्षम नहीं हैं क्या, इतने लोग खड़े हो गए हो । आप सब बैठ जाईए, डॉ. साहब सक्षम हैं, वे अपनी बात रखेंगे (व्यवधान)

श्री धरम लाल कौशिक :- इसमें सदन की जांच कमेटी की बहुत आवश्यकता है । आसंदी से जांच कमेटी गठित करने का निर्देश हो जाये । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- जनता पूछ रही है कि उसका चांवल कहां चला गया ।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से आदेश का जाये, जांच कमेटी का आदेश कर दीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने भी गलती किया हो, वह जेल जाएगा । अगर हमने गलती की है तो हम जेल जाएंगे, आप लोगों ने गलती की है तो आप जेल जाएंगे (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- चाहे जिसने भी गलती किया हो, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जो खाया, वही हल्ला कर रहा है । डॉ. साहब अक्षम हैं क्या ? इतने लोग खड़े हो गए हो (व्यवधान) जो खाया है, वही प्रश्न पूछ रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- विधान सभा की कमेटी से जांच करवा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी ने तो कह दिया है कि गड़बड़ी पायी जाएगी तो जांच कराएंगे तो जांच करा दीजिए । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी का आदेश हो, तत्काल जांच की घोषणा हो जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की तत्काल घोषणा होनी चाहिए । जो दोषी है, उसको सजा मिले । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जांच चल रही है, निरंतर प्रक्रिया है ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कमेटी से जांच कराने की घोषणा हो जाये, आसंदी से जांच करने का निर्देश हो। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि जांच चल रही है, यह निरंतर प्रक्रिया है । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

श्री अमरजीत भगत :- उत्तर सुन तो लीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

संसदीय सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध) डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इनके समय में 36 हजार करोड़ का घोटाला हुआ था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप उत्तर दे रहे हैं क्या ? आप उत्तर दीजिए (व्यवधान) आप लोग उनका उत्तर तो सुनिए । मंत्री जी क्या उत्तर दे रहे हैं, उसे सुन तो लीजिए।

श्री गुलाब कमरो :- रमन सिंह जी के कार्यकाल में करोड़ों का नान घोटाला हुआ था (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि इसकी जांच हो । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपका आग्रह सुन लिया, मगर मंत्री जी पूरा उत्तर दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए । उसके बाद आपको जो करना है, वह करिए ।

श्री कवासी लखमा :- मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, उसको तो सुनना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न, लखमा जी, आप बैठिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसमें मैंने कहा है कि माह सितम्बर, 2022 में बचत स्टॉक का सत्यापन हमने प्रदेश में संचालित 13392 उचित मूल्य दुकानों का कराया, जिसमें से प्रदेश के समस्त जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4952 उचित मूल्य दुकानों में कुल 41975 टन चांवल की कमी प्रथम दृष्टया पाई गई है तथा इसमें से तकनीकी त्रुटि, वितरण डाटा अपलोड न होने एवं वास्तविक रूप से अनियमितता आदि कारणों का भी जिला प्रशासन द्वारा परीक्षण कराया जा रहा है । इन मामलों में से अब तक 13 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर का चुका है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों ने सुना कहां हैं ? आप सुन लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- 19 प्रकरणों में चांवल की राशि की वसूली कर ली गई है तथा सभी स्टॉक करने वाले प्रकरण पंजीबद्ध हो गए हैं, उसमें कार्यवाही प्रचलित है। इन प्रकरणों में अब तक 161 उचित मूल्य दुकानों को निलंबित एवं 140 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन निरस्त किया गया है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, ये सारा उत्तर तो आ चुका है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग जवाब तो सुन लीजिए ।

श्री नारायण चदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सारा उत्तर आ चुका है। लिखित में भी है और उन्होंने बोल भी दिया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जवाब तो सुन लीजिये।

श्री नारायण चदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि यह बहुत गंभीर मामला है। 600 करोड़ रूपये के घपले का मामला है। गरीबों के चावल का मामला है। इसलिए आसंदी से आदेश हो जाये। सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच कराई जाये।

श्री नारायण चदेल :- आप जवाब सुन तो लीजिये। सुन लीजिये।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो।

श्री अमरजीत भगत :- इसके परीक्षण की कार्यवाही को 24 मार्च, 2023 तक पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। (सत्तापक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट) 24 मार्च, 2023

अंतिम तिथि होगा, इसके बाद जो-जो भी जिसके खिलाफ कार्यवाही रहेगा, हम एक-एक पैसा वसूलेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे।

श्री नारायण चदेल :- अध्यक्ष महोदय, सदन की जांच कमेटी से जांच कराने में क्या दिक्कत है ? सदन के विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं है ? सदन की जांच कमेटी पर भरोसा नहीं है ? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीबों के चावल का मामला है और 600 करोड़ का घपला है। दिक्कत क्या है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मुंगेली जिले के 2-3 दुकानों का नाम बताऊंगा। 20-20 किलोमीटर दूर में हद कर दिए हैं। पूरा चावल बेच खा रहे हैं। जंगल के गांवों में अटेच किए हैं, वहां का पूरा चावल बेचकर ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, जो भी गरीबों का चावल खाया है, उसमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक-एक पैसा वसूलेंगे।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- समझ गये ?

श्री अमरजीत भगत :- जो भी खाया हो , अगर वह पैसा नहीं भरेगा तो जेल के सलाखों के पीछे जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- बोल-बोलकर थक गया, बदलते ही नहीं हैं। बुरी तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चावल का गोलमाल हो ही रहा है। आप जांच तो करा लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, स्वीकार कर रहे हैं कि 65 हजार मीट्रिक टन चावल कम पाया गया है, मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चाहे किसी के कार्यकाल का हो, अपने कार्यकाल का हो, जांच की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आलरेडी निर्देश जारी हो चुका है कि 24 मार्च, 2023 अंतिम तिथि है।

श्री सौरभ सिंह :- आज क्यों नहीं ? इतने दिन तक देरी क्यों किये हैं ? सितम्बर से यह प्रकरण लंबित था। छः महीने क्यों ? किसको सरंक्षण दिया जा रहा है ? सितम्बर से 6 महीने तक किसको बचाया जा रहा है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- इसका जांच होकर रहेगा। आप इसकी जांच की घोषणा करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह डकैती है डकैती। भ्रष्टाचार है, डकैती है डकैती।

श्री सौरभ सिंह :- किसको बचाया जा रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- विधानसभा की समिति से जांच कराई जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- चावल को लील गये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि 40-40 हजार टन चावल की जांच नहीं होगी तो क्या 2-4-5 लाख रूपये की जांच करायेंगे ? आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जांच आदेश देने के लायक हैं। आप जांच की घोषणा करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, इनकी जांच पर जांच बैठानी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- जो भी गरीबों का चावल खाया है, उसको नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- जांच करवा लो न।

श्री नारायण चंदेल :- जांच करवा लो।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि अध्यक्ष स्वयं होकर जांच की घोषणा किए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(11:43 से 11:48 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रही)

समय
11.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी ने जवाब दे दिया है । मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ । मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है । 24 तारीख तक कार्यवाही करने की बात कही है । मैं समझ गया । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- शक्कर भी है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- इसके बाद आपका क्वेश्चन भी है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तिथि की घोषणा कर दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, इसके बाद आपका क्वेश्चन भी है । आपका क्वेश्चन है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- जब सेन्ट्रल पुल का चावल जमा नहीं हो पाया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, आपका क्वेश्चन भी है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ये सब तुंहर कार्यक्रम है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभी चीज खा गये । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- ...प्रभावत कर रहे हैं । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(विपक्षी दल के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, धर्मजीत जी, धर्मजीत जी । आप प्रश्न करिये । सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित ।

(11.50 से 12.04 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

Adil\17-03-2023\a20\12.00-12.05

समय :

12.04 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल में मेरा एक विषय है।

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 04 जनवरी, 2023

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 04 जनवरी, 2023 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

अल्पसंख्यक विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- सभापति महोदय, मैं, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में लाखों लोगों का पैसा चिटफंड कंपनी में डूबा हुआ है। इनके 2018 की जनघोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि चिटफंड कंपनी के डूबे हुए सारे पैसे को वापस करायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, इंदिरा प्रियदर्शनी का भी उल्लेख करते जाईये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं चिटफंड में बोला हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का भी उल्लेख करते जाइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इन्होंने फॉर्म भरवाया और लाखों की संख्या में जिनका पैसा चिटफंड कंपनी में डूबा था, उन्होंने फॉर्म भरा। अकेले सहारा में 3 हजार करोड़ रूपये डूबा हुआ है। उनकी मैच्युरिटी की डेट आ गई है उनको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ये पैसे कहीं 32 करोड़ रूपये वापस कराये हैं तो केवल पहचान-पहचान कर, कि हमें इसका पैसा वापस करना है। कुल मिलाकर कार्यवाही के नाम पर भी यह करप्शन कर रहे हैं जो जमीन कुर्क की गई। अगर वह जमीन 100 करोड़ रूपये की है तो उसका स्वार्थपूर्ण बंटावारा 5 करोड़ और 10 करोड़ रूपये में अपने लोगों को भी किया गया है और उसका नुकसान छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता भोग रही है। आज लाखों लोगों का पैसा डूबा है। पूरा प्रदेश इससे (व्यवधान)है और सरकार चिटफण्ड कंपनियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस विषय पर हमारा स्थगन है। आपसे निवेदन है कि इसको ग्राह्य करके चर्चा कराएं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, इन्हीं लोगों ने चिटफण्ड कंपनियॉ खुलवाई हैं इनके मंत्री लोग उद्घाटन करते थे या नहीं करते थे। मेरे पास फोटो है, मैं दिखा दूंगा।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय शिवरतन शर्मा जी, आप लोग लज्जा करिये कि उस समय आप लोग ही चिटफण्ड कंपनियों का फीता काटकर उद्घाटन करते थे। उनका कार्यालय खोलते थे। उनको आशीर्वाद देते थे तो उसी समय इसे आप लोगों ने चिटफण्ड कंपनियों को बंद क्यों नहीं किया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमने इसमें एक स्थगन भी दिया है और ध्यानाकर्षण भी दिया है।

श्री कवासी लखमा :- आपको हमें बधाई देनी चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिटफण्ड कंपनियों को बंद किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह किस हैसियत से बोल रहे हैं? शून्यकाल में हम लोग बोलने के लिए खड़े हैं और मंत्री लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, इन्हीं लोगों ने तो करवाया है और कौन करवाया है ? इन लोगों ने चिटफण्ड कंपनियों को बंद क्यों नहीं किया ?

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जैसे आज कृषि विभाग में चर्चा है और इन लोगों को बीच-बीच में खड़े होना पड़ता है। आप दो तरह की चर्चा स्वीकृत कर लीजिए हम तैयार हैं 15 सालों में कृषि विभाग में क्या हुआ और इन 5 सालों में क्या हुआ ? जिसमें-जिसमें हम

गलत हैं यह 4 महीने में जांच करवा लें और हमको जेल भेज दें, लेकिन कम से कम बोलने दें, जो हम बोल रहे हैं उसको। इनको, मंत्रियों को शून्यकाल में बोलने का शौक है तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दें और यहां बैठकर शून्यकाल में नोटिस दे और इनको जितना काय-काय करना है करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप गलत बात बोल रहे हैं। आपको जितना अधिकार है, उतना हमको भी अधिकार है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, ए कांय-काय करते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आपको विधान सभा में जितना अधिकार है, उतना हमको भी अधिकार है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम आसंदी की अनुमति से बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम लोग भी सभापति महोदय से अनुमति लेकर बोल रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :-यहां जो भी बोलता है वह आसंदी की अनुमति से ही बोलता है। बिना आसंदी की अनुमति के कोई नहीं बोलता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, सभी बराबर के हकदार हैं। हम 90 के 90 सदस्य आसंदी की अनुमति से ही बोलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इनका शून्यकाल हो जाए यह लोग बोल लें फिर हम बोलेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप यह नहीं रोक सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमने नोटिस दी है।

श्री बृहस्पत सिंह :- इस सदन में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरी बात सुन लीजिए। हमने शून्यकाल की नोटिस दी है उनका कहना है कि हम शून्यकाल में बोल सकते हैं तो हमारा आग्रह है कि उनके शून्यकाल के विषय को पहले ले लीजिए फिर हमारा विषय लीजिएगा। उन लोगों को बुलवा लीजिए, वह जितना बोलेंगे उतना। या तो वह हमें डिस्टर्ब न करें या उनके शून्यकाल की सूचना को बोलवा लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, यह हल्ला कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिए। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं शून्यकाल में बोल रहा हूँ

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल में नोटिस देना जरूरी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब दो तरह के शून्यकाल हैं। हम बिना नोटिस वाले भी बोलते हैं और पढ़े लिखे वाले शून्यकाल, उस के बाद पढ़े हुए माने जाते है, परम्परा यह रही है कि शून्यकाल में जो नोटिस देते हैं उसमें हम, आपका आसंदी का ध्यानाकर्षण करते हैं। रोज माननीय मंत्रीगण शून्यकाल में खड़े होकर बोलते हैं। यह परम्परा कभी नहीं रही कि यहां लोग बिना नोटिस के बोलें। यदि इनको अधिकार है तो कृपया आप इसको बता दीजिए कि शून्यकाल की परम्परा क्या है या नियम क्या है और दूसरा यदि...।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह गलत बोलेंगे तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब वह व्यवस्था के प्रश्न में भी कहेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न किससे पूछ रहे हैं। सरकार से ही प्रश्न पूछ रहे हैं प्रश्न का जवाब कौन देता है सरकार ही जवाब देती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया, नियम और व्यवस्था के तहत ही चलता है(वयवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था के प्रश्न में भी इंटरप्ट होगा। इसमें भी बोलने नहीं देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, लेकिन ऐसा भी न होना चाहिए। सबको बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, सबको बोलने तो दिया जा रहा है। आपको ज्यादा बोलकर अपच हो जाता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, शून्यकाल में बोलने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बिना नोटिस दिए कोई सदस्य विषय उठा सकता है क्या ? आप इसकी व्यवस्था दे दीजिए।

अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब दूसरी बात, यदि मेरी व्यवस्था में उनको अधिकार है तो हमारा आग्रह यह है कि एक नई परम्परा स्थापित कर दी जाए कि वह लोग शून्यकाल में बोलेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनके जो-जो विषय हैं वह बोलवा लीजिए। यह हमारा आग्रह है और इसमें व्यवस्था दीजिए।

सभापति महोदय :- कृपया सहयोग दें। आप व्यवस्था की प्रतिक्षा करें। माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, गृहमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण में भी आया कि हमने इतनी कार्यवाई की, इतना किया, उतना किया। आज की तारीख में जितनी कार्यवाई करनी है, आपके घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा था कि हम जमीन को बेचेंगे और और बेचकर उसके अनुपात में पैसा लौटायेंगे। किसी को भी पैसा नहीं लौटाया गया है। यदि शासन सत्य है, उनकी बातें सत्य हैं तो हमने जो नोटिस दिया है, उस पर चर्चा करवा लें। आपसे यही आग्रह है कि चिटफंड में जो हमारी नोटिस है, उसमें चर्चा करवा लें। ध्यानाकर्षण, स्थगन दोनों हमने दिया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री आवास में जो हितग्राही की मृत्यु हो गई और ऐसे हितग्राही की मृत्यु हो जाने पर जिला कार्यालय भेजते हैं और वहां से प्रदेश कार्यालय आता है और नामिनी का नाम एडमिन आई.डी. में नहीं आने के कारण मकान बनने के बावजूद भी उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री जी तो हैं नहीं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एडमिन आई.डी. जिला कार्यालय, जिला पंचायत को दी जाये ताकि अगर किसी हितग्राही की मृत्यु हो गई है या बैंक में पास बुक या आधार कार्ड चेंज करना है तो उनको समय-सीमा में आवास का पैसा मिल सके। ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में प्रदेश में हैं जिनका आवास बन गया है लेकिन इन कारणों से उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, यह चिटफंड कंपनी की परमीशन यू.पी.ए. सरकार में दी गई थी। यू.पी.ए. सरकार के बाद जब प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी आये तो उसके रेगुलेशन को चेंज करके आर.बी.आई. के पास दे दिया गया। सारी चिटफंड कंपनियां इसीलिए चली गईं। जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता से ये वादा किया गया है कि आपने जो निवेश चिटफंड कंपनियों में किया है, उनको हम आपको वापस करायेंगे। अभी तक वापिस नहीं हुआ है। उसके बाद आपने फार्म भराया। निवेशक लाईन लगाकर तहसीलों में फार्म भरे। कहां पर वह फार्म है, इसका कोई पता नहीं है। वह फार्म कहां पर जमा हुए, कितना पैसा गया, उसका कोई पता नहीं है। चिटफंड कंपनियों ने तो पैसा यहां रखा ही नहीं है। सिर्फ सहारा का 3 हजार करोड़ रुपये है। सारी मेच्योरिटी की डेट हो गई है, सारे निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी उसमें जमा किया था, वह सरकार की तरफ आंख फाड़कर देख रहे हैं कि हमारा पैसा मिलेगा। सरकार पैसा देने राजी नहीं है। धरमपुरा में जो सहारा की जमीन थी उसका क्या हुआ ? वह जमीन को किसने खरीदा, वह जमीन कैसे गायब हो गई? यह जमीनों का भी खेल हो रहा है। चिटफंड कंपनियों के नाम अगर छत्तीसगढ़ में कहीं कोई निवेश है, छत्तीसगढ़ के बाहर के निवेश को तो आप कुछ कर नहीं सकते। जब नहीं कर सकते तो वादा क्यों कर दिये थे? अगर आपने वादा किया था तो चिटफंड कंपनियों के लोगों के प्रति किये गये वह वादा को पूरा करें। आपसे

हमारा यह आग्रह है जो हमने सूचना दी है उस सूचना को आप ग्राह्य करें, चर्चा करायें जिससे समग्र बातें यहां पर आ जायें और उन निवेशकों का पैसा उनको मिले, जैसा सरकार ने वादा किया था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति जी, चिटफंड का मामला बहुत गंभीर मामला है। इसलिए कि यहां पर करोड़ों रुपये का बैंक वालों ने असत्य आश्वासन दे करके घपला किया है। अब इसमें कौन-कौन लिप्त हैं, किसकी-किसकी बातें हैं, यह बात चर्चा से सामने आयेगी। सरकार के द्वारा लोगों को अपने घोषणा पत्र में विश्वास दिलाया गया और सरकार उस घोषणा पत्र मे किये गये वादे को लेकर कितनी गंभीर है, क्या बातें हैं, वह सब तथ्य आयेंगे और लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए अगर लोगों को न्याय देना है जो आज जो उन तथ्यों की स्थगन की सूचना है, सभापति महोदय जी, उसे स्वीकार करें, चर्चा करायें। इससे लोगों के साथ न्याय के कुछ न कुछ रास्ते निकलेंगे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जिन लोगों ने चिटफंड कंपनी में इनवेस्ट किया है उनके पूरे पैसे उनको वापिस दिलाये जायेंगे। लेकिन आज सवा 4 साल हो गये हैं, इस ओर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। कुछ लोगों को अभी तक उनके पैसे मिल नहीं पाये हैं और लोग बहुत आस लगाकर इस सरकार की ओर देख रहे हैं। वह लगातार अपनी मांगों को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रहे हैं कि उनकी आवाज सदन तक पहुंच जाये। इस विषय को लेकर हमने स्थगन लगाया है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इस स्थगन को स्वीकार करके चर्चा कराई जाये।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से चिटफंड कंपनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा किया गया और यह सरकार अपने जन-घोषणापत्र में वादा की थी, हम सभी लोगों का पैसा वापस करायेंगे। उसमें भी तीन-तीन बार आवेदन लिया गया। बेचारे निवेशक, उनको यह उम्मीद थी हमको पैसा दिलायेंगे। दो-दो दिन लाईन में लग-लग कर तीन-तीन बार आवेदन जमा किये। उसके बाद वह आवेदन आज तक कहां है, नहीं मालूम। जो उनसे संपत्ति कुर्क करके बताने के लिए, टोकन कार्रवाई करने के लिए और यहां बताने के लिए कि हम पैसा वापिस दिला रहे हैं। कुछ रूपया उनके कुर्क किए जो भी प्रापर्टी थी, उसको भी कम रेट में अपने लोगों को उपकृत करने के लिए कुछ लोगों को दिया गया है। यह बहुत गंभीर विषय है और लाखों निवेश बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार को देख रहे हैं। सवा चार साल में कुछ नहीं कर पाये। हमने इसमें स्थगन दिया है। आपसे आग्रह है कि इसमें चर्चा करायों और इसमें समान तथ्य आयेंगे, जिससे की दूध का दूध और पानी का पानी होगा।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापित महोदय, इस सरकार से बहुत ही आशा है। चिटफंड में गरीब लोगों का पैसा है। जो अपना खेत बेचकर, जमीन बेचकर पैसा लगाये थे और यह

सरकार बड़ी ही लोक-लुभावन वादा करके उनका वोट को हथियाने का काम की है और आज जब पैसा देने की बात आई तो पूरा मुकर गई है। ऐसे भी किसान हैं, जिनका खेत बेचकर एक-एक, दो-दो करोड़ रूपये भी जमा किए हैं। इस आस में कि हमको दो गुना मिलेगा, तीन गुना पैसा मिलेगा। बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे। यह बहुत ही गंभीर मामला है। आपसे निवेदन है कि इस पर सदन में चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- पुजारी जी।

श्री डमरूधर पुजारी (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, यह सरकार गरीब को धोखा देने वाली सरकार है, क्योंकि जन-घोषणापत्र में कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब जो गरीब चिटफंड कंपनी में पैसा जमा किये हैं, उसको वापस दिलायेंगे। अभी तक गरीब जनता का पैसा का नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोगों ने शून्यकाल की सूचना दिया है। कृपया इस पर चर्चा करायें।

सभापति महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार बनने के पहले कांग्रेस के द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणा की गई थी। बड़ी-बड़ी घोषणा करके यह सब ख्वाब दिखाये गये। आज मंचों पर तो यह बात आती है कि हमने चिटफंड कंपनी का इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इतने लोगों के जमीन को सरेंडर कराया, इतने लोगों की जमीन बेची गई। अब साढ़े चार साल में यह लोग उनके जमीन बेच दिये और बेचने के बाद में आवेदन बुलवाये हैं तो आवेदन बुलवाने के बाद में लगातार समाचार पत्र, टी.व्ही. में आ रहा है कि उस आवेदन को कोई देखने वाला नहीं है कि उसकी कितनी संख्या है, कहां है, कहां आवेदन पड़ा हुआ है। अब यह सरकार को उसको देखने की भी फुर्सत नहीं है और उनको केवल फिर आस जगाया, दूसरे बार छलने का प्रयास किया कि आप लोग आवेदन दो और हम उनको लौटायेंगे। आवेदन उनका छंटनी हो और छंटनी होने के बाद में उनका कितना भुगतान करना है, लेकिन इस दिशा में जो पहल होनी चाहिए। तो सरकार की इंट्रेस्ट केवल यह है जो किमती जमीन है, उसको अपने लोगों को कैसे दे सकें, उपकृत कर सकें और पैसा चाहे हितग्राही को मिले या न मिले। इस स्थिति में आखिर लोग कहां जायेंगे और यह जो आवश्वासन दिये, घोषणापत्र जारी किए। इतनी वैधानिकता कितनी है, इनकी विश्वसनीयता कितनी है? इसलिए हमने स्थगन दिया है। आप उसको स्वीकार करेंगे तो हम तथ्यों के साथ में बात करेंगे और वह जो निवेश किए हुए हैं, उनका पैसा सरकार वापस करें। इसलिए इसमें चर्चा कराई जाए तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, जब सरकार नहीं बनी थी, तब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था कि जो निवेशक लोग चिटफंड कंपनी में राशि जमा किया है, हम उसका पूरा पैसा वापस करायेंगे। पर सरकार बन गई, सवा चार साल हो गई और पता नहीं उन्होंने कितना दिलाया। लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। कई लोग तो अपने खेत को बेच डाले। यहां तक परिवार में आपस में टूट पड़े। यहां तक कई लोग अपने परिवार या सहयोगी से सहयोग लिये थे, अपने मित्र लोगों से सहयोग

लिये थे। पैसा ज्यादा मिलेगा। आप जमा कर दो। उनको गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अनबन हो रही है। यहां तक कई लोग जेल चले गये। इन परिस्थितियों में हम सरकार से मांग करते हैं कि हमने स्थगन दिया है कि कृपया इस पर चर्चा करायें और चिटफंड की जो राशि जिन्होंने जमा की है उनको सरकार वापस करवाये ।

सभापति महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह जी ।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति महोदय, उस समय यही मंत्री थे । ये बढ़िया फीता काटते थे, स्वागत होता था । यदि यह उसी समय रूक जाता न तो उस गरीब का पैसा बच जाता । 15 साल यह सरकार रहकर यदि छत्तीसगढ़ को किसी ने लूटने का किसी ने काम किया है तो आप लोगों ने ही किया है । आप लोग ही उसके [xx] हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, चिटफंड कंपनी तो इस प्रदेश के लिये बहुत दुर्भाग्यशाली स्थिति निर्मित करके गयी है । वह लोगों का करोड़ों रूपये लेकर भाग गयी । उसमें दोषी कौन है, नहीं है ? यह तो आपको तय करना है, आप जांच कराकर जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजिए । लेकिन आपने जब कहा है कि उनका पैसा वापस करना है तो फिर पैसा वापस करने की भी जिम्मेदारी सरकार की है । अब वह कैसा करेंगे ? कहां से लायेंगे ? किससे मांगेंगे ? यह आपको देखना है लेकिन लोग तो बाहर में आस लगाये बैठे हैं कि उनको चिटफंड कंपनी में डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा । 2-5 लोगों पर कार्यवाही करके, लाख, दो लाख, पांच लाख, पच्चीस करोड़, पचास करोड़ रूपये कोई जमीन कहीं मकान, दुकान जब्ती करने से तो इसका हल होगा नहीं । इसका हल कैसे निकलेगा ? आप उस चिटफंड कंपनी के लाखों प्रभावितों को पैसे देने की व्यवस्था करिये और अब चिटफंड कंपनी का नाम बदल गया है लेकिन इस प्रदेश में और भी ऐसी कंपनियां नाम बदल-बदलकर दूसरी तरीके से फ्रॉड कर रही हैं । अभी तो मैंने कल ही पढ़ा है, क्या आपके किसी पी.ए. वगैरह का कुछ लफड़ा हो गया था ? तो यह सब बंद होना चाहिए । ये चार सौ बीस लोग बाहर से आकर पूरे छत्तीसगढ़ को चरने का काम कर रहे हैं, इनको आप सख्ती से कुचलिये और जिन लोगों का पैसा देना है उसके लिये कुछ इंतजाम करिये और जो उस समय के दोषी हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये दोषी है, वह दोषी है । उन पर कार्यवाही करके बंद करिये । हम यही तो निवेदन करना चाहते हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- धर्म भैया क्या है कि आप स्ट्रेटफॉरवर्ड बोलते हैं तो अच्छा लगता है । कभी उनकी तरफ, कभी ऐसे-ऐसे करते हैं । अब यह सब जितना करा-धरा है यह उनके समय का है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनकी या इनकी तरफ नहीं, जो भी चिटफंड कंपनी में गड़बड़ किया हो । आप उस पर कार्यवाही करिये, कोई आपको मना नहीं कर रहा है । आपने कहा है कि पैसा वापस

करवायेंगे तो पैसा वापस करिये । अब आपका तो खुद ही पी.ए. वगैरह का कल कुछ हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया । वह क्या है, एकाध-दो करोड़ का मामला हो गया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, बहुत अकन होगे हे । अब धीरे-धीरे होत हे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया है । यह अकेले सहारा कंपनी का 3000 करोड़ से ज्यादा का मामला है और आप लोगों ने कहा था कि हम वापस करेंगे । 30-40 करोड़ रूपये वापस हुआ होगा लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा का तो विज्ञापन आ गया है । पूरे छत्तीसगढ़ में होर्डिंग्स लग गये हैं कि हमने वापस किया, हमने वापस किया करके । 100 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन आ गया है और यह आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है । लोगों ने अपना खेत गिरवी रख दिया, मकान बेच दिया । जो पेंशन मिला था उसको डाल दिये । इस सरकार को इसको वापस कराना चाहिए और आसंदी से हमारा आग्रह है कि यह महत्वपूर्ण विषय है । माननीय सभापति महोदय, आप हमारे ध्यानाकर्षण को स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें तो बहुत सी जानकारियां सामने आयेंगी ।

सभापति महोदय :- चिटफंड कंपनी के विषय पर इस सभा में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है । इसके अतिरिक्त गृह विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा के दौरान भी यह बात माननीय सदस्यों से इस विषय पर अपनी बात रखी थी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांगों पर कभी जवाब नहीं आता । (व्यवधान) आप यहां स्थगन में या ध्यानाकर्षण में चर्चा करायेंगे तो इसका जवाब आयेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- इस समय में माननीय गृहमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी समय-समय पर वस्तुस्थिति पर चर्चा की गयी थी । (व्यवधान) अत: आप सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उक्त विचारों को सुनने के पश्चात् मैंने विचारोपरांत अपने प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (शिवकुमार डहरिया) :- सभापति जी बोल रहे हैं तो उनको बोलने नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, महत्वपूर्ण मामला है । लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं । (व्यवधान) इसमें आपको चर्चा करानी चाहिए । (व्यवधान) यह लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब नहीं आता । (व्यवधान) आप चाहें तो ग्राह्यता पर चर्चा करायें, ध्यानाकर्षण पर चर्चा करायें तभी सरकार का जवाब आयेगा । (व्यवधान) इनके जनघोषणा पत्र में शामिल है, उनका पैसा वापस करायें । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अगर इस पर वास्तव में सरकार गंभीर है तो चर्चा को स्वीकार करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, 32 करोड़ रूपया वापस कराया है और [xx]

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- शेम, शेम ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारा आरोप है (व्यवधान) ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसे विलोपित किया जाए, ये असत्य बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिये ।

श्री अमरजीत भगत :- इनके समय में चिटफंड घोटाला हुआ है ।

श्री कवासी लखमा :- इन्होंने आदिवासी लोगों को लूटने का काम किया है ।

श्री अमरजीत भगत :- इनके नेता चिटफंड कंपनियों के कार्यालयों का उद्घाटन कर रहे थे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- लाखों लोग प्रभावित हुए हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप भ्रष्टाचार करें और हम उस पैसे को वापस करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- वे लोग आस लगाकर बैठे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चोरी इन लोगों ने की है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- गलत काम आप करें और हम आपके गलत काम को सुधार करते रहें ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- इस पर एक बार चर्चा हो चुकी है । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाए गए)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अगर सरकार भी गंभीर है और हम भी गंभीर हैं तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए । यह ज्वलंत मुद्दा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, इसको विलोपित कराया जाए, ये इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हां, यह तो उठाना ही नहीं चाहिए ।

श्री अमरजीत भगत :- कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन इन लोगों ने किया ।

लोगों को भटकाने का काम इन लोगों ने किया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप तो स्थगन स्वीकार करके चर्चा कराइए ।

श्री सौरभ सिंह :- हमारा स्थगन स्वीकार कीजिए हम सारे तथ्य रखेंगे । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी ध्रुव :- हम लोग तो सुधार रहे हैं, उनके अधिकारों को दे रहे हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- लोगों को फांसी लगाने की नौबत आ गई है, इनकी आस में ।

श्री नारायण चंदेल :- अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं । आप आश्वस्त कर दीजिए कि किसी न किसी रूप में चर्चा कराएंगे ।

सभापति महोदय :- आपने कह दिया ना किसी न किसी रूप में चर्चा हो रही है । किसी न किसी रूप में, चिटफंड कंपनी के बारे में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, गृहमंत्री जी के द्वारा सभी बातें आ रही हैं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो सेंट्रल में हमारी मोदी सरकार बनने के बाद (व्यवधान) ।

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित् ।

(12.28 से 12.34 बजे तक कार्यवाही स्थगित् रही)

समय :

12:34 बजे **(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए)**

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण सूचना लूंगा। आज की कार्यसूची में 20 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।)

सभापति महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (2) तक की सूचनाएं ली जावेगी।

(1) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर द्वारा कोरोना काल में प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता की जाना।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

छ.ग. शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विभाग के द्वारा कोरोना से राहत के उद्देश्य से लगभग 300 करोड़ रूपये] एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर के द्वारा 6 करोड़ रूपये तथा एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा 10 करोड़ रूपये की राशि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर को दी गयी थीं। संचालनालय के द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता की गयी है। उक्त राशि से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की नीयत से मनमाने दर पर सामानों की खरीदी की गई है-साथ ही फर्जी बिल के माध्यम से करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार किया गया है। इस संबंध में शासन एवं प्रशासन से अनेकों बार राशि के खर्च के संबंध में जानकारी मांगने व अनियमितता के संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, यह कथन सत्य नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विभाग के द्वारा कोरोना से राहत के उद्देश्य से लगभग 300 करोड़ रूपये, एस.ई.सी.एल. मुख्यालय, बिलासपुर के द्वारा 6 करोड़ रूपये तथा एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा 10 करोड़ रूपये की राशि संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर को दी गयी थीं, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को कोरोना काल में राहत आयुक्त, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से आपदा मोचन निधि में कुल राशि रूपये 242.37 करोड़, इसके साथ ही एस.ई.सी.एल. मुख्यालय बिलासपुर के द्वारा 10 करोड़ रूपये तथा एन.एम.डी.सी. लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा 10 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ था। यह कथन भी सही नहीं है कि संचालनालय के द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि के उपयोग में अनियमितता की गयी है। उक्त राशि से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की नीयत से मनमाने दर पर सामानों की खरीदी की गई है-साथ ही फर्जी बिल के माध्यम से करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार किया गया है।

समय :

12.38 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

जबकि वस्तुस्थिति यह है कि संचालनालय को प्राप्त राशि में से संचालनालय, स्तर के सीधे सामानों की किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की गई है व न ही किसी प्रकार की खरीदी के बिलों का

भुगतान किया गया है, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त राशि में से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को राशि रूपये 11263.53 लाख, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को राशि रूपये 193.25 लाख, छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड को राशि रूपये 11895.24 लाख, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. को राशि रूपये 600.00 लाख, चिकित्सा महाविद्यालयों को राशि रूपये 80.00 लाख, इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग को राशि रूपये 10.00 लाख एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छ.ग. को राशि रूपये 15.00 लाख एवं रूपये 5.00 लाख की राशि राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान को कोरोना की रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण हेतु प्रदान की गई थी। एस.ई.सी.एल. एवं एन.एम.डी.सी. लिमिटेड से प्राप्त राशि रूपये 2000.00 लाख का आबंटन भी छ.ग. मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड को किया गया, साथ ही संचालनालय स्तर से कोरोना महामारी के दौरान 104 आरोग्य सेवा एवं परिवहन कार्य में राशि रूपये 174.99 लाख का व्यय किया गया । कोरोना महामारी के दौरान सामानों की खरीदी विभिन्न संस्थाओं एवं जिला स्तर से की गई है व खरीदी के बिलों का भुगतान भी उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया गया है । यह कथन भी सही नहीं है कि इस संबंध में शासन एवं प्रशासन से अनेक बार राशि के खर्च के संबंध में जानकारी मांगने व अनियमितता के संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने से आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है । इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कोरोना काल में उपरोक्त राशि से किसी भी प्रकार का सामान क्रय नहीं किया गया है और ना ही किसी भी प्रकार के खरीदी के बिलों का भुगतान ही किया गया है । राहत आयुक्त, छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को उनके द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी संचालनालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है । अत: इस संबंध में शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध आम जनता में किसी प्रकार की आक्रोश एवं अविश्वास व्याप्त नहीं है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इसमें दवाई नहीं खरीदी गई है, कोई सामान नहीं खरीदा गया है तो किस मद में उसका उपयोग किया गया है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कथन किया था कि विभाग ने खरीदी की है । हमने भी विभाग की ओर से यही जानकारी दी कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से खरीदी गई है । अगर माननीय सदस्य उन संस्थाओं की जानकारी चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको पृथक से उपलब्ध करा दीजिएगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पृथक से उपलब्ध करा देंगे। यह सारी जानकारी है ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं । जब सामान खरीदा गया तो उसमें टैक्स भी पटाया गया होगा तो विभाग ने ही पटाया न । मैं विभाग से ही पूछ रहा

हूं, किसी अधिकारी से नहीं पूछ रहा हूं । कम से कम विभाग को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपने दवाई भी खरीदी है तो उसमें भी टैक्स पटाना पड़ता है । यह भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं है तो उसका सामान खरीदा गया है, दवाई खरीदी गयी है, उसका उपयोग कहां किया गया है, वह रिकार्ड भी तो उनके पास में होना चाहिए । पैसा आया और खर्च हो गया ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, सारी जानकारियां हैं । आपने कहा था कि मैं उपलब्ध करा दूं, लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पढ़ भी देता हूं ।

श्री ननकीराम कंवर :- आप जानकारी उपलब्ध करा दीजिए । जितना पैसा मिला है, उसके एक-एक पैसे की जानकारी दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरी जानकारी है ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, मैं उसको बाद में बतलाऊंगा न। जब मैंने आवेदन दिया है या किसी ने भी आवेदन दिया है तो विभाग में उसमें जानकारी देना चाहिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो जानकारी चाहेंगे, वह उपलब्ध करा देंगे ।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने यह भी कहा है और हमने आवेदन भी दिया है कि आपने कहां-कहां कितना खर्च किया है । अध्यक्ष जी, आप कहेंगे तो मैं उसको पटल में रख दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी जितनी जानकारी लाये हैं, वह सभी जानकारी आपको अलग से उपलब्ध करा देंगे ।

श्री ननकीराम कंवर :- मुझे राजा साहब के ऊपर विश्वास है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- धन्यवाद ।

(2) अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को गैर आदिवासियों को अंतरिम एवं लीज पर दिया जाना.

श्री लालजीत सिंह राठिया (धर्मजयगढ़) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:-

छ.ग. भू.- राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 किसी भूमिस्वामी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने के अधिकार से संबंधित है । धारा 165 की उपधारा 1 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भूमि स्वामी अपने हक की भूमि को किसी भी दूसरे व्यक्ति को कभी भी अंतरित कर सकता है। जबकि उपधारा 165-6(1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति

वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को विक्रय अथवा अंतरित नहीं किया जायेगा, किंतु वर्ष 2016 में बीजेपी शासन द्वारा छ.ग. भू राजस्व संहिता 165-6 की उपधारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि गैर अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जमीन को गैर आदिवासियों को अंतरित करने एवं लीज पर लेने हेतु छूट दे दी गई, ताकि आदिवासी इलाकों में उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों को आदिवासियों की जमीन लीज पर मिल सके, इसी धारा के तहत आदिवासियों की लाखों एकड़ जमीन को कई वर्षों से लीज पर लेकर अवैध रूप से कब्जा करते जा रहे हैं और आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, आदिवासियों के हितों और अधिकारों का हनन किया जा रहा है। छ.ग. भू. राजस्व संहिता 165-6(2) के तहत अनुमति पर लीज प्रदान करने हेतु किए गए प्रावधान निरस्त नहीं किए जाने से शासन-प्रशासन के विरूद्ध समूचे आदिवासी समाज में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 भूमि स्वामी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि के अन्तरण के अधिकार से संबंधित है। उप धारा (1) में प्रावधान है कि "इस धारा के अन्य उपबंधों तथा धारा 158 और धारा 168 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई भी हित अंतरित कर सकेगा।"

यह कहना सही है कि उप धारा (6) (एक) के अन्तर्गत, अधिसूचित क्षेत्र में किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति अपनी भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अन्तरित नहीं कर सकता। यह कहना सही नहीं है कि वर्ष 2016 में ऐसे क्षेत्र में गैर-आदिवासी को लीज (पट्टा) पर भूमि देने की छूट दी गई है। तथ्य यह है कि वर्ष 1976 से ही इस उप धारा के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत पट्टा देने के प्रतिबंध से छूट प्रावधानित है।

यह कहना सही नहीं है कि पट्टा के उक्त प्रावधान के कारण आदिवासी इलाकों में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों द्वारा आदिवासियों की भूमि कई वर्षों की लीज पर लेकर अवैध कब्जा किया गया है या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 168 के तहत पट्टा देने का विस्तृत विधिक प्रावधान है। धारा 168 के अन्तर्गत कोई भूमि स्वामी अपनी कृषि भूमि को 03 वर्ष की क्रमवर्ती अवधि में मात्र 01 वर्ष तक ही पट्टे पर दे सकता है तथा इस अवधि के निर्बन्धन से विधवा, परित्यक्ता, अव्यस्क, वृद्ध, नि:शक्त जैसे कुछ ही परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है।

भूमि स्वामी की भूमि का विक्रय से अन्तरण किया जाना, पट्टे पर अन्य को प्रदान किया जाना या व्यपवर्तन किया जाना भूमिस्वामी की सहमति के बिना करने का संहिता अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं है। अत: वर्तमान प्रावधानों से प्रदेश के समूचे आदिवासी समाज में कोई रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने में बताया कि इसी विधानसभा में भा.ज.पा. शासनकाल में वर्ष 2016 में अधिनियम लाया गया था। जिसमें आदिवासियों की गैर आदिवासियों की जमीन को देने के लिए लाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। इसके लिए वोटिंग भी हुई थी। जिस तरह से चिटफण्ड कम्पनी यहां के लोगों के साथ ठगी किया, उसी तरह आज आदिवासियों के साथ ठगी करने वाली बात है। तो मैं चाहता हूं कि इस नियम को समाप्त किया जाये। क्योंकि जब पट्टे पर आदिवासियों की हजारो एकड़ जमीन लेते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन में मेड़ बनाकर, छोटे-छोटे टुकड़े बनाकर आदिवासी लोग खेती-बाड़ी करते हैं। जब खेत को समतल करके आपास में मिला दिया जाता है, गांव में सीमा रेखा रहता है, जिसे गांव में मुंदारा कहते हैं, उसको भी गायब कर दिया जाता है। जब आर.आई., पटवारी जमीन नापने जाते हैं तब वहां किसानों को जमीन मिल नहीं पाता है। तो इस नियम को शिथिल करने की आवश्यकता है। मैं आपसे यही चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बतायें कि क्या कर सकते हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह अभी का नियम बनाया हुआ नहीं है, वर्ष 2016 में Clarification के लिए एक आदेश पारित हुआ था। मैंने वर्ष 1976 के आदेश का पहले ही बताया है। भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत वर्ष 1976 में जो लागू हुआ है, उसी के तहत वर्ष 2016 में इसका Clarification किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य, कुछ Clarification चालिए तो बताईये।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ताकि हमारे आदिवासियों की जमीन बच जाये। ऐसा कुछ नियम का प्रावधान करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप क्या चाहते हैं श्री बृहस्पत सिंह जी ।

श्री बृहस्पत सिंह :-अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि आदिवासी की जमीन छल, कपट से यदि गैर आदिवासी ने लिया है, उसमें आपने नियम बना दिया है कि 170 (ख) के तहत हर हालत में उसको वापस करना है । बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन आई कि किसी भी कीमत पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं दिया जा सकता है, जो कलेक्टर लोग अनुमति देते थे, उसको भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है । बाद में पूर्व की सरकारों ने गड़बड़ी क्या किया साहब कि 165 (6) (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र में भी कोई भी आदिवासी के जमीन को लीज में देने का प्रावधान कर दिया, जिसके तहत आदिवासियों के जमीन को सीधे लीज पर लिया जाने लगा । ऐसा पूर्व की सरकारों ने, हमारे मित्रों की सरकारों ने किया है, उसमें क्या हुआ कि आदिवासियों की जमीन को लगातार लीज में लेकर पूरे आदिवासियों की जमीन को बेदखल कर रहे हैं और चन्दा मुनारा तक चिन्हांकित जो सीमांकन किया जाता है, सारे हटा दिये गये हैं, बड़े उद्योगपतियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उससे आदिवासी जमीन से बेदखल होते चले जा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हजारो एकड़ में ऐसा हुआ है, इसलिए

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 165 (6) (2) के तहत अनुमति पर लीज प्रदान करने के लिये जो प्रावधान किये गये हैं, उसको निरस्त किया जाये और छत्तीसगढ़ शासन जो है, जिसके कारण नाराजगी है, जो पहले के सरकार ने किये हैं, अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से अपने सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर एक विधेयक लाकर इस संशोधन को निरस्त कर दें, ताकि आदिवासियों के अधिकार को लूटे जा रहे हैं उसे संरक्षित किया जा सके और जब टाटा बिरला लोग 10 हजार एकड़ जमीन हड़प लिये थे, उसको भी सरकार ने वापस किया, हमारे जो आदिवासी बस्तर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ के उद्योगपति लीज के नाम पर 30 साल के लिये लेते हैं फिर उसे आगे बढ़ा देते हैं, वह गरीब आदमी कहां से वापस ले सकेगा, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि 165 (6) (2) के तहत अनुमति के लिए लीज प्रावधान है, इसके आदिवासी से आदिवासी दिया जाये और आदिवासी से गैर आदिवासी को देने पर रोक लगाये जाये और इसको निरस्त किया जाये ।

श्री शिशुपाल सोरी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इनके द्वारा वर्ष 2016 में क्लेरिफाई किया गया है, उसे पढ़ा है । अगर वैधानिक स्थिति देखें तो किसी भी कानून के समीक्षा का अधिकार केवल कोर्ट को होता है, इन्होंने कानून से परे जाकर किया है अन्यथा का आशय कानून ही उसको व्याख्या करेगा कि भूमि स्वामी द्वारा धारित जमीन है, उस पर लागू होगा, किन्तु पट्टे की जमीन अगर मेरे पास है, चूंकि भूमि स्वामी का राईट मेरे पास नहीं है, उसमें वह लागू नहीं होंगे । यह 165 (6) (2) के प्रावधान है । आज उल्टा करके, 30-30 साल के लीज पर लेकर, एक तरह से तो अन्तरण ही हुआ सर । मेरा चैलेंज है कि किसी भी कोर्ट में यह ठहर नहीं सकता । राज्य शासन का अधिकार नहीं है कि कोई भी कानून की समीक्षा करे ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष के लीज की जो बात कर रहे हैं, 30 वर्ष की लीज कृषि भूमि के लिये नहीं है । मैंने पहले ही बताया है कि 3 वर्ष के क्रमवर्ती अवधि में 1 वर्षीय पट्टे पर दे सकते हैं । डायवर्टेड जमीन जो होती है, इसे 30 वर्ष के लिये दिया जा सकता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह नियम कहता है और लगातार यह हो रहे हैं कि हजारों एकड़ तीस साल के लिये लीज लिये गये हैं । उन आदिवासियों को दोबारा वापस नहीं मिल पाया है, उनको बेदखल किया गया है । प्रदेश में आदिवासियों की जमीन को लूटा जा रहा है । इस पर रोक लगना चाहिये ।

श्री शिशुपाल सोरी :- अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का मामला है, कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय दिये हैं, इसमें परिवर्तित भूमि का भी अंतरण नहीं हो सकता । यह भी हाई कोर्ट का निर्णय है ।

श्री अजय चन्द्राकर :-यहां कितने लोगों ...(व्यवधान) यहां कानून बता रहे हो । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दो राजस्व में बहुत बड़ी विडम्बना है । यह 165 (6) (2) के तहत आदिवासियों को अप्रत्यक्ष रूप से लूटने का काम है, इसमें गैर आदिवासी के नाम पर करने का काम किया जा रहा है, इसको निरस्त किया जाना चाहिये । दूसरा राजस्व एक्ट में प्रावधान यह होना चाहिये सर, ये सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन है कि आदिवासियों की जमीन किसी भी कीमत पर गैर आदिवासियों को नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप सुनिये क्या बोल रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसमें कोर्ट भी आ गया। आपका कानून यह कहता है कि हम आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को किसी कीमत पर नहीं दे सकते । दूसरा, कोर्ट का दखल का रहवास स्थान अधिनियम धारा-4 यह कहता है कि किसी भी भूमिहीन व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी के हक के व्यक्ति के ऊपर, यदि वह निजी भूमि भी है, उसमें वह यदि 13 जून 1980 के पहले से घर, मकान बनाकर निवास करता हो तो उसे कलेक्टर और सहायक कलेक्टरों दखल का रहवास स्थान अधिनियम धारा-4 के तहत 50 डिसमिल से अधिक भूमि तक देने तक का अधिकार है। इस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। क्योंकि इसमें दो तरह की बात है। आपका ही कानून कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर आदिवासी की जमीन नहीं दे सकते। दूसरा नियम यह कहता है कि हम किसी को भी जमीन दे सकते हैं। इस कानून में, इस रेवेन्यू एक्ट में हमारा विरोधाभास है। इसलिये इस एक्ट को संशोधन की आवश्यकता है और सुधारने की आवश्यकता है। यह दो नियम, एक तो आदिवासियों की जमीन, जो हम लगातार अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को देते जा रहे हैं और दूसरा यह। यह दो मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। माननीय मंत्री जी, जवाब दीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बृहस्पत सिंह जी बोल रहे हैं, यह जमीन अंतरण का अधिकार नहीं है। इसमें लीज का जो प्रावधान किया गया है। इसमें यदि मान लीजिये कोई मजबूर है, कोई वृद्ध है, कोई परित्यकता है, विधवा है, तो यदि उन लोगों को वह जमीन लीज पर देते हैं तो उस जमीन को लीज पर देने से जमीन स्वामी को उसका किराया, लीज रेन्ट भी मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी को ही दे सकते हैं चाहे आप रजिस्ट्री के माध्यम से दें या बिक्री के माध्यम से दें या 30 साल की लीज पर दे। लेकिन अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसलिये यह नियम इसका उल्लंघन करता है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सुपरसीट करता है। इसलिये मेरा आग्रह है किस मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करके इस पर अध्ययन करके इस नियम में संशोधन करने का कष्ट करें। इसमें 170 (ख) भी प्रभावित होता है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इसमें विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहता हूं यह गंभीर विषय है। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है।

श्री मोहित राम केरकेट्टा (पाली-तानाखार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कोरबा जिले में भी इसका बड़ा लंबा खेल चह रहा है। आदिवासी के जमीन को फर्जी आदिवासी का सर्टिफिकेट लगाकर जमीन को खरीदा जा रहा है जिसका परिणाम हमको आगे चलके भुगतना पड़ेगा तो मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सीनियर सदस्य मंत्री जी से जो कह रहे हैं। हमारे माननीय लालजीत सिंह राठिया जी ने प्रश्न उठाया है। उन पर अमल किया जाये और संशोधन किया जाये, मेरा यह अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, कोरबा में हो या कहीं पर हो। यदि ऐसा कोई मामला इनके संज्ञान में है तो उसको दे दें। हम उसको दिखवा लेंगे जांच करा लेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्टिकुलर कोरबा जिले की बात नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की चिंता भी है और यदि इसमें कुछ संवैधानिक विसंगती है तो उसकी पूरा समीक्षा कर लेते हैं और विधि वेत्तओं से भी इसमें सलाह ले लेंगे, ए.जी. से भी सलाह लेंगे और यह केबिनेट में भी इस पर चर्चा कर के इसमें आगे निर्णय लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- (1) आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथमतल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(2) छत्तीसगढ़ के पंचम विधान सभा के माननीय विधायकों के लिये छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा ग्राम सेरीखेड़ी रायपुर में आवासीय भूखण्ड विकसित किया जाकर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

इस हेतु आज विधान सभा में लॉबी स्थित कक्ष में हाऊसिंग बोर्ड के द्वारा एक कैम्प आयोजित किया जा रहा है। समस्त पात्र माननीय सदस्य जिन्हें भू-खण्ड आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। वे कृपया उनसे संपर्क कर उनसे अपेक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति करें।

(3) आज दो महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होनी है। इसके लिये अशासकीय कार्य भी संपन्न होने हैं। इसलिये मैं यह व्यवस्था देना चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें जरा ध्यान दें। दोनों पक्षों से कम से कम सदस्य उसमें भाग ले और अपनी बात संक्षिप्त में रखने का प्रयास करें।

(4) एक और महत्वपूर्ण घोषणा बची है, पंचम विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों का समूह छायाचित्र बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023 को अपराह्न 1.30 बजे विधान सभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में लिया जाना है।

आप समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समूह छायाचित्र में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करायें।

<u>ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (20) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

3. श्री कुलदीप जुनेजा
4. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
7. श्री अजय चन्द्राकर
8. श्री अजय चन्द्राकर
9. श्री अजय चन्द्राकर
10. श्री धरमलाल कौशिक
11. श्री धनेंद्र साहू, श्री कुलदीप जुनेजा
12. श्री नारायण चंदेल
13. श्री अजय चन्द्राकर
14. श्री शिवरतन शर्मा
15. श्री शिवरतन शर्मा
16. श्री शिवरतन शर्मा
17. श्री शिवरतन शर्मा
18. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
19. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
20. डॉ. रेणु अजीत जोगी

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :.

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री चंदन कश्यप
3. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

समय
1.01 बजे

प्रतिवदेन की प्रस्तुति

प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन

डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय मैं, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समय
1.02 बजे

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या	**28**	**राज्य विधान मण्डल**
मांग संख्या	**13**	**कृषि**
मांग संख्या	**14**	**पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**16**	**मछलीपालन**
मांग संख्या	**54**	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय**
मांग संख्या	**23**	**जल संसाधन विभाग**
मांग संख्या	**45**	**लघु सिंचाई निर्माण कार्य**
मांग संख्या	**75**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**
मांग संख्या	**57**	**जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

अशासकीय प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 28 राज्य विधान मण्डल के लिए-उन्यासी करोड़ अठासी लाख, सैतालीस हजार रूपये

मांग संख्या 13 कृषि के लिए- पांच हजार तीन सौ चौवन करोड़, छियानबे लाख, तेरह हजार रूपये,

मांग संख्या 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांच सौ छब्बीस करोड़, तिरासी लाख, सन्तावन हजार रूपये

मांग संख्या 16 मछलीपालन के लिए- तिरानबे करोड़, बाईस लाख, इंक्यावन हजार रूपये,

मांग संख्या 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए- तीन सौ पन्द्रह करोड़, नौ लाख, दस हजार रूपये

मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग के लिए- एक हजार दो सौ चौवन करोड़, दो लाख, उनहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए- आठ सौ इकतालीस करोड़ चौसारी लाख, तैंतीस हजार रूपये,

मांग संख्या 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छः सौ चौदह करोड़, इकहत्तर लाख रूपये

मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छिहत्तर करोड़, बीस लाख रूपये

मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए-चार हजार चार सौ दो करोड़, उनसठ लाख, नब्बे हजार रूपये तथा

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- तीन हजार दो सौ पैंतीस करोड़, सत्रह लाख, चौवहन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ

उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या-28

राज्य विधान मण्डल के लिए

1.	श्री नारायण चंदेल	1
2.	श्री धरमलाल कौशिक	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	2

मांग संख्या -13

कृषि

1.	श्री नारायण चंदेल	7
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री धरमलाल कौशिक	4
4.	श्री शिवरतन शर्मा	22
5.	श्री रजशीन कुमार सिंह	4
6.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	4

मांग संख्या -14

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	5
2.	श्री अजय चन्द्राकर	4
3.	श्री धरमलाल कौशिक	4
4.	श्री शिवरतन शर्मा	13
5.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	1
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	1
7.	श्रीमती इंदू बंजारे	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या -16

मछलीपालन

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री धरमलाल कौशिक	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	7
4.	श्री रजनीश कुमार सिंह	2
5.	प्रमोद कुमार शर्मा	4

मांग संख्या -54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित भाग

1.	श्री नारायण चंदेल	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	3
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2
4.	श्री शिवरतन शर्मा	5

मांग संख्या -23

जल संसाधन विभाग

1.	श्री नारायण चंदेल	6
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री धरमलाल कौशिक	6
4.	श्री शिवरतन शर्मा	12
5.	श्री रजनीश कुमार सिंह	12
6.	प्रमोद कुमार शर्मा	7

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या -45

लघु संचाई निर्माण कार्य

1.	श्री नारायण चंदेल	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री धरमलाल कौशिक	2
4.	श्री शिवरतन शर्मा	3
5.	श्रीमती इंदु बंजार	1
6.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	3

मांग सख्या- 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1.	श्री नारायण चंदेल	1
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	3
4.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	1

मांग संख्या- 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1.	श्री पुन्नूलाल मोहले	2
2.	श्री शिवरतन शर्मा	3

मांग संख्या- 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबधित व्यय

1.	श्री नारायण चंदेल	9
2.	श्री अजय चन्द्राकर	10

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3.	श्री पुननूलाल मोहले	4
4.	श्री धरमलाल कौशिक	66
5.	श्री शिवरतन शर्मा	3
6.	श्री रजनीश कुमार सिंह	16

मांग संख्या- 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1.	श्री अजय चन्द्राकर	6
2.	श्री धरमलाल कौशिक	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	7

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी। चलिये, आप माननीय अजय चन्द्राकर जी चर्चा शुरू करें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- ओपनिंग बैट्समैन हैं। आज चौथी बार हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- यह चौथी बार नहीं, पहली बार है। आपके और मोर तीन बार हो गये, हेट्रिक हो गये। आज के बाद बंद है।

अध्यक्ष महोदय :- बात मत करें, शुरू करने दिया करें। आप आज बता दीजिए कि आप 1 घंटे की चर्चा को 15 मिनट में कैसे खत्म करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं जितना संक्षिप्त बोल सकता हूं, बोलूंगा। लेकिन मैं जिस विषय में बोल रहा हूं, शायद जहां से शुरू करूंगा, कुछ लोगो को समझ में आ जायेगा तो इंट्रप्ट नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- कोई इंट्रप्ट नहीं करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- और समझ में नहीं आयेगा तो कुछ नहीं कर सकते। जितनी देर गाडी चले, चाहे 4 बजे रात तक चले।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप पहले से इतना घबराये हुए क्यों हो ? आप गलत मत बोलना।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रविन्द्र चौबे जी का मैं वास्तव में बहुत सम्मान करता हूं। मेरे हिसाब से सदन में जो चंद लोग हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, भूपेश

अप्रकाशन के लिये नहीं

बघेल जी, डॉ. रमन सिंह जी, धरमलाल कौशिक जी, शिवरतन शर्मा जी जो संसदीय प्रक्रियाओं का ज्ञान रखते हैं। जो संसदीय प्रक्रियाओं का ज्ञान रखते हैं, उनसे अपेक्षायें ज्यादा होती हैं। आज की अभी की घटना बता देता हूं। आदरणीय भाई साहब ने इन 05 सालों में ऐसा-ऐसा खड़ा होना सिखाया है। जब वह बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्तारूढ़ दल के एक लोगों ने मेज नहीं थपथपाई। आपने यह बात सिखाई ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप विषय पर आ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो उसी में बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले आपसे संसदीय कार्य विभाग में बात करता हूं। आज तक संसदीय कार्य विभाग में चर्चा नहीं होती, विधानमंडल में नहीं करते। मैं आपसे सीखने और जानने के लिए बोल रहा हूं। माननीय आप सचेतक सम्मेलनों में तो बहुत बार गये होंगे। सचेतक सम्मेलन को लागू करना भी आपका विषय है। आपसे मुझको इसलिए अपेक्षा होती है, मैं बता देता हूं कि मैं हिन्दुस्तान के किसी dynasty को, एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, रविन्द्र चौबे जी 1952 से लेकर आज तक एक कालखंड को छोड़कर वह परिवार प्रदेश की सेवा कर रहा है। उनके पास mandate है। इनके पास कमी क्या है, इतना आधार है। श्रीमदभागवत महापुराण में भक्ति का एक प्रकार है। उसमें भी नवधा भक्ति है लेकिन रामायण से उसमें दूसरे तरह की भक्ति है। उसमें एक भक्ति शरणागति की भक्ति है। शरणागति की भक्ति यह हुई कि भगवान मैंने अपने आपको समर्पित कर दिया, आपने जन्म दिया है, आप मेरी देखरेख करें। आपसे मुझे शरणागति भक्ति की अपेक्षा नहीं थी। इससे ज्यादा आलोचना मैं आपकी नहीं करूंगा। आपका एक सत्व है, आपकी एक पहचान है, मैं हिन्दुस्तान में किसी भी dynasty को नहीं जानता किस राजा को निर्विरोध लोकसभा, विधान सभा में जीते हों, यह पढ़ा हूं। लेकिन एक परिवार प्रमाणिकता के साथ सेवा कर रहा है। 15 साल मंत्री रह गये, इतने लंबे समय तक विधायक रह गये, आप किस तरह इस विधान सभा में याद किये जायेंगे ? आप सचेतक सम्मेलन में जाते हैं, 90 की विधान सभा में कितने दिन का न्यूनतम सत्र होना चाहिए, आप मुझको बतायेंगे। अनुशंसायें क्या हैं ? हमने गिलोटिन की सहमति केवल कोरोना काल में दी । उसके बाद गिलोटिन का उपयोग करने वाले आप छत्तीसगढ़ में पहले संसदीय कार्य मंत्री हैं। आ बताईये कि आपने पांच साल में कब चर्चा किया? आप माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और हम तीनों के बीच में सोतु हैं। आप बताईये कि किसी भी संकट में किस समय आप लोगों ने चर्चा की। आपके ऊपर कितना दबाव है? आप छोड़ क्यों नहीं देते?

श्री कवासी लखमा :- धीरे बोलये न। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, यह हरकत है। मजाक नहीं है। मुख्यमंत्री जी के सामने हरकत कर रहे हैं और उस हरकत में मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराहट आई। धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर साहब, इसकी आवश्यकता हो तो याद कर लीजियेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने हमको निलंबित करवाया। हम आयें। पहली बार अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोग अभी रेगुलर नहीं हुए हैं। आपने उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दिया। इसका उत्तर आप अपने स्वयं के अंदर खोजिये। मुझसे मत पूछियेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, इधर-धर न घुमाकर, बजट में आ जाईये न।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य को पढ़िये और पढ़ लिये हैं तो चुपचाप बैठ जाईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- वाह साहब। क्या जोरदार आपने डाट लगाया।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है क्या? आप लोग विधायक बन कर आये हैं। आप भी चुनकर आये हैं, वह भी चुनकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- समय कम है। हस्तक्षेप न करें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जिस विषय में अजय जी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि विभाग तो हमेशा रहता है, लेकिन चर्चाएं बहुत कम होती है और आपने चर्चा शुरू की है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप temperament थोड़ा सा नीचे रखें। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आपसे आगे और अच्छा उम्मीद है।

श्री अजय चंद्राकर :- जी। कोई हरकत न करें, आप थोड़ा बैठकर इसको भी देख लीजिये।

मुख्यमंत्री :- लेकिन आप उत्तेजित क्यों होते हैं? देखिये, जो चिढ़ते हैं, उसी को चिढ़ाते हैं। आप चिढ़ना बंद दो, चिढ़ाना बंद कर देंगे। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप गुस्से का प्रदर्शन मत करिये। बस इतना ख्याल रखिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप घर की गुस्सा हम लोगों पर उतारते हैं। घर पर लड़ाई करके आप हम पर गुस्सा उतारते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप 1937 से संसदीय प्रणाली या प्रांतीय विधानमण्डलों के जब से चुनाव शुरू हुए या हमने वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली या ब्रिटीश संसदीय प्रणाली को स्वीकार की, उस इतिहास में आप एक मात्र संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो विपक्ष की बर्खास्तगी का अनुमोदन प्रस्ताव विधानसभा में रखते हैं। बर्खास्त किया जाए, बाकी सरदार जी के प्रस्ताव को आप आगे बढ़ाते हैं कि इनको बर्खास्त किया जाए। क्या आप जैसा आदमी, मैंने निन्दा प्रस्ताव दिया है। आप अपने अंदर उत्तर खोजिये।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, आग्रह है। मैं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आपने जो शरणागत की बात कही। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दो, बाकी सब मैं मुक्ति का रास्ता तय करूंगा। मैं आपको सब वैतरणी पार करूंगा। यह भगवान कृष्ण ने कहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यही विषय है कि शून्यकाल की सूचना, जो आपने शानदान परंपरा अभी विकसित करवाई है। आप चिंतन करियेगा। मैं आपसे सीखूंगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। प्रश्नकाल में मंत्री बाधित करें। सामान्य चर्चा में सामान्य विधायक लोग कर लें, यह मुझको वह स्वीकार हैं। मंत्री बाधित करते हैं या आप करवाते हैं, यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष का प्रश्न आपको आईना दिखाता है। आप उससे भागते क्यों है ? डिस्टर्ब क्यों करवाते हैं? आप ऐसी परंपरा के नेता थे या हम विपक्ष में और पहले बैठते थे, तब भी नहीं थी। यह आपके द्वारा विकसित की गई पंरपरा है। अभी नई है। 71 सीट की बहुमत के बाद किस बात का भय? आपने इस सत्र में एक नया सिस्टम लागू कर दिया है कि हम बजट सत्र में स्थगन नहीं लेते। चलिये मत लीजिये। जितने विशेष सत्र हुए। माननीय, उसमें बिजनेस आप भर ने करवाया, बाकी विशेष सत्र विषय पर केन्द्रीत थे। माने आप जिस विषय पर करना चाहते थे, उस विषय पर करते। मुझे आपत्ति नहीं थी। जो भी स्वतंत्रता में हुआ हो या उससे पहले किसानों पर विशेष सत्र हुआ हो, लेकिन यह नहीं हुआ है कि साहब आप विशेष सत्र में किसी और चीज का नाम ले रहे हैं और आप चाह रहे थे 2 दिन में सरकारी काम हो गया तो बाकी सत्र मत हो तो माननीय अध्यक्ष जी की कृपा हुई कि वह अनिश्चितकाल के लिए स्थगित न होकर एक समयाकालीन अवधि में हो गई।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यहां विधानसभा में 22-25 साल से देख रहा हूं, पहली बार 14 लोग 3 घंटे बोल रहे हैं और हम 71 लोग 2 घंटे बोल रहे हैं । यही तो इनका काम है, डरा-डराकर एक-एक घंटे बोलना । नियम के अनुसार सत्ता पार्टी को ज्यादा बोलने का अधिकार है कि इनको बोलने का अधिकार है ? क्या ये 4 लोग ही 3-3 घंटे बोलेंगे ? कल भी आपने देखा है, आप ही बतायें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या करेंगे, इनके लिये छूट है । ये भोलेनाथ-कड़कनाथ हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं खड़े होकर बोलूं?(हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये न, वह तो आपकी मर्जी है । आप अगर उनको अवसर देंगे तो वे खड़े होंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मैं इधर-उधर नहीं बोलूंगा इसलिये जब आप कहेंगे तब बोलूंगा नहीं तो मैं चुपचाप बैठ जाउंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की प्रक्रिया है, सामने वाला अगर यील्ड करना चाहता है तभी होता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- ठीक है, जैसी आप व्यवस्था दें ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैं व्यवस्था नहीं दे रहा हूं । पहले से ही व्यवस्था है कि यदि आप उनकी सुनना चाहते हैं तो सुनिये और नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासन ये संसदीय कार्य विभाग का दायित्व है । मैंने एक दिन आपसे आग्रह किया था कि इस सदन में, मेरा अपना छोड़ दीजिये 14 साथियों को या 2-3 को और मिलाकर 16 को, मैंने आपसे आग्रह किया था कि जितने आश्वासन हुए हैं और आश्वासन की भाषा और उसकी पूर्ति का प्रतिशत इस विधानसभा में देख लीजिये । माननीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आपका कार्य है, उसको देखना । कल बृजमोहन जी पीटे गये । परसों बिना चेतावनी के अश्रु गैस छोड़े गये, सौरभ जी को चोट आयी । मैंने इसी विधानसभा में विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों में प्रबोधन दिया था । विशेषाधिकार क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं उसकी परिभाषाओं में कभी और बहस होगी । लेकिन बिना चेतावनी के इस्तेमाल करना और सदस्यों ने कहा कि हम लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है उसके बाद संज्ञान नहीं लेना । इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं । आपके पास यह अवसर था, मावलंकर जी, लिमिये जी, फर्नांडीज जी, मीनू मसानी जी, तारकेश्वरी सिन्हा जी जैसी श्रृंखला में नाम लिखवाने का इतना अनुभव था लेकिन आपको इस सत्र में क्या होगा इसको आप जानें तो संसदीय कार्य में इस सत्र में, इस विधानसभा में आपके कार्यकाल में निरंतर गिरावट दर्ज की गयी । आप मुझसे ज्यादा अच्छा इतिहास जानते हैं, एक-एक चीज नोट होती है । आप विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं ? विपक्ष को किस तरह से देखते हैं ? आपकी नजरों में पिछली बार जो बातें थीं और आज जो बातें थीं उसमें जमीन-आसमान का अंतर है । हमने आपको दोनों बार संसदीय कार्यमंत्री के तौर पर देखा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पंचायती राज, ग्रामीण विकास में आता हूं। मैं पहले तो सत्रों के बारे में आपको बता दूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विभागों का पूरा प्रतिवेदन गलत छपा है । मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पहले दिन नोटिस नहीं लिया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगाना कि सभी विभागों के जितने प्रतिवेदन आये हैं सारे निराधार हैं, गलत हैं और केवल चंद्राकर जी इतने बड़े विद्वान हैं कि केवल ये जो बोल रहे हैं वही सच है । यह बहुत गंभीर बात है । इस तरह का काम नहीं करना चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, मैं बोल रहा हूं न । मैं साबित कर देता हूं न ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात सुन लो न ।

श्री अजय चंद्राकर :- वह भी सहमत होंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- करिये न, साबित तो करिये । लेकिन इस पूरे प्रतिवेदन को ही गलत साबित करने का केवल मौखिक जुबानी पर यह बहुत ही घोर आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप यदि हस्तक्षेप को मान्य करेंगे तो ही होगा । आप बैठ जाते हैं न । हस्तक्षेप तो होते रहेंगे, आप बैठते हैं इसका मतलब आप मान्य करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन इसलिये गलत हैं जिसको वे भी स्वीकार करेंगे कि किसी भी प्रतिवेदन में विभाग के उद्देश्य नहीं लिखे हैं कि विभाग क्या-क्या कार्य करता है । किसी भी प्रतिवेदन में यह नहीं लिखा है कि उस विभाग में कौन-कौन से कानून प्रचलित हैं । अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ज्ञाता हैं, वे सही हैं कि गलत हैं, मैं उनको बोल रहा हूं । माननीय, आप बता दीजिये। आप 5-6 प्रतिवेदन को देख लीजिये । आपके विभाग में न तो उद्देश्य लिया है और न ही कौन-कौन से प्रचलित अधिनियम हैं वह लिखे हैं और इसके बाद मैं आपको क्या बोलूं ? पंचायती राज में कांग्रेस के दृष्टिकोण क्या हैं ? 5 साल में उन्होंने क्या किया है ? डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने कहा । विपक्ष के नेता या इधर बैठते थे । विपक्ष के नेता नहीं थे, इधर थे कि साहब आप लोग जो कदम उठा रहे हैं उससे हम सहमत हैं । हिंदुस्तान में पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा के कानून ने इसी विधान सभा से ज्न्म लिया, साक्षरता का कानून इसी विधान सभा से जन्मा, इन्क्रोचमेंट का कानून इसी विधान सभा से जन्मा, 50 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून इसी विधान सभा से जन्मा, हर गांव में ग्राम सभा होगी इसी विधान सभा से जन्मा और बजट ऐतिहासिक किए गए, सेटअप दिए गए, योजनाएं संचालित की गईं । अध्यक्ष महोदय, पांच साल में कांग्रेस का एक भी दृष्टिकोण पंचायती राज पर नहीं दिखा । एक दिखा कि गांव के लिए हम जितनी योजनाएं संचालित कर रहे थे उसके बजट में कटौती और आज की तारीख में गांव में दादागीरी । दादागीरी यह है कि पंद्रहवें वित्त आयोग के पैसे में इनको निर्देश देने का अधिकार नहीं है, निर्देश दे रहे हैं । मूलभूत के पैसे में इनको निर्देश देने का अधिकार नहीं है, निर्देश दे रहे हैं । जितनी योजनाएं हैं उनमें बजट में पूरी कटौती है, यदि मैं पढ़ूंगा तो समय लगेगा । आखिर गरीबी उन्मूलन के लिए, पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए यह विभाग कर क्या रहा है ? ज़ीरो बटे सन्नाटा । एक भी नया कानून, एक भी नई चीज, एक भी नया दृष्टिकोण ग्राम सभा को सशक्त बनाना है, क्या दृष्टिकोण है, केवल एक लाईन का श्रेय लेते हैं कि राजीव गांधी जी ने लाया था । राजीव गांधी जी ने नहीं लाया था, माननीय नरसिम्हा राव के समय पारित हुआ । माननीय चौबे जी, जो सरपंच रहे हों, जिला पंचायत में रहे हों, ग्राम पंचायत में जिनकी रूचि हो वो यदि इसके लिए कुछ न कर सकें तो सब बेकार है । कोई भी चीज, बजट में कटौती, माननीय रमन सिंह जी बैठे हैं हजार करोड़ रूपए तक समग्र का जाता था, सभी घटक को छोड़ दें तो । अब 200 करोड़ रूपया है समग्र में, एक-एक, दो-दो करोड़ रूपया दे देंगे गांव में ये-ये चीजें होंगी । साहब मैं उदाहरण बता देता हूं । पंथी नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार देवदास बंजारे जी का निधन हुआ । वहां बारिश हुई, बृजमोहन जी थे, संयोगवश उस गांव में एक मुक्तिधाम बन गया था । यदि उस गांव में मुक्तिधाम नहीं होता तो देवदास बंजारे जी का दाह संस्कार नहीं हो पाता । एकदम शुरूआत हुई थी, योजना के तहत् उनके काम में मुक्तिधाम बन

गया था । पिछले चार साल में कहीं मुक्तिधाम नहीं बन रहा है, कहीं निर्मला घाट नहीं बन रहा है, कहीं सी.सी.रोड स्वीकृत नहीं हो रहा है । जिस पैसे से वह बना सकते थे, उसके बारे में आगे ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा में बोलूंगा कि क्या बना रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अब पंचायती राज के अधिकार । आज के जमाने में फंड, फंक्शन, फंक्शनरी । डिवोल्युशन का जमाना आ गया है, सुपुर्दगीकरण का । आप पर्यवेक्षण का अधिकार दे रहे हैं, अभी तक पर्यवेक्षण में रूके हैं, अगर गलत होता तो वापस ले लेते लेकिन एकाध तो देते, कुछ तो करते ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पेसा में आ जाता हूं । यह सरकार पेसा में श्रेय लेती है कि हमने नियम बना दिये । अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में पेसा का ही कानून है । मैंने माननीय से कहा कि एक दिन पेसा में खुली चर्चा कर लेते हैं । एकाध बैंक एकाउंट खोलने का ही निर्देश जारी हुआ है, इसके अलावा एक भी निर्देश जारी नहीं हुआ । यह वही सरकार है, सोसायटी के अध्यक्ष बनेंगे, निर्देश जारी नहीं करती और सोसायटी के अध्यक्ष बन जाते हैं । छठवां राज्य हैं हम, नंगाड़ा पीट रहे हैं लेकिन उसके नियम नहीं बने । जो आदिवासी विधायक यहां बात करते हैं ना, अब ताली नहीं बजा रहे हैं, अब टेबल नहीं ठोंक रहे हैं । अब पेसा में दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं समानान्तर समितियां उसमें काम करेंगी क्या ? वन सुरक्षा समिति काम करेगी क्या, वनोपज समिति काम करेगी क्या पेसा क्षेत्र में । अभी तक तो आपने सब में पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण लिखा है । तो उसके नियम आप कब तक जारी कर देंगे, कृपया बताएंगे ? आपने आईपीसी की जो-जो चीजें जारी की हैं, उनके निर्देश के नोटीफिकेशन कब तक पहुंच जाएंगे कि हां भाई, यह चालू हो गया । अध्यक्षता के लिए उसमें कोई क्वालीफिकेशन होगी क्या ? जब आईपीसी की धारा 3, 4, 8, 10 धारा को दिया है आपने । मेरे पास है मैं पढ़ लूंगा साहब । आपके पास भी होगा । अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के सामने एक यक्ष प्रश्न है । मैं जाति-वाति पर नहीं बोलता । जाति-वाति में बोलने में मेरी रूचि नहीं रहती। आदिवासी, एस.सी., ओ.बी.सी. ये जात वह जात, इसमें मेरी रूचि नहीं रहती । यदि समितियों में पर्याप्त निर्वाचन नहीं होता है तो मनोनीत करेंगे जो 10 परसेंट से अधिक न हो । माननीय महेन्द्र कर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे 5वीं अनुसूची का विरोध करके लोकसभा में पहुंचे थे। वे आदिवासी थे। वहां की जगदलपुर सामान्य सीट हो चुकी है। आपके सरगुजा में आदिवासी क्षेत्र में स्वयं सरगुजा, भटगांव, बैकुंठपुर की एक सीट सामान्य हो चुकी है। जो सामान्य लोग, ओ.बी.सी. लोग उसमें हैं, पेशा के कानून के निर्देश जारी होने के बाद उनकी स्थिति क्या होगी ? मुख्यमंत्री जी से जगदलपुर में जब यह मांग ओ.बी.सी. लोगों ने या और लोगों ने किया तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे, पूरा पंडाल खाली हो गया। मैं यही चाहता हूं कि इसको पोंगरी बनाने का अवसर मत आए, इसके निर्देश जारी हों। चाहे जिस स्थिति के निर्देश जारी करें। पंचायती राज में सुपुर्दगीकरण लाएं। डिवोल्यूशन का जमाना आ चुका है। आप उसको सशक्त बनाएं, शोषण कर रहे हैं। हमारे हाथी छाप वाले माननीय विधायक जी ने कहा कि आप तो उसकी सीमा

तक को, जो 50 लाख दिए हैं, उसको भी कर रहे हैं। मैं आपको इसमें एक सुझाव दे देता हूं। आप जिन चीजों की एजेंसी पंचायत को बनाते हैं, उनसे एक प्रतिशत, आधा प्रतिशत, दो प्रतिशत जो भी हो कमीशन लीजिए और उस कंसोलिडेटेड फंड से उनको स्टाफ उपलब्ध करवाएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, आप पंचायत मंत्री थे तो कितना फंड लेते थे, वह भी बता दीजिए। आप सदन में प्रतिशत की बात शुरू कर दिए हैं। सदन में चर्चा भी हुई थी।

श्री अजय चंद्राकर :- आप एक डाटा एंट्री आपरेटर दे दें, एक चपरासी दे दें, आदमी सिर्फ उनको पर्यवेक्षण का अधिकार देता है और अपना फंड नहीं देता। चलिए, फंक्शन मत दीजिए। फंड में वह निश्चित कमीशन लें, उसमें स्टाफ की व्यवस्था हो। आप यदि जितने विभाग का काम पंचायत को देते हैं, यदि इस बात को देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर कुछ पैसे डालकर दें, उसमें कम से कम दो स्टाफ दें, एक डाटा एंट्री आपरेटर, एक लेखापाल और एक चपरासी दें। आप सरपंचों की या पंचायत सचिव की दशा देख लीजिएगा। वह बेचारा स्वयं पानी पिलाता है। साहब, पंचायत ग्रामीण विकास में दो चार लाईन बोल देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- और बच ही गया है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अभी तो इनके पंचायत भर में बोला हूं। पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा निवेदन था कि कम से कम समय लें।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए साहब, मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले वक्ता हैं और मैं समझता हूं कि पंचायती राज में जो नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी से लेकर सुराजी गांव तक उनको पहुंचने दीजिए ना।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिए ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पहुंचने दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- साहब, मैं जल्दी-जल्दी बोल देता हूं। आपको मदद करूंगा। सर मैं आपको कापरेट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जो कहेंगे मैं मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। दो घंटे के समय को यदि संख्यावार निर्धारित करेंगे तो भा.ज.पा. के पास मात्र 18 मिनट हैं और आप 20 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- यश-यश। चलिए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सर मैंने अपनी बात समाप्त कर दी।

अध्यक्ष महोदय :- आप नाराज मत होईए, मैं तो कह रहा हूं कि आप बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दलेश्वर साहू जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम वक्ता कम कर देंगे। आप पूरा विषय रखिए। जितना रखना है। आप अकेले बोलिए, बाकी वक्ता को कम कर देंगे।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान मांगों पर मांग संख्या 28, 13, 14.....।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट भाई, ओ भैया।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं-नहीं, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट रूक जाईए ना।

श्री अजय चंद्राकर :- रहान दे, रहान दे, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- बाकी विषय में बोल लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- बाकी विषय को आप बोल लेना। वे आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16, 54, 23, 45, 75, 57, 30, 80 पर मैं इस अनुदान मांग के समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, जब कांग्रेस की सत्ता आई, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कैसे बनाना है, सारा नामिनेशन हुआ। किस मंत्री को कौन से विभाग को दायित्व सौंपा जाएगा, यह पोर्टफोलियो का विस्तार नहीं हुआ था। हमारे आदरणीय मंत्री जी, माॅ बम्लेश्वरी डोंगरगढ़ में दर्शन करने के लिए पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मैं भी साथ में था। हमें बहुत चिंता थी कि यह कृषि विभाग को दायित्व किसको मिलेगा। हम लोग माॅ बम्लेश्वरी के मंदिर में सीढ़ी चढ़ रहे थे, उस समय मैंने माननीय चौबे से पूछा, सर आपको कुछ पता है क्या ? आप तो मंत्री बन गये हैं, पर कौन सा विभाग मिलने वाला है। एक किसान का बेटा होने के नाते मेरी कृषि से रूचि है, मेरा जीवनयापन होने के नाते, मेरे मन में एक बड़ा गंभीर सवाल था। मंत्री जी मुस्कुरा देते थे पर जवाब नहीं दे पाते थे। जैसे ही हम लोग मां बमलेश्वरी के दर्शन करके उतरे तो उस समय यह कनफर्मेशन हो गया कि चौबे जी को ही हमारे कृषि मंत्री का दायित्व दिया गया है। उस समय की जो प्रसन्नता थी, जबसे विस्तार हुआ था और पोर्टफोलिया नहीं मिला था तब तक हमारा ध्यान उसी में केन्द्रित रहता था कि किसको कौन से मंत्री का दायित्व मिलेगा। किसानों और हम सब लोगों के हित में रविन्द्र चौबे जी को कृषि विभाग का दायित्व मिला। यह बड़ा विभाग है और यदि इस विभाग का दायित्व किसी अनुभवी आदमी को मिलता है तो निश्चित रूप से वह विभाग किसानों के हित में कारगर साबित होता है। हमारे मन में वह खुशी और प्रसन्नता रही। हम उस खुशी को कैसे जाहिर करे, निश्चित रूप से इसको हम और हमारे किसान लोग ही जानते हैं। एक घण्टे

के बाद एक अदभुत घटना घटी और मैं उस घटना को इस सदन को बताना चाहता हूं कि जब हम मां बमलेश्वरी के प्रांगण में नाश्ता कर रहे थे तो उसी समय हमें पता चला कि जैसे ही मंत्री जी को पोर्टफोलियो मिला तो पूर्ववर्ती सरकार के एक अधिकारी ने कम से कम 20 करोड़ रूपये को जिलों में ट्रांसफर कर दिया। चूंकि हम पुराने विधायक थे और हमें कृषि विभाग से संबंधित जानकारी थी तो मैंने कहा कि सर, आपके मंत्री बनते ही आपके विभाग के अधिकारी ने आपकी राशि को बिना अनुमति के जिलों को बंटवारा कर दिया। जब मुझे यह पता चला तो मैंने इसको मंत्री जी को बताया। सक्षम मंत्री बनने से विभाग और प्रशासन में कसौटी आने का मैं उदाहरण दे रहा हूं। मंत्री जी ने इसको स्वीकार नहीं किया कि यह कैसे हो सकता है? मैंने उनसे कहा कि ऐसा हो गया है। जैसे ही आप मंत्री बने तो आपके उद्यानिकी विभाग के डायरेक्टर रेंज के अधिकारी ने 20 करोड़ रूपये को सारे जिलों में बंटवारा कर दिया। मैंने यह बात उनकी जानकारी में लाई और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जैसे ही मैं अपना कार्यभार सभालूंगा तो निश्चित रूप से या तो उनको हटाऊंगा या सस्पेंड करूंगा, क्योंकि जब मैं मंत्री बन गया हूं कि यह मेरा दायित्व और अधिकार है कि मेरे विभाग के पैसे का यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा। मैंने पूर्ववर्ती सरकार के समय के कुछ घटनाक्रम को बताने का प्रयास किया है। माननीय मंत्री जी की 4 सालों से जो कार्य प्रणाली रही है। मां बच्चों को जन्म देती है और उसके दर्द को कोई दूसरा व्यक्ति या उस बच्चे का बाप या भाई भी नहीं सकता। चाहे वह कितना भी करे। केवल मां ही बच्चे को जन्म देने के उस दर्द को जान सकती है।

समय :

1.33 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी किसान के बेटे हैं। उनका पूरा जीवन ही किसानों से जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से जिस ढंग से कृषि विभाग ने लोगों के जीवन-यापन के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, अभी जो सुराजी गांव से लेकर गोधन न्याय योजना की बात हो रही थी, मैं इनका बाद में उल्लेख करूंगा। चूंकि आज विपक्ष के पास चिड़चिड़ाने और बहिष्कार करने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप अपने हिसाब से चलाएं और जब हमारी सरकार आई तो हमने किसानों के दर्द को समझा है। हमारे पूरे मंत्रिमण्डल ने किसानों के हित में काम करने की कोशिश किया है। प्रकृति के साथ जुंआ खेलना कितनी दर्दनाक स्थिति है, इसको आप समझिये। किसान जब अपने खेत में बीज को डालता है और यदि धान न जगे, बीज में अंकुरण न हो तो उसको कितना टेंशन रहता है। क्या किसान रात में सो सकता है? ले-देकर जैसे भी बारिश हुई और उसके बाद धान उग गया और उगने के बाद यदि फिर से बारिश न हो तो क्या होगा? यदि आप उनकी फसल के किसी भी घटनाक्रम को देखेंगे तो वह प्रकृति के साथ जुंआ खेलते हुए कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है और कैसे रात में सोता है? मैं आपको यह

बता दूं कि यदि कोई धान को लू कर रखा हो रात में गड़गड़ाहट हुआ, पानी गिरना चालू हो जाए तो क्या वह रात में सो सकता है? वह रात में ही अपने खेत में चले जाता है। न किसानों को सांप का डर, न बिच्छू का डर न किसी का भय । वह रात में ही अपने कोठार में चला जाता है और जाने के बाद वह कैसे अपनी फसल को बचाता है, उसकी रखवाली कैसे, किस प्रकार से करता है । आप सभी किसान हैं, किसानों के घटनाक्रम को देखिए और उस घटनाक्रम को देखते हुए आज किसान को दाढ़ी बनाने के लिए फुर्सत नहीं रहती, उस किसान को समय में नाखून काटने की फुर्सत नहीं रहती है । किसी भी कर्मचारी की टाई लगाकर, जैकेट लगाकर वह कैसे जीवन-यापन करता है, हमारे किसान के जीवन-यापन के दृष्टिकोण को अगर आप देखोगे तो इस बारिकी चीज को जिसने देखा हो, पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री रह हों, वह कैसे समझ सकते हैं । यह दर्द उनकी समझ में नहीं आया है, वह कितनी भी गहराई से जाने का प्रयास करे । मैंने दर्द की जो बात की, वह आदरणीय मुख्यमंत्री जी और रविन्द्र चौबे जी ने इस दर्द को समझा और योजनाबद्ध तरीके से बजट में लगातार 4 सालों से प्रावधान किया है ।

सभापति महोदय, मैं इस वर्ष के बजट का उल्लेख करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा । हमारे कृषि बजट के ऊपर कुल मिलाकर 8 बिन्दु हैं, जिसमें से उद्यानिकी, राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़ बीज एवं कृषि विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य जल ग्रहण क्षेत्र और छत्तीसगढ़ जैव प्रौद्योगिक प्रोन्नत सोसायटी है । ये कृषि विभाग के 8 विभागों से घिरा हुआ है और उसके तहत ही कृषि विभागों का संचालन होता है । इसके अंदर में और बहुत सारे उपखण्ड हैं । आज के इस साल के बजट में मद क्रमांक 9, 10 नवीन सीड लैस इंफोर्समेंट प्रयोगशाला, रायपुर की स्थापना एवं कार्यालय हेतु 15 लाख का प्रावधान है। हमें समझ में आया कि यह क्या चीज है ? जब मंत्री जी ने हमें कहा कि आपको कृषि पर बोलना है तो हमने उसको अध्ययन करने का प्रयास किया । बीज अधिनियम के तहत किसानों को सीड लॉ इंफोर्स के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना होगी तो यह राज्य की इस तरह की प्रथम शासकीय प्रयोगशाला होगी । इसके माध्यम से बीजों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा । अभी तक बीज प्रमाणिकता संस्था के प्रयोग पर विभागों पर निर्भर रहता था । अब हमारी निर्भरता समाप्त हो गई है । राज्य में अमानक बीजों के विक्रय पर प्रतिबंधित होगा । अमानक बीज के विक्रेताओं के विरूद्ध सीड लॉ इंफोर्समेंट के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । इससे अमानक बीज विक्रेता हतोत्साहित होंगे । गुणवत्तायुक्त बीज विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा । किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज प्राप्त होंगे । इससे न केवल उत्पादकता में वृद्धि होगी, अपितु किसान की आय में वृद्धि होगी । बीज परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना पर सिद्ध होता है । यह भूपेश सरकार किसानों के हित में उच्च गुणवत्ता बीज उपलब्ध करा रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दलेश्वर जी, एक मिनट । माननीय सभापति महोदय, मेरा एक आग्रह है और मैं विपक्ष की ओर से बोल रहा हूं । बजट पारित करवाने के लिए 13 दिन का सत्र हमने नहीं बुलवाया है, [xx] सरकार ने बुलाया है। बहुत जल्दी है, टोका-टाकी ज्यादा हो रही है तो गिलोटिन का उपयोग कर सकते हैं । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, और तो कई बार गिलोटिन हुआ है । जब सदस्यों की बातों को सुनना ही नहीं है, हर दो लाईन में टोकना है तो ऐसे बहस के बजाय गिलोटिन में बजट स्वीकृत करवा दीजिए । आप पूछ लीजिए, हम बैठकर सारा बजट पारित कर देते हैं ।

सभापति महोदय :- चलिए, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आसंदी से चार बार कहा जाये कि हम सहयोग कर रहे हैं, हम सहयोग कर रहे हैं । विपक्ष 9 बजे रात तक बैठ रहा है, उसके बाद यदि टिप्पणी होती है तो एक ही तरीका है कि आप गिलोटिन में बजट पारित करवा लें, [xx]।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अजय जी, आज इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [xx]।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, पहली बात ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली बात तो हमने देख लिया है कि आपने कितने दिन का बजट सत्र बुलाए हो और यदि हिम्मत है तो पूरी बात सुननी थी, [xx] ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया बैठिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अजय जी, आज इतना उत्तेजित क्यों हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उत्तेजित नहीं हूं । मैं बजट को गिलोटिन में पारित करने के लिए आपकी मदद कर रहा हूं । आप बच जाएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं । हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो जनता का हित हो रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बोलिये न।

श्री अजय चन्द्राकर :-नहीं, नहीं, मुझे नहीं बोलना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप भाग गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके संचालन, आपके सरंक्षण को देख लिया कि आपको कितना तसदीक प्राप्त है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आसंदी से कोई संचालन हो रहा है तो आप सरकार को दोष दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं सरकार को इसलिए दोष दे रहा हूं कि आपने 13 दिन का सत्र बुलवाया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, मैंने कल फिर से कहा था कि मध्यप्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा में भी 13 दिन का ही सत्र है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप लगातार भाषणों में दिल्ली, ये 12 साल का, ये 13 साल बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो परम्पराएं हैं, कभी दूसरे विधानसभाओं में नहीं मिलेगी। लोकसभा भी कोरम के अभाव में स्थगित हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा कभी स्थगित नहीं हुई है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज आप कुछ ज्यादा उत्तेजित होकर अपना भाषण कर रहे हैं, और कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं तो आपको मदद का प्रस्ताव दे रहा हूं कि सभी विभागों को प्रस्तुत करवाकर गिलोटिन में पास करवा लीजिये। विपक्ष की ओर से मदद का प्रस्ताव है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम चाहते हैं कि चर्चा हो। अब प्रतिपक्ष की इतनी दयनीय हालत होगी तो उसमें हम दोषी नहीं हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- दयनीय हालत आपकी है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। आपको आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप यह बता दो कि यदि आपको पूरा सुनना है तो हम एक नाम देते हैं। आप विपक्ष को जितना समय दोगे, हम उतना देर लेंगे। आप पूरा नियम से चलाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, वैसे भी गलत परम्परा है। कल आसंदी ने सुनाया कि संख्या के आधार 14 की संख्या को साढ़े तीन घंटा मिला और 71 की संख्या को दो घंटा मिला।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, ठीक है। आप नियम से चलाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या आप अकेले बोलेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बिलकुल उतनी देर बोलेंगे, बिलकुल उतनी देर बोलेंगे।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- यह तरीका गलत है। कल आसंदी ने कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमको आपका कोई अहसान नहीं चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- हमें भी आपका अहसान नहीं चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर आप उतनी देर चलाईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- यदि प्रतिपक्ष भागना चाहता है तो रोका किसने है ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कितना सम्मान किया है, हमने देखा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री जी को थोड़ा (व्यवधान) बात करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय कौशिक जी, प्लीज, प्लीज, कृपया बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी, हम लोग आपको मिश्री भईया कहकर

संबोधित करते हैं, पर सबका विचार बन रहा है कि आपका नाम मिश्री भईया की जगह जलेबी भईया रखना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको मदद का प्रस्ताव दे रहा हूं। मैं उत्तेजित नहीं हूं।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, विपक्ष लगातार इसी तरीके से सदन के समय को बर्बाद कर रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय, सबको समय मिलना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- घुमा-घुमाकर, घुमा-घुमाकर बोल रहे हो। सुनने की आदत डालो न।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जब से छत्तीसगढ़ में विधानसभा प्रारंभ हुआ है, आप भी सदस्य हैं। चौबे जी भी लोग थे, हम लोग भी थे। उस समय पं. राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, आपने उनको देखा है। मैं भी आसंदी में रहा हूं। उस समय ब.स.पा. एक-दो सदस्य से चुनकर आये थे, आपको मालूम है। हमने तब भी घड़ी नहीं देखा। हमने घड़ी देखकर यह नहीं कहा कि आपका टाईम 1 घंटे 2 मिनट है।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, धरम भईया, मैं कहा कुछ बोल रहा हूं। कल आसंदी ने पढ़कर सुनाया कि साढ़े तीन घंटा प्रतिपक्ष को दिए हैं और आप कहते हैं कि सुनना नहीं चाहते हैं। यह आरोप ही गलत है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सुनना नहीं चाहते, ऐसा नहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी अजय जी ने कहा।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जितना आपके पक्ष वाले नहीं बोलते, उससे ज्यादा हम बोल रहे हैं। आपके विषय में बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है। लेकिन चर्चा से मत भागिये।

सभापति महोदय :- आदरणीय कौशिक जी, कृपया बैठिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- एक मिनट सभापति महोदय, आपका जो विभाग है, वह काफी महत्वपूर्ण विभाग है। आपके पास जल संसाधन विभाग है, कृषि विभाग आपके पास है, पंचायत राज व्यवस्था आपके पास है। यदि ऐसे विभाग में अपनी बात नहीं रखेंगे तो किस विभाग में रखेंगे ? आपको तो खुले मन से बोलना चाहिए कि आप उनको बोलने दीजिये।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, चलिये आपकी बात आ गई।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, कल आप दिन भर में एक पारी आई। आप क्यों भागना चाहते हो, हम 3 दिन में कैसे पूरा कर देंगे। रात को बैठाओ न। हम बैठने के लिए तैयार हैं। हम लोग रात 11 बजे तक सदन चलाये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का दो रिकार्ड है। बजट में माननीय टी.एस. सिंहदेव माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का 3 घंटे का भाषण रहा है। एक बार विपक्ष को 11 घंटा बोलने का अवसर मिला और उस समय श्रोता आप थे। आप इन बातों को भूल रहे हैं।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये, आप। शर्मा जी, आप बैठिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- चौबे जी, हमारे माननीय सदस्य बहुत अच्छे ढंग से सारी बातों को बोल रहे थे, जो बातें नहीं आई थीं। बहुत कम लोग संसदीय प्रक्रियाओं की बात बोलते हैं। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने उसी से शुरूआत किया था। माननीय चौबे जी, हम आपको विद्वान मानते हैं। माननीय चौबे जी, उसके बाद भी मात्र 14 बैठकों का सत्र है। हम सत्र इसलिए बुलाते हैं कि हमारे जितने सदस्य हैं, अपने-अपने क्षेत्र की बात रखें, प्रदेश की समस्याओं को रखें । मूलभूत समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें, लेकिन उसमें भी अगर हम कैंची काटेंगे, कटौती करेंगे, फिर यह विधान सभा का आचित्य क्या है । लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की मजबूती उसी में है कि सार्थक बहस हो, सार्थक चर्चा हो, लोकतंत्र उससे पुष्ट होता है, विधान सभा के माध्यम से सरकार को भी पूरी जानकारी प्राप्त होती है, शासन और प्रशासन चौकन्ना रहता है, लेकिन उसमें भी हम अपने सदस्यों के अधिकारों में अगर कटौती करेंगे, यह उचित नहीं है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय नेताजी से आग्रह है कि पूरे प्रदेश से हमारे 90 विधायक चुनकर आते हैं, इस सदन में सब का उतना ही अधिकार है, जितना कुछ बड़े नेताओं का है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 4 लोग पूरे सदन में बोलने का [xx] ले लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिये । कई माननीय सदस्य हैं, जिनको बोलने नहीं दिया जाता है । मैं आग्रह करूंगा कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये । ऐसा नहीं है कि चार लोग ही पूरे सदन में बोलते रहें उनको कहीं मौका ही न मिले । वह भी सदन में जनता की आवाज बनकर आये हैं । उसको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है, सत्तारूढ़ पार्टी के दो-तीन सदस्य लगातार तीन-चार दिनों से उंगली दिखा-दिखा कर बोल रहे हैं । चार लोग बोलेंगे तो चार घण्टे का समय लगेगा, पूरे 14 लोग बोलते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं, आपकी मर्यादा है, आप कम बोलते हैं, आपको मौका नहीं मिलता है, वह पार्टी की चिन्ता का विषय है । अध्यक्ष महोदय, यह पहला विधान सभा है, जिसमें कोई भी विधान सभा सत्र पूरी तरह से पूरा नहीं चला है । अगर दो दिन का हुआ है तो एक दिन में खत्म हो गया है । 15 दिन का हुआ है तो 10 दिन में खत्म हो गया है । 6 दिन का हुआ है तो 4 दिन में खत्म हो गया है । अगर हम बोल रहे हैं, यह आखिरी विधान सभा का अंतिम सत्र

है । इसमें जितने लोग बोलना चाहें, बोल लो । न जाने कौन यहां लौट कर आयेगा, कौन नहीं आयेगा, थोड़ा-

उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो
न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाये

सभापति महोदय, अच्छी-अच्छी बातों को करने दीजिए । सब को बोलने का अवसर मिलना चाहिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ठीक बोल रहे हैं, दोनो पक्ष की जवाबदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आरोप है कि चार लोग चलाते हैं । मेरा कुछ विशेष अवसर जिसमें लगभग कार्यवाही एकजॉएन्ट होती है । उसको छोड़कर बिना बिजनेस लगाये, बिना आपकी अनुमति के हम नहीं बोलते हैं । मैं यह चाहता हूँ कि यदि इस 6 दिनों में बिजनेस नहीं लगा है, ऐसा बोलने वाले सदस्यों का विशेष अनुमति देकर बिजनेस लगवा दें, सिर्फ ऐसे बोलने वालों को ही मौका दें ।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई । आदरणीय दलेश्वर साहू जी ।

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- सभापति महोदय, मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 2401 मद क्रमांक 1, जिला दुर्ग के विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन क्षेत्र की स्थापना के लिये 57 लाख का व्यय संभावित बजट में प्रावधान किया गया है । इसमें सेट अप है, 7 पद है । उप संचालक से लेकर भृत्य तक का है।

सभापति महोदय :- साहू जी, समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे ।

श्री दलेश्वर साहू :- समय का ख्याल रखूंगा, परन्तु विस्तार से आपको बताना चाहूंगा । यह बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना क्यों किया गया है, क्या कारण है, इसको मंत्री जी ने गंभीरतापूर्वक लिया है । एक सर्वसुविधायुक्त परिक्षेत्र होगा, इसमें परिक्षेत्र प्रबंधन एवं सहयोगी स्टॉफ के माध्यम से प्रक्षेत्र को विभिन्न अनुसंधान केन्द्र से आवंटित एवं विभाग के माध्यम से प्राप्त विभिन्न फसलों के प्रजनन बीज से आधार बीज उत्पादन का कार्यक्रम लिया जायेगा । इसके प्रगुणन के आधार पर बीज प्राप्त होगा एवं उत्पादित आधार बीज को उत्पादक कृष्कों के माध्यम से प्रमाणित बीज तैयार किया जाकर कृषकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा । बीज प्रगुणन क्षेत्र की स्थापना से राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीच प्राप्त होंगे । बीज प्रस्थापन दर में वृद्धि होगी, परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी, अन्ततोगत्वा किसानों की आय में वृद्धि होगी, इसके साथ ही उत्पादक किसानों के कौशल विकास होगा एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे । मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने बीज प्रगुणन क्षेत्र की प्रस्थापना के लिये बजट प्रावधान किया । दूसरा, धमधा में ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु आपने 1 करोड़ 1 लाख रूपये का प्रावधान

किया है, मैं भी थोड़ा सा परिभाषा बता देता हूं कि यह क्या चीज है। यह भी एक 29 पद का सेटअप है, जिसमें अपर संचालक से लेकर माली तक के पदों का सृजन किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन हेतु नया रायपुर में की जायेगी। इस हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है। नंबर एक, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी एवं व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित करेंगे। उनका कौशल विकास किया जायेगा। कृषकों को सब्जी, फल, कृषि उत्पादन, तकनीकी एवं फल परीक्षण तकनीक का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन में योजना भी किया जायेगा। उद्यानिकी के किसान एवं अधिकारी नवीन तकनीकी से अवगत होंगे। इससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी प्राप्त होगा। उद्यानिकी के फसलों के क्षेत्र, विस्तार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इनके बनने से निश्चित रूप से किसानों के हित में काम होगा और हमारे जो किसान से जुड़े हुए जो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी है, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से एक बढ़िया सीखने का अवसर भी मिलेगा। दूसरा, नवीन जिलों में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में, छुईखदान जिलों में मुख्य उप संचालक कृषि कार्यालय के लिये 02 करोड़ 08 लाख की व्यवस्था है। इसी प्रकार नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग, मुंगेली में नवीन अनुभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय का एक लाख रूपये के विभागीय सेटअप के लिये 50 पदों का सृजन किया गया है। आपने नवीन उर्वरक गुण नियंत्रक प्रयोगशाला के लिये भी 80 लाख रूपये का प्रावधान किया है। नवीन कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोशाला के लिये भी 80 लाख रूपये और 24 पदों का सृजन किया है। कीटनाशक एवं गुण नियंत्रक प्रयोगशाला के माध्यम से किसानों को वितरित किये जाने वाली दुकानों में मानक कीटनाशक की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिय।

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, दो मिनट। अभी तो विवादों में मेरा समय खराब हुआ है तो मैं कृषि के एक ही विषय पर बोलूंगा। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजियेगा।

आप सब लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भली-भांति जानते हैं और शुरू से विज्ञापन के माध्यम से सब देख रहे हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई, 2020 से यह योजना प्रारंभ की गयी। इसके अंतर्गत किसानों के फसल को काष्ट लागत की प्रतिपूर्ति कर आय में वृद्धि करना, अधिक निवेश के लिये प्रोत्साहित करना, कृषि से लगभग व्यय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जी.डी.पी. के कृषि क्षेत्र में सहभागिता में वृद्धि करना। अभी तक 16 लाख 415 करोड़ 10 लाख रूपये की आदान सहायता के रूप में भुगतान किया जा चुका है। 2022-23 में योजना के तहत 6 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ, उद्यानिकी,

वृक्षारोपण, कोदो-कुटकी, रागी फसल होने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में तीन वर्षों में 09 लाख 77 हजार नये किसानों का पंजीयन और उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री दलेश्वर साहू :- आप सब गोधन न्याय योजना के बारे में जानते हैं। इसके लिये भी राज्य सरकार द्वारा गौ पालको की आय में वृद्धि करने के लिये ग्रामीण एवं शहरी विकास में स्वरोजगार प्रोत्साहित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना के तहत 30 दिसंबर, 2022 तक लगभग 85 लाख 77 हजार मीट्रिक टन गोबर की खरीदी की जा चुकी है। गोठान समितियों को, महिला समितियों को 162 करोड़ का लाभ, गौठान न्याय योजना के 02 लाख 79 हजार से अधिक ग्रामीणों को, पशुपालन किसान को लाभान्वित किया जायेगा। गोमूत्र खेती के क्षेत्र में हमारी ब्रम्हास्त्र योजना चालू है। आप लोग उससे निश्चित रूप से भली-भांति परिचित है।

ममैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों के आधार पर एक नयी योजना शुरू की। चूंकि मैं किसान हूं तो मैंने बहुत दिनों से किसान सुविधा केंद्र के बारे में उल्लेख किया था। मैंने कई बार आवेदन भी दिया था और उस आवेदन के तहत बजट में भी प्रावधान रखा गया। लेकिन मेरी मंशा है कि, मंत्री जी, इस विषय पर थोड़ा-सा पर ध्यान देंवे । किसान सुविधा केंद्र की जो परिकल्पना है वह हमने किया और उस किसान सुविधा केन्द्र में क्या-क्या होना चाहिए, उसके लिये किसान को क्या-क्या असुविधा होती है, और क्या-क्या परेशानियों से गुजरना पड़ता है और अनावश्यक रूप से उनका क्या-क्या पैसा खर्चा होता है।हमने इस किसान सुविधा केन्द्र के लिये हमारे आदमी को पुणे भेजा और पुणे भेजने के बाद किसान सुविधा केंद्र में क्या-क्या क्या-क्या स्थापित है। तो वहां प्लांट एनालिसिस के बारे में बहुत बड़ा-बड़ा यंत्र लगा हुआ है और पहले तो हम गये तो..।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त कीजिए।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह बहुत अच्छा विषय है। चूंकि आलिवारा में मेरे गांव में यह केन्द्र खुला हुआ है और इसके लिए प्रावधानित बजट बहुत कम है तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

सभापति महोदय :- आप समय का ध्यान रखें।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट बोलूंगा। मैंने जब पूना में आदमी को भेजा कि यह क्या चीज है ? वहां दो दिनों तक होटल में रहने के बाद, मुझे अवसर नहीं मिला। फिर मैं वहां से वापस आया, फिर दो दिनों के बाद वहां जाने के बाद हमको वहां पूना में एक प्राईवेट फार्म में यह योजना की लागू गयी थी। वह ले-देकर हम लोगों को जैसे ही देखा तो सही मायने में मैं चाहता हूँ कि उस किसान सुविधा केन्द्र की जो परिकल्पना है और हमने लगातार विगत वर्षों से

प्रयास किया कि इस किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना कैसे होनी चाहिए तो उसमें लगभग 3 करोड़ रूपये की लागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य बजट, बजट में आलीवारा का सम्मिलित किया है, पर भवन के लिए ही उल्लेख है। हम ही उनको 15 लाख का भवन दे पायेंगे, पर मैं चाहूंगा कि आपका जब आखिरी बजट भाषण होगा तो आप किसान सुविधा केन्द्र का उल्लेख करें। आपने बजट में किसान की सुविधा के लिए बहुत सारी चीजों डाली हैं। मेरी कल्पना है और मैं जो चाह रहा हूँ चूंकि मैं किसान हूँ और किसान को क्या परेशानी होती है कभी-कभी क्या होता है कि एक दवाई बेचने वाला खाद की डिफिशियेंसी बता देता है और अपना खाद बेच लेता है। वहीं पर अगर दवाई बेचने वाला जाता है तो वह दवाई बेच लेता है कि यह आपकी डिफिशियेंसी है। किसानों में एक अंतरद्वंद होता है। यह कीट नाशक की डिफिशियेंसी है या उर्वरक की डिफिशियेंसी है ? तो अगर यह आधुनिक टेक्नॉलॉजी मशीन में लग जाएगी और यह मशीनें बाहर विदेशों की हैं। उनकी लागत थोड़ी ज्यादा है कोई 40 लाख रूपये है, कोई 50 लाख रूपये है कोई 1 करोड़ रूपये तक की है। ऐसी 3-4 मशीनें हैं और वह किसान सुविधा केन्द्र के अंतर्गत प्लांट एनालिसिस का लैब लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है वह 2, 3 करोड़ रूपये का मामला है। मैं आपसे चाहूंगा और हमारे किसान भाई भी आपके यहां धमधा में गये हुए थे उन्होंने इसी चीज की मांग की थी। मैं चाहूंगा कि इसकी राशि बढ़ाकर मेरी जो कल्पना है और मैं चाहता हूँ कि किसानों का एक अच्छा हित हो जाए । मैं, आपको इस कल्पना को साकार करने का दायित्व सौंपता हूँ। इसमें सुराजी गांव है, नव उर्वरक गुण प्रयोगशाला, कृषि कल्याण भवन है, गन्ना उत्पादन के लिए भी प्रावधान किया है और महात्मा गांधी वानिकी विद्यालय के लिए पेंड्रा मरवाही का उल्लेख हुआ है। मैं धन्यवाद् ज्ञापित करते हुए, पुन: माननीय मंत्री जी से किसान सुविधा केन्द्र के लिए आग्रह करना चाहूंगा। चूंकि जब आप मंत्री बने तो हमें बहुत सुख का अनुभव रहा था। अगर यह पूरा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता को सुख का अनुभव होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृहस्तप सिंह :- माननीय मोहले जी, पीछे मत पूछिए। आप जो बोलिएगा सच बोलिएगा। सच के सिवाए कुछ मत बोलिए। आपको वह लोग गुमराह कर रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो पहले खेती किसानी के बारे में बात शुरू करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों के खेत में क्या-क्या पौध संरक्षण होता है उसमें कितना कंपोस्ट है, कौन सा खाद है इन खादों के परीक्षण हेतु कार्य योजना जो बनती है, पर किसानों के खेत का परीक्षण नहीं होता। सरकारी कर्मचारी ग्राम सेवक गांवों में नहीं रहते, वह खेतों का परीक्षण नहीं करते। इसलिए खेतों का परीक्षण किया जाए, उसमें क्या-क्या चीजों पोषक तत्वों की आवश्यकता है इसके लिए प्रत्येक गांव में सर्वे कराया जाए या फिर 10-15 पंचायतों में कैम्प लगाया जिससे वहां के लोगों को लाभ

हो। लोगों को अत्याधुनिक खेती की जानकारी हो। जैसे आपके नरेगा के अंतर्गत है नरवा, गुरूवा बाड़ी में गोबर खाद को 2 रूपये में लेकर 10 रूपये में बेचा जाता है। वहां वर्मीकम्पोस्ट खाद बनाते है, वर्मी खाद बनाते हैं, उस खाद न सूखे और घुरूवा में अच्छे ढंग से खाद बने। वहां कम्पोस्ट खाद अच्छा बने। इससे लोगों को फायदा हो, किसानों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिले और उनकी दुगुनी आमदनी हो। भारत सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो योजनाएं लागू की हैं इन योजनाओं के समाधान के लिए अच्छी खेती के लिए जो ट्यूबवेल खनन में पॉवर पंप में छूट दी जाती है, वह बहुत कम है। यह पुराने समय से है। मैं आशा करता हूं कि उस पर सब्सिडी ज्यादा दें। आपका पॉवर पंप, ट्रेक्टर का है, मिट्टी परीक्षण में हैं, खुदाई कराने की जितनी मशीन है, उसमें अनुदान कम मिलने से नहीं होता है। जॉब कार्ड बनते हैं, किसानों को प्रशिक्षण में दिया जाये। किसान लोग बाहर अन्य राज्यों में घूमने, देखने जाते हैं और वहां से सीखकर आते हैं, ऐसे किसानों के लिए जहां आप आधुनिक खेती के बारे में बढ़ावा दे रहे हैं। आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए रासायनिक खाद, मिनिकिट में में भी प्रशिक्षण दिया जाये। जिससे सामूहिक खेती में नये बीज प्रशिक्षण क्षेत्र है, उपचारित और अच्छे बीज हो, प्रामाणिक बीज के लिए किसानों के धान बीज या चना वगैरह के बीज नहीं लिये जाते। बाहर के बिचौलियों से लिये जाते हैं। उसका पहले रजिस्ट्रेशन हो और समय-सीमा में हो। जब समय आ जाता है, खेती का समय हो गया, धान के उत्पादन की स्थिति आ गई तब रजिस्ट्रेशन होता है। किसान के फसल लेने के पहले किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जो प्रामाणित बीज लेते है या अच्छे बीज हैं, वह किसानों से लिया जाये जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। कम कीमत में हो। उससे ज्यादा कीमत ली जाती है। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप निर्धारित न्यूनतम मूल्य का भी काम करेंगे। जो ट्यूबवेल लगाये जाते हैं, जिसमें आपका सबमर्सिबल पंप है या अन्य जितनी मशीन हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, अनेक विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है। वह सिर्फ शहर स्तर में लगता है, ग्रामीण स्तर में नहीं लगता है। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि इन बातों को भी आप ध्यान देगे।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना की बात करना चाहता हूं। नरेगा योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा पक्की नाली, सी.सी. गैलरी या पक्के काम का 60-40 के रेशियो में बनाने का नियम है। उन नियमों पर आपने रोक लगा दी है। आप उन नियमों को खोलिये। जिससे आम लोगों को गावों में सुविधायें मिले। गांव में नरेगा के अंतर्गत बहुत से काम होते हैं, आप आंगनबाड़ी का काम देते हैं, नाली, तालाब गहरीणकरण, पचरी निर्माण, निर्मलाघाट का काम नरेगा के अंतर्गत होता है। इस योजना में बहुत कम राशि खर्च हुई एवं बहुत कम काम हुए । आप देखे होंगे दो साल 2021-22 और 2022-23 में आपने जो राशि बजट में दी थी, वह राशि कम खर्च हुई है, वह राशि बच गई है। वह राशि बचती क्यों हैं? लोग आवेदन देते हैं, लोगों का समय पर काम नहीं मिलता। यदि आवेदन देते हैं, तालाब

गहरीकरण या अन्य काम हो, आपका मुरूम का काम नहीं है, गांव में छोटे-छोटे डब्ल्यू.बी.एम. रोड का निर्माण है, मुरूमीकरण है, मैदानी समतलीकरण है, इनके लिए भी अपर्याप्त राशि कहें या राज्य सरकार के द्वारा उसमें राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। आप गरीबों, मजदूरों को कहते हैं कि नरेगा में मिट्टी के काम देगे। मजदूर को काम देते हैं तो उनके आवेदन देने के 15 दिन के अंदर स्वीकृति दी जानी चाहिए, लेकिन दो-दो महीने तक स्वीकृति नहीं मिलती है। अगर कार्य की स्वीकृति मिल गई तो उनको समय पर भुगतान नहीं मिलता है। अगर किसी मजदूर को 15 दिन में भुगतान नहीं मिलता तो 25 प्रतिशत उनको अलग से अतिरिक्त भुगतान देने का है। अगर उन्हें 16 दिन,1 महीने के बाद भुगतान नहीं दिया तो 50 प्रतिशत उनको अलग से मजदूरी दी जायेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षित बेरोजगारों को आप काम देते हैं। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता तो उन्हें एक चौथाई हिस्सा भत्ता देने का प्रावधान है। पर कितना भत्ता दिया गया है, यह पता ही नहीं है। यह मात्र कागजों में है। कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जिन लोगों ने काम मांगा और काम करने के बाद उनको मजदूरी नहीं मिली। मजदूरी को 204 रुपये मजदूरी मिलती है, काम कर चुके हैं और अगर 15 दिन के बाद उन्हें भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें भी एक चौथाई अलग से मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है। क्या आप इन प्रावधानों का पालन करेंगे? अटल समरसता भवन है। अटल समरसता भवन हमारी सरकार में शुरू हुआ था। वह पता नहीं है। स्टेडियम का पता नहीं है। गावों में सामुदायिक विकास का पता नहीं है। आपकी समग्र योजना का पैसा नहीं है। आपने 2 साल से पैसा दिया नहीं है। वह पैसा को कहां खर्च करते हैं, वह किधर जाता है, उधर पता ही नहीं चलता है। ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये तक निर्माण कार्य देने का है। आपके 04 साल बीत गये, पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत राज है या आप लोग नाराज हैं। यह समझ में नहीं आता कि पंचायतों को काम देने के लिए आपके पास क्या योजना है? पंचायतों को एक वर्ष में किसी पंचायत में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रूपये का काम होता है। अब पंचायत में काम ही नहीं है। पंचायत सरपंच लोग तरस रहे हैं। इन सब बातों को आप ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप इन पंचायतों को काम दें। आपके 14वें वित्त हो, 15वें वित्त हो, पैसा को अन्य योजना में सिर्फ प्रतिबंध लगाकर आप जो आदेश देते हैं, उसी के अनुसार वहां पर काम होता है। चाहे नरवा में लगा दें, चाहे घुरूवा में लगा दें, चाहे गोठान में लगा दें। यह ऐसा न हो कि आपके लिए अतिरिक्त गौठान के लिए राशि हो, न कि इसी में। मतलब आपके काम को अमलीजाम पहनाने के लिए अपने पंचायती राज व्यवस्था को नकार रहे हैं। इस व्यवस्था को दुरूस्त करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब मैं आपके विभाग का विरोध करते हुए बैठता हूं।

सभापति महोदय :- मोहले जी, धन्यवाद। श्री राजमन बेंजाम जी। कृपया 10 मिनट में अपनी बात रखेंगे।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकोट) :- माननीय सभापति महोदय, उन्नत खेती समृद्ध किसान, छत्तीसगढ़ प्रदेश की यही पहचान। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश एक कृषि बाहुल्य प्रदेश है। यहां पर लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर करते हैं। लगभग 40 लाख परिवार कृषि पर आधारित खेती करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश बनने के बाद पूरे देश में लगभग 17 लाख 82 हजार हमारे कृषक पर ऋण का कर्ज था। उस ऋण को पूरे हिंदुस्तान में, अगर किसानों का ऋण माफ किया है तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कृषि मंत्री माननीय रविन्द्र चौबे जी ने किया है। मैं माननीय भूपेश बघेल, माननीय रविन्द्र चौबे और पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देता हूं कि जो वर्षों पुरानी कृषकों की कर्जा माफ करने की मांग थी, उसको उन्होंने माफ किया है। पंचायती राज में हमारे विद्वा सदस्यों ने कह रहे थे कि पिछले 15 साल में अगर किसी ने पंचायत को पंगु बनाकर रखा था तो केवल बी.जे.पी. की शासन ने पंगु बनाकर रखा था। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पंचायत प्रतिनिधियों को, जिला पंचायत अध्यक्ष को 15 लाख रूपये विकास कार्य के लिए, उपाध्यक्ष को 10 लाख रूपये और जिला सदस्य को 4 लाख रूपये और हमारे जनपद अध्यक्ष को 5 लाख रूपये, जनपद उपाध्यक्ष को 3 लाख रूपये, जनपद सदस्य को 2 लाख रूपये विकास कार्यों के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार देती है। इतना ही नहीं, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को और मैं भी पिछले 15 से 19 साल तक पंचायत प्रतिनिधि रहा तो हमको केवल 1500 रूपये मिलता था। आज हमारी सरकार ने हमारी पंचों को 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया है। हमारे सरपंचों को 2,000 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये किया है। हमारे जिला पंचायत के सदस्य को 4,000 रूपये से बढ़ाकर 6,000 रूपये किया है। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रूपये किया है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपये किया है। पंचायती राज व्यवस्था हमारी सरकार की देन है। हमारे भारत के स्वप्न दृष्टा भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि एक दिन ग्रामीणों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। उन्होंने हमारी सरकार पी.वी. नरसिम्हा राव के समय पंचायती राज व्यवस्था का कानून लाया है। आज पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण और पंचायत को मजबूत करने का यदि किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । माननीय सभापति महोदय, मैं बस्तर से आता हूं । वहां हमारा कोदो-कुटकी बहुत होता है । देश का पहला राज्य है कि हमारे कोदो-कुटकी, रागी को समर्थन मूल्य में हमारी सरकार खरीद रही है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बस्तर के पूर्वज लोग कहते हैं कि जब देश में अकाल पड़ा था तो हम लोग सूखा वाला बांस का चावल खाकर जिंदा रहते थे और उसके बाद हमारे बस्तर में वनों में जो प्रमुख फसल के रूप में लेने लगे थे वह कोदो-कुटकी और रागी है । आज पहली बार हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रूपये और रागी का मूल्य

3578 रूपये किया है तो यह हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कृषि मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे किसान बहुत परेशान थे । मेरे क्षेत्र में एक लोहण्डीगुड़ा ब्लॉक आता है । जिसमें 1707 किसान जो बी.जे.पी. के समय में टाटा की जमीन को शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया था, उस जमीन की वापसी देश का यह पहला राज्य है जो अधिग्रहित हुई जमीन को किसानों को वापस करने वाली हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, माननीय रविन्द्र चौबे जी की सरकार है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री सौरभ सिंह :- आप बोल रहे हैं कि माननीय रविन्द्र चौबे जी की सरकार है।

श्री राजमन बेंजाम :- आप सब सामूहिक रूप से । सौरभ भैया, मैंने माननीय भूपेश बघेल जी और माननीय रविन्द्र चौबे जी की सरकार बोला है ।

श्री अरूण वोरा :- यह प्रदेश के पौने 3 करोड़ लोगों की सरकार है जिसका नेतृत्व भूपेश बघेल जी कर रहे हैं और हमारे कृषि के क्षेत्र में श्री रविन्द्र चौबे जी बहुत सीनियर लीडर हैं ।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय सभापति महोदय, यही नहीं उन कृषकों को जो अधिग्रहित जमीन वापस की है वह इंद्रावती नदी के किनारे आती है । जो 10 गांव की जमीन है वह लगभग इंद्रावती नदी के किनारे है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चूंकि वहां उद्वहन सिंचाई परियोजना वर्षो से बंद पड़ी थी । हमारी सरकार ने उस बंद पड़ी उद्वहन सिंचाई योजना को पुन: चालू करके वहां पर 4 करोड़ रूपये से पुन: हमारी सरकार ने उस योजना को शुरू किया और आज वहां के किसान बहुत खुशहाल हैं और उनमें बहुत खुशी है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बस्तर की जीवन रेखा कहलाने वाली जो इंद्रावती नदी है । उसका भी हमारा इंद्रावती बेसिक प्राधिकरण का गठन किया गया है क्योंकि उस इंद्रावती नदी के किनारे सिंचाई वाली परियोजनायें और जितनी भी परियोजनाएं वहां पर संचालित हैं, जो जलग्रहण क्षेत्र हैं उनको संरक्षित और संवर्धन करना बहुत जरूरी था तो हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहां इंद्रावती बेसिक प्राधिकरण का गठन कर उसकी भी रक्षा करने का काम किया है ।

माननीय सभापति महोदय, इस प्राधिकरण के बनने से लगभग इसमें 7 जिले शामिल होते हैं । जिसमें हमारा बस्तर जिला, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, नारायणपुर और नांदगांव का जिला भी आता है । जिसमें 28 विकासखंड शामिल हैं । इस प्राधिकरण के बनने से हमारे 7 जिले इससे लाभांवित होंगे और इंद्रावती प्राधिकरण बनने से वहां की जो भूमि है वह सिंचित होगी और वहां हमारे किसान लोग अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने लाख को भी खेती का दर्जा दिया है । आज जो लोग हमारे जंगलों में निवास करते हैं, वहां के वनवासी लोग निवास करते हैं, वहां के आदिवासी लोग

निवास करते हैं । उन लोग आज लाख की खेती करके लाखों रूपये कमा रहे हैं । मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां रहने वाले हमारे आदिवासियों को लाख का बीज और ऋण उपलब्ध कराकर वहां के लोगों के लिये अर्थव्यवस्था करने का काम करते हैं ।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री राजमन बेंजाम :- सभापति महोदय, एक मिनट और समय चाहूंगा ।

सभापति महोदय :- चालिए बोलिए ।

श्री राजमन बेंजाम :- हमारा जो वनोपज है, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, वे केवल तीन महीने खेती-किसानी करते हैं, उसके बाद वे वनोपज को आय का प्रमुख साधन मानते हैं । वो चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे टोरा हो या वनों से मिलने वाले अन्य वनोपज हों । वे उन्हें संग्रहित कर रहे हैं और हमारी सरकार वनोपज खरीद रही है, यह किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है । सभापति महोदय, बोलने के लिए तो बहुत सारे विषय हैं लेकिन समय कम है । इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद् देता हूं ।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा । समय का ध्यान रखेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी के पास तीन महत्वपूर्ण विभाग हैं । कृषि भी है, जल संसाधन भी है । मैं अपनी बात कृषि से शुरू करता हूं । आज कांग्रेस का बड़ा नेता बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसकी शुरूआत होती है कि यह किसानों की सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार, किसानों का कर्ज माफ करने वाली सरकार और 2500 में धान खरीदने वाले सरकार।

श्री रामकुमार यादव :- 2640 महाराज ।

श्री बृहस्पत सिंह :- और आगे 2800 ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री चंददेव प्रसाद राय :- भइया आपका कर्ज माफ हुआ है या नहीं ?

सभापति महोदय :- चंद्रदेव जी कृपया व्यवधान न करें ।

श्री रामकुमार यादव :- ओखर खेत हो ही तो कर्ज माफ हो ही । ओखर करा तो ट्रक हे, राईस मिल हे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ए रामकुमार जब जानस नइ तो बोले झन कर । तोर ले जादा किसानी करथौं ।

सभापति महोदय :- शर्मा जी आप अपनी बात रखें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, किसानों के नाम पर नौटंकी करने वाली सरकार, किसानों को धोखा देने वाली सरकार, किसानों को लूटने वाली सरकार । अगर कोई सरकार है तो वह भूपेश बघेल की सरकार है और उस सरकार के मंत्री आदरणीय रविन्द्र चौबे जी हैं ।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय, सरकार का गठन हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी सरकार का मुखिया मंत्रालय जाकर किसानों का कर्ज माफ करता है और धान का समर्थन मूल्य देता है । आपने हिंदुस्तान में ऐसा कोई उदाहरण देखा क्या बता दीजिए ?

श्री रामकुमार यादव :- महाराज के गोठ लो सुन के किसान मन हांसत होही । 15 साल मा एमन कुछु करिन नइ, अउ कुछु करे हे तो ओखर बुरई गोठियात हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, तैं हा तो शांत रह, गरीब आदमी, गरीब आदमी कहिके 25 लाख के इनोवा मा घूमथस । बासी खाथौं कहिथ अउ अंदर मा जाकर चाउमिन खाथस ।

श्री रामकुमार यादव :- पम्मू भइया, खाना मना हे का ।

सभापति महोदय :- कृपया आपस में बात ना करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, पहले अपने यहां यह प्रथा थी कि राजा महाराजाओं के यहां चरण वंदना के लिए भाट रखे जाते थे । मैं तो निवेदन करता हूं कि यह तो लोकतंत्र है यहां किसी परिवार कर राज नहीं चलता । लोक तंत्र में जनता के हित की बात करना चाहिए भाटगीरी नहीं करना चाहिए । पर दुर्भाग्य है सिर्फ भाटगीरी, हमने यह कर दिया, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया । हम चुनौती देते हैं कि अगर किसान के हित में कोई भी काम पूरा किया हो तो बता दो । शपथपूर्वक बोले थे किसान का कर्जा माफ करेंगे । सिर्फ अल्पकालिक ऋण माफ हुआ, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋण माफ नहीं हुआ ।

श्री अरूण वोरा :- सभापति महोदय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ नहीं हुआ । 2640 धान की कीमत की बात करते हैं । बृहस्पति जी हिसाब लगाकर देख लेना ।

सभापति महोदय :- सदस्यों से अनुरोध है कि व्यवधान न करें माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आपने नाम लिया है तो सुन लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- शिव भैया, आप दो चीजों पर बात कर रहे हैं, एक किसान और एक लोकतंत्र। यह दोनों विषय पर आप अपने अंतर्आत्मा से पूछ लीजिए, आप इस दोनों विषय में बात नहीं कर सकते।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, हम लोगों की अपेक्षा यही है कि आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, आप ब्राम्हण भी हैं, कम से कम सदन में सच बोलिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- चाहे कर्ज माफी के नाम पर, चाहे किसानों के धान खरीदी के नाम पर। आज स्थिति क्या है ? केन्द्र की सरकार किसान सम्मान निधि देती है। किसानों को पहली किस्त, दूसरी

किस्त, तीसरी किस्त मिल गयी। यह सरकार किसानों के के.वाई.सी. का काम पूरा नहीं करा पा रही है और उसके चलते लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है।

श्री शैलेश पाण्डे :- गायब कर दिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने गायब नहीं किया। जो फार्मेल्टी प्रदेश सरकार को करना चाहिए, वह फार्मेल्टी पूरी नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी।

संसदीय सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बद्ध (श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय) :- शिवरतन भैया, केन्द्र सरकार ने देना ही बंद कर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, कितना बजट प्रावधान हुआ है, आप जरा बता दीजिए। इस पूरे काम के लिए गौठान नोडल विभाग है। 10 हजार से ज्यादा गौठान बन गयी। इस सदन में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से दो बार निवेदन किया है, आप लॉट निकलवा लीजिए और हमको पांच गौठान दिखा दीजिए, कितने सफल हैं। यह सरकार गौठान के नाम पर अरबों रूपये की लूट करने वाली सरकार है।

श्री शैलेश पाण्डे :- अभी बोलते हो, गौठान में पैसा नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- चारों तरफ गौठान फेल पड़ी है। गौठान के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई है और उनको मानदेय के नाम से तन्ख्वाह बांधने का काम इस सरकार ने किया है। (शेम-शेम की आवाज) यह किसानों के हित की बात करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ओ कार्यकर्ता मन के दारू चखना के व्यवस्था हरे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, गौठान के नाम पर शराब पर अधिशेष लगाया गया। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अधिशेष लगा, उसमें कितने रूपए की वसूली हुई और गौठान में कितना खर्च हुआ? माननीय मंत्री जी जरा सदन को अवगत करा देंगे। सरकार की हालत क्या है ? खाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत करना। गौठान समिति के लिए मानदेय बांध दिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, भगवान भी अपने भक्तों को आशीर्वाद ज्यादा देते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सहकारी समितियों में नियुक्ति कर दी गयी। मंडी समितियों का गठन कर दिया गया। माननीय मंत्री जी बता दें कि कितनी मंडियां प्रांगण की चालू है। भाटापारा, कुरूद, धमतरी जैसी इनी गिनी पांच सात मंडियां चल रही है और बाकी मंडियों में 12 महीने ताला लगा रहता है। कभी विचार करते हैं कि यह मंडियां कैसे चालू होगी ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- अभी-अभी ताला लगा है कि पहले आपके कार्यकाल से लग गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने आपसे व्यक्तिगत भी निवेदन किया था मंडियों को चालू करना है तो अनुज्ञा का जो सिस्टम है, उसको बंद कीजिए। खाली व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है, उसके चलते मंडियों में ताला लगा हुआ है। माननीय सभापति जी, कृषि विभाग का हाल क्या है ? विधान

सभा में प्रश्न आया था और माननीय मंत्री जी का जवाब था, जो व्यवस्था चल रही है, वह सतयुग, त्रेतायुग और द्वापरयुग तीनों में चल रही है और वही व्यवस्था इस कलयुग में भी चल रही है। यह जवाब अपने आप में स्वीकृति थी कि विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। बीज निगम बीज बांटता है, कहां से लेते हैं, किससे लेते हैं, किसान को बीज खेत में उगता नहीं, अंकुरण होता नहीं।

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- शिवरतन भैया, यह सतयुग में चल रहा है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- किसान शिकायत करने जाता है तो बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, बोले, बीज की कीमत वापस कर देंगे। किसान की फसल खत्म हुई, उस पर कोई चर्चा, कोई भरपाई देने की व्यवस्था यह सरकार नहीं करती। माननीय सभापति जी, बीज विकास निगम की स्थिति क्या है ? बीज विकास निगम में 389 पद स्वीकृत हैं, उसमें 254 पद रिक्त पड़े हैं। उद्यानिकी विभाग में 500 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। कृषि विश्वविद्यालय में क्या स्थिति है ? 2694 स्वीकृत पदों में से 1724 पद रिक्त हैं। बायोगैस, कृषि यंत्रों का वितरण, पिछले सत्र में मेरे ही प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब कृषि यंत्रों का वितरण कहां से हो रहा है, डी.एम.एफ की राशि से हो रहा है। मार्केट में जो कृषि यंत्र किसान को 2 हजार रूपये में मिलता है उसको 7 हजार रूपये में खरीदा जा रहा है। उसके बाद भी किसान से 500 रूपये की वसूली हो रही है कि यदि आपको स्पेयर या कोई अन्य यंत्र चाहिये तो आपको इतनी राशि देनी पड़ेगी।

श्रीमती संगीत सिन्हा :- कृषि यंत्र बहुत कम मूल्य में मिलते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय राहुल गांधी जी का अंतर्राष्ट्रीय कॉफी ब्रांड के साथ भाषण हुआ था। बस्तरिया कॉफी को एम.एम.यू. का सुझाव दिया गया था। क्या आप यह बताने की कष्ट करेंगे कि उसमें क्या हुआ था? आपने किसानों के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं। किसान आयोग की स्थापना, किसानों के लिए नवीन बीमा योजना, सिंचाई क्षमता को दुगुना करने की योजना, किसानों को पंप कनेक्शन की उपलब्धता और किसानों के लिए हर ब्लॉक में शीत भण्डार। आप यह बनाने की कृपा करें कि यह क्या है? यह तो आपका आखिरी बजट है।

माननीय सभापति महोदय, कामधेनु विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में कमी होती जा रही है। विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने का कारण स्टॉफ की कमी है। नये कॉलेज खोल दिये गये लेकिन फैकल्टी में कमी होती जा रही है। वर्ष 2018 के बाद किसी प्रकार के 1 भी फैकल्टी की भर्ती नहीं हुई। वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय को अलग-अलग कर दिया गया। वानिकी का एक कॉलेज सांकरा में है और उद्यानिकी के 13 कॉलेज हैं, जिनमें कितने पद रिक्त हैं? मैंने आपके सामने जानकारी रखी है जिसमें कहीं कोई भर्ती की व्यवस्था नहीं है। पहले की तुलना में दुग्ध महासंघ का कलेक्शन कम हो गया। कलेक्शन कम होने का बड़ा कारण रेट का अंतर है। समय पर परिवहन का अनुदान नहीं मिलता। ऑनलाइन भुगतान नहीं होता है। इसको आप ही बता दीजिए कि इनके सुधार के लिए क्या

कार्यक्रम चल रहे हैं? माननीय मंत्री जी के पास पशुधन विकास विभाग भी है लेकिन पशुधन का कितना विकास हुआ है? रश्मि जी बैठी हैं। तखतपुर के गौठान में 70 गायों की मौत दम घुटने से हो गयी।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- पहली बात यह है कि वहां गौठान नहीं था और दूसरी बात यह है कि वहां 70 नहीं, 40 गाय थीं। लेकिन उसके बाद 6 महीने पहले मुंगेली में किसी के घर में 20 गाय मर गईं और आप लोग आवाज भी नहीं निकाले। जब मेड़पार में गाय मरी थी तो आप लोग 3 दिन तक उसको मीडिया में चलाये थे और मुंगेली में गाय मरी तो आप नाम भी नहीं लिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिये, आपने 70 गाय की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। आपने मुंगेली में 20 गाय की मृत्यु को स्वीकार कर लिया तो अब आप यह बता दीजिए कि आपने उस पर क्या कार्रवाई की?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप यह स्वीकार करिये कि आपके समय में गाय तो गाय उसकी हड्डी और मांस तक बेचने के लिए अभियान चला था। आप गाय तो गाय उसकी हड्डी और मांस को भी बचे दिये थे। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कोरबा के गौठान में 80 गाय। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मुंगेली में एक भाजपा कार्यकर्ता के यहां गाय मरी थी। भाजपा के एक कार्यकर्ता के द्वारा पाला गया था तो गाय मरी थी।

सभापति महोदय :- कृपया सदस्य व्यवधान न करें।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- आप लोग ठेका में गौशाला चलाते थे।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मेड़पार में गांव के ग्रामीणों ने मिलकर बंद किया था। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इनका एक अभियान चला था, प्रदेश सरकार का रोका-छेका अभियान। माननीय मंत्री जी, आप तो किसान हैं। क्या सरकार के कहने से रोका-छेका हो जाता है? हमारे गांव की अपनी पौनी व्यवस्था है और जब पौनी की व्यवस्था में चरवाहा लगाते हैं और हरेली के आसपास वह लाठी पकड़ता है पर सरकार के रोका-छेका अभियान का क्या हुआ? आप पशुधन विकास के लिए कामधेनु सुरक्षा केन्द्र की स्थापना करने वाले थे।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपको दोनों रोका-छेका में अंतर मालूम नहीं है? आप कह रहे थे कि हरेली में राऊत लाठी पकड़ता है उसी दिन से छेका हो जाता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने हरेली के आसपास कहा।

श्री रविन्द्र चौबे :- है न, इसमें हम कलेक्टर को निर्देश देते हैं तो कलेक्टर भी लाठी पकड़ता है। समझ गये? (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अब इसको आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि कितने कलेक्टरों ने लाठी पकड़ी और कितने कलेक्टरों ने लाठी पकड़कर रोका-छेका अभियान को सफल बनाया।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात संक्षिप्त करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने केवल एक विभाग पर चर्चा शुरू ही की है।

सभापति महोदय :- आप समय का थोड़ा ध्यान रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यदि आज आपको चर्चा करानी है तो आप पूरी चर्चा कराएं और यदि आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो आप जिलेटीन में पास कर दीजिए। हमारे प्रथम वक्ता को भी बोलने नहीं दिया गया।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, दुग्ध महासंघ को चिलिंग वाहन उपलब्ध करना था उसका क्या हुआ? मोबाइल पशु चिकित्सालयों की इकाइयां स्थापित करनी थीं उसका क्या हुआ? प्रत्येक प्लांट में चिलिंग प्लांट की स्थापना करना था उसका क्या हुआ ? सभी सहकारी दुग्ध समितियों को दुधारू गाय प्रदाय करने की योजना का क्या हुआ? सभी जिलों में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की बात का क्या हुआ? चरवाहे को रोजगार देने की बात का क्या हुआ? मछुवा कल्याण बोर्ड के...।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- शिवरतन भैया, आदिवासियों की जरसी गाय का क्या हुआ? केन्द्र सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की बात कही थी उसका क्या हुआ?

सभापति महोदय :- राय जी, बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मछुआ कल्याण बोर्ड । निषाद समुदाय और महिला स्व सहायता समूहों को मछली पालन में प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी महिला स्व सहायता समूह और निषाद समुदाय को प्राथमिकता दी गई है । मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थिति यह है कि 12 स्वीकृत पद हैं, पर केवल एक भृत्य काम कर रहा है ।

माननीय सभापति जी, मैं पंचायत विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में पंचायत विभाग की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है ।

उमेश पटेल :- शिवरतन भैया, कृषि इतना जल्दी खतम कर दिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बार-बार टोक रहे हैं ।

श्री उमेश पटेल :- आप बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी की पंचायत विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वह यह है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पंचायत के जनप्रतिनिधि हड़ताल पर

हैं । यह इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । हड़ताल में जाने का जो कारण है, वह आपको मालूम है । आपने हड़ताल तोड़ने के लिए 50 लाख की लिमिट बना दी, पर हुआ क्या ? किसी को काम मिला क्या ? पंचायत विभाग का तो सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सदन में दो दिन से प्रधानमंत्री आवास की चर्चा हो रही है । यह पत्र है, जो माननीय टी.एस. सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम लिखा था और इस पत्र में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वह यह है । उन्होंने 16.7.2022 को पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने आपसे कई बार चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया था, किन्तु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी । फलस्वरूप प्रदेश में लगभग 8 लाख लोगों के आवास नहीं बनाए जा सके । इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने से करीब 10 हजार करोड़ रूपए की अर्थव्यवस्था में वह सहायक होती ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- शिवरतन भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की है कि 1 अप्रैल से राज्य सरकार सर्वे कराएगी, जनगणना कराएगी और 32सौ करोड़ रूपए आवासहीनों के लिए ही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, हमारे जन घोषणा-पत्र में 36 लक्ष्यों के अंतर्गत ग्रामीण आवास योजना के अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका । यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपके प्रदेश के पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आपके मंत्रिमण्डल के सहयोगी आदरणीय श्री टी. एस. सिंहदेव साहब का पत्र है और पत्र में वे इतना ही नहीं लिखते, वे पंचायत मंत्री रहते हुए व्यथा को उन्होंने लिखा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की गई, जो मंत्री के अनुमोदन के उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा । ठीक है, अब वह हटा दिया गया । मंत्री जी, पर ये उचित था क्या, आप बता देंगे ? क्या मंत्री से ऊपर मुख्य सचिव होता है ? प्रोटोकॉल में वार्ड का पंच भी अपने वार्ड में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है, पर यहां तो मंत्री के ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बना दी गई । पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करने की बात जनघोषणा पत्र में थी, जिसके लिए मैंने आपसे कई बार चर्चा की तथा विभागीय तौर पर पहल की, किन्तु मुझे यह निराश मन से कहना पड़ रहा है कि इस पर आज पर्यन्त कोई भी सहमति, सकारात्मक पहल नहीं हुई । एक साजिश के तहत रोजगार सहायकों से हड़ताल करवाकर मनरेगा के कार्यों को प्रभावित किया गया, जिसमें सहायक परियोजना अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से निकलकर आई । स्वयं आपके द्वारा हड़तालरत् कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी गठित की गई, इसके बाद हड़ताल वापस नहीं हुई । हड़ताल के कारण 1250 करोड़ रूपए की मजदूरी भुगतान का कार्य

प्रभावित हुआ । इस षड़यंत्र के लिए वे प्रदेश सरकार के मुखिया को दोषी ठहरा रहे हैं ? इसके बाद भी कुछ कहना बाकी है क्या ? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि यह पत्र है।

श्री बृहस्पत सिंह :- वह पत्र आपकी पार्टी की षड़यंत्र का हिस्सा था।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, 16.07.2022 का पत्र है। पिछला बजट पास होने के बाद का पत्र है। श्री टी.एस. सिंहदेव ने इस विभाग को छोड़ते हुए जो आरोप लगाये हैं, उसका इसका जवाब देने की जरूर कृपा करेंगे।

माननीय सभापति जी, रीपा, आज श्री धरम लाल कौशिक जी का एक ध्यानाकर्षण था। रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, 50 पार्क बनेंगे। आपने अभी प्रावधान किया है, परन्तु बहुत सी जगहों के ब्लाक में रीपा के अन्तर्गत पार्क बनना था, रीपा का काम शुरू हो चुका है। किस्मत से शुरू हुआ। कुछ जगह पूर्ण भी हो गए। आपने युवा मितान क्लब तो राजनीतिक लाभ के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री सड़क की क्या स्थिति है ? आपने अपने प्रतिवेदन में मुख्यमंत्री सड़क के बारे में लंबा-चौड़ा लिख दिया कि हजार किलोमीटर सड़क बन गई। आपको क्लीयर करना था कि 4 साल में कितने किलोमीटर मुख्यमंत्री सड़क बनाई है। आपने 4 साल कितना ग्राम गौरव पथ बनाया ? आपने 4 साल में समग्र विकास की कितनी राशि पंचायतों को आवंटित की ? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से आज तक, इसको जोड़कर लिखना कहां तक उचित है ? आपको आपके 4 वर्ष का जो डिटेल है, उसको सामने रखना चाहिए था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना की क्या स्थिति है ? कहीं कोई फण्ड रिलीज कर रहे हैं ? उन गांवों में प्राथमिकता से कोई काम हो जाये, आप इसके लिए कुछ दे रहे हैं क्या ? आप इसके लिए पूरी तरह से जीरो की स्थिति में है। हां, आपने एक व्यवस्था की है। परम्परागत सांस्कृतिक कार्य के विकास हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की है। 85 ट्रायबल ब्लाक हैं, 85 ट्रायबल ब्लाक में उस 5 करोड़ को बांटोगे तो प्रति ब्लाक कितने रूपये की हिस्सेदारी आयेगी ? 8,778 रूपये की आयेगी। हो जायेगा ? हम परम्परागत सांस्कृति रूप से हम जो मजबूत करते हैं, राजमणी जी बता दो जरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब अजय चन्द्राकर जी पंचायत विकास मंत्री थे, प्रत्येक पंचायत को 2-2 लाख रूपया प्रति साल मिलता था और आप क्या प्रावधान कर रहे हो ? ट्रायबल ब्लाक के लिए 5 करोड़ दे रहे हो। 61 सामान्य ब्लाक हैं, उसके लिए 5 करोड़ दे रहे हो।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय शिवरतन भईया, एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, हमारे आदिवासियों की जो संस्कृति थी, उनको ये 15 साल भूल गये थे। अभी हमारी सरकार आदिवासियों को, आदिवासी पंचायतों को 10 हजार रूपये भी देगी और वहां का जो आस्था का केन्द्र देवगुड़ी है, उसका भी निर्माण कर रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप तो आपके समय में करीना कपूर के साथ सेल्फी लेते थे। अब छत्तीसगढ़ के लोग अपना सांस्कृतिक ला रहे हैं तो तकलीफ हो रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, नक्सल प्रभावित पंचायतों को 1 करोड़ रूपये देने बात थी। राजमणी जी, आपका क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित है। कितना मिला, जरा अपने पंचायतों से पूछ लेना। खाली घोषणावीर हैं। एक करोड़ साल का एक लाख रूपया भी नहीं मिला। 61 सामान्य ब्लाक हैं। इनके लिए भी 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है। हिस्से में कितना आयेगा, जरा बता दें।

माननीय सभापति महोदय, मनरेगा का कार्य, प्रदेश सरकार ने 4 साल में मनरेगा में सामग्री के लिए कितना भुगतान किया है ? जब अजय चन्द्राकर जी भाषण दे रह थे, तो उन्होंने मुक्तिधाम का उल्लेख किया था। आज पंचायतों में मटेरियल बेस कितने काम हो रहे हैं ? देखिये, मनरेगा के अन्तर्गत जो मजदूरों के लिए काम होता है, उसमें क्या काम होता है, आपभी जानते हैं। उसका 70 प्रतिशत बोगस भुगतान होता है। सरपंच कोई भी हो, अगर हम तालाब खुदवाने जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी मा कहावत हे, खरोर के आना, वह स्थिति लगभग-लगभग सभी पंचायतों की है । हम मटेरियल के लिये कुछ राशि देते थे, कुछ कलमर्जन करते थे तो कुछ परिसंपत्ति का निर्माण होता था । हम चार वर्षों में कितनी संपत्ति का निर्माण कर पाये हैं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी,आप ऐसा आरोप लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों को बेईमान बनाना चाहते हैं ? आप अपमानित करना चाहते हैं ? उनका सम्मान नहीं है, वह भी चुनकर आये हैं ? ग्राम सभा तय करती है और आप ऐसा कहकर पंचायत प्रतिनिधि को ...।(व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कंनवर्जेस को समझते हो क्या बता दो । विषय को समझते नहीं है और बार-बार ...। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- 15 सालों में मनरेगा...।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, कृपया बैठिये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप सरपंचों का अपमान करना चाहते हैं । आपकी नजर में क्या पूरे सरपंच गड़बड़ कर रहे हैं ? यह गंभीर बात है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य कृपया व्यवधान न करें । (व्यवधान)

श्री यू.डी.मिंज :- पुराना पन्ना पलट लीजिए, 15 सालों का इतिहास आपको पता चल जायेगा । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय सभापति महोदय जी, मैंने एक बात कही है, सरकार किसी की भी रहे, सरपंच किसी भी पार्टी का रहे, मोटा-मोटा पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा के काम की वही स्थिति है । चाहे वह मेरी विधान सभा हो या आपकी विधान सभा हो । अगर मनरेगा के मजदूर के कार्य का मूल्यांकन करा लिया जाये तो लगभग-लगभग वही स्थिति है तो 25 परशेंट, 30 परशेंट ...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मनरेगा के काम में अड़ंगाबाजी करने का काम आपकी सरकार कर रही है । मोदी जी ने नरेगा को क्या कहा, उसको भी बता दो ना कि क्या बोले हैं ? जब से मोदी जी की सरकार आई है....।(व्यवधान)

डॉ.रश्मि आशीष सिंह :- जो लोग मनरेगा को हंसते थे, वे लोग कोरोना काल में सराहना कर रहे थे ।(व्यवधान)

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अपनी पारी आयेगा तो बोल लेना । (व्यवधान) अपनी बारी आती है तो मुंह में दही रखकर बैठे रहते हो । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया समय का ध्यान रखें । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, मैं माननीय पंचायत मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह स्वयं अपने विधान सभा की दो पंचायत का लॉट निकाल लें । बृहस्पत सिंह जी की दो पंचायत का लॉट निकाल लें, मेरी विधान सभा की दो पंचायत का लॉट निकाल लें, जांच करा लें कि मनरेगा का काम काम कितना परशेंट होता है ? खाली जांच करा लें । मनरेगा का सबसे अच्छा सदुपयोग हो सकता है, कन्वर्जन करके परिसंपत्तियों का निर्माण हो । आपने 4 साल में यह काम बंद कर दिया है । बंद आपने सिर्फ इसलिये कर दिया कि मटेरियल का भुगतान प्रदेश सरकार को करना है । प्रदेश सरकार इस काम में पैसा नहीं देना चाहती है । इसमे नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान पूरे प्रदेश का हो रहा है ।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, सचिव संघ, रोजगार संघ, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बड़े-बड़े सम्मेलन हुये, पूरे प्रदेश में विज्ञापन छपा कि हमने रोजगार सहायकों के लिये यह कर दिया, हमने पंचायत सचिव के लिये क्या व्यवस्था कर दी, शायद सारे लोग स्ट्राईक में चले गये हैं । आपने क्या किया है, बार-बार चर्चा होती है, दैनिक वेतन भोगी, संविदा सब की चर्चा होती है । ऐसे कर्मचारियों की संख्या 87 हजार से ऊपर है । आपने सरकार बनाने के बाद उनके मंचों पर जाकर घोषणा की है, वह भी आप पूरा नहीं कर पाये । आप उनको भी छलने का काम कर रहे हो, धोखा देने का काम कर रहे हो । सभापति महोदय, डॉ.रमन सिंह की सरकार थी, हर विधायक को कम से कम 2 करोड़ रूपया समग्र विकास के अंतर्गत मिलता था ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सफेद झूठ । पहले पांच साल हमने भी आपके साथ रहा है । आप लिस्ट निकालकर देख लीजिए । ऐसा सफेद झूठ इस पवित्र सदन में नहीं बोलते हैं ।

श्री उमेश पटेल :- यह तो सरासर झूठ है कि 2 करोड़ रूपया मिलता था । बृहस्पत सिंह जी विधायक थे, मैं भी विधायक था, 20 लाख, 35 लाख आखिरी था, इससे अधिक कोई राशि नही मिली थी ।

श्री सौरभ सिंह :- सभापति महोदय, उमेश जी आपसे निवेदन है कि 35 लाख के हिसाब से गुणित पांच करके दिलवा दें ।

श्री उमेश पटेल :- उसका कई गुना से ज्यादा आपको विधायक निधि से आपको मिल रहा है ।

डॉ.रश्मि आशीष सिंह :- हम लोग केल्कुलेट कर रहे हैं कि आप लोग कितना गुना बढ़ा रहे हो (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- आपसे आग्रह है।

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- आप लोग चार करोड़ का धन्यवाद दीजिये। पहले विधायक निधि 04 करोड़ रूपये करने का धन्यवाद दीजिये।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- साथ में जो पेमेंट बढ़ा है, उसका भी धन्यवाद दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- हमारी सरकार सबको समान अधिकार दे रही है। यही तो हमारी सरकार का .. (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- कृपया शांति ग्रहण करिये। (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- हम लोगों के 71 विधायक होने के कारण कई चीजों में विधायकों को इसका लाभ हुआ। उसके लिये हमें धन्यवाद दीजिये।

सभापति महोदय :- सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, आपकी पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं। समग्र विकास के तौर पर हर साल हम लोगों को भी दो से ढाई करोड़ रूपये मिलता था, विपक्ष के लोगों को भी मिलता था। लेकिन अभी तो आपकी पार्टी की सरकार है और आपकी पार्टी की सरकार रहते हुए भी आप लोगों को भी नहीं के बराबर मिला है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आपने कभी विचार किया है। मुख्यमंत्री जी भाषण देने जाते हैं और कल ही बताया जा रहा था स्वेच्छानुदान 100 करोड़ को क्रॉस हो गया है। समग्र विकास का पैसा बजट प्रावधान होने के बाद खर्च नहीं हुआ है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने स्वेच्छानुदान को देखा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- स्वेच्छानुदान, बजट प्रावधान होने के बाद क्यों खर्च नहीं हुआ ? माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के बीच का आपस का विवाद। एक दूसरे को फाईल में नोटशीट लिखकर भेजना और डंप कर देना। किसका नुकसान हुआ ? प्रदेश का। प्रदेश में विकास के काम रूक गये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के पास तो जल संसाधन विभाग है। मुझे तीन चार वर्ष हो गये, इनके जल संसाधन विभाग का आंकड़ा पढ़ रहा था। आपसे निवेदन करूंगा डॉ. रमन सिंह का

2018-19 का बजट भाषण है। राज्य गठन के समय प्रदेश की निर्मित सिंचाई क्षमता 13 लाख 28 हजार हेक्टेयर थी।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, तुहर जमाना मा एक बित्ता भी नहर बनाय होही, तो बतावा तो। 2003 में बने रिहीस तेला तुमन सुधारै नइ सकव अउ बात करथौ।

सभापति महोदय :- रामकुमार यादव जी, बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, राज्य गठन के समय प्रदेश की निर्मित सिंचाई क्षमता 13 लाख 28 हजार हेक्टेयर थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 20 लाख 60 हजार हेक्टेयर हो गयी। यह डॉ. रमन सिंह जी का 2018-19 बजट भाषण है। माननीय भूपेश बघेल जी का बजट भाषण यह है कि सिंचाई परियोजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए लघु एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं पर हमने विशेष ध्यान दिया है। परिणामस्वरूप 2018-19 में वास्तविक सिंचाई क्षेत्रफल 10 लाख 90 हजार हेक्टेयर से बढ़कर, वर्ष 2022-23 में 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर हो चुका है। मैं आपको वर्ष 2023-24 का बजट पढ़कर सुनाता हूं ।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, 30 मिनट हो चुके हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- आदरणीय सभापति महोदय, भैया। शिवरतन भैया शब्द को समझ नहीं पाये हैं। निर्मित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता। डॉ. रमन सिंह ने 2018 के बजट में निर्मित सिंचाई क्षमता का 20 लाख हेक्टेयर पढ़ा था।

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी, आपकी बारी आयेगी तब उसमें क्लियर कर दीजियेगा। समय का ख्याल रखें।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, एक मिनट रूकिए ना। निर्मित सिंचाई क्षमता और वास्तविक सिंचाई क्षमता दोनों में अंतर है।

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी, आपकी भी बारी आयेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं 2023-24 का बजट भाषण पढ़कर बता देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय शर्मा जी, 30 मिनट हो चुके हैं। कृपया ध्यान देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- मार्च 2018 की स्थिति में वास्तविक सिंचाई औसतन 10 लाख हेक्टेयर में हो पाती थी जो दिसंबर 2022-23 की स्थिति में बढ़कर 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर में हो गयी है। अब 2023-24 में 13 लाख 05 हजार 451 हेक्टेयर बोल रहे हैं और 2022-23 में 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर बोल रहे हैं । मतलब आपकी सिंचाई क्षमता 2022-23 से 2023-24 में कम हो गयी।

माननीय सभापति जी, जब जनघोषणा पत्र जारी किया गया तो जनघोषणा पत्र में क्या उल्लेख था कि हम सिंचाई के रकबे को दुगुना करेंगे। जो सिंचाई के रकबे को दुगुना करने वाले थे, वे वास्तविक

सिंचाई के रकबे को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इनके प्रतिवेदन में तो कुछ और लिखा है। प्रतिवेदन में तो 20 हजार कुछ हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बताई गयी है। आपके प्रतिवेदन और बजट भाषण में यह मूल अंतर देख लीजिये। आपके प्रतिवेदन में भाटापारा शाखा नहर का विशेष उल्लेख है। आपको भाटापारा शाखा नहर का इतिहास तो मालूम होगा। मैं जब 10वीं पढ़ता था तो 1976 में भाटापारा शाखा नहर का शिलान्यास करने तात्कालीन मुख्यमंत्री श्यामाचरण जी शुक्ल गये थे। 5 वर्ष में भाटापारा शाखा नहर का कार्य पूर्ण होगा, 258 गांव के 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की स्थिति निर्मित होगी। यह 1976 का भाषण था । आज हम वर्ष 2023 के मार्च माह में बात कर रहे हैं । आज तक भाटापारा शाखा नहर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब वर्ष 1997 में मैंने भाटापारा शाखा नहर के मुद्दे में आन्दोलन की शुरूआत की थी तो कांग्रेस के एक नेता नेता हुआ करते थे हमारे क्षेत्र के विधायक वह दिवंगत हो गए। उन्होंने कहा कि भाटापारा शाखा नहर में पानी नहीं आ सकता। मध्यप्रदेश की विधान सभा में कहा था उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा था कि भारतीय जनता वाले बात करते है, वह बोले शिवरतन तो शिवरतन। शिवरतन की 7 पुश्तें भी भाटापारा शाखा नहर में पानी नहीं ला सकती। हेमचंद जी यादव, माननीय बृजमोहन अग्रवाल और डॉ. रमन सिंह जी के कारण भाटापारा शाखा नहर की सारी बाधाएं दूर हुईं। भाटापारा शाखा नहर का काम स्पीड से चालू हुआ और लगभग-लगभग 35 हजार हेक्टेयर में सिंचाई चालू हुई, पर इन 4 सालों से भाटापारा शाखा नहर का काम लगभग-लगभग रूक चुका है। यह स्वयं बता रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय शर्मा जी, आपको हम लोग पूरे प्रदेश के नेता मानते हैं। आप कहां भाटापारा शाखा नहर की बात कर रहे हैं आलू पारा की बात कर रहे हैं। केवल यहीं तक बोल रहे हैं। आप पूरे प्रदेश की बात करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, भाटापारा शाखा नहर की बात कर रहा हूँ और भाटापारा शाखा नहर से तीन विधान सभाओं को लाभ मिलता है। माननीय अनिता जी बैठी हैं भाटापारा शाखा नहर से उनकी विधान सभा में सिंचाई होती है। माननीय प्रमोद शर्मा जी का बलौदा बाजार क्षेत्र है, उसमें भाटापारा शाखा नहर से सिंचाई होती है और इनके दोनों के क्षेत्रों में सिंचाई के बाद भाटापारा विधान सभा के गांवों में पानी जाता है, पर आपकी स्थिति क्या है? 145 किलोमीटर जिसमें ज्यादातर सिंचाई धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में होती है। सृजित क्षमता 17 हजार 822 हेक्टेयर और 11 हजार 632 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 4561 जिसमें प्रमोद शर्मा जी के क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई होती है। रूपांकित क्षमता 26 हजार 210 हेक्टेयर की है सृजित क्षमता 21 हजार 455 हेक्टेयर की है और 13 हजार 93 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 61 से 85 जिसमें ज्यादातर भाटापारा के गांव आते हैं रूपांकित क्षमता 23 हजार 908 हेक्टेयर की है सृजित क्षमता 18 हजार हेक्टेयर की है और सिंचाई हो रही है 10 हजार 480 हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है ? यह काम सिर्फ इसलिए नहीं हो

पा है कि आपको बजट प्रावधान होने के बाद जो ए. जारी करना चाहिए, फण्ड एलॉटमेंट करना चाहिए, वह आप नहीं कर रहे हैं। मैं इसमें सीधा-सीधा आरोप लगाता हूँ कि आप विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र को उपेक्षित कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक उदाहरण बताता हूँ मेरी विधान सभा में भाटापारा शाखा नहर में एक वितरक शाखा नहर बननी थी, उसमें 8 करोड़ रूपये का प्रावधान था। आपने बजट में भी लिया, ए. भी जारी जारी कर दिया, पर जाकर वह ए.डी.बी. से निकलना था, आज तक वह काम शुरू नहीं हो पाया। वह दो सालों से चल रहा है। वह अटका हुआ है। इस पक्षपात को दूर करना चाहिए। यहां बोधघाट परियोजना की बात होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सीना ठोकर, कहा था कि हम इन 5 सालों में इसे पूरा करेंगे और उसके तत्काल बाद हमारे मिश्री भईया खड़े हुए थे। आहा, हम इसे पूरा करके दिखायेंगे। आप जरा स्पष्ट करेंगे कि आपने क्या किया? मेरे पास जो आपने प्रतिवेदन दिया है मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने जवाब दिया है मैं, आपने जो उत्तर दिया है केवल उसी को पढ़कर सुना रहा हूँ। 3 जनवरी, 2023 को मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है। कि आपने वर्ष 2021-22 में 15 सौ लाख रूपये यानी 15 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया था। आपने खर्च किया 5.52 लाख रूपये खर्च किया है।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय शिवरतन भईया जी, बोधघाट परियोजना मेरे विधान सभा में है। वहां के स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्थगित किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में बोधघाट परियोजना के लिए 8 करोड़ रूपये का प्रावधान था आपने 5 लाख 40 हजार रूपये खर्च किया है और अभी निरंक है। जिस योजना को 5 साल में पूरा करने वाले थे, माननीय सी.एम. साहब पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आपको चुनौती दी थी कि आप पूरा करने की बात कर रहे हो, आप डी.पी.आर. तो बनवा लो। अब आप डी.पी.आर. भी नहीं बनवा पाये। क्या होगा? अभी माननीय अमरजीत जी नहीं हैं। वह बोले कि सरकार नहीं बनेगी तो मूंछ मुडवा लूंगा। अब बोधघाट परियोजना का सामने है। इसी सदन में चुनौती देने वाले क्या करेंगे, जरा आप बताने की कृपा करेंगे। 04 वर्षों में एक भी अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है। यह सभी नहरों की लाईनिंग का काम करने वाले थे, किसी नहर की लाईनिंग का काम नहीं हो पाया है। जल क्षमता की बात तो मैं बता ही चुका हूं। सिंचाई क्षमता 34 प्रतिशत 2018 में बताई गई थी और अभी 38 प्रतिशत सिंचाई क्षमता ये अपने प्रतिवेदन में बता रहे हैं। नेशनल एवरेज से हम कितने पीछे हैं और हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, इसको बताने का कष्ट करेंगे। आपके ही नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने मध्यप्रदेश में जल उपभोक्ता समिति का गठन किया था। इसके चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं ? पानी पंचायत के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं ? सिंचाई हेतु नाबार्ड में घोषित 169 स्वीकृत है पर काम कितना हुआ है, 69 काम हुआ है। माननीय सभापति जी, चाहे कृषि विभाग, पंचायत

विभाग, सिंचाई विभाग हो, इस सरकार ने किसी भी क्षेत्र में किसान के हित में, क्षेत्र की जनता के हित में काम नहीं किया है। यदि काम किया है तो परंपराओं को तोड़ने का काम किया है जिसका उल्लेख माननीय अजय चन्द्राकर जी विस्तार से कर चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों का जब भी जवाब देंगे, जवाब जरूर देंगे।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहत) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए और समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ राज्य किसानों का प्रदेश है जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी सरकार बनने के बाद से जिस तरह से किसानों की चिंता की है। हमारा जो पहला कदम था, जो हमारे किसान बैंक के कर्ज में दबे हुए थे, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। मैं सबसे पहले आपसे जल संसाधन विभाग की बात कह रहा हूं। अभी हमारे बहुत सारे सीनियर साथी कह रहे थे कि जल संसाधन में कितनी सिंचाई हो रही थी, किस हाल मे था, कितना काम किये। मैं आपको अपने क्षेत्र का एक छोटा सा उदाहरण बताना चाह रहा हूं। जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, नहरों का इतना बुरा हाल था, नहरों के लिए सिर्फ पैसा स्वीकृत होता था। लेकिन जब आप धरातल पर जाकर देखते थे तो एक भी कोई काम नहीं दिखता था। मैं लगातार 15 साल शिकायत किया। कलेक्टर के पास, जनदर्शन में जब मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ करता था तब भी मैंने अवगत कराया था कि आप नहरों को ठीक कराईये तब किसानों को पानी मिलेगा। मैं चींख-चींख कर चिल्लाते रह गया। नहर है तो बांध नहीं, बांध है तो नहर नहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब से हमारी कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की, रविन्द्र चौबे जी की सरकार आई है तो सिंचाई के प्रति चिंता किये हैं। मैं आपको नहरों का हाल बताना चाहूंगा। 10-15 साल से जो नहरें बंद थीं, आज उन नहरों में पानी जा रहा है। किसान चाहे वह अपनी गेहूं की खेती हो, धान की खेती हो, उनको अपनी फसल के लिए लगातार पानी मिल रहा है। इसके कारण से आज आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, 15 साल पहले आपकी सिंचाई क्षमता कितनी थी और वर्तमान में देख लीजिए कि सिंचाई क्षमता कितनी है। पूरे प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण 03 लाख से ज्यादा क्षमता बढ़ी हुई है। यह हमारी सफलता है। जल संसाधन विभाग में आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना संकट के बाद में भी इतना अच्छा काम हुआ है कि जल संसाधन विभाग के बहुत सारे जो संरचनाएं हैं, जो वर्ष 2017-18 में 583 था, वह बढ़कर 2018-19 में 693 आया। 2019-20 में 476 हुआ और 2020-21 में 700 हुआ और 2021-22 में 601 हुआ और 2022-23 में बढ़कर हमको 621 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति हुआ। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी सरकार ने किसानों की चिंता की। किसानों का सिंचाई पंपों का जो 10,400 करोड़ रूपये का बिल है, उसको हमने माफ किया है। मैं पुराने साथियों से पूछना चाहूंगा कि हमको तो बहुत दिखाते

हैं कि यह आपका जन-घोषणापत्र है। मैं भी आपको वर्ष 2003 का, 2008 का और 2013 का जन-घोषणापत्र दिखाता हूं। आपने भी कहा था कि हम 5 hertz power तक के पंप का किसानों का ऋण माफ करेंगे, उनको नि:शुल्क बिजली देंगे, पर आपने नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने यह आपको यह काम करके दिखाया है। इसलिए हमारी सरकार ने यह काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं किसानों की तरफ आता है। समय कम कर दिये हैं, इसलिए सार्ट में कहूंगा। हमारी बहुत सारी तैयारी थी, पर मैं संक्षिप्त कर दिया हूं। जब हमारी सरकार ने किसानों की चिंता की। हमारी सरकार ने हमारे किसानों की धान को समर्थन मूल्य में खरीदना शुरू किए। सेंट्रल पुल का चावल केन्द्र सरकार लेने से मना कर दिया। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघल जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरूआत किया। इसके जो अंतर की राशि है, उसको हमने प्रदेश में 24 लाख किसानों को 16,415 करोड़ रूपये उन किसानों के खातों में डाला। यह हमारी सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने लगातार हमारे किसानों के लिए चिंता की है। किसानों के जीवन में कैसे बदलाव आये, उस दिशा में हमार सरकार ने काम किया है। 15 साल की सरकार ने किसानों का कभी भी कोई चिंता नहीं की है। यह सिर्फ हमारे जो आदिवासी क्षेत्र है, चाहे बस्तर की बात करें, चाहे सरगुजा की बात करे, यह सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता चाहूंगा। इनका सोच कितना था। ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए टार्च ले लो, छत्ता ले लो, मोबाईल ले लो, पर हमारी सरकार ने इनस हटकर कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आए, कैसे आर्थिक रूप से संपन्न हो, इस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लगातार गांव-गांव में गौठान निर्माण हुआ है। उसमें हमने गोधन न्याय योजना की शुरूआत की है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने जब गोधन न्याय योजना की शुरूआत किया था। हमारा एक सीनियर सदस्य हैं, उसका उपहास उड़ाये। आप ट्वीटर में डालें, फेसबुक में डालें, लेकिन आज देख लीजिये। उस गौठान में हमारे किसान भाई अपना गोबर बेचकर, जो हमारी महिला समूह है, जो गौठान में काम कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में रासायनिक खाद से हम खेती करते थे, वह जैविक खेती की तरफ हम लोग लौटे हैं। इतना ही नहीं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के परीकल्पना के साथ जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चार सालों में काम किया है, उसमें नरवा का भी काम किया है। हमने नरवा का काम किया है, हमने घुरूवा का काम किया, हमने बाड़ी का कम किया। आप लगातार देखेंगे कि हमारे गांव में किस तरह से हमारे लोग, चाहे वह समूह की बहनें हों, चाहे गौठान के लोग हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, चाहे पशुपालक हों, किस तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। हमारी सरकार चाहती है कि किसानों के जीवन में बदलाव कैसे हो। जीवन में बदलाव कब होगा, जब आपके जेब में पैसे होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसान भाईयों के जेब में पैसा डालने का काम किया है। वही दूसरा आप देख लीजिये।

दिल्ली की सरकार में बैठी है। बड़ी-बड़ी बात की। इन्होंने वर्ष 2016 में कहा था कि किसानों का आय दोगुना होगा। मैं यह पूछना चाहता हूं। पर यह कभी भी नहीं हुआ। आप देख लीजिये कि पूरे देश में भी हमारे 600 किसान भाईयों का मौत हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तीन काले कानून लाये थे। यह कभी नहीं चाहते कि किसानों का भला हो, लेकिन बड़ी-बड़ी बात करते हैं। हमारी जन-घोषणापत्र को याद दिला रहे थे कि हमारे किसानों के लिए हमने क्या किया है। सभापति महोदय, इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार हमारा चौबे जी की सरकार ने जो किसानों का चिंता किया है, उसके लिए मैं चौबे जी को धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार किसानों की जो क्षमता है, उसको आपने इतने कम सयम में बढ़ाया है। कोरोना संकट के बाद भी आपने बेहतर किया। इतना ही नहीं, हमारे जो मछलीपालन किया करते थे, उनको भी आगे बढ़ाये। गाड़ी की आवश्यकता थी, गाड़ी भी उपलब्ध कराया गया है। उनको ऋण देने के लिए 1 लाख से लेकर 3 लाख तक, 1 से 3 परसेंट तक उनको ब्याज दिया गया है । माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं उद्यानिकी में भी आपने देखा होगा कि हमने इन 4 सालों में 71,144 कृषकों को 52,242 हेक्टेयर रोपित कराया है। इस बार के बजट में 6000 लाख का प्रावधान रखा है । इस सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की है । अभी हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे । मैं पंचायत के विषय में भी आपसे कहना चाहूंगा । माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय कम दिया गया है लेकिन हम नये लोग हैं इसलिये हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं । ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे । चूंकि पंचायती राज व्यवस्था की बात है । हमने 15 सालों तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देखा है, मैं खुद पंच से उपसरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत और इसके बाद विधानसभा पहुंचा हूं तो इसलिये पंचायत पहले 15 साल की सरकार में कितनी सशक्त थी, मुझे यह पता है । आप देखेंगे कि पंचायती राज के हमारे जो सरपंच भाई हैं वे इतने दबाव में थे कि बिचौलिये जाकर काम करते थे, परसेंटेज के चक्कर में वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते थे लेकिन आज हमारी कांग्रेस की सरकार में पंचायतों को अधिकार मिला है। हमारी सरकार ने निर्माण कार्यों का जो उनका अधिकार था वह 20 लाख से बढ़ाकर उसको 50 लाख रूपये तक किया है । इतना ही नहीं उनके मानदेय में वृद्धि की है । चाहे वह पंच का हो, जनपद सदस्य का हो, चाहे हमारे जिला पंचायत का हो, चाहे जनपद के अध्यक्षों का, हमने वृद्धि की है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अपने विधानसभा का एक उदाहरण बताना चाहता हूं । ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मनरेगा में काम नहीं हुआ, समग्र में नहीं हुआ, प्राधिकरण में नहीं हुआ । मैं प्राधिकरण का उपाध्यक्ष हूं, अभी अध्यक्ष नहीं है । आपके प्राधिकरण के काम को स्वीकृत करने में एक साल लगता था लेकिन इस भूपेश बघेल जी की सरकार में एक साल नहीं लगता । मात्र आपका बजट जैसे ही आता है, एक महीने के अंदर हमारी स्वीकृति कराते हैं । माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं मेरे विधानसभा में पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ उसमें 44 नये ग्राम पंचायत बनाये इसके लिये मैं

माननीय रविन्द्र चौबे जी को धन्यवाद देता हूं । इतना ही नहीं 20-20 लाख रूपये, उन ग्राम पंचायतों के लिये 9 करोड़ रूपये दिये हैं उसके लिये मैं माननीय रविन्द्र चौबे जी को धन्यवाद देता हूं । हमारे पंचायतों को लगातार सशक्त करने का काम किया जा रहा है । चाहे हम पंचायतों की बात करें, चाहे निर्माण कार्यों की बात करें । मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके इस पंचायती राज व्यवस्था में, चूंकि मेरा क्षेत्र मध्यप्रदेश की सीमा से लगता है । जो कि गोयनी के मध्यप्रदेश की सीमा से लगता है वहां रोड नहीं थी, एंबुलेंस नहीं जाती थी । वहां गाड़ियां नहीं जाती थीं लेकिन वहां माननीय चौबे जी की सरकार ने वहां तक रोड पहुंचाने का काम किया है यह हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है । चूंकि हमारे बहुत सारे साथी यह कह रहे थे कि इसका पैसा नहीं मिल रहा है, मनरेगा का पैसा नहीं मिल रहा है । आप देखेंगे कि मनरेगा से गांव-गांव के तालाब बन रहे हैं, लोगों में कॉम्पीटिशन की भावना आ गयी है । लोग अपनी जमीन समतलीकरण करा रहे हैं। पहले केवल आदिवासियों का होता था लेकिन हमारी सरकार हर वर्गों का काम करा रही है । हर कोई अपनी जमीन का समतलीकरण करा रहा है । हर कोई डभरी बनवाना चाह रहा है, हर कोई तालाब बनवाना चाह रहा है । यह हमारी सरकार कर रही है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन कटौती कर दिये हैं । लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद से अभी आपने पंचायतों में देखा होगा कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिये हर ग्राम पंचायतों में मानस मंडली का आयोजन कराने के लिये 10,000 रूपये है । हमारे ग्राम पंचायतों में हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये उसमें भी 10,000 रूपये का प्रावधान रखा गया है । पंचायतों को सशक्त करने के लिये जिस तरह से ऑनलाईन की व्यवस्था की गयी है, हमारे आज के आधुनिक युग में हर ग्राम पंचायतों को नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है । इस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार ने कम समय में काम किया है । 5 जिलों के लिये उप संचालक कार्यालय का भी इस बार प्रावधान रखा गया है । 25 नये पशु औषधालय का भी प्रावधान इस समय...।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, एमन 15 साल में नइ कर सकिन तेला हमन दू साल में करके दिखाये हन । भैया आप मन ताली बजाओ ।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023 के बजट में वृहद् सिंचाई योजना के लिये 218 कार्य, मध्यम सिंचाई योजना के लिये 75 ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कुछ और करना है तो बता दीजिये, ताली बजा देते हैं ।

श्री गुलाब कमरो :- धर्मजीत भैया, हमारी सरकार ने चाहे किसानों के लिये हो, चाहे हमारे नहरों का हो, डॉयवर्सन का हो । हम ढूंढ़ते-ढूढ़ते थक गये, नहर है तो बांध नहीं । बांध है तो नहर नहीं । डायवर्सन का काम हुआ है अन्यथा 10-10 साल से अधूरे पड़े थे, चीखते-चीखते, चिल्लाते-चिल्लाते थक गए लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी । कोरिया जिले में कृषि मंडी को कोई नहीं जानता

था। पंद्रह सालों में आपने एक रूपया नहीं दिया । मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । कृषि मंडी के द्वारा मुझे राशि दिलाई गई है । गांव में घनी आबादी में जो छोटे-छोटे रास्ते होते थे, उस राशि से मैंने उन सड़कों को बनवाया । इतना ही नहीं, हमारे हाट बाजार को गर्मी में, बरसात में परेशानी होती थी, मैंने माननीय मंत्री जी से मांग की कि मेरे यहां हाट बाजार है और मैं मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं कि आपने स्वीकृति दी । आज की तारीख में बाजार 100 प्रतिशत बन गया है । यह हमारी सरकार है । हमारी सरकार ने लगातार काम किया है । चाहे वह किसान हो, नवजवान हों, महिलाएं हों हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया । सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद् ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस सदन के सबसे ज्यादा बार निर्वाचित, वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता और किसान के बेटे श्री रविन्द्र चौबे जी के विभागों की चर्चा पर बोलने का आपने अवसर दिया है । आपके पास बहुत बड़े बड़े विभाग हैं जो पूरे प्रदेश की तकदीर को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं । कृषि, जल संसाधन, पंचायत, पशुधन, उद्यानिकी, डेयरी टेक्नालॉजी और न जाने क्या क्या । इसके बाद तो कोई विभाग बच ही नहीं जाता, बाकी तो ऐसे ही । मैं पहले पंचायत की बात कहना चाहता हूं कि पहले पंचायतों में कई कई किस्म से फंड जाता था । हम लोग दौरे पर जाते हैं तो सरपंच से पूछते हैं । मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पंचायत विभाग का प्रतिवेदन पढ़ा उसमें क्या क्या, इहान, बिहान, सिहान सब है । इन सब में तो मैं जा नहीं पाऊंगा । लेकिन पंचायत में जो पहले ज्यादा पैसे जाते थे, वे अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह डायवर्ट होकर नरवा, गरूवा, घुरवा में जा रहा है । जिला पंचायतों का अभी 19 नवम्बर 2021 को रायपुर में एक सम्मेलन भी हुआ था । आप भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे । उसमें आप लोगों ने बहुत सी घोषणाएं भी की थीं । लेकिन इन घोषणाओं का क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हुआ है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो जिला पंचायत के अध्यक्ष नखविहीन और दंतविहीन हैं । यानी उनको शक्ति जो होनी चाहिए थी, वह नहीं है । ठीक है, आपने उनका मानदेय बढ़ा दिया, तनख्वाह बढ़ा दिया, उनको कुछ पैसे का अधिकार दे दिया । जिला पंचायत का हर सीईओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष के ऊपर हावी रहता है । वह हावी इसलिए रहता है क्योंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष को सीईओ की गोपनीय चरित्रावली लिखने का अधिकार आपने नहीं दिया जबकि अपने इसकी घोषणा की है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह आखिरी बजट है, इस बजट में नीतिगत् निर्णय भी आपको ही लेना है, आप यह निर्णय जरूर कर दीजिए कि अब आने वाले समय में सीईओ की गोपनीय चरित्रावली में जिला पंचायत के अध्यक्ष करेंगे । क्योंकि सीईओ के आगे उसकी चलती नहीं । मैं बिलासपुर के एक सीईओ के बारे में बताना चाहता हूं एक दो साल पहले की बात है । वह जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य सबको दरकिनार करके ट्रांसफर होने के पहले अपने घर में बैठकर कितने करोड़ का ऑर्डर निकालकर चला गया । वे बेचारे जस के तस

मुंह देखते बैठे रह गए । वह जिला पंचायत का सीईओ सब लेकर चला गया । पूरा माल खींचकर निकल गया । आप इनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दीजिए ना । दिक्कत क्या है, दो रूपए के एक कागज में ऑर्डर निकालना है कि राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है । न बंगला देना है, न गाड़ी देना है, न कुछ करना है । उनके पास गाड़ी आपने दे दी है, नहीं है तो अपनी गाड़ी में चल ही रहे हैं । इनको राज्य मंत्री बना दीजिए, हम चाहते हैं कि ये भी चांव-चांव करके घूमें, जैसे सब घूम रहे हैं । इसलिए हमारे अध्यक्षों को भी राज्यमंत्री का दर्जा देकर आप उन्हें उपकृत कीजिए, उनका सम्मान बढ़ाइए । और यह पंचायती राज तो राजीव गांधी जी ने लाया था ना । इसलिए उस व्यवस्था में जो चुनकर आएं हैं, उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य भी है, धर्म भी है। मैं समझता हूं कि आप इस पर जरूर विचार करियेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग की छोटी-छोटी बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महानदी जल विवाद प्राधिकरण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का है। इसमें हीराकुंड बांध द्वारा अतिरिक्त पानी मांग पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके निपटारे हेतु महानदी जल विवाद प्राधिकरण एम.डब्ल्यू.डी.टी (महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल) की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी। विगत् चार वर्षों में इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के हित में क्या रिपोर्ट या परिणाम आएं हैं, इसमें बारे में आप सदन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को जरूर अवगत कराईयेगा। महानदी के किनारे बहुत से क्षेत्र बसे हुए हैं, उन्हें पानी की जरूरत है। महानदी हमारी धरती से निकलती है, लेकिन हम अपनी ही पानी से वंचित हैं और उड़ीसा उस पर जबर्दस्ती बेजा अधिकार दिखा करके हमारे पानी को लूटना चाहता है। यह सरकार उस पानी को बचाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है, आप जरूर बताईयेगा। इंद्रावती जल विवाद, जोरा नाला के बारे में जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच बस्तर में चल रहा है, उसमें हमारे इंद्रावती की सहायक नदी जोरा है, उसके पाने से इंद्रावती जीवित रहती है। उसके भी पानी में बहुत विवाद पैदा हुआ है। उसमें आज की तारीख तक आप किस स्थिति में हैं ? हमारे इंद्रावती के जीवन की रक्षा कैसे आप करेंगे ? इंद्रावती के फॉल और उसके बाकी जो लाभार्थी हैं, उनके सुरक्षा के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? इसको आप जरूर बताईयेगा। अगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो यह सरकार जाना चाहती है, गयी है या नहीं गयी है। इसके बारे में आप जरूर बात करियेगा। पोलावरम बांध वृहद बांध है, जो नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में हमारे बस्तर के पास लागू है। इससे दोरला जाति के कई लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाईट बढ़ा दी गयी है और इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना दिया गया है, मोदी जी की सरकार ने इसको राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बनाया और श्रीमती सोनिया गांधी ने इसको समर्थन दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पोलावरम बांध के इस निर्माण से जो छत्तीसगढ़ की जमीन डूबने वाली है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ को नुकसान होने वाला है, छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया होने के नाते आप क्या कर रहे हैं, आप कृपा करके इस पर जरूर बताएंगे।

माननीय सभापति महोदय, बोधघाट परियोजना के बारे में यहां पर सरकार की बड़ी घोषणा हुई थी। यह बोधघाट परियोजना कोई आज या कल पैदा नहीं हुई है। इस सरकार के समय में पैदा नहीं हुई है। यह बहुत पुरानी योजना है, लेकिन इसमें किंतु परंतु बहुत लगते आए हैं। आपने घोषणा की, उसमें कोई प्रगति नहीं हो पाई है। कृपा करके आप स्पष्ट रूप से बड़े दिल से, हिम्मत से, आप बोल दीजिए कि वहां के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम इस योजना को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जनता के बीच में उहापोह की स्थिति नहीं रहना चाहिए। जनता को यह मालूम होना चाहिए कि यह सरकार बोधघाट परियोजना को पूर्ण रूप, साकार रूप देने के लिए कृतसंकल्पित है या वहां पर विषम परिस्थितियों के कारण इससे आप कदम पीछे हटा रहे हैं। उससे एक फायदा होगा, हम लोग यहां पर बार-बार बोधघाट, बोधघाट बोलते हैं, उससे भी बचत होगी और आप भी मुक्ति पाओगे। बोधघाट को छोड़कर कोई दूसरा घाट खोज लेंगे। लेकिन कम से कम बोधघाट के बारे में आपकी स्थिति स्पष्ट होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कृषि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। निश्चित रूप से आप कृषि विभाग को बहुत ध्यान देते हैं। आप कृषि के लिए समझते भी हैं, आप स्वयं ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती, किसानी, फसल, उपज, मुआवजा, गुणवत्ता, खाद, बीज, धान, उर्वरक सबके बारे में आप जानते हैं। लेकिन मैं आपके विभाग की एक लक्ष्य की पूर्ति बताना चाहता हूं जिसे आप जरूर संज्ञान में लीजिएगा। वर्ष 2022-23 में बीज विनिकट कीट वितरण 13350 होना था उसमें से सिर्फ 5030 हुआ है। खंड प्रदर्शन 150 होना था जिसमें सिर्फ 55 हुआ है। कृषक परीक्षण जहां 64 होना था, वहां 4 हुआ है। लघुत्तम सिंचाई तालाब 110 बनना था, वहां सिर्फ 68 बना है। किसान समृद्धि नलकूप 1415 होना था, उसमें सिर्फ 244 हुआ है। शाकम्भरी योजना कूप 125 बनना था जिसमें 100 बना है। पंप जहां 10624 लगना था, वहां 2175 हुआ है। स्प्रींकलर जहां ड्रीप सेट 33,000 हेक्टेयर में लगना था वहां सिर्फ 12511.58 हेक्टेयर में हुआ है। प्रमाणित बीज वितरण 50,000 क्विंटल होना था, वह सिर्फ 22,960 हुआ है। ये आंकड़े आपके विभाग के लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो संकल्प होना चाहिए, जो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी कमी को दिखाते हैं। वर्ष 2021-2022 के बजट की स्थिति में 3 हजार 537 निजी डबरी निर्माण में से 3 हजार 421 अपूर्ण हैं। 1109 सामुदायिक तालाब निर्माण में से 1055 अपूर्ण हैं। 197 नापेड टंकी निर्माण में से 105 अपूर्ण हैं। 2781 वर्मी टंकी निर्माण में से 2331 अपूर्ण हैं। 128 कुंआ (डगवेल) निर्माण में से 128 अपूर्ण हैं। 660 बकरी शेड निर्माण में से 657 अपूर्ण हैं। 746 मुर्गी शेड निर्माण में से 731 अपूर्ण हैं। 890 डेयरी शेड निर्माण में से 868 अपूर्ण हैं। 814 सिंचाई नाली निर्माण में से 553 अपूर्ण हैं।

माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरे आंकड़े गलत हों लेकिन यदि आप हमें इस पर स्पष्ट रूप से बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने आपसे इस सदन में

कई बार यह मांग की है कि हमारे यहां बहुत पहले कृषि के एस.डी.ओ. का ऑफिस था। बहुत पहले मुंगेली जिले में कृषि के एस.डी.ओ. का कार्यालय था। मुंगेली जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक लोरमी है। मुंगेली जिले में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है लोरमी है। मुंगेली जिले में सबसे ज्यादा पानी लोरमी में उपलब्ध है। यदि आप वहां पर एस.डी.ओ. का कार्यालय खोल देंगे तो वहां के किसानों को इससे फायदा मिलता और आप उन्हें इस प्रदेश की सहभागिता में भागीदार कर सकते। हम और हमारे हमारे किसान वर्षों से आपसे वहां पर एस.डी.ओ. के ऑफिस की मांग करते आ रहे हैं। कृपा करके आज आप घोषणा करिए कि अब लोरमी में कृषि के अनुभागीय अधिकारी का कार्यालय खोलकर हमारे जिले को एक तोहफा देंगे।

वैसे आपने मुझे तोहफा दिया है। मैं आपको जितना धन्यवाद कहूं, मुझे कहीं पर कोई गुरेज नहीं है। आपने पूरे छत्तीसगढ़ में 1 एग्रीकल्चर कॉलेज खोला और आपने उसे लोरमी में खोला। वहां की जनता आपको और मुख्यमंत्री जी को जीवन भर याद रखेगी क्योंकि आपने वहां के लोगों को कृषि महाविद्यालय की सौगात दी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं कि सन् 1903 में जब अकाल पड़ा था तब अंग्रेजों के जमाने में राहत कार्य में खुड़िया में एक बहुत बड़ा बांध बना था। उस बांध का नाम राहुल गांधी जलाशय है। अब मैं किसी का नाम लेकर अपमानित नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में देखा है कि आपने छोटे-छोटे बांध के लिए किया है जो कि खुड़िया बांध के सामने 6-8 दिन के छोटे से बच्चे के समान भी नहीं है और जिसका छट्ठी भी नहीं हुआ है। ऐसे बांध में हैचरी है और खुड़िया बांध में हैचरी नहीं है। आप वहां भी हैचरी खोल दीजिए। वहां पर मछुआरे लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन दी है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप उस हैचरी को खोलने के लिए भी जरूर मदद कीजिएगा।

मनरेगा में भी आपका भुगतान ठीक-ठाक नहीं होता है। छुरिया ब्लॉक के सरपंच ने भी एस.डी.एम. और सी.ई.ओ. को बंधक बना लिया था। माकड़ी के सरपंच सुभाष नरेटी ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति निर्मित न हो तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय मंत्री जी, मैं सिंचाई विभाग में एक और निवेदन करना चाहता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब आपकी सरकार बनी तो बिलासपुर में बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई थीं। मुझे मालूम नहीं है कि पाण्डे जी माला-वाला पहने थे या नहीं पहने थे क्योंकि बिलासपुर जिले की आदत है कि बच्चा पैदा हुए नहीं रहता है और नामकरण पहले कर देते हैं। अहिरन नदी से पानी आएगा। खुंटाघाट से बिलासपुर में पानी आएगा और वहां भागीरथी सरीखे गंगा नदी प्रवाहित होगी। आप यह बताएंगे कि अहिरन नदी की क्या स्थिति है ? क्या उसको वाटर कमीशन से मंजूरी मिली ? एन.जी.टी. से परमिशन मिली ? उसके लिए बजट में क्या प्रावधान है ? क्या डी.पी.आर. बना ? वह मंजूर कब होगा ? कब बबा मरेगा और हम कब बड़ा खाएंगे ? आप हमको अहिरन नदी के

बारे में जरूर बता दीजिएगा। भैंसाझार परियोजना बहुप्रतीक्षित परियोजना है, कहां से एक महापुरूष ठेकेदार आ गए, उसको टर्न "की" में पूरा ठेका मिला गया था । वही ड्राईंग बनाएगा, वही डिजाईन बनाएगा, वही कंस्ट्रक्शन करेगा । 25 हजार हेक्टेयर की क्षमता वाले भैंसाझार योजना में आजतक 25 हेक्टेयर में सिंचाई नहीं हो पा रही है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वह पूरा पैसा निकाल लिया है या उसका मामला खतम हो गया । मंत्री जी, अभी अरपा नदी को जीवनदायिनी बनाने के लिए पानी भरने के लिए आपने बड़ी कृपापूर्वक एनीकट तो दिया । आपने एनीकट दिया तो आप कोई ठेकेदार तो हैं नहीं कि वहां पर जाकर गड्डा खोदेंगे, पाटेंगे । आपने दे दिया, लेकिन वहां ठेकेदार को इतना राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है कि वह बहुत घटिया निर्माण कर रहा है। जहां एनीकट बन रहा है, वह उससे नीचे किनारे की ओर दो-तीन किलोमीटर आगे तरफ मत बह जाए तो उसकी जांच करा लीजिएगा । वह एनीकट का पानी तब तक ठीक नहीं होगा, जब तक कि बिलासपुर की नालियों का शुद्धिकरण करने के लिए सीवरेज पम्पिंग स्टेशन नहीं बनेगा, तब तक वह पानी किसी काम का नहीं रहेगा, जलकुंभी रहेगी, बदबू रहेगा और वहां पर लोग उसको देखकर खुश होने की बजाय नाक में रूमाल रखकर वहां से निकलेंगे ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, इस प्रदेश में पिछले 11 महीने में बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है । आप उनको प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान से वंचित क्यों रख रहे हैं ? 37 लाख, 46 हजार किसानों से 22 लाख, 37 हजार किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ, पर यह सरकार शायद प्रधानमंत्री किसान निधि नहीं देना चाहती इसलिए आप इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी करवा देते हैं और पंजीयन में देरी हो रही है । आप प्रधानमंत्री किसान निधि दे दीजिए न । अमेरिका का राष्ट्रपति भी पैसा दे तो हमें लेने में क्या तकलीफ है ? छत्तीसगढ़ के किसानों को पैसा मिलना चाहिए। जो बाईडेन यहां पैसा भेज दे, पुतीन पैसा भेज दे, इमरान खान पैसा भेज दे, शहबाज खान पैसा भेज दे । जो पैसा भेजे, उससे आप लो न । मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर किसानों को कोई फायदा हो सकता है तो उसमें आपको सहृदयतापूर्वक इसमें मदद करनी चाहिए । पैसा आने दीजिए, किसानों को मिलेगा ।

माननीय सभापति जी, जैविक खेती मिशन के लिए 2018-19 में 30 करोड़ रूपए का बजट था, लेकिन 20-23 में घटकर यह सिर्फ 18 करोड़ कर दिया गया। यह तो नहीं होना चाहिए । जैविक खेती का तो अभी समय चल रहा है । जैविक खेती के चीजों की अभी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है । इसमें बजट बढ़नी चाहिए थी, पर आपने कम कर दिया । खाद-बीज का झंझट हर साल रहता ही है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने इस साल थोड़ी अच्छी व्यवस्था की है । सामुदायिक कृषि योजना । यह योजना बिल्कुल लागू मत करिएगा । जो सामुदायिक सहकारी साख कृषि समितियां बरसों पहले से, 50 साल पहले से अस्तित्व में हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए यहां प्रश्न भी लगाया है, चिट्ठी भी लिखी है, कलेक्टर से भी मिला हूं, सबसे मिला हूं । जो लोग वर्षों से कृषि साख

समिति में काबिज हैं, उन्हें आप पट्टा दे दीजिए और पट्टा देकर सरकार की जो योजना क्रियान्वित हो रही है, उसमें आप उनको आगे मदद करिएगा ।

माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 में आपने संशोधन किया और कई किस्म से शैक्षणिक अरर्हता का भी कोई निर्देश नहीं दिया है । नये-नये सोसायटी बनाये हैं, उसमें मनमानी तरीके से आपने अपने ही लोगों नामजद कर दिया है । वहां चुनाव करा लेते । कहीं वीडियो वायरल होता है, कोई पैसा मांग रहा हूं । विधायक को पैसा दोगे तो वह अध्यक्ष बनवा देगा, कोई कुछ कर देगा । ये सब क्या हो रहा है ? किसानों की संस्था में प्राथमिकता, गुणवत्ता और योग्यता के आधार पर आप करिए, तब उस सहकारी समिति का महत्व रहेगा । वह कोई मजा करो वाली समिति नहीं है, जो वहां पर मजा करने के लिए है । वैसे ही गौठान प्रबंधन समिति बनाया गया । इसकी भी कोई नीति नियम नहीं है । आपके लोगों को आपने उपकृत करने के लिए गोठान समिति में सदस्य बना दिया और 5 हजार, 10 हजार जो भी मिले और जय हिन्द है । गौ माता की जय हो, मजा करो । कुछ होना जाना नहीं है, दिखता नहीं है । मैं तो गया था, लेकिन अब उसका यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं गौठान की हालत को देखकर आ चुका हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान की गोष्ठियां जरूर प्रारंभ कराईये। किसान और सरकार के अधिकारी के बीच में सीधा संवाद होना चाहिए। जो सरकार का पैसा जाता है, वह गांव के किसानों तक पहुंचे, उसके लिए ऊपर में कोई मानीटरिंग करने वाले आपके अधिकारियों को रखिये। आपकी बहुत अच्छी योजना है। अगर ऐसी योजना किसान तक पहुंच जाये तो उस किसान का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब जून और जुलाई के महीने में खाद और बीज का किट आता है, तो कृषि विभाग के अधिकारियों के पास बड़े-बड़े नेताओं की सिफारिश जाती है कि मेरे घर 50 भेज दो, मेरे घर 25 भेज दो, मेरे यहां 10 भेज दो। माननीय मंत्री महोदय, कम से कम गरीबों के किट में लफड़ा नहीं होना चाहिए। आप उसको तो रूकवाईये। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं आपको एक और धन्यवाद दे दूं। क्योंकि अगले भाषण में मुलाकात हो, ना हो। मैंने पहली बार चिट्ठी लिखा। मैं 20 साल से विधायक हूं, मैं 20 वर्ष में पहली बार मंडी बोर्ड के लिए चिट्ठी लिखा हूं, पहली बार पैसा मांगा हूं। मेरे पहली बार मांगते ही मुझे कुछ राशि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए दी है, उसमें आपका ही नाम होगा। मैं उसका ना तो शिलान्यास करने जा रहा हूं, ना मैं उसका कोई उद्घाटन करने जा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि आपकी योजना मेरे क्षेत्र में वहां तक पहुंचे और लोग याद रखें कि जब आप कृषि मंत्री थे, तब उस गांव के हाट-बाजार में घूमने वाला आपको याद करेगा। जब आप कृषि मंत्री हैं, तब वहां यह बना था, ये लोग याद करेंगे। उसके अलावा उसमें और कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। हमारे लोगों को सुविधा मिले। आपके रहते जो सुविधा मिल रही है, मैं आपको उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक आखिरी बात। आपने पिछले साल लोरमी के नेवरा घाट में एक एनीकट के लिए बजट प्रावधान किया है। आज उस पर मेरा प्रश्न चौथे नंबर पर था, मैंने पी.डब्ल्यू.डी. जी के मंत्री से पूछा था। वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में कितनी सड़कों की मंजूरी दी गई और उसमें कितनी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है ? मुझे, आपको बताते हुए अच्छा लग रहा है कि वह जितना भी लिखे थे, उसमें से चार को छोड़कर किसी भी सड़क को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। 21 सड़कों को जांजगीर में भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। बिलासपुर की 17 सड़को को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पी.डब्ल्यू.डी. या पंचायत की ?

श्री धर्मजीत सिंह :- सब कुछ तो वही हैं। मेरा पी.डब्ल्यू.डी. का प्रश्न लगा था, यह जवाब आया है। मेरा बताने का आशय यह है कि वैसा ही हाल नेवरा घाट का मत हो आदरणीय। एक एनीकट है। आपके वित्त विभाग के अधिकारियों को भेजकर बोलवा देना। कई लोग हवाई अड्डा का सुनकर खुश हो गये हैं। बैकण्ठपुर वाले कहां हैं ? खुश ही रहेंगे,बस। वहां हवाई अडडा का 'ह' नही आने वाला है। एयरपोर्ट का 'ए' नहीं आने वला है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धरम भईया, रोज उड़के जात हस। अभीच बताय हस कि उड़ के गय रहेव तो उतरे बर नहीं बनत रहिस हे, लटपट जहाज ला उतारिस। चालू तो हो गया भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, वह हो जाता है।

श्री रामकुमार यादव :- आए के रास्ता ला बदल दे रहिस हे, डरा गय रहिस हे। पोटा काप गय रहिस हे।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तोर कोई आवेदन हे तो रविन्द्र भइया ला दे दे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं मुख्यमंत्री जी को हवाई अड्डे के लिए धन्यवाद दे दिया हूं।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, रोज धन्यवाद दोगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं जब सड़क की स्वीकृति नहीं मिला है तो उसमें भी धन्यवाद दे दूं क्या ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तै भुला गय रहेस, पहली नहीं बोलेस।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, मौका नहीं मिला। नंबर नहीं आया, प्रश्न नं.3 में प्रश्नकाल रूक गया। 4 नं. प्रश्न में आता तो मैं पूछता। मैं इनको बताकर तसल्ली कर रहा हूं।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- भईया ला आवेदन दे देबे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब क्या आवेदन देना।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हमर रविन्द्र भईया हवाई अड्डा भी खोल देही, तै चिंता मत कर।

श्री धर्मजीत सिंह :- हवाई अड्डा नहीं। रविन्द्र भईया ने कालेज खोल दिया, रविन्द्र भइया ने मण्डी बोर्ड में पैसा दे दिया, मैं अभी रविन्द्र भईया से एस.डी.ओ. कार्यालय की मांग किया हूं, वह भी

खोल देंगे। वह तो खोल रहे हैं। जो खोल रहे हैं, उन्हीं को ही तो धन्यवाद दूंगा। जो नहीं दे रहे हैं, उनको फोकट में क्यों धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि कृपा करके दौरे में आईये। हमारे कृषि आफिस को खोलकर उद्घाटन कर दीजिये। सेतगंगा चलकर उस मंदिर को भी देख लीजिये। अभी मौका है। 10-20, 25-50 लाख दे देदो। बेचारे लोगों का तुलसी चौरा नही बना है । आप आयेंगे तो हो जायेगा, आप एक दिन प्रोग्राम बना लीजिए । मैं आपकी मांगों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत स्वागत करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी ।

श्री रामकुमार यादव :- अतेक अन मांग लेव, ले भी लेव, अउ लास्ट में विरोध कर देव ठाकुर साहब ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, इनको जितना छूट देना है, बोलने का दे दीजिए । दूसरे के काम में हूडिंग करना ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, आप फिर बोलना । भगवान से नरियर चढ़ाव वहां पर बैठे हो । इधर आते ना, क्या-क्या बोलना पड़ता है, सब समझ जाओगे ।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- सभापति महोदय, मांग संख्या 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57, 30 और 80 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का भाषण सुनने के बाद अफसोस लगता है और तरस आता है । ये बाहर कुछ बोलते हैं और सदन में कुछ बोलते हैं । आपसब को बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च करके देख लीजिए, चावल से महंगा धान किसी दुनिया में नहीं बिकता किसी देश में नहीं बिकता है, आज हम छत्तीसगढ़ में चावल से महंगा धान खरीदते हैं । इनके जैसे महापाप नहीं किये हैं, 2100 रूपये की धान की कीमत और 300 रूपये बोनस के लिये छत्तीसगढ़ की जनता दया की पात्र बनी रही है । सरकार डण्डा बरसाती रही और ...।(व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बृहस्पत सिंह जी, यहां तो चावल मुफ्त में मिल रहा है, बिना पैसे का मिल रहा है, आप क्या तुलना कर रहे हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- रूको भईया, हाथी में लाद के भिजवायेंगे ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- हाथी को भी खिलाने के लिये है, चिन्ता मत करो ।

श्री रामकुमार यादव :- खाय के दांत आने, बताय के दांत आने ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आपको बता दूं, इसका परिणाम यह हुआ कि इनके मुख्यमंत्री जो बोलते थे अगली बार यहां तक बैठेंगे, उनको यहां से उठाकर वहां तक मात्र 14 सीट में 15 साल की सरकार सिमट गई । दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा राज्य है, जहां हम किसानों का कर्जा माफ किये ही, किसानों के धान का कीमत ही नहीं, उनका मान और सम्मान बढ़ाने के

लिये हम लोगों ने 2500 रूपये शुरू किया, इस साल 2640 पहुंचा, आने वाले समय में साहब मुख्यमंत्री जी ने 2800 रूपये में खरीदने की घोषणा कर दी है । आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इनके पेट में दर्द तो हुआ, मोदी जी के पेट में भी दर्द होने लगा, आप छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते, नहीं तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, ये इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना है । किसान जो कि सबका पेट भरने का काम करता है, मंत्री से लेकर संतरी तक, विपक्ष से लेकर सरकार तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, सबका पेट भरने का काम किसान करता है, उसका हमने सम्मान किया है, किसानों को रेट दिया, उसमें भी इनके प्रधानमंत्री को दर्द हो रहा था । इनके विरोध की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को किसान न्याय योजना नाम देना पड़ा, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कृषि मंत्री आदरणीय श्री रविन्द्र चौबे जी, संकल्पित थे, किसानों के वादे पूरे किये गये । मैं आदरणीय रविन्द्र चौबे जी को और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपन किसान पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया । आप पूरी दुनिया में सर्च करके देख लो, चावल से महंगा कहीं धान नहीं बिकता है और हम लोगों ने यहां खरीद कर दिखाया । सभापति महोदय, मैं आपको आगे बता दूं, इनकी बातें लगातार बार-बार आ रही है, गो-गोठान की बातें, जैविक खाद की बातें, हिन्दुस्तान का पहला राज्य हरियाणा और पंजाब है, जहां सबसे पहले हमने कृषि के क्षेत्र में अग्रणी काम किया था। रासायनिक खाद सबसे पहले वहीं हुई, आधुनिक ढंग से खेती करने का काम वहीं आरंभ हुआ, लगातार रासायनिक दवाईयों और कीटनाशकों का प्रयोग हुआ, उसका परिणाम यह हुआ है कि आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा केंसर पीड़ित वहां है, वहां की सरकार की यह हालत हो गई है कि हरियाणा और पंजाब की सरकार को, स्पेशल ट्रेन टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पीटल के लिये चलाना पड़ता है । इसलिये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने और आदरणीय रविन्द्र चौबे साहब ने एक अच्छी नीति बनाई कि हम जो खाने में हरा-भरा सब्जी देखते हैं, हमें लगता है कि हरी सब्जी खा रहे हैं, हम चावल खाते हैं, गेहूँ की रोटी खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, हम जो भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां इतनी ज्यादा होती है कि आप बाजार में लौकी लेने जाईये तो इतने बड़े-बड़े लौकी होते हैं। हमारे यहां सब्जी की खेती करते हैं, यदि कल मार्केट है तो रात में इंजेक्शन लगा दिया तो लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। एक दिन की बात बताता हूं, बीती हुई घटना है। जब हम गांव में रहते थे तो खेत से लौकी तोड़ कर लाते थे सिर्फ हल्दी, नमक और भुजिया बनाकर खाते थे तो भरपेट खा लेते थे। वह बड़ा अच्छा गल जाता था।

श्री रामकुमार यादव :- कका, जब हमन छोटे रहेन तो धनिया पत्ती ला तोड़ेन तो दिन भर हाथ हा कहरत रहै। वह ओरिजिनल खातू के रिहीस हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक दिन बड़ा विचलित और दु:खी था। मैंने अपनी जीवन साथी, अपनी पत्नी से बोला कि लौकी की कैसी सब्जी बनाते हो जो ढंग से पकता ही नहीं है, वह बोली एक-आत दिन आप भी अंदाज के देख लो। मैं सही में एक दिन बनाने लगा

तो मेरा एक पड़ोसी है, विवेक सिंह, वह आया और बोला कि अंकल क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं आज खुद सब्जी बनाऊंगा। तब उसने बताया कि अंकल आपको नहीं मालूम है कि गांव वाले लोग सब्जी लाते थे, उसमें कोई दवाई नहीं डलता था, वह झांकी के ऊपर फलता था। आज कल यहां की जो लौकी है, उसमें इंजेक्शन लगा हुआ रहता है इसलिये कोई भी बना ले, वह पकता ही नहीं है। सही में नहीं पकता है। हम एक तरह से हरा सब्जी कहकर जहर खाते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, तोर से अनुमति ले हव। मैं अभी कुछ बोलेव हा का। तो बाड़ी के योजना लेकर आये हैं तो अभी तुमन काय करथव।

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. साहब तै बैठ तो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोदी से जो खाद मिलथे, तेकर बारे में बात करथे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- (व्यवधान) नरवा, घुरूवा का (व्यवधान)। भाजपा के.. (व्यवधान) बाड़ी मे तो होथे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जैविक उत्पादन होथे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इसीलिये तो वर्मी कम्पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- (व्यवधान) बात ला बताथन। मैं हा तोरे तकलीफ मा बोलथो।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- (व्यवधान) गोबर खाद की सब चीज है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप इंजेक्शन नहीं लगा ...। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- में हा तोर आदमी के लिये बोलथव। ओला किसान मन ला (व्यवधान)। ज्यादा कुछ नहीं है।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- ये इन्हीं के इंजेक्शन हा (व्यवधान)।

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. साहब मेरी बात सुनिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके कार्यकाल में सब झन इंजेक्शन लगा-लगा कर सकराहा हो गे हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, इसीलिये आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने यहां बैठा दिया है। यदि दोबारा ऐसे ही करते रहोगे तो उसके पीछे वाली कुर्सी में बैठा देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब, थोड़ा ध्यान लगाकर सुना हो।

श्री बृहस्पत सिंह :- ध्यान लगाकर सुनो। आप आदमी के डॉक्टर हो तो उसके खान पान का भी ख्याल रखिये।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसलिये हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि हमें गौठानों के माध्यम से गायों के गोबर इकट्ठा करना है और उसको जैविक खाद बनाना है। उसको आज भी बतौर प्रयोग करके एक-आत गमले में डालकर देख लीजिये। यदि आप गोबर के खाद से जो भी पैदा करते हैं और यदि उसमें कीटनाशक दवा नहीं लगाते हैं तो कम से कम कोई बीमारी नहीं होती।

इसलिये छत्तीसगढ़ में प्रयास किया जा रहा है कि जो दूसरे राज्यों में और हमारे देश में घटनाएं हो रही है, वह हमारे छत्तीसगढ़ में न हो। हमारा जो शुद्ध गोबर का खाद है, उससे हमारे खाने का चावल, गेहूं, सब्जी, यह पैदा हो, ताकि हमारे लोग निरोग हो। हमको पंजाब और हरियाणा की तरह कैंसर पीड़ितों के लिये विश्लेषण टेन न चलाना पड़े, यह हमारा पूरा प्रयास है। यह हमारे मित्रों को अभी तक समझ नहीं है क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक भूत सवार है। यह बार-बार इस बात को बोलते हैं ताकि ये टी.व्ही. में रोज दिखे। इनका यही उद्देश्य है, बाकी इनका और कोई काम नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरी बात आपको बता दूं कि लगातार वॉटर लेवल गिरता जा रहा था। आप शहरों में देख लीजिये। जब हम लोग मध्यप्रदेश में थे और मैं ... में डायरेक्टर हुआ करता था। मुझे याद है कि जब हम लोग मालवा क्षेत्र के दौरे में जाते थे तो वहां पर 01 हजार फीट नीचे बोर होती थी और जब मैं सरगुजा आता था तो 200 से 250 फीट में हैण्ड पम्प खुदता था। बड़ी विडम्बना थी। जब मैं खुद उस गांव में बसने के लिये गया था, तो मैं तीन साल तक भार ढो के खुद नदी से पानी पीता था, नरवा का पानी पीता था। जब हैण्डपम्प वाला वहां जाये और खोदे तो वहां पानी नहीं निकलता था। संयोग से एक दमोह का रहने वाला इरिगेशन का सब इंजीनियर था, वह दौरे में गया और वहां नदी में बाढ़ आ गई तो उसको वहां रूकना पड़ा तो वह मेरे घर में रूका। वह सुबह घूमने के लिये निकला और बोला साहब आपके घर में रूका हूं तो कुछ बता के जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जो नाला बह रहा है, आप उसको सिर्फ बांट दीजिये। यदि पानी ऊपर में स्टोर रहेगा तो वॉटर अपने आप ऊपर आ जायेगा। फिर आप जहां खोदोगे तो पानी निकलने लगेगा। हम लोगों ने बाद में वही किया। धीरे-धीरे करके तीन-चार सालों में नाले को बांध बनाया, जब वहां पानी रूकने लगा। आज हमारे खेत में लगातार जहां भी खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं तो पानी निकलने लगता है। वॉटर लेवल ऊपर हुआ। इसलिये मैंने अपने जिले अविभाजित सरगुजा में देखा, रामचंद्र सिंहदेव साहब बहुत विद्वान थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने जल ग्रहण की योजना लागू की थी। उसी का अनुकरण करके हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रविन्द्र चौबे साहब ने यह नीति बनाई है कि हम नरवा बांध के नाला के पानी को रोकेंगे और जहां भी नदी का पानी ऊपर रोकेंगे, तो यदि अप स्तर में डैम बनायेंगे तो डाऊन स्तर में अपने आप वॉटर लेवल ऊपर आ जाता है इसलिये यह बहुत बड़ी योजना है। शायद हमारे विपक्ष के साथी इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं इसलिये उनको यह समझ में नहीं आता है। साथियों आपको बता दूं कि इसलिये छत्तीसगढ़ में हमारा वॉटर लेवल अच्छा हो जाता है। आज हमारे विभाजित राज्य मध्यप्रदेश में, पुराने राज्य में जहां सोयाबीन की खेती होती है, वहां जाकर देख लीजिये और हमारे यहां लेवल ज्यादा होने का क्या कारण है। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में धान की खेती करते हैं और धान की जब खेती करते हैं तो हम धान के खेत में पानी को भरते हैं तो हमारा रिचार्ज का भी काम करता है, उससे वॉटर रिचार्ज भी होता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में वॉटर लेवल बना रहता है । आप बोल लीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी आप वॉटर रिचार्ज और पर्यावरण की बात कर रहे हैं इनकी ही सरकार के द्वारा जो माईनिंग में पानी भराव रहता है और यह लोग उसको एशडस्ट से भरने की अनुमति दे रहे हैं और यह लोग जल संरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं।

समय :

3.45 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय डॉ. साहब आप बैठ जाईये। आप पहले सुन लीजिए।

माननीय सभपति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा यह जल संसाधन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि पिछली बार हम लोग उधर बैठते हैं जहां अभी माननीय चन्द्राकर साहब बैठे हैं और जहां मैडम बैठी हैं मैं इधर वाली लाईन में बैठता था। हम लोग अंतिम छोर में बैठते थे। मुझे याद है कि हमारे बगल में जो साहू साहब हैं उनके यहां बहुत बड़ा डैम है वहां के किसानों ने पानी मांगा कि हमारे खेतों में पानी आने दीजिए, हमारी फसल मर रही है तो वहां पर इतना लाठी चार्ज हुआ कि हमारे विधायक जी को भी घायल होना पड़ा। उस समय हमारे अध्यक्ष भूपेश बघेल साहब हुआ करते थे। आप उस बात को भी जरा याद कर लीजिएगा। यह उसी किसानों का श्राप है जो आप विपक्ष में बैठे हो। इसी तरह से करते रहे तो आप लोगों को विपक्ष में कितनी बार बैठना पड़ेगा, यह किसान ही तय करेगा। आज की डेट में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता किसान है जो सबको अन्न भरने का काम करता है। दूसरा प्राथमिकता बता दूं कि आज कृषि, हर्टीकल्चर, फिशरीज, कॉमर्शियल की जहां पढ़ाई होती है हमारी सरकार उन बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयासरत है और जो गरीब बच्चे को छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाने का काम कर रही है। हम इनके जैसे अडंगाबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं दूसरी बात बता दूं कि जिसको हमारे यहां सरगुजा में मड़ुआ बोलते थे। आज अंग्रेजी, शुद्ध भाषा में उसे रागी कहते हैं। वह हम लोगों ने बचपन में खाया है। वही हमारी मुख्य खेती थी। उस समय सिंचाई के साधन नहीं थे हम लोग कोदो-कुटकी ही खाते थे। यही हिन्दुस्तान है जिसका इतिहास कहता है कि विदेशों से हमारे देश में अनाज आता था तब हमको खाने को मिलता था। मुझे याद है कि मैं प्रायमरी स्कूल में पढ़ता था, उस समय लाल वाला गेहूं आता था, हम स्कूल में भी जाते थे तो हमें खाने के लिए दलिया मिलता था और लोग अनाज खाने के लिए लड़ाई करते थे कि जहाज कब आएगा और हमारे देश को अनाज मिलेगा। उस समय हमारे कांग्रेस के लोगों ने कई देश के लोगों ने कहा कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए। हम आपके देश को लगातार अनाज पहुंचाये, लेकिन इंदिरा जी धन्य हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी धन्य हैं उन्होंने कहा कि नहीं। हम आपसे एग्रीमेंट नहीं करेंगे और अपने देश के इंजीनियरों, कृषि वैज्ञानिकों को दूसरे देशों में भेजा और वहां से वह लोग देखकर, सीखकर आएं। उन्होंने कहा था कि आज हमारे देश में किसान और यहां के लोग अनाज पाने की लड़ाई कर रहे हैं कि हमें कब अनाज मिलेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा

कि हम अनाज बेचने की लड़ाई करेंगे। उन्होंने इस देश में कृषि क्रांति लाई। जय जवान, जय किसान का नारा लगाया। उन्होंने पूरे देश में इसे विकसित किया। जब हमारे नेताओं ने हाईब्रिड लाया था तो उस समय इन लोगों ने, हमारे मित्रों ने डंकल प्रस्ताव का विरोध किया था। यह पूरी तरफ हल्ला करते थे। जब माननीय राजीव जी ने नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक लेकर आये कि इससे हम सभी लोग जुड़ेंगे, इन लोगों ने उसका भी विरोध किया। इनका धर्म ही विरोध करना है। यह अपना धर्म निभाते रहे। हमारी जनता ने हमें जनादेश दिया है हमको जनता के लिए काम करते रहना होगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कार्य करें।

सभापित महोदय, आपको बता दूं कि यह सरकार की उपलब्धि है। हम लोग अंतिम छोर से आते हैं इसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं पड़ती। यदि कोई सीमा पड़ती है तो झारखण्ड पड़ता है या उत्तर प्रदेश राज्य आता है हम लोग उस सीमा क्षेत्र से आते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे किसान की बेटी, बहुत गरीब की बेटी है वह सनावल गांव के रहने वाले हैं आपकी पार्टी के नेता उनके पड़ोसी हैं उसके पिता ऑटो चलाते हैं मजदूरी करते हैं। वह दूसरे के खेत में अधिया, बटैया में खेती करते हैं, आज उसकी बेटी दिल्ली के आई.आई.टी. में पढ़ रही है और लास्ट ईयर की स्टूडेंट है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग भी दिया। वह वहां आई.आई.टी. में पढ़ाई कर रही है। एक गांव आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लाक के बासिन गांव की बेटी है उसका सुनीता कुजूर नाम है उसके पिता दूसरे के खेत में काम करते थे और अभी वह बटैया में खेती करते हैं उसकी बेटी दिल्ली में जाकर पढ़ाई, कोचिंग की । पिछले महीने इसी मुख्यमंत्री जी ने उसको 4 लाख रूपये और दिये हैं उसने आई.ए.एस. की परीक्षा दी और वह पिछले साल 3 नंबर से चूक गई थी और इस साल आई.ए.एस. की परीक्षा में पास होकर आई है उसका इंटरव्यू और मेडिकल भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए ऐसे विकास के कार्य कियें।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिये

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आप मेरी बात को सुन लीजिए। इनके कान में कम सुनाई पड़ता है इसलिए इनको सुनाना पड़ता है। कृषि मजदूर जो दूसरे के खेत में बटैया में खेती करती है, वह भी धान को बेचकर अपनी बच्ची को पढ़ाई करा रही है और उसकी बेटी आई.ए.एस. बनकर आ रही है। यह हमारी सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करें, आपको बोलते हुए 15 मनिट हो गये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए छोटा सा एक ही निवेदन करूंगा। यह सरकार इतने में ही नहीं रूक रही है। जहां-जहां धान खरीदी केन्द्र की जरूरत थी, वहां धान खरीदी केन्द्र बढ़ाने का काम किया। इतना धान पैदा होने लगा कि किसान को अपनी धान बेचना मुश्किल हो गया। सरकार को धान खरीदी का केन्द्र बढ़ाना पड़ा। धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के

जाने के बाद उनके रूकने के लिए भी कृषि विभाग से रेस्ट हाउस बनाना पड़ा। जो किसान धान लेकर मंडी में जाते थे, रास्ते में व्यवधान उत्पन्न होता था, उसके लिए कृषि उपज मंडी से मंडी बोर्ड से पक्की रोड और पुलिया बनाने का भी पैसा मिला। आज किसान खुशी-खुशी अपना ट्रेक्टर का एक बार गियर लगाते हैं तो उनको वहां तक पहुंचने में गियर बदलना नहीं पड़ता है, आराम से पहुंचते हैं। यह बडी-बड़ी बात करने वाले लोग हैं। लेकिन इनको किसानों का श्राप लगेगा। कुछ दिन पहले हमारे मित्र लोग बोल रहे थे कि ये सरकार का आखिरी बजट है, यह आखिरी नहीं, पांचवा बजट है और अगले साल छठवां बजट और लेकर आयेंगे। जब छठवां बजट लेकर आयेंगे तक हम लोग 2800 रुपये नहीं, 3000 रुपये तक धान के समर्थन मूल्य में पहुचेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं जल संसाधन विभाग से अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें तो अच्छी हैं और कुछ बातें ऐसी हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अच्छी बातों से शुरूआत करता हूं। माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एनीकट स्वीकृत किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तीन बार बजट आने के बावजूद भी ए.एस. जारी नहीं हुआ है, इस बार ए.एस. जारी कर दें तो फिर हम आपको ओरीजनल धन्यवाद देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या अभी नकली धन्यवाद दे रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- बांधी जी, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली तो किस बात का धन्यवाद दे रहो हो। क्या पेपर में पढ़ने का, पुस्तक में छपा है करके धन्यवाद दे रहे हैं ? आप उनकी प्रशासकीय स्वीकृति क्यों नहीं देते ? यह बोल रहे हैं कि 03 बार हो गया, यह अंतिम बजट है। वह धन्यवाद को वापिस ले लीजिए।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- हम बोल दिये कि हम डॉक्टर साहब को देंगे। धन्यवाद वापिस नहीं लेना।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि नदियों के जल संरक्षण की बात आती है। तो जो नदी है, जिसके जल संरक्षण के लिए आप भी चिंतित रहते हैं, पूरा देश चिंतित रहता है, सब रहते हैं, लेकिन क्या यह जो आपकी चिंता है वह रेत माफियाओं से पार पायेगी ? रेत माफिया रेत का उत्खनन करने के लिए बैराज का पानी खोल देते हैं और यह सरकार उन पर कार्यवाही नहीं करती है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बार बात किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यवाई की, उन्होंने विभाग के आदमी को भेजा। जल संरक्षण की बात है तो बैराज को जहां-जहां पर आपने रेत का ठेका दिया हुआ है, उन रेत माफियाओं से बचकर रहें, नहीं तो यह जल सरंक्षण

की बातें केवल किताबी रह जायेगी और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना खारंग जलाशय से जुड़ी हुई है। इसका कई प्रकार का उपयोग है, सिंचाई के लिए भी और पानी के लिए भी उपयोग है। लेकिन जो खूंटाखाट डेम है, खारंग जलाशय है, 1962 के पहले की भराव क्षमता है, इसकी भराव क्षमता में सील्ट जमा होने के कारण में बहुत फर्क आया है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी सील्ट के लिए कभी चिंता करेंगे? क्योंकि यह अमृत मिशन योजना से जुड़ रहा है और पानी की डिमांड भी बढ़ रही है और उसकी कई उपयोगितायें आ रही हैं। अब वह केवल कृषि तक सीमित नहीं रह गया है। क्या जलाशय का सील्ट हटाने के लिए, उसकी भराव क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में कोई प्रावधान है? नहीं है। अहिरन नदी को जोडऩे वाली जो बात आई है, वह तो केवल अभी किताबों में ही चल रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर चिंता करें। दूसरा, हमारा जो जल उपयोग की क्षमता है, वह लगभग 20 प्रतिशत बढ़नी चाहिए। इस 20 प्रतिशत जल क्षमता को बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री जी ने क्या-क्या उपाय किया है? क्या यह केवल किताबी है, केवल यह लोगों को बताने के लिए, केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है कि हम 20 प्रतिशत क्षमता बढ़ायेंगे और 20 प्रतिशत क्षमता बढ़ाया है तो आपने क्या-क्या प्रयास किया? आपने प्रयास किया है तो आपके प्रयासों पर बजट में कितना प्रावधान किया? यह भी है। माननीय मंत्री जी, एक और छोटी बात है। इसमें बहुत ज्यादा विषय नहीं है, लेकिन एक और विषय है कि नहर है, उसके रोड कहीं-कहीं पर वैकल्पिक रोड बहुत अच्छे हैं, उसका वैकल्पिक रोड के तौर पर इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपने उसको बांध दिया है और ग्रामीणों को उसकी सुविधा मिलेगी। कहां-कहां पर वैकल्पिक रोड की संभावनाएं हैं, जहां पर ट्रेफिक लोड कम होगा, उसका उपयोग ज्यादा होगा और ग्रामीण लोगों को उसका फायदा होगा? तो क्या आपने उसको देखा? बेलनाडीह से मस्तुरी के लिए भी हमने कार्रवाई किया हुआ है। रजनीश जी से बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि क्या आपने lift irrigation को बढ़ावा देकर सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए कितना प्रावधान किया? आपने कितने अध्ययन किया कि कितने नदियों में पानी 12 माह रहता है और उसका उपयोग हम कृषि कार्यों के लिए, डबल फसल के लिए ले? ऐसा कितने जगहों में हैं? क्या प्रस्ताव दिया जाता तो उस प्रस्ताव पर गौर किया जाता है या आंख में पट्टी बांध कर सरकार काम करती है? अगर कोई जनप्रतिनिधि इस बात की जानकारी दे रहा है कि lift irrigation के लिए संभावनाएं बहुत हैं, डबल फसल की संभावनाएं बहुत हैं, सिंचाई क्षमताएं बढ़ जायेगी और लोग कई प्रकार के फसल से लेकर उत्पादन कर सकते हैं। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपने बजट में क्या प्रावधान रखा है? अभी एक बात, बृहस्पति जी तो चले गये। माननीय मंत्री जी, वाटर रिचार्ज करने के लिए भी जल संरक्षण के लिए एक बढ़िया सा बात हो रहा है, लेकिन उसमें काली छाया लग गई है और यह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह कैसे खेल गये। एक तो माइनिंग होता है। माइनिंग होने के बाद पानी का भराव उसमें बहुत अच्छा रहात है। उसके वाटर चार्जेस के लिए रहता

है। अब वह कई गांवों में उसके कारण वाटर रिचार्ज बढ़ा रहता है, लेकिन यह जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह ट्रांसपोर्टर के साथ, एस. ब्रिक्स वालों के साथ, ताप विद्युत गृह वालों के साथ मिल कर प्रशासनिक अनुमति लेकर उस गड्ढे को पाट देते हैं। अब बताईये कि इससे जल संरक्षण की बात उचित है या उस एस. ब्रिक्स से भरने की बात उचित है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। किसके संरक्षण में, आपके प्रशासन के संरक्षण में और पर्यावरण से प्रशासनिक अनुमति मिलता है। इसलिए माननीय मंत्री जी, इसके बचाव करने के लिए आप उपाय सोचिए। कुल मिलाकर केवल माफियाओं को सुपुर्द करने का काम न करें।

सभापति महोदय, मैं थोड़ा कृषि में बात रख लेता हूं। सभी लोग नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी की बात-चीत करते हैं, जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह जो नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी है, यह बातें बहुत अच्छी है। जैसे जादूगर रहता है। जादूगर दिखाता है, हम लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन reality नहीं रहती। ऐसा ही जादूगरी का बजट है। यह जादूगरी की ही बातचीत हो गई। भारत का कोई या विश्व का भी कोई अगर गाय के संरक्षण की बात करें तो क्या वह बोलेगा कि नहीं होनी चाहिए। गोबर की बात-चीत करे, वर्मी की बात-चीत करें तो क्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी नहीं कहेगा। सब कहेंगे, सब लोगों का समर्थन है, क्योंकि इसके महत्व को आदिकाल से हम लोग अनुभव करते चले आए हैं।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब, अभी गरीब मन ल गोबर म 200 करोड़ रूपया मिले हे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तैं हर गोबर ल लीटर म खरीदबे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये। डिस्टर्ब न रकें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तोला बरसात म गोबर ल लीटर म खरीदे बर पड़ही।

श्री रामकुमार यादव :- तैं तो हमर गांधी जी ला कहिथा, तुमन लीटर मा पीयत हओ गोबर ला बतावा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, यह जो जादूगरी वाली बातचीत है । धरातल में कुछ नहीं है । इसमें न तो बजट है और कुछ भी नहीं है । चूंकि बाड़ी की जो बात बृहस्पत जी बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया, अगर आप ईमानदारी से...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक महोदय, यह जादूगरी नहीं है । यह यथार्थ है, हकीकत है । इसका मतलब आप अपने क्षेत्र में जाते नहीं हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अभी आपने बजट में 35 दिया है । आपने अंदाजा लगा लिया, छत्तीसगढ़ में लगभग 10,000 गौठान बने हैं । इस 10,000 गौठानों में आपने औसतन ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- बांधी जी, आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं । मैं बांधी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से त्रिपुरा में अमित शाह जी गये थे और वहां के मुख्यमंत्री बोले कि हम बीफ खाना बंद नहीं करेंगे, वहां गौमांस प्रतिबंध नहीं

करेंगे और इसी बात को अमित शाह जी ने भी कहा । आप बाकी जगह के लिये प्रतिबंध लगाते हैं और वहां के लिये खुलेआम करते हैं तो यह आपकी पार्टी का क्या स्टेण्ड है ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उस पर न बहुत अच्छा हमारे 3 लोग जो चुनकर राज्यसभा में भेजे हैं न, ठेठ छत्तीसगढ़िया उनको उधर डिबेट करने के लिये बोल दो तो आपका बहुत अच्छा उत्तर आयेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- बात उसकी नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बात तो इसी की है । उधर की बात में उधर डिबेट होगा न ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं यह बोल रहा हूं कि आपकी पार्टी गौहत्या बंद करने के पक्ष में है कि गौमांस खाने के पक्ष में है ? आप लोग इसको स्पष्ट करो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय मैंने कहा न कि गाय के संरक्षण में कौन नहीं बोलेगा ? गोबर की ऑर्गेनिक खेती के लिये कौन बात नहीं करेगा ? नरवा की बात कौन नहीं बोलेगा ? लेकिन यह जादूगरी टाईप की बातचीत है । कहते ठीक हैं, समर्थन ठीक है, बातचीत अच्छी है और भोंग में छत्तीसगढ़ को बोलें तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भोदने वाली बातचीत है लेकिन धरातल में नहीं है । माननीय सभापति महोदय, दूसरा मैं एक उदाहरण दे रहा था कि लगभग छत्तीसगढ़ में 10,000 गौठान हैं । औसतन इस पर 15 लाख या 20,000 गौठान में आपने खर्च किया होगा तो 10,000 गुणित 20 लाख रूपये का लगा लीजिये । इतनी संपत्ति छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के डपलपमेंट का आपने सुरर करके, आपने साईड लगाकर के उसको आपने उपयोग में डाल दिया और देखिये कि चोरी हो रहा है । गौठान के संरक्षण में आपकी समितियां कि जो आपने बैठाया है सरंक्षण में गौठानों के संरक्षण के लिये, समितियां बनाकर रखे हुए हैं । कई प्रकार के लोगों को उपकृत करने की बातचीत करते हैं कि आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर रखे रहे । ये जितने लोग वहां पर चोरी हो रही है उस चोरी को बचाने के लायक भी नहीं हैं । पुलिस भी कार्यवाही नहीं कर रही है । सी.ई.ओ. भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो यह कैसी लूट मच गयी है ? ग्राम के डवलपमेंट का पैसा ऐसे ही कल्पनाओं पर आपने जादूगरी में उपयोग कर लिया ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने प्रारंभ किया है ।

सभापति महोदय :- 10-15 मिनट हो गये हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, तिवरा की बातचीत है । मैं तो तिवरा की बात करता हूं । जितनी ईमानदारी से आपने नरवा-घुरवा के लिये प्रयास किया है यदि उतनी ही ईमानदारी से चूंकि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि केवल तिवरा के प्रोडक्शन में आप ध्यान देते तो जो कूना है । गाय भी खाती है और वही तिवरा को हम 3 महीने खाते भी हैं, बटर भी खाते हैं और वह कूना है उस गाय के फूड का एक पक्का इंतजाम है । क्या इसके पहले हम लोग डबल फसल नहीं

लेते थे ? इससे ज्यादा उत्पाद में गाय हुआ करती थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज कैसे प्रॉब्लम हो गयी ? आज गाय समस्या क्यों बंद हो गयी?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपके शासनकाल में गाय कटती थी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, अगर आप ईमानदारी से तिवरा को प्रमोट करते तो तिवरा, अब मैं बता रहा हूं कि कुछ फर्जी वैज्ञानिक हैं । जिन्होंने कह दिया, जिसके कारण विभाग ने उसको बंद कर दिया । उन फर्जी वैज्ञानिकों ने वह लेदरीज में सटाईवम करके एक बीमारी होता है कह दिया । छत्तीसगढ़ में कभी लेदरीज में सटाईवम की कोई बीमारी नहीं हुई थी ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बांधी जी, गाय हमारी माता है जिसे बांधी डंडा मारकर भगाता है । (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह पाठ तो आप शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, बस थोड़ा सा और कहना चाहता हूं । खाद की उपलब्धता । सोसायटियों में आप भरपूर मात्रा में खाद क्यों नहीं देते हैं ? किसान इसके कारण परेशान है और प्राईवेट के व्यापारियों को इतना खाद देते हैं न जब जरूरत पड़ती है ।

श्री कवासी लखमा :- बांधी जी, तुम्हारा बाबा वहां से नहीं भेज रहा है ना । हमारे यहां ही नहीं, मध्यप्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिल रही है खाद । हिंदुस्तान में लोग लाईन लगाकर मर रहे हैं । तुम्हारे बाबा को बोलने की हिम्मत है ही नहीं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अरे यार, बोतल के बात ला करबो, तोर नम्बर आन दे।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब, खाद के फैक्ट्री दिल्ली में रथे, प्रदेश मा नइ राहय ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, मैं तो यही कह रहा हूं ना । खाद सोसायटी में न देकर प्रायवेट व्यापारियों को दे रहे हैं तब क्या वहां कमी पड़ रही थी। प्रायवेट व्यापारियों को इसलिए दे रहे हैं कि 600/700 में लेने के लिए किसान को आपने मजबूर कर दिया है । उसी तरह से कीट नाशक, भूरामाहो का प्रकोप होता है तो किसान को सलाह देने वाला कोई नहीं रहता । वह नकली दवाईयों से 6 बार 7 बार सिंचाई करते हैं तब अपनी फसल को बचा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ये जो ट्यूबवेल के प्रकरण हैं । इनसे किसानों की सिंचाई क्षमता बढ़ती है । आप रकबा बढ़ाने की चिंता करें क्योंकि आपका लक्ष्य 20 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र को उपलब्ध कराना तो कृपया 20 प्रतिशत उपलब्ध कराने के लिए ये ट्यूबवेल के लिए भी प्रयास करें । सभापति जी, मैं पंचायत पर बात रखना चाहूंगा । माननीय मंत्री जी मैं तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा हूं । लेकिन गांव के जनपदों में आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका खेला बताता हूं आपको । इस खेला के कारण हर सरपंच कैसे परेशान होता है । जनपद पंचायत में जो आपके टेक्नीकल असिस्टेंट हैं और जो भी कर्मचारी हैं वे 20-20 साल से पड़े हुए हैं और इतने

मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि अगर कोई गफलत करते हैं तो केवल सेक्शन बदला जाता है । वे यह कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता । उनके इसी मनोभाव के कारण वे सीधे सीधे सरपंच को धौंस देते हैं । सरपंच उनसे परेशान है, तुम्हारा मूल्यांकन कम करेंगे, उसकी प्रक्रिया ऐसी करते हैं कि चेक के समय भी पैसे की जरूरत पड़ती है । क्या इस सिस्टम में बदलाव नहीं आना चाहिए । ऐसे अधिकारियों का एक जनपद से दूसरे जनपद ट्रांसफर नहीं होना चाहिए ? वे घाघ बनकर सरपंचों की छाती पर बैठे हुए हैं। उसका परिणाम यह है कि कई पंचायतों में 20-20 करोड़ का, 25 करोड़ की, 10-10 करोड़ की गफलत हो रही है । अधूरे निर्माण इन्हीं प्रशासनिक क्षमताओं के कारण बचे हुए हैं । आपके यहां करारोपण अधिकारी की संख्या तो बहुत कम है । यह करारोपण अधिकारी जनपद को नियंत्रण करने में आपका आंख-कान है, जब वह करोरोपण अधिकारी बंद करता है तो अधूरे निर्माण की संख्या बढ़ जाती है । इसीलिए मंत्री जी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पैसे का दुरूपयोग होता है इसलिए इनका ट्रांसफर होना चाहिए, आप विचार कर सकते हैं अन्यथा सरपंच लोग परेशान बैठे हुए हैं। दूसरा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का है । मस्तूरी में भी आया है और 2019-20 से स्वीकृत है । क्या स्थिति है, उसके बाद मैंने जिला पंचायतों की बैठकों में कहा, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है । इन पैसों से भी ग्राम पंचायतों का डेवलपमेंट है । आप इसलिए रूचि नहीं लेते क्योंकि इसके नाम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखा है । प्रधानमंत्री आवास में रूचि नहीं लेते क्योंकि यह केन्द्र से जुड़ा है, आप इसलिए रूचि नहीं लेते क्योंकि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जिसमें अनुसूचित जाति के गांवों को चिन्ह चिन्ह करके प्रधानमंत्री आवास में जोड़ा । क्या इनके डेवलपमेंट की सुध नहीं लेनी चाहिए ? आप स्वयं तो ग्राम पंचायत में पैसे नहीं दे सक रहे हैं और जो दे रहा है तो चूंकि उसका टैग बाहर का लगा है ऐसा मानकर व्यवहार करते हैं । क्या यह उचित है ? दूसरा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो बिहान के रूप में है । लोगों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देकर आर्थिक स्वावलम्बन का पाठ पढ़ाएंगे और जो आदमी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर साढ़े तीन करोड़ लेकर भाग गया और आप चुप बैठे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, एक-एक सदस्य इस तरह 20-20 मिनट बोलेंगे तो कैसे चलेगा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मंत्री जी, मैं प्वाईंटेड बात रख रहा हूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति जी, मेरे को दो मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय :- एक मिनट में समाप्त करें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, दो मिनट दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, पंचायत मंत्री जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लखमा जी को समझ में आ नहीं रहा है।

श्री कवासी लखमा :- सबको समझ में आ रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप समय निर्धारित करने वाले कौन होते हो ?

श्री कवासी लखमा :- हम लोग 71 लोग हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- 10 बजे रात तक चलाईए। आप रोकने वाले कौन होते हो ? आप 10 बजे रात तक बोलवाईए। पंचायत मंत्री जो को आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है। इनके विभाग में छेड़ना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- दिल्ली में बोलने नहीं देते हैं, वहां लिखकर भेजते हैं। दबाव डालकर राजनीति कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- इनको समझ में आ नहीं रहा है।

सभापति महोदय :- चलिए बैठिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति जी, एक बात और है। हमारे मंत्री जी फ्रर्स्ट हॉफ में बिल्कुल ठीक रहते हैं और जैसे-जैसे टाईम बढ़ता है, वैसे वैसे (व्यवधान) बढ़ता जाता है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी प्लीज।

श्री कवासी लखमा :- मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। कौशिक जी वहां बैठते थे, आप कितना समझते थे, सबको मालूम है।

सभापति महोदय :- चलिए, एक मिनट में अपनी बात रखें।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, मैं मनरेगा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। आपने वर्ष 2021-22 में जो मनरेगा का पैसा स्वीकृत हुआ है, सबसे ज्यादा स्वीकृत हुआ है, लगभग 4548 करोड़ रूपया स्वीकृत हुआ है और आपने 3911 करोड़ रूपया व्यय भी किया है। यह 95 प्रतिशत है लेकिन आपका जो स्वीकृत कार्य है, उसके स्वीकृत कार्य में इसके एवज में आपने जो स्वीकृत किया है और पूर्ण कार्य का देखेंगे तो 50 प्रतिशत नहीं हुआ है। आपने 92 प्रतिशत तक भुगतान किया। आपने हजारों में भुगतान किया है और कार्य पूर्ण नहीं हैं। आपके ही इस प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि रोजगार गारंटी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसके अंदर कितना बड़ा खेला है। यह कितना बड़ा खेला है ? माननीय मंत्री जी, ग्राम पंचायत के विकास के लिए कनवर्जेंस एक बहुत बढ़िया योजना है। कृपया इसमें बहुत गंभीरता से विचार करिएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं आपसे आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय :- बांधी जी, प्लीज सहयोग करें। आपके 20 मिनट समय हो गए। श्री शैलेश पाण्डे जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- चलिए धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री श्री रविन्द्र चौबे जी के समस्त विभागों की मांगों पर अपनी बात रखना चाहता हूं और उनका समर्थन भी करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पाण्डे जी, दलेश्वर जी, कृषि विभाग में बोले, बेंजाम जी, पंचायत विभाग में बोले तो आप जल संसाधन विभाग में बोलेंगे क्या ?

श्री शैलेश पाण्डे :- बोल देता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय केशव भैया, हमारे सभापति महोदय सच बोलने के लिए कम समय देते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं-नहीं, आप बढ़िया बोले। आपने बताया कि आप 19 साल पंचायत में रहे हैं, आपने बढ़िया पंचायत की बात को अच्छे से बताया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, जिन्होंने विधायकों की विधायक निधि की तकलीफ को समझा कि एक विधायक इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये की विधायक निधि में कैसे काम करेगा, उस क्षेत्र की जनता की सेवा कैसे करेगा, उस क्षेत्र में उनके और भी जनप्रतिनिधि रहते हैं, वहां के विकास कार्यों को कैसे करेगा और अपने विधान सभा क्षेत्रों को कैसे आगे बढ़ाएगा ? मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, दिल्ली में सांसद लोगों का तनख्वाह कांटा, वह भी बोल देना, यह लोग क्या-क्या करते हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- जी मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, यह एक संवेदनशील सरकार के ही लक्षण हैं कि उन्होंने अपने विधायकों को जो प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रजातंत्र के मंदिर के सदस्य होते हैं। उन सदस्यों का सम्मान रखा और उस विधायक निधि को पहले एक करोड़ से दो करोड़ किया और दो करोड़ से सीधे 4 करोड़ रूपये किया। आज हर विधायक चार करोड़ रूपये की विधायक निधि से अपने क्षेत्र की देखभाल, अपने क्षेत्र का विकास, अपने क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को, उनकी मांगों को वह बहुत सम्मानपूर्वक वहां पर पूरा कर सकता है। अगर उसको यह अधिकार दिया तो हमारी सरकार ने ही दिया। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाता हूं कि उन्होंने अपने बेहतरीन संसदीय कार्यकाल में पक्ष और विपक्ष दोनों ही के सम्माननीय सदस्यों को बहुत सम्मान दिया। आज भले ही हमारे विपक्ष के साथी कितना ही विरोध करते हैं हालांकि उनका कहना और मानना भी यही है कि उनको जनता ने असंतुष्ट रहने के लिए यहां पर बैठाया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम उनके विरोध का स्वागत करते हैं और उनकी असहमति का भी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री

जी को उनके बेहतरीन कार्यकाल के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने पक्ष और विपक्ष के दोनों साथियों को बहुत अच्छे से संभाला और बहुत सम्मानपूर्वक संभाला।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि आप अनुमति दे तो मेरे केवल 1-2 सुझाव हैं और मैं सुझाव के तौर पर आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी विधायक सम्माननीय होते हैं। सभी अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से आपसे यह निवेदन करता हूं कि किसी भी जिले के अधिकारी सभी विधायकों का सम्मान करें और उनको अपने हर कार्यक्रम में बुलाएं। चाहे वह पक्ष के हो या विपक्ष के हो और उनके फोन-कॉल उठायें और उनके कार्यों को संवेदनशीलता से लें ताकि वह अपने प्रजातंत्र का काम और सफलतापूर्वक कर पाये। मैं दूसरी छोटी सी बात कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपनी मुख्य बात पर आऊंगा कि हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को चाहे हम सामाजिक रूप से देखे, चाहे उसको आर्थिक रूप से देखे, चाहे उसको राजनीतिक रूपसे देखे, चाहे उसको विकास के रूप में देखे, यदि कोई सबसे महत्पूर्ण व्यक्ति है तो वह प्रदेश का किसान है। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने सरकार बनते ही उस किसान को जो सहयोग किया और लगभग साढ़े 17 लाख किसानों का ऋण माफ किया। जिस ऋण के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे और परेशान हो रहे थे और बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे थे। साथ ही साथ आपने ऋण माफ तो किया ही किया, इसके अतिरिक्त किसान मेहनत करके जो धान उगाते हैं उस धान को आपने सम्मान दिया। आपने उसके धान का सम्मान करके उसको 2500 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य में खरीदा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने किसान का काम किया, जिस प्रकार से आपने कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से आपने प्रदेश के लगभग 24 लाख किसानों का पंजीयन किया और जिस प्रकार से आपने ऐतिहासिक तरीके से उनका 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसानों का एक-एक दाना खरीदा है। हमने किसानों से कभी भी यह नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने किसानों से कभी नहीं कहा कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत हम आपके लिए यह नहीं कर सकते हैं, वह नहीं कर सकते हैं। हमने प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत कभी कटा सा जवाब नहीं दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाता हूं कि कोरोना काल ही क्यों न आया हो, चाहे आज की बात हो या उसके पहले की बात हो, आज यदि मार्केट में पैसा खड़ा हुआ है, आज यदि प्रदेश की एकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? आज यदि लोहा ज्यादा खरीदा जा रहा है, आज यदि सीमेंट खरीदा जा रहा है, आज यदि गाड़ियां (ऑटोमोबाइल) खरीदी जा रही हैं तो क्यों खरीदी जा रही हैं? क्या हमने इस पर कभी विचार किया? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि

आज एक किसान अपना घर बना रहा है। आज देश और प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जी.एस.टी. का कलेक्शन होता है। पहले के मुकाबले हम और ज्यादा जी.एस.टी. का कलेक्शन करते हैं। यहां कहां से आता है? यह भले ही केन्द्र सरकार के पास जाता है लेकिन कलेक्शन तो यहां होता है। यह कलेक्शन क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा किसान समृद्ध हो गया है। हमने किसान के जेब में पैसा डाला इसलिए हमारे प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ी है और उससे हमारे किसानों और गरीबों का जीवन स्तर भी बढ़ा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी तीसरी बात कहना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और बहुत सारा धन्यवाद दूंगा और बहुत सारा धन्यवाद दूंगा । माननीय धर्मजीत भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरी बात वही बैठकर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय :- पांडे जी, जल्दी कीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, पांडे जी बिलासपुर के विधायक हैं, उनका अधिकार बनता है । उनको बोलने दीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जब तक जल संसाधन नहीं आएगा, तब तक वे बोलेंगे ।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा कि बिलासपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, अरपा नदी को सम्मान देने वाले लोग जो 15 साल मांग करते रहे, जिसको इनकी सरकार के एक बहुत बेहतरीन सदस्य हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, धर्मजीत भैया डॉटते हैं । उन्होंने पूरे बिलासपुर को 15 साल मुंगेरी लाल के सपने दिखाये कि हम अरपा नदी को टेम्स नदी बनाएंगे, हम अरपा नदी को साबरमती बनाएंगे, हम अरपा नदी को फलां-फलां बनाएंगे, लेकिन एक भी ईंट नहीं रख पाये । मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और धर्मजीत भैया से भी कहूंगा कि वे भी धन्यवाद दें । इस बात को लेकर धन्यवाद दें कि उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो अरपा नदी के जल का संरक्षण और संवर्धन, दोनों पर काम किया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चौबे जी के लिए बोल रहे हैं न । चौबे जी को तो मैं कई वर्षों से धन्यवाद दे रहा हूं, वे तो हमारे गुरू हैं, उन्होंने हमें सीखाया है । हम उनका सर्वाधिक सम्मान करते हैं, वे सर्वाधिक अनुभवी भी हैं । जब आप इनके घर में जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सर्टिफिकेट हैं । चुनाव जीतने पर कलेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वह आपको और हमको भी मिला है, जब हम उसको सोचते हैं तो कल्पना करना पड़ता है कि यहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, यह मुश्किल ही दिखता है।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति जी, मैं धर्मजीत भैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और वे भी बिलासपुर की जनता से जुड़े हुए हैं, वे भी बिलासपुर की बातों को रखते हैं ।

बिलासपुर की एक संवेदनशीलता से वे परिचित हैं। माननीय मंत्री जी, आपने एक बार में 100 करोड़ रूपये दिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, एक बात और बता दूं । 7 सर्टिफिकेट तो इनका है । एक इनके बड़े भाई का सर्टिफिकेट है, इनकी माता जी का भी सर्टिफिकेट है, इनके पिताजी का भी सर्टिफिकेट है । सबको जोड़ोगे तो आजादी के बाद जब से चुनाव हो रहा है, वह इन्हीं का है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति जी, जतका मोहले की के लईका हे, ओकर ले ज्यादा चौबे जी करा विधान सभा जीते के सर्टिफिकेट हे (हंसी)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने इस बात को समझा कि जल संसाधन, जल का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है । उन्होंने अरपा नदी में शिवघाट और पचरीघाट में दो बैराज दिए । आज वह बैराज लगभग पूर्णता की ओर है । आज बिलासपुर की जनता की बात समझी जा रही है । आज अरपा नदी में बैराज लगभग दो महीने में पूर्ण हो जाएंगे । वहां पर अरपा नदी बहती हुई दिखेगी, वहां पर बिलासपुर का जल स्तर बढ़ेगा और हमारे बिलासपुर में जो पेयजल की समस्या आती है, उस समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगी ।

माननीय सभापति जी, अब मैं मुख्य बात पर आता हूं । प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 137 लाख हेक्टेयर है, इसमें 44 प्रतिशत वन है । हमारे प्रदेश में जल की क्या स्थिति है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं । अगर हमारे पास सबसे बड़ा जल का स्त्रोत है तो वह हमारे पास महानदी का कछार है, जो हमारे प्रदेश में 56 प्रतिशत पर रोल अदा करता है। दूसरा, गोदावरी कछार 39 हेक्टेयर में है, वह लगभग 28 प्रतिशत रोल अदा करता है । तीसरा, गंगा कछार 13 प्रतिशत है, बाकी कम है । मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जल की जो स्थिति है ।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, एक मिनट। शुक्रवार के अंतिम ढाई घण्टे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित है। चूंकि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा शेष है तथा माननीय मंत्री जी का जवाब भी होना है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के जवाब के पश्चात अशासकीय कार्य लिया जायेगा। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री की अनुदान मांगों को आगामी दिवस में लिया जायेगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री शैलेश पाण्डे :- धन्यवाद सभापति महोदय। मैं यह कह रहा था कि अगर माननीय मंत्री जी प्रदेश की बात करते हैं तो हमारे पास 48,296 एम.सी.एम. पानी सतह में है और अगर हम भू-गर्भ जल की बात करते हैं तो हमारे पास 11,603 एम.सी.एम. पानी जमीन के नीचे है। आज अगर हम भू-गर्भ जल की बात करते हैं तो 11 हजार एम.सी.एम. पानी बहुत ज्यादा नहीं होता है। आज हमारे पास यही एक साधन है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता को पानी पिलाते हैं। माननीय मंत्री जी का जल जीवन मिशन है, हमारे पी.ए.ई. मिनिस्टर भी बैठे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से कह रहा था कि हमारे जमीन के नीचे 11 हजार एम.सी.एम. पानी है और हम उनको भी यही पानी देंगे और यही पानी हमको लेना है। तो हमारे सामने दो ही तरीके का पानी है, भू-गर्भ जल और सतही जल है।

माननीय सभापति महोदय जी, मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का जो जल सरंक्षण है, जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, वह बहुत ही संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। माननीय शिवरतन भइया ने बात कही थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। मैं उनको बताना भी चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में निर्मित सिंचाई क्षमता 20 लाख हैक्टेयर के आसपास हुआ करता था। यानि हम इतना पानी इकट्ठा कर सकते हैं। और जो वास्तविक सिंचाई होती थी, वह 10 लाख हैक्टेयर के आसपास होती थी। 20 लाख हैक्टेयर निर्मित क्षमता थी और वास्तविक सिंचाई 10 लाख हैक्टेयर के आसपास होती थी। पिछले इन 5 सालों में इसे बढ़ाकर 13 लाख हैक्टेयर कर दिया गया है। हमने चार सालों में सिंचाई क्षमता लगभग साढ़े 3 लाख हैक्टेयर बढ़ाई है। 3 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाना, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। माननीय मंत्री जी जिस प्रकार अरपा-भैंसाझार के ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- पाण्डे जी, मैंने पढ़कर बताया था।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं भी पढ़कर बता रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वर्ष 2022-23 में 13 लाख 58 हजार हैक्टे था, यह माननीय भूपेश बघेल जी का भाषण है। 2023-24 में 13 लाख 5 हजार 451 हैक्टेयर है। आपने 50 हजार हैक्टेयर रकबा एक साल में कम कर दिया। यह अधिकृत भाषण है। यदि आप बोलो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कापी दे देता हूं। यानि 50 हजार हैक्टेयर रकबा एक साल में काम हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, लगातार कृषि के रकबे में बढ़ोत्तरी, सिंचाई के रकबे में बढ़ोत्तरी, धान खरीदी में बढ़ोत्तरी, किसानों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बाद भी आप जो कागज रखे हैं, उसको पाकेट में रखे रहिये, काम आयेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति जी, इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं। चूंकि यह बात विषय में आ गया है। इस बीच इनके बनाये हुए बहुत सारे एनीकट टूट गये थे, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गये थे। उससे अचानक कम हो गया। एनीकट टूटने के बाद फिर बनाया गया, उसके बाद फिर रकबा बढ़ा है। इस 5 साल में जो टूटा है, मैं उसकी बात कर रहा था।

माननीय सभापति जी, मैं आपको खरीफ की सिंचाई की बात बता रहा था कि सिंचाई रकबा 13 लाख हैक्टेयर हो चुकी है। अगर हम रबी फसल की बात करते हैं तो यह पहले 15,250 हैक्टेयर क्षेत्र में हुआ करती थी। हम रबी की खेती करते थे। क्योंकि आप लोग रबी की फसल के लिए पानी ही नहीं देते थे। आपने पानी नहीं दिया आप सीधे मना कर देते थे कि हम पानी नहीं देंगे। हमारी सरकार ने रबी की फसल के लिए भी पानी दिया है। आज 91,985 हैक्टेयर हमारी सिंचाई क्षमता रबी फसल की हो चुकी है। यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत तरक्की की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे..।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करें, 15 मिनट से अधिक समय हो गया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, 2 मिनट दे दीजिये।

सभापति महोदय :- एक मिनट।

श्री शैलेष पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई में यही कहूंगा कि हमारा जो फोकस है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है, वह दोनो तरफ है । एक तरफ हम निर्मित सिंचाई क्षमता को बढ़ा रहे हैं, उससे वास्तविक सिंचाई बढ़ती जा रही है । हमारा जो लक्ष्य है, अगर हम देखेंगे तो 50 से 60 लाख हेक्टेअर में अनाज बोया जाता है और अगर हम बात करते हैं तो 36-37 प्रतिशत सिंचाई में ही आ पाते हैं, यह हमारे सामने चुनौती है और उन चुनौतियों का सामना करना है । सभापति महोदय, मैं इस विषय में और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, अगला विषय ले रहा हूँ । मैं उद्यानिकी विषय पर एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बुद्धिमता से काम किया है, उसके कारण उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इस क्षेत्र में बड़े-बड़े ही लोग आ पाते थे, निचले तबके के पा उतनी जानकारी नहीं हो पाती थी, उतना ज्ञान नहीं होता था । हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किया कि हम उद्यानिकी के क्षेत्र में ज्ञान की भी वृद्धि करें, उसके लिये हमने उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से संभव हुआ है । सभापति महोदय, आज हम उद्यानिकी को लेकर बात करते हैं, उद्यानिकी में हमारी सरकार द्वारा सहायता की जा रही है...।

सभापति महोदय :- पाण्डेय जी, समाप्त करें । प्लीज । श्री धरमलाल कौशिक जी ।

श्री शैलेश पाण्डेय :-इसके लिये बहुत प्रयास किये जा रहे हैं और आने वाले समय में उद्यानिकी भी एक बड़ा विषय छत्तीसगढ़ के लिये होगा । माननीय सभापति महोदय जी, आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, कृषि मंत्रीमाननीय रविन्द्र चौबे जी द्वारा जो अनुदान मांग प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, मैं विरोध इसलिये कर रहा हूँ कि जब बजट की मांग की जाती है, बजट के मांग करने के बाद में वह व्यय होनी चाहिये थी, लेकिन जिस प्रकार से उनके सारे विभागों में यदि हम देखें तो पिछली बार जब हमने पैसा दिया था, वह पैसा भी विभाग खर्च करने की स्थिति में नहीं है, जब पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो उनको अलग से पैसा क्यों दिया जाये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- तैं स्टार्ट यही जगह ले करथस, दूसरा बदल के बता ना । रिकार्ड ऐसे चलथे ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, सामान्य बजट के चर्चा में मैंने बताया था कि ...।

श्री अमरजीत भगत :- भईया, जैसे तोर भाषण शुरू होय हे ना, नेता प्रतिपक्ष ला उंघासी लगथे, नींद आथे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 14 प्रतिशत की कमी आई । अभी आप उद्यानिकी का देख रहे थे, उद्यानिकी के अलावा हमारे सिंचाई विभाग का और पहले जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता था । प्रतिवेदन के पहले पेज पर ही लिखा रहता था कि कितना दिया हुआ है और कितना खर्च हुआ है । सभापति महोदय, मैं इस प्रतिवेदन में देख रहा था कि एक बार में जो आकलन होना चाहिये, उसको हटा दिया गया है । जब आप उसको विस्तार से देखेंगे, कहीं न कहीं यह जो राशि खर्च नहीं हुई है, इसका जो प्रमुख कारण है, वह एक तो सरकार में समन्वय नहीं है, मंत्रियों में समन्वय नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ समन्वय नहीं है, अधिकारी में समन्वय नहीं है, इसलिये जो समय पर क्रियान्वयन होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है । माननीय सभापति महोदय, उसका उदाहरण है, पिछले साल वर्ष 2020-2021, वर्ष 2021-2022 और उसके बाद में आप देखेंगे कि वर्ष 2023-2024 में जो प्रिंट हुआ था, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है और दोबारा इसको फिर प्रिंट कर दिया गया । जब पिछले बार प्रिंट हुआ, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली, आखिर आपके पास राशि है तो उसकी प्रशासकीय स्वीकृति क्यों नहीं दी जा रही है । यदि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलेगी, न उसका टेण्डर होगा, न ही आपके काम स्टार्ट होंगे । यह समन्वय का जो अभाव सरकार में है, प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण में बजट की राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है । मैंने इसीलिये कहा कि हम उसका विरोध करते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, आप महाभारत देखते होंगे। उसमें लिखा रहता है कि क्या लेकर आये थे और क्या लेकर जाओगे। जो आपने पाया है यही पाया है तो आप इतना क्यों परेशान है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं क्यों परेशान होऊंगा। परेशान तो आप हो रहे हो। मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान है, आप इसलिये परेशान हो क्योंकि संगठन का चुनाव होने वाला है। उस संगठन के चुनाव में यहां से किनारे लगा देंगे। आपकी परेशानी इस बात को लेकर बढ़ गयी है। वह मुझे दिखाई दे रही है। परिणाम क्या होगा, वह मुझे नहीं मालूम। लेकिन आप निश्चित रूप से परेशान हो और उसका उबाल आपके ऊपर दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, मैं चौबे जी से कहना चाहता हूं कि वह हमारे इतने काबिल मंत्री है और इतने काबिल होने के बाद पिछले बार जो बजट एलॉटमेंट हुआ और वे उस राशि को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मैंने इसीलिये कहा कि इस बार हम उनको बजट में स्वीकृति क्यों दें। हम इसलिये उसका विरोध कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई विभाग का देख रहा था। सिंचाई विभाग में इनके द्वारा जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये गये। अभी शिवरतन जी के द्वारा जो भी बातें कही गयी। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और इनकी सरकार बनी। तब सरकार बनने के बाद उस समय सिंचाई की क्षमता 26 प्रतिशत थी और जब डॉ. रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे तब उस समय वर्ष 2018 तक 26 प्रतिशत को 38 प्रतिशत करने का काम किया गया था। अभी उन सब को तोड़ मरोड़कर पता नहीं क्या डाटा दे रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन सामान्य बजट में बताया कि इसमें कमी क्यों आ रही है। हम सिंचाई विभाग की, जल संसाधन विभाग की बात करेंगे। जल संसाधन में जो पोलावरम की बात आयी या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के महानदी की बात आयी या जो अन्य बातें आयी है। हम उस स्थिति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े हैं और हम जहां है वहीं पर खड़े हुए हैं। उसके बाद जल संसाधन विभाग के बारे में बताना चाहूंगा। यह बोल रहे हैं कि हमने सिंचाई में इतनी वृद्धि की। वृद्धि कौन-सी हुई है ? मैं उसमें एक उदाहरण दे सकता हूं, अरपा भैंसाझार योजना में वृद्धि हुई है। इस योजना को हम लोगों ने हमारे कार्यकाल के समय में प्रारंभ किया। वह अब अंतिम स्थिति में, पाईपलाइन में है। तो स्वाभिक रूप से उसकी सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिससे परसेंटेज भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट लेकर, जिसका कार्य प्रारंभ हुआ हो और कार्य प्रारंभ होने के बाद यह बता सके कि इस सिंचाई परियोजना में हमको इतने प्रतिशत की, इतने हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। आपने टोटल बता दिया कि कितनी वृद्धि हुई है। यदि बारिकी के साथ पूछेंगे कि आपने कहां कौन सा काम किया है ? आज सरकार वह बताने की स्थिति में नहीं है। मंत्री जी वह बताने की स्थिति में नहीं है। बोधघाट परियोजना की बहुत चर्चा हुई। चर्चा के बाद आपने उसे अपने प्रतिवेदन में दिया है। मैं यह बात को नहीं बोल रहा हूं। शिवरतन जी बोल रहे थे कि आपके उत्तर में दिया है। मैं आपका प्रतिवेदन पढ़ देता हूं। आपके प्रतिवेदन में है कि

परियोजना का डी.पी.आर. और सर्वे का कार्य प्रगति पर है। यह कितने साल में है ? 2019 के बाद का है। आपका कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है, यह आपका अंतिम बजट है। इस अंतिम बजट के बाद आप कहने की स्थिति में नहीं है कि आप उसमें परियोजना में कहां तक पहुंचे हैं। आपने और मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को रखी थी, यहां बृजमोहन जी और हमारे डॉ. साहब ने उस बात के लिये इनको चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि आप सिंचाई को छोड़ दीजिये, आप बनवाने को छोड़ दीजिये, आप केवल डी.पी.आर. बनवाकर दिखा दीजिये। यदि आप डी.पी.आर. बनवा देंगे तो मैं आपको शाबाशी दूंगा। लेकिन इस सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत हो गया उसके बाद भी यह सरकार डी.पी.आर. बनाने की स्थिति में नहीं है, वह प्रगति में है। पता नहीं यह कब तक प्रगति में ही रहेंगे, यह सरकार चली जायेगी लेकिन डी.पी.आर. नहीं बनेगा। यह इनके 4-5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, अब अहिरन की बात आयी तो अहिरन गजरी नाला, यह भविष्य की योजनाएं हैं। मतलब आपने जो अपने प्रतिवेदन में प्रिंट किया है उसका एक नया पैसा आपके बजट में नहीं है। यह बजटेड नहीं है। आपने भविष्य की योजनाओं का नाम गिना दिया है, लेकिन उसके बजट की राशि कहां पर है? आपके पास बजट की राशि नहीं है तो योजना की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी ? और इसलिए भविष्य की योजनाओं को भविष्य के ऊपर छोड़ दीजिए। आज उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में पहले से जो योजनाएं चल रही हैं यदि माननीय मंत्री जी उन योजनाओं के ऊपर ध्यान दिया होता तो मैं समझ सकता हूँ कि इन योजनाओं की पूर्णत: की प्राप्त होती और जिन योजनाओं में हमारे पहले से पैसे लगे हुए हैं, जो काम आधे-अधूरे हुए हैं जो प्रगति पर है यदि उसको पूर्ण करते तो निश्चित रूप से उससे लाभ होता, लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा उन योजनाओं को भी टच करने का काम नहीं किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के संबंध में मैंने आपको पत्र लिखा और आपसे बात की। वहां पथरिया बैराज का काम प्रारंभ हो गया है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद उसमें पैसा देना बंद कर दिया गया। आपका मनियारी डायवर्सन का बताना चाहूंगा कि हमारे मनियारी डायवर्सन में जो कार्य हैं उसमें काफी सारा कैनाल का काम हो गया है, वहां बैराज का काम पूर्ण हो गया है, आप इस काम को पूर्ण कर सकते थे, आपने उसको भी पूरा करने का प्रयास नहीं किया। जब इस सरकार में आप पहली बार मंत्री बने। आपने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे यहां दगौरी का बजट में लिया। आपने दुर्गडीह का बजट में लिया। इन्होंने ऐसी बहुत सारी योजनाओं को बजट में लिया। सूक्ष्म सिंचाई योजना को भी बजट में लिया और इसे प्रतिवेदन में प्रिंट कराने के बाद, हम प्रतिवेदन में उसको लगातार प्रिंट कराते हैं, लेकिन अभी तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। जब उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है तो हम उसे देखकर खुश होते हैं कि मंत्री जी ने इसे बजट में लिया। इसे बजट लेकर इन्होंने लोगों की अपेक्षाएं जगाने का काम किया। हम लोगों को यह बताते हैं कि आपका

यह काम बजट में आ गया है, आपके यह काम होने वाले हैं, लेकिन वर्ष 2019-20 में जो बजट में कार्य आएं हैं आज भी वह कार्य प्रांरभ नहीं हुआ है और न ही उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। मैं समझता हूँ कि आपने जो स्वयं स्वीकृत किया है। चलिए, आप पुराने को छोड़ दीजिए, लेकिन आपने स्वयं जिसे बजट में लिया है यदि उसकी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए, वह बहुत ज्यादा राशि का नहीं है कोई एक करोड़, कोई दो करोड़ रूपये की राशि का है। आपको उस काम की भी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिल रही है तो यह बहुत ही ...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय धरम भईया, आपसे अपेक्षा है। आप बहुत बढ़िया भाषण दे रहे हैं। आपसे हम लोग ज्ञानवर्धन कर रहे हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- उनका गला भी खराब है। उसके बाद भी..।

श्री अमरजीत भगत :- आप उसके बाद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी लोग इसे नहीं समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर यह बात हुई थी कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। उस दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके विपरीत छत्तीसगढ़ में एम.एस.पी. 2040 रूपये मिल रहा है, लेकिन हम 2640 रूपये दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सीधे-सीधे 10 हजार रूपये एकड़ दिया जा रहा है। भईया, मेरे ख्याल से आपको भी मिला होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आप विधान सभा में तो असत्य मत बोलिए।

श्री अमरजीत भगत :- लगातार किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप विधान सभा में तो असत्य मत बोलिए।

श्री अमरजीत भगत :- इस प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस दिशा में कुछ सकारात्मक सलाह दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने किसानों का धान खरीदा है। आपने कहां पर एम.एस.पी. 2640 रूपये दिया है। आप विधान सभा में इतना असत्य मत बोलिए। आपने कहां पर एम.एस.पी. 2640 रूपये दिया है ? आप एक जगह बता दीजिए कि हमने इस किसान को एम.एस.पी. 2640 रूपये दिया है। मैं उस बात में जाना नहीं चाहता।

श्री अमरजीत भगत :- माननननीय धरम भईया, अभी तो 2640 रूपया है। आने वाले सालों और बढ़ेगा और यह एम.एस.पी. 2800 रूपये जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, कृपया।

श्री अमरजीत भगत :- अगर किसानों के लिए कहीं कुछ काम हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ इज बैस्ट मॉडल ऑफ इण्डिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके बैस्ट मॉडल ऑफ इण्डिया को छत्तीसगढ़ के सब लोगों ने, उत्तर प्रदेश में स्वीकारता में ली। आप लोग असम गये थे। असम में आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शपथ ग्रहण कराने चले गये थे। उनको वापस आना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, आप अपनी बात रखें।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने पंजाब को खो दिया। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ मॉडल की बधाई हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप विषय पर आईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं तो विषय पर बोल रहा हूँ। क्या है मंत्री जी इतना बढ़िया प्रश्न पूछते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। जब हम प्रश्न करते हैं तो वह जवाब नहीं दे पाते, लेकिन जब वह प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम जवाब देंगे हम जवाब दे सकते हैं इसलिए मैं उनको जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए तो यह कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा यदि कोई अपमानित हुए हैं तो जनप्रतिनिधि अपमानित हुए हैं। अपमानित होने का जो कारण है कि इस सरकार के आने के बाद में न तो किसी का प्रोटोकाल है, न तो इस सरकार के आने के बाद में जिस बात को हमारे बिलासपुर के सत्तापक्ष के विधायक जी बोल रहे हैं कि कम से कम हमको कार्ड दे दिया करो, उससे आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या दयनीय स्थिति है। जब सत्तापक्ष के विधायक इस बात को बोल रहे हैं तो विपक्ष के विधायकों की क्या स्थिति होगी, हम भलीभांति समझते हैं। उस दिन जो चर्चा आई थी, कुछ जगह तो इनके छाया विधायक ही शिलान्यास और उद्घाटन में जा रहे हैं। उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, विधायक निधि बढ़ा करके जनप्रतिनिधियों का सम्मान ही तो बढ़ाया है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- शिलान्यास लिखाया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उटघाटन में मेरे को नहीं बुलाया गया, वहां छाया विधायक का शिलालेख लिखाया है।

सभापति महोदय :- केशव चन्द्रा जी, आपका भी नाम है। प्लीज बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यह जनप्रतिनिधियों का सम्मान है।

श्री अमरजीत भगत :- विधायक निधि 4 करोड रुपये किये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप 4 करोड रुपये को रख लीजिए। चुनाव में आपके 4 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप उसको रख लीजिए। मैं पोगरी बनाकर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप यह जो पोंगरी बनाकर बोल रहे हैं, पिछले सरकार में किसान लोगों को चेक मिलता था, वह चेक 15-15 दिन तक भंजता नहीं था। उस समय धर्मजीत भैया उस शब्द का प्रयोग करते थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब विषय का विषयांतर मत करिये। आप थोड़ा सा बैंक में चले जाओ और बैंक में जाकर के देख लो। आपकी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं जब तक उनको कमीशन नहीं मिलेगा तो वह 03 दिन तक बैठे रहते हैं और 03 दिन बैठने के बाद में उनको राशि नहीं मिलती है। कमीशन से आपका पूरा कारोबार चल रहा है। यह जो आप 04 किश्त दे रहे हो न, यह किसानों के लिए नहीं है, यह 04 किश्त इनके चहेतों के लिए है। ए.टी.एम. नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बैंक खाते में राशि डाल रहे हैं। जब ए.टी.एम. बन जायेंगे तो कमीशन कैसे मिलेगा ?

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, हम लोग किसानों का पैसा देने के लिए तैयार हैं, कौन कहता है, किसानों के साथ अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कृपया बैठ जाईये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं पंचायती राज में जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ी हुई बातें हैं। 19 नवंबर 2021 को इंडोर स्टेडियम में आप लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन कराया। सम्मेलन कराने के बाद में जो भी घोषणा इनके द्वारा की गई, चाहे वाहन के संबंध में हो, उनके अधिकार के संबंध में हो, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना सम्मान हुआ है कि 2021 में सम्मेलन हुआ, मुख्यमंत्री जी घोषणा किये और घोषणा करने के बाद में 2022 निकल गया और 2022 के बाद में मार्च 2023 आने के बाद में जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी घोषणा किये थे, उस घोषणा को लेकर के जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। इससे ज्यादा लज्जा की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है ? चुनाव के पहले आपने उनको धोखा दिया, लेकिन चुनाव के बाद में सम्मेलन में बुला करके आपने उनको धोखा देने का काम किया। इसके कारण में जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि सचिव हड़ताल करते हैं, मनरेगा में काम करने वाले हड़ताल में चले जाते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि को बुला करके धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि चौबे जी काबिल आदमी हैं, आप ध्यान देंगे। जनप्रतिनिधियों को बुला करके यदि आपने कहा है तो उस बात को पूरा करना चाहिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- धरम भैया हमन तोर दर्द ला समझत हन। तोला कौन धोखा देय हे, तेला बता, हमू मन ओला देखबो।

श्री धरमलाल कौशिक :- डहरिया जी, ऐसे है कि 3-4 महीना के अउ काम हवै, फिर कौन काला देखही, सब पता लग जाही।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दर्द झलक रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब उसके दर्द का छोड़। सभापति महोदय, पंचायती राज में प्रधानमंत्री आवास योजना है। सरकार के पास में इतना सारा बजट है और इतना सारा बजट होने के बाद में प्रधानमंत्री आवास के लिए आपके पास में पैसा नहीं है। मैं चौबे जी को केवल एक बार उनका जवाब

पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं घर में देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे इस विधान सभा में प्रधानमंत्री आवास को ले करके बात कर रहे थे और चौबे जी साथ में खड़े हुए थे और वह यहां पर यह बोलते हैं कि शिवरतन ने कहा कि 14 लाख है तो हमारे साथी का नाम लेकर बोले कि 13 लाख है और यह कहां से आंकड़ा लेकर आते हैं। मुख्यमंत्री जी बताते हैं कि आंकड़ा कहां से लेकर आए। चौबे जी ने जो जवाब दिया है, उसको पढ़कर बता देता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.11.2023 तक 16 लाख 60 हजार 996 आवास लक्ष्य दिया गया था। यह लक्ष्य देने के बाद में 82,972 आवास पूर्ण हुए हैं। यह आपका जवाब है।

श्री अमरजीत भगत :- आप जो यह 16 लाख बता रहे हैं, वह कब के लिए लक्ष्य दिया गया था? वह कब का आर्डर है?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं पढ़ तो रहा हूं। आपका ध्यान नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- इसके बाद आपने 11 लाख बना दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- भाई, मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- सुनत तो हव। 16 लाख म तुमन 11 लाख बना देया, फिर ओमा कतना बचीस?

श्री धरमलाल कौशिक :- दिनांक 31.01.2023 तक 16 लाख आवास का लक्ष्य दिया गया था और उस लक्ष्य में आपने 82,972 आवास बनाया। यह आपकी पांच साल की उपलब्धि है।

श्री रामकुमार यादव :- ओ गरीब आदमी मन के खात में 15-15 लाख रूपया डाले रइता त ओमन ल इंदिरा आवास म काबा रहे ल पड़तीस का।

श्री अमरजीत भगत :- 16 लाख में 11 गया तो कितना बचा?

डॉ. विनय जायसवाल :- नेता जी, डॉ. रमन सिंह जी ने कितना बनाया था? आपने कितना बनाया था?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन कालाधन ल लाता त ओमन ल इंदिरा आवास म रहे बर पड़तीस का।

सभापति महोदय :- यादव जी, प्लीस बैठिये।

श्री अमरजीत भगत :- वही तो हम कह रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- 16 लाख में 8 लाख बन गया ता 8 लाख ही बचा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, मैंने माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब का पत्र पढ़ कर सुनाया और 14 तारीख को ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आप विषयांतर मत करिये। धरम भैया ने कहा कि 16 लाख का लक्ष्य मिला था और आपने कितना बना बोले । 16 लाख में 8 लाख माइनस करेंगे तो 8 ही तो बचेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- 14 तारीख को माननीय धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न में आप जवाब देख लीजिये। आपने ही 14 तारीख को धरमलाल कौशिक जी के प्रश्न में जवाब दिया है।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, प्लीस बैठिये।

डॉ. शिवकमार डहरिया :- 16 लाख में 8 लाख गयातो कितना बचा? बताईये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता रहा हूं न।

डॉ. शिवकमार डहरिया :- 16 लाख में 8 लाख गया तो कितना बचा? बताईये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह आपका प्रश्न नहीं है। वह कब से पूछा है। मैं उसको बता रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं शिवरतन जी से पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीस बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह वर्ष 2019-20 से दिनांक 31.01.2023 तक का है। कहां से आप 16 लाख से 8 लाख बना लिये? जो 8 लाख आवास बना है, वह डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल का है। वर्ष 2019-20 से पहले का है।

सभापति महोदय :- धरम भैया, 20 मिनट हो गया। समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसको फाड़कर फेंक दूं।

श्री अमरजीत भगत :- यह नया ट्रेंड कहां से आ गया? जिसको देखों, वह फाड़ने के लिए तैयार है। उस दिन चंद्राकर जी फाड़ने के लिए तैयार हो गये थे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- फाड़ न त।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये। 20 मिनट हो गये।

श्री अमरजीत भगत :- आपका हमारा दिल में छाप छप गया उसका क्या होगा?

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, जब डहरिया जी जवाब देते हैं तो गलत जवाब देते हैं। चौबे जी एकदम सही जवाब देते हैं। जवाब दिये हैं, उसको नकार रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं एकदम सही जवाब देथौ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप नकारने वाले कौन होते हैं? चौबे जी बोले कि मैं नहीं दिया हूं तो आप नकारने वाले कौन होते हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नइ, 16 लाख म 8 लाख गइस त कतका बाचीस?

श्री धरमलाल कौशिक :- 16 लाख में 8 लाख कहां का आयेगा [xx][3] । (हंसी)

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीस बैठिये।

[3] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अमरजीत भगत :- आवास का लक्ष्य 16 था, उसमें 8 लाख आवास बन गया। वह 8 लाख आवास डॉ. रमन सिंह जी ने बनाया या भूपेश बघेल जी ने बनाया, यह प्रश्न नहीं है, लेकिन 16 में 8 गया तो 8 ही तो बचा न। वही तो मैं बोल रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बता रहा हूं, उसको सुन तो [xx] [4]।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर नेता प्रतिपक्ष ला कोन हटाइस तेला बता अउ काबर हटाइस तेला बता?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 31.01.2023 तक ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एकरे सेतीर जे हर 8 हे तेहू ल 16 बना देथस।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं झूठ बोल रहा हूं तो चौबे जी झूठ बोले हैं तो मंत्री जी उनके ऊपर कार्रवाई करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, ये 8 को भी 16 बता देते हैं, इसलिए हटा दिये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जैसा आपने बोला तो एक पंचायत मंत्री बदल गये हैं। इसलिए इसको पंचायत मंत्री बनाये हैं। जिस प्रकार से वह गायब हो गये हैं। मंत्री जी के जवाब से चौबे जी गायब हो जायेंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति जी, ये 8 को भी 16 बता देते हैं, इसलिए हटा दिये हैं।

सभापति महोदय :- कौशिक जी, बैठिये। दो मिनट।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग गरीबों के लिए, गरीबों के लिए आवा चिल्लातते हैं।

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

[4] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

वर्ष 2023-2024 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, लेकिन 16 में 8 बच गइस। लेकिन भारत सरकार ल समझाओ कि केन्द्रांश क्यों घटा। पी.एम. आवास में केन्द्रांश क्यों घटा? केन्द्रांश नहीं घटना चाहिए, यह लोगों के साथ में अन्याय है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करियेगा। 20 मिनट से अधिक हो गये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पीएम आवास नाम है तो क्यों काटे ? इसमें तो उनको गर्व के साथ देना चाहिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अमरजीत जी, आप एक-बार न पूरा मंत्रिमण्डल चले जाओ और जाकर के वहां बोलना कि साहब आपने जो दिया है, हमारी बनाने की हैसियत नहीं है और यह जो राज्यांश है उसे हम नहीं दे पा रहे हैं । आप ही कृपा करो । आप प्रधानमंत्री जी के पास ऐसा जाकर बोलेंगे तो वे मान जायेंगे इसलिये पूरा मंत्रिमण्डल वहां चले जाओ ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिये जहां जाना होगा वहां जायेंगे । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आपको 20 मिनट से अधिक हो गया है । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप पहले असत्य बोलना बंद करो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जिससे मिलना हो । हमें प्रधानमंत्री जी से बोलना होगा तो मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलना होगा तो मिलेंगे । (व्यवधान)

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशीष सिंह) :- क्या आप लोग ऐसे ही बोलकर बोनस मांगने गये थे ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आजतक तो किसी प्रधानमंत्री ने इतनी कटौती नहीं की, जितना अभी कर दिये हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धरम भैया, अभी तक आप समझ नहीं पाये कि 16 बांट दिये तो कितना बचा ? आप अभी तक समझ नहीं पाये हो । (हंसी)

(लोक स्वास्थ्य मंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह राजा साहब समझें । (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- राजा साहब तो पूरा समझते हैं लेकिन तें समझबे नइ करच । (हंसी) (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- राजा साहब समझे और इसीलिये त्यागपत्र दिये । (व्यवधान) अब आप तीनों एक साथ चौबे जी को समझाओ ।(व्यवधान)

सभापति महोदय :- मंत्री जी प्लीज बैठिए । समाप्त करें । 20 मिनट से ज्यादा समय हो गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, 20 मिनट में तो 15 मिनट इन लोग खा गये । अब मैं क्या करूं ? (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 16 में से 8 गया तो कितना बचा ? बताईये, ये अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीज बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप प्राईमरी स्कूल में पहाड़ा नहीं पढ़े हैं, क्या आपको घटाना नहीं आता है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ता तें बता कतका होईस तेला ? 16 में से 8 गया तो कितना बचा ? शिवरतन शर्मा बता दे । (हंसी)

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आठ ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरा ज्ञानी आदमी ये तरफ हे । (हंसी)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । आप दो मिनट में अपनी बात रखिये ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- धरम भैया, 16 मायरस 8 ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धरम भैया, अंग्रेजी में बता रहे हैं और अमरजीत जी से सुनना हो तो स्पेशल इंग्लिश ये जानते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ले ओकर सुन लेबो अऊ तोरो ला सुन ले बो ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, हमारे नेता जी बिलासपुर में नहीं बोल पाते हैं तो कम से कम यहां उनको बोलने दीजिये ।

श्री अमरजीत भगत :- घर में भाभी जी नहीं बोलने देती हैं, यहां आप लोग नहीं बोलने देते हैं । आखिर बोलें तो बोलें कहां ? उनको पार्टी में भी नहीं बोलने देते।

सभापति महोदय :- प्लीज, उनको बोलने दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सत्तापक्ष का विधायक होने के बाद में जितनी दुर्गति शैलेश पांडे की हुई है । हम लोगों की दुर्गति उतनी नहीं हुई है । माननीय सभापति महोदय, इनके ड्रीम प्रोजेक्ट की दूसरी योजना । ये लोग तत्काल खड़े हो जाते हैं ।

सभापति महोदय :- चलिये, अब समाप्त करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब मैं समाप्त करूं कि आगे बढ़ूं ? (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धरम भैया, कल भी बोलना है । कल दूसरा विभाग में बोलबे न ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान में इन्होंने गोबर खरीदी का 3 लाख 52,522 लोगों से आपने गोबर खरीदा और आपने कितना गोबर खरीदा ? आपने उसमें उस दिन बताया था, आप मनरेगा में 200 रूपये की मजदूरी देते हैं । मनरेगा में 200 रूपये की मजदूरी देने के बाद में, मैं उसको निकाल रहा था तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हैं । आप प्रत्येक दिन गोबर बेचकर 6 रूपये कमा रहे हैं, यह इनकी गोबर खरीदी है । अब गोबर के बाद में गौमूत्र में आ गये । मैं गौमूत्र का आपका प्रतिवेदन पढ़ रहा था और आपने गौमूत्र की जो खरीदी की ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अंतिम समय में गोबर और गौमूत्र ही काम आयेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- देखिए, महाराज । गोबर का ऐसा है कि आपकी सरकार के आने से तो गोबर कोई महत्व बढ़ा नहीं है बल्कि आपने अपमान किया है। मैं गौमूत्र की बात कर रहा था । चौबे जी आपने अपने प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि इतनी संख्या है लेकिन खरीदने के बाद कितना गौमूत्र में पैसा आया, यह आपने प्रतिवेदन में नहीं बताया । प्रतिवेदन में नहीं है या तो मैंने नहीं देखा है या मुझे एक-बार बताना कि कितना उसमें खरीदे और कितने गौमूत्र में आये ? दूसरा वह जो एक क्या मार्ट चला रहे हो ? वह पता नहीं आप चला रहे हो या किसी को किराये में दिये हो कि किसी को मुफ्त में दिये हो । उसको उसी में लेकर ढ़केल रहे हो ।

श्री अमरजीत भगत :- थोड़ा जानकारी बढ़ा रहा हूं मैं, अगर किसी के दिमाग में गोबर भर जाए और वह उससे बाहर निकले ही नहीं तो उसको क्या बोलगा आदमी, बताइए ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप जो बोलोगे, वही निकलेगा । मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा । मैं चौबे जी को गोबर खरीदी का एक आंकड़ा बताना चाहता हूं । जो गोबर खरीदी हुई । दुर्ग जिले में 25 हजार, बालोद जिले में 22 हजार, रायगढ़ जिले में 20 हजार और बेमेतरा जिले में 5724 । मुझे ऐसा लगता है कि आप वहां गोबर के तहत्व को बता नहीं पाए । आपको थोड़ा विज्ञापन छपवाना पड़ेगा । जो गोबर के मंत्री हैं उन्हीं के जिले में सबसे कम खरीदी और बाकी जिले में ज्यादा खरीदी । उसमें एक और गड़बड हुई है, सरगुजा में 11655 लोगों ने 5 करोड़, 22 लाख का गोबर बेचा । बेमेतरा में 5724 लोगों ने 5 करोड़ 30 लाख का गोबर बेचा, अंबिकापुर में 11655 लोगों ने 5 करोड़, 82 लाख का गोबर बेचा और आपके बेमेतरा में 5724 लोगों ने 5 करोड़, 30 लाख का बेचा । ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी गोबर माफिया घुस गए । आप थोड़ा चेक करवाएंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका आधा निर्वाचन क्षेत्र मुंगेली जिले में भी लगता है ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने नाम बताया था कि आपकी पार्टी के महामंत्री जी ने कितने का गोबर बेचा है । धरम भइया, बात यह है कि जहां डेयरी है । अभी दो दिन पहले आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी का प्रश्न था । 1 लाख से अधिक का गोबर बेचने वालों का नाम जानना चाहते थे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरे पास है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- है ना । फिर बेमेतरा जिले की बार बार तुलना कर रहे हो। बेमेतरा में डेयरी वगैरह नहीं है । इसलिए कम है । आपके मुंगेली जिले में डेयरी वालों का गोबर खरीदा गया इसलिए संख्या में अंतर है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप नहीं समझ पाए, मैं एक बार पढ़ देता हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 16 में 8 गया तो कितना बचा, वह नहीं समझ पा रहे हो ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अंबिकापुर में 11655 लोगों ने 5 करोड़, 82 लाख का गोबर बेचा और उसके बाद बेमेतरा में 5724 लोगों ने 5 करोड़ 30 लाख का गोबर बेचा यही तो मैं समझा रहा हूं । या तो माफिया घुस गए हैं । जबकि अंबिकापुर में 11 हजार लोग हैं ।

सभापति महोदय :- चलिए, आधा घंटा से ज्यादा हो गया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को आप माफिया कह रहे हैं यह उचित नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो आपके माफिया की बात कर रहा हूं और आपके जिले में आपकी नहीं चल रही है माफियाओं की चल रही है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री अमरजीत भगत :- बाकी बात तो अपनी जगह है, चौबे जी की तरफ देखकर ..।

श्री धरमलाल कौशिक:- चौबे जी जवाबदार मंत्री हैं, आप जैसे थोड़े ही ।

श्री अमरजीत भगत :- चौबे जी की तरफ देख देखकर बार बार बोल रहे हैं कि आपका गोबर, आपका गोबर (हंसी) गाय का गोबर बोलिए ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने यह नहीं बोला है (हंसी) वह तो आप बोल रहे हैं, देखिए चौबे जी, मैं नहीं बोल रहा हूं ये खुद बोल रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, योजना रीपा । जब हम लोग लगातार यहां प्रश्न लगा रहे हैं और मंत्री जी फूड पार्क के बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं । तब रीपा की बात आ गई, रीपा में एक ब्लॉक में 2 और उसमें 2 करोड़ की योजना । योजना में डी.एम.एफ का पैसा, उस पैसे से क्या हुआ है ? मैंने आज ध्यानाकर्षण में रखा था आप उसका जवाब दिये होते, इसका तो जवाब दे नहीं पाओगे । लेकिन मैं आपको बता देता हूं उड़ेला पंचायत का मामला है । उसमें 2 गोदाम बनाना है, जो आपने स्वीकृत किया है । हल्दी, मिर्ची के लिए अलग से पैसा दिये । जो 2 गोदाम बनाना है, मशीन खरीदना है, दोनों गोदामों को एक में मिलाकर उसने दो बना दिया । बता दिया एक बन गया मतलब दोनों बन गया । कलेक्टर की जानकारी में आया तो कलेक्टर ने नोटिस जारी किया । आप थोड़ा

उस जनपद के सी.ई.ओ. को सस्पेंड करो । डी.एम.एफ. के पैसे के बंदरबांट की बात जो बोल रहे हैं ना, वह यही है । इसलिए आप केवल डी.एम.एफ. के पैसे का दुरूपयोग और भ्रष्टाचार । कैसा भ्रष्टाचार, खरीदे वे खुद करेंगे । उसको आपने खरीदी करने का अधिकार भी दे दिया, वे खरीदी करके खुद लाएंगे और इनको पैसा दिये हुए 6 महीने हो गए । 6 महीने पैसा देने के बाद आपकी सरकार का कार्यकाल भी अब 6 महीने का नहीं है, आचार संहिता लग जाएगी। 6 महीने के बाद आप आज तक बनाने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय सभापति जी, अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार करना है और इस प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे, मैं आपको यह कागज सौंप सकता हूं, आपके सब सरकारी आदेश हैं। मैं उसको टेबल कर सकता हूं। यदि इसकी जांच करवा लें तो इससे पूरे प्रदेश में सुधार होगा कि कैसे बंदरबाट हो रहा है।

सभापति महोदय :- श्री केशव चंद्रा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो कृषि विभाग है। आपने बहुत बढ़िया माटीपूजन किया और माटीपूजन का विज्ञापन कितना जारी हुआ है, आपने देखा है ? हम लोग एक दिन गये, पहले भी जाते थे, हम लोग अक्ती के दिन जा करके थोड़ा सा धान सींचते थे और सींच करके उस दिन नेंग करते थे। आज भी गांव में किसान करते हैं। माटीपूजन किया और माटीपूजन के नाम पर जितने का माटीपूजन नहीं, उतने का उसका विज्ञापन है। यह विज्ञापन की सरकार है। वर्मीकम्पोस्ड की बात कर रहे थे, आप दो रूपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं। आप एकात गौठान में जाईए, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। मैं गौठान गया हूं। गोबर कौन सा है, वहां के गौठान समिति का गोबर है, उन्होंने गौठान के गोबर को वर्मीकम्पोस्ड में दिया। वहां का एक भी किसान गोबर नहीं बेचा। आपने दो रूपये किलो के नाम से गौठान समिति को दिया। गौठान समिति को देने के बाद में आपने क्या किया, उस गौठान समिति में वर्मीकम्पोस्ड के नाम पर सब किसानों के उपर कर्ज लाद दिया। आपका जो मिट्टी वाला खाद है ना, उसको भी नहीं ले गये हैं। लेकिन उसका बैंक में कर्ज चढ़ गया। आप थोड़ा सा दिखवा लेना, मैं आपको दे दूंगा कि कहां-कहां का है। दो चार जगह का उदाहरण आपके हाथ में दे दूंगा।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, यदि इस प्रकार की भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या यह किसानों की सरकार है ? हम किसान विरोधी सरकार कह सकते हैं। मैं यूरिया के ब्लैकमेलिंग में नहीं जा रहा हूं, यह तो आपका आखिरी साल है। यूरिया को तो पूरा पांच साल खा गये। आप लोग बाकी खाद को खा गये। लेकिन इसमें वर्मी कम्पोस्ड के नाम पर किसानों के साथ धोखा करना और 10 रूपये में उनको जबर्दस्ती दिए नहीं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- धरम भैया, खाद खाने का होता है क्या? क्या यूरिया खाद कोई खाता है ? यूरिया खाद कोई खाता है या खेत में जाता है। यूरिया खायेगा तो कोई जिंदा रहेगा क्या ? यूरिया खाद का आरोप मत लगाईए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यूरिया खाद 15 साल राजनांदगांव में चला है।

सभापति महोदय :- प्लीज समाप्त करें। आपको बोलते हुए 35 मिनट से अधिक हो गए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, यह मेरा सुझाव है, जितनी दूध की खपत है, आज भी हमारे छत्तीसढ़ में उतना उत्पादन नहीं है। सब्सिडी दी जाती है, लेकिन यूनिट दो गाय का देते हैं। हम लोग जो दो गाय में यूनिट दे रहे हैं।

सभापति महोदय :- प्लीज समाप्त करें। केशव चंद्रा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसको एक बार जरूर दिखवाएं। क्योंकि यहां पर दूध का कंजम्पशन ज्यादा है। हमारे यहां उत्पादन कम है। वहां के किसानों को वास्तव में सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए और मिल करके उसके यूनिट को बढ़ाना चाहिए। आप जब यूनिट को बढ़ायेंगे तो, आप चाहे दो गाय रखोगे तो भी आपको एक नौकर रखना पड़ेगा, चार गाय रखेंगे तो भी आपको एक नौकर रखना पड़ेगा। उतना उनको धुलाई का लगेगा, उतना उनको साफ करके ले जाने का लगेगा। यदि आप यूनिट को बढ़ाएंगे तो...।

श्री अमरजीत भगत :- धरम भैया, क्या आपको घर नहीं जाना है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- उनका कॉस्ट बढ़ाएंगे तो हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। अभी जो पैकेट का दूध मजबूरी में ले रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी और किसानों को उसका पैसा मिलेगा।

श्री उमेश पटेल :- भैया आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कम से कम एक घंटा और बोलिएगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- समय हो तो मैं तो बोल देता हूं।

सभापति महोदय :- प्लीज सहयोग करें।

श्री अमरजीत भगत :- घर वगैरह जाने का विचार नहीं है क्या ? कल छुट्टी लग रही है, घर वगैरह नहीं जाएंगे क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात। इन्होंने स्वावलंबी गौठान की बात की।

श्री उमेश पटेल :- केशव जी, आप बैठ जाईए, कहां खड़े हो गए। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- चौबे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने जो स्वावलंबी गौठान का मतलब समझा है। स्वावलंबी गौठान कौन सा है, जो गौठान आत्मनिर्भर हो गए हों, अपने पैरों पर खड़े हो गए हों। ऐसे गौठान के गोबर को आप बेच रहे हैं, गौमूत्र बेच रहे हैं, उसके कारण उस गौठान को स्वावलंबी बनाया गया। यदि वह गौठान स्वावलंबी है तो उनको पैसे देने की क्या जरूरत है ? आपने

बजट में रखा है। अध्यक्ष को 750 रूपये, बाकी को 500 रूपये। मैंने उस दिन कहा था कि आपने हमारे पंचायत के पंचों को 500 रूपया नहीं दिया, उसके बाद आपने स्वावलंबी गौठान को 750 रूपये दिया। यह रेवड़ी नहीं है तो और क्या है ? फिर स्वावलंबी गौठान का क्या औचित्य है ?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप पीछे मुड़कर देखिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने जवाब में उसको थोड़ा सा बताइये कि यह स्वावलंबी गौठान क्या है ? क्योंकि इतने दिनों के प्रयास के बाद भी न हम फूड पार्क बना पाये, न हम गौठान को खड़े कर पाये और न ही उसमें रहने वालों का खर्चा निकाल पाये, 6 रूपये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- ये सारी बातें पूर्व वक्ताओं के द्वारा आ गई हैं। आप समाप्त कीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है कि आज आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। (हंसी)

सभापति महोदय :- प्लीज, केशव प्रसाद चंद्रा जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए चौबे जी से प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद है। हम लोग यह चाहते हैं कि यह किसान के बेटे हैं तो किसानों के लिए काम हो। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार में योजनाएं बंद हो गईं, ठप्प हो गईं और आज जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है इसलिए मैं इन अनुदान मांगों का विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- थैंक्यू।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुदान मांग मा बोलना चाहत हो। सबले पहिली मैं सिंचाई के संबंध में बोलिहौ। मैं ज्यादा आंकड़ा नहीं बताओ, केवल अपन क्षेत्र के व्यावहारिक चीज ला बोलहुं, प्रदेश के बारे में नहीं बोलहुं। इही पक्ष अऊ विपक्ष में मर गेव। पूरा क्षेत्र के जनता ला लेंस दीहौं। पक्ष अऊ विपक्ष के चक्कर मा दु:ख पात हें। आप अच्छा काम करो न। का विपक्ष में रह के अच्छा काम नहीं करना हे ? हां तो पक्ष में रह के भी अच्छा काम करना है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं मोर क्षेत्र के बात करहुं अऊ मोर क्षेत्र बर मांगहुं तो ओमा का पक्ष अऊ विपक्ष। ओमा तो कोई हाथी, फूल अऊ पंजा वाले नहीं हे, नहर ले पानी जाही तेमा सब झन पाही। माननीय सभापति महोदय, हमर जांजगीर-चांपा जिला के 85 प्रतिशत सिंचाई हा बांगो डेम के दाई और बायीं तट केनाल ले होथे। ए साल गर्मी मा हमन नहर के मरम्मत करबो करके

हमन ला बाई तट मा एखर बर पानी नहीं दीन। लेकिन 1-2 जगह के अलावा बाकी जगह में मरम्मत नहीं होवत हे। माननीय मंत्री जी, कार्य तो स्वीकृत हे लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले हे, टेण्डर नहीं लगे हे तेखर काम शुरू नहीं हो पाहे। एक मार्च महीना हे अऊ अप्रैल, मई, जून करके ढाई महीना अऊ बचे हें। आपसे निवेदन हे कि कम से कम जो-जो काम बचे हें, ओ सफाई हो जातीस तो खरीफ मा हमन ला पानी मिल जातीस। ए कोई बजट के पइसा नो हरे। अधिकारी मन के कहना हे कि आपके कोई कमेटी बइठथे, जेखर 1 साल ले बइठक ए नहीं होहे। जेखर कारण ओखर प्रशासकीय स्वीकृति भी नहीं मिलत हे मोर व्यक्तिगत निवेदन हे कि ओ बइठक ला करो ताकि ओ किसान मन ला अभी गर्मी मा फायदा मिल सके। पानी भी नहीं मिल पाइस। मोर क्षेत्र मा सक्ती शाखा नहर मा एक झारोन्दा वितरक नहर हे, 25 साल हो गे अऊ ओ वइसने के वइसने अधूरा हे काबर कि जंगल के जमीन ले जाथे अऊ आपके जल संसाधन विभाग हा आज तक ओखर एन.ओ.सी. नहीं ले पाइस। आप अगर मोर 9 साल के विधायक के रिकॉर्ड ला देखिहौ तो मैं 4 बार ध्यानाकर्षण अऊ 6 बार प्रश्न लगा डारे हो लेकिन ओमा विभाग कोई संज्ञान नहीं लेवे। ओखर से 12-13 गांव के सिंचाई बाधित हे। अभी डी.एम.एफ. मे ओखर बर पइसा भी स्वीकृत करे हे। मैं कलेक्टर जी ला कहे हो कि आखिर ए डी.एम.एफ. मा जंगल के जमीन मा नहर के काम कइसे होही ? केवल बंदरबांट होही। आप ला डी.एम.एफ. में पइसा स्वीकृत करे के जरूरत नहीं हे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी ला धन्यवाद भी देवत हो कि अभी रबी फसल मा हमन ला खातू भी मिलीस हे। डी.ए.पी. भी मिलीस हे, यूरिया भी मिलीस हे। भले नहर से पानी नहीं गीस लेकिन बहुत सारे पंप से, नदी-नाला से सिंचाई होथे तेमा फसल लगीस तो ओमा खातू मिलीस। किसान मन के डी.ए.पी. खातू मा शिकायत हे। आपके कृषि विभाग के मन सैम्पल ले करके गेहे, अगर ओमा कोई प्रकार के कमी मिलही तो निश्चित रूप से किसान मन ला बढ़िया गुणवत्ता युक्त खातू मिले, तेखर लिये आप करिहौं। साथ ही साथ बहुत सारे सिंचाई रकबा ला बढ़ाए बर, पानी ला रोके बर अऊ पानी के जल स्तर ला बढ़ाए बर बजट में बहुत अकन सम्मिलित तो करे हवौं लेकिन एक ठन के भी स्वीकृति नहीं मिले हे। जइसे बोराई नदी मा सल्ली एवं नवागांव के बीच में एनीकट सह रपटा के निर्माण वर्ष 2021-2022 के बजट मा हे। बोराई नदी मा धनवारडेरा एनीकट सह रपटा निर्माण भी वर्ष 2021-2022 के बजट मा हे। बोराई नदी मा भरोरा एनीकट सह रपटा निर्माण भी वर्ष 2021-2022 के बजट मा हे। अचीखारोंदा स्टापडेम कम काजवे निर्माण यह भी 21-22 के बजट में हे । ग्राम अरसिया के पास सोननदी में मिट्टी कटाव रोकने हेतु रेटेलिंग वॉल निर्माण, सोननदी में अरसिया एनीकट सह रपटा निर्माण कार्य, कुषण नाला मा सिरली कुम्हारी पठान स्टापडेम सह काजवे निर्माण कार्य, जमड़ीनाला मा झर्रा एवं भद्रा के बीच में झर्रा स्टापडेम के निर्माण कार्य, जमड़ीनाला में मोहगांव एवं एवराडीह के बीच मोहगांव स्टापडेम के निर्माण कार्य और ग्राम पंचायत महुआडीह के आश्रित ग्राम कोनियापाट में स्टापडेम सह रपटा निर्माण ये सब बजट में सम्मिलित हे, लेकिन एकोठन के प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले हे।

मोर निवेदन अतके हे, मैं जानथव कि सब ह नहीं होवय । अगर एक, दो ठन ला भी कर देतिन त बने हो जतिस । हम मंत्रालय भी जाथन, निवेदन करथन त कथे कि हाऊस ले आही, तिकरे होगी । त हाऊसे ले भिजवा देवव, का हाऊस ए, तेनला नहीं जानन। पिछले कार्यकाल का सी.एम. हाऊस कहांए । सी.एम. हाऊस हे कि का हाऊस ए त। लेकिन अतके अकन बजट मा सम्मिलित होए के बाद भी एक भी स्वीकृत नहीं होना निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोचा हवय त ओ लोचा ला बता देतेव, तभो हमन ओकर कुछ उपाय करतेन ।

सभापति महोदय, कृषि विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग हे अउ पूरा छत्तीसगढ़ के हमर आर्थिक आधार ह कृषि मा आधारित हे अउ सरकार के भी सोच हे कि किसान मन ला सुविधा मिलय, कृषि ह बढ़य । निश्चित रूप से जब ले नया तकनीक आए हवय, जब ले सरकार ह अनुदान देत हवय, किसान मन बहुत अकन ओकर आर्थिक लाभ भी लेत हे, किसान समृद्ध भी होत हवयं । मैं ज्यादा एकर बारे में नहीं बोलते हुए ये कहिहौं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मा जे-जेमन लाभ प्राप्त करे हे तो बीमा के राशि किसान के बचत बैंक में नहीं गिस, ओकर ऋण खाता में चले गिस । चूंकि किसान के ए साल के फसल बीमा हे, अभी धान बेचिस त ऋण पटगे अउ पईसा ह बैंक मा ओकर ऋण खाता मा चल दिस त किसान ओ पइसा ला नहीं निकाल पात हे । बैंक कहात हे कि अगले साल फिर तै कर्जा लेबे, तेमा कटही तो ये किसान ला विशुद्ध नुकसान हे । हर जगह मैं पत्राचार करत-करत थक गे हंव । आपके विभाग ह ओकर नोडल हे, आपके डी.डी.ए. ला पत्राचार करेंव, कलेक्टर ला पत्राचार करेंव, अउ जे किसान व्यक्तिगत रूप से आवेदन देत हे, तेकर ले जरूर ओ खाता ले डालत हें, लेकिन किसान म ला तो ये भी पता नहीं हे कि मोर खाता मा पईसा का आ गे हे, वह कब आए हे । कृपया एला ध्यान देहव ।

सभापति महोदय, अभी जतका बीज उत्पादक किसान मन बीज निगम मा बीज दिन हे, ओमन के अभी भी एडवांश ह नहीं मिले हे, 5-6 महीना होगे । आज भी एक रूपिया नहीं मिले हे । सबका नहीं, बहुत सारा किसान ला आज भी एक रूपिया नहीं मिले हे । महूं बीज देथव त मोला मिल गे हे, मैं विधायक आवं त मोर नाम के ह मिल गे हे, लेकिन मोर क्षेत्र के 75 प्रतिशत किसान मन ला नहीं मिले हे। अउ एडवांश ह, बाकी जो पईसा हे, वह तो अलग हे अउ दूसर चीज यह हे कि बीज निगम ह केवल बीज के पईसा ला दे नहीं पात हे, बाकी बुता ला भी ओला दे दे हवव। जइसे रेडी टू इट ला, कृषि यंत्र वाला काम दे दे हवव अउ बीज निगम ले जतका सामान आवथे, ट्रेक्टर तो ठीक, ठाक हे, मैं ट्रेक्टर के बात नहीं करथव काबर कि ओला डीलर मन करा ले लेथें, लेकिन जतका हमर डीएमएफ ले, बीज निगम ले खरीदत हन, बाजार अऊ बीज निगम के रेट ला तीन गुना के अंतर हे । हमला वही स्पेयर बाजार मा 2200 रूपिया में मिलथे, लेकिन बीज निगम ह हमला 6600 रूपिया मा देत हवय । मोर निवेदन हे कि किसान मन ला देत हवय तो एक किसान के जगह मा 3 किसान मन ला मिल जतिस, ऐसा भी थोड़ा देख लिहौ । कृषि मा ए तरफ तो बहुत उन्नति हे, लेकिन बहुत अकन संभावना हमर जांजगीर-चांपा

जिला में हे । पाली हाऊस, ग्रीन हाऊस, ड्रीप, स्प्रिंकलर अउ आज तो किसान आटोमेशन से भी सिंचाई करत हवयं, बहुत एडवांश होगिन हवयं, लेकिन एक तरफ जेमन बाहर के तरफ आके खेती करथे, तेमन ये सब तकनीकी ला अपनाथे । हमर जो किसान हे, छोटे स्तर के कम जमीन मा करथें, लेकिन ओमन अतका अकन सक्षम नहीं हे कि एकर लाभ ओमन ला कहां ले मिलय । अब कहीं हार्टीकल्चर हमन ला ग्रीन हाऊस दे दिस त पता चलथे कि बरसात के बाद ओ ग्रीन हाऊस उड़ियागिस । ओकर जो क्वालिटी हे, ओ ह ओतके अकन हे । पाली हाऊस लगा लिन अउ पाली हाऊस लगाके किसान मन गवांर, सेमी ला लगा लेत हवयं । तो ओकर से फायदा नहीं होवय । मोर निवेदन हे कि जो भी हे, बराबर ऊहू मन ला अउ आपके बहुत बड़े दूनों विभाग एग्रीकल्चर अउ हार्टीकल्चर ला बहुत बड़े स्टाफ हे, आर.ई.ओ. हें, ओमन अपन मुख्यालय में रहाय । किसान मन ला बरोबर जानकारी देवय । हार्टीकल्चर में बहुत अकन असीम संभावना हवय कि हमन नकद खेती करि अउ कीटनाशक ला छोड़करके हमन जैविक खेती करि, ये असीम संभावना हे । मोर क्षेत्र मा तो कम, भाई रामकुमार जी के क्षेत्र में बहुत सारा किसान भाई मन ड्रिप, स्प्रिंकलर से सब्जी अउ फल के खेती करना प्रारंभ करे हे अउ लाभ भी प्राप्त करत हे। माननीय सभापति महोदय, 2 ठन नर्सरी कचंदा, भूथा हे। भूथा मा बढ़िया डेवलप करे रहेव, नर्सरी तैयार होवत रहिस हे। केवल जैजेपुर और मालखरौदा तक नहीं, अगल-बगल के गांव के मन आ के भाटा के थरहा, पताल के थरहा ये सब पैदा करय। लेकिन ओ मशीन हा खराब हो गय हावय। ओमा मरम्मत के जरूरत हावय। अगर थोड़ा-बहुत राशि मिल जातीस। अगर बजट लायक नहीं होही तो आपके कोई मद होही अउ ओमा से थोड़ा बहुत राशि मिल जाय। ओही हालत कचंदा के भी हे। ओमा थोड़ा-बहुत राशि मिल जाय तो निश्चित रूप से ओखर लाभ हमार किसान मन ला मिल जाही।

हमर धर्मजीत जी ला मण्डी बोर्ड बर पैसा दे हा तो आप ला धन्यवाद तो देइस हावय। महूं प्रस्ताव करे हावव, आप ला प्रस्ताव देव हावव। मोरो क्षेत्र मा कुछ आवश्यकता हे। अगर आपके कृपा हो जातिस तो महूं आप ला एडवांस मा धन्यवाद दे देवत हावव। आपके पास प्रस्ताव पहुंच गय हावय।

माननीय सभापति महोदय, मसाला के भी असीम संभावना हे। उद्यानिकी मा खेती के संभावना हे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री केशव चन्द्रा :- बस पंचायत में बोलना हे। आप ला बोले के जरूरत नहीं हावय, मैं हा समय के महत्व ला समझथ हावव। ओखरे बर मैं जल्दी-जल्दी बोलत हव। कोई भूमिका नहीं बांधत हावव। मैं एखर बर भी बोलना चाहत हव कि माननीय मंत्री जी के विभाग हे, अपन विभाग मा बहुत अकन सुधार करे हावय। ओ हा बहुत कुछ ला सुनथे, व्यवहारिक रूप से समझथे अउ मैं व्यवहारिक चीज ला ही बोलना चाहत हव। मैं ऐमा ना तो सरकार के कोई आलोचना करना चाहत हव ना मैं सरकार के प्रशंसा करत हव। मैं हा बहुत ही व्यवहारिक चीज ला बोलना चाहत हव, जेखर लाभ हो सकय।

माननीय मंत्री जी, मैं शून्यकाल मा ही मनरेगा मा बोले हावव कि प्रधानमंत्री आवास मा कोई हितग्राही के मृत्यु हो जाथे या आधार नाम बदलना रहथे या बैंक के खाता मा नाम बदलना रहथे तो जनपद, जिला ला प्रस्ताव भेजथे। जिला हा राज्य मा प्रस्ताव भेजथे। राज्य मा एडमिन आई.डी. मा साल-साल भर पड़े हावय। परिवर्तन नहीं होवय। परिवर्तन नहीं होय के कारण ओ हितग्राही मकान बना लिए हे, लेकिन ओला राशि उपलब्ध नहीं होवय। तो एडमिन आई.डी. ला जिला स्तर मा जिला पंचायत के सी.ई.ओ. करा रह जाय तो ये हितग्राही मन ला लाभ मिल जाही। बाकी मनरेगा मा का-का काम रहथे, मैं नहीं जानव। लेकिन दो-एक ठन काम गांव बहुत जरूरी हे। जैसे मुक्ति धाम के बात होइस, यह बहुत जरूरी हे। आजकल के समय छोटे गांव मा एक ठन और बड़े गांव मा 2 ठन अउ 3 ठन के जरूरत हे। सामुदायिक भवन, पहली हमर गांव मा बरात आय, कोई सुख-दुख की बात होवय तो स्कूल मा बैठा के खवा लेन, बराती ला रोक लन। लेकिन शिक्षा विभाग हा प्रतिबंध लगा दे हे कि स्कूल में ऐसन कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकय। अब गांव मा अतका कन घर नहीं हे कि गांव मा कर सकय। शहर मा तो बहुत बड़े-बड़े उपलब्ध हे। लेकिन गांव मा नहीं हे तो प्रत्येक गांव मा कम से कम एक बड़ आकार के सामुदायिक भवन हो जाय। ये भले आपके मद से मत होवय, कोई मद से मत होवय, डी.एम.एफ. मद से मत होवय, लेकिन मनरेगा ले हो जाय। एतका कन व्यवस्था हो जाय कि हमन ला विधायक निधि मिलत हे तेमा मनरेगा के कनवरर्जेंस भी दे। कम से कम 3 करोड़ के काम मा 5 करोड़ के बुता मनरेगा के मजदूरी लग जाही तो हो जाही।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करें।

श्री केशव चन्द्रा :- माननीय सभापति महोदय, सक्ती जिला मा 15 बित के कारण 15 बित के एप्रूवल नहीं मिलत हे। तेखर कारण पूरा सक्ती जिला काम रूके हावय। मैं सचिव साहब करा गय रहेव। लेकिन दुर्भाग्य हे कि कोई ध्यान नहीं देवय। कल तक हो जाही कहथे, लेकिन ध्यान नहीं देवय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ फेस के स्वीकृति बर निवेदन करत हव। अगर चतुर्थ फेस मा हो जातीस तो एक-दू ठन सड़क हमू मन ला मिल जातीस। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मा, पता नहीं स्वीकृति देत हा या नहीं। लेकिन मोर क्षेत्र के बहुत सारा गांव हे, जे हा आवागमन से वंचित हे। एकर लिए मैं ग्राम करमननेवा से गुचकुलिया 2 किलोमीटर सड़क के लंबाई हे, एखर मांग करत हव। सेमराडीह-पाड़ा हरदी होते हुए कलमीडीह तक जाही 3 किलोमीटर सड़क के मांग करत हव। घीवरा मुख्य मार्ग से डोमाडीह ढाई किलोमीटर के सड़के हे, ओखर मांग करत हव। झारौंदा से आमापाली साढ़े तीन किलोमीटर के दूरी हे, ओख मांग करत हव।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मांग ला कर लेथंव, विधान सभा के रिकार्ड म आ जाही । भोथीडीह से पीपरभंवर, 2 किलोमीटर, बहराडीह से हरदीडीह, रनपोटा से झेरियाडीपा मरघट्टी 1.5 किलोमीटर,

कुटराबोड़ से छीराडीह आमाकोनी 2 किलोमीटर, मुख्यमार्ग से सलिहा भांठा, 1 किलोमीटर, मुख्य मार्ग से भागोडीह बम्हनीनडीह, 1 किलोमीटर, मुख्य मार्ग से महुआडीह सिलाडीह, 1 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ले सड़क देवथ होहु त लगही त दे दीहव, एखर साथ मनरेगा के कार्य मा एनपीसीआई मेपिंग में परेशानी के कारण आधार अऊ खाता अपलोड नई होथ हे, तेखर कारण मजदूर मन ला भुगतान नई मिलथे । जब विधान सभा में आय हंव त मोर जैजेपुर के जनपद पंचायत के सीईओ कना बैठ के पूछेंव, कतका के मजदूरी भुगतान बाकी है, 14 करोड़ के मजदूरी भुगतान एक अकेला जनपद पंचायत जैजेपुर में बकाया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये । श्रीमती संगीता सिन्हा जी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति महोदय, सामग्री के भुगतान केवल 10 करोड़, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ देथव या नई देथव, हो जतिस त एक दू ठन दे देतेव, अटल समरसता भवन अच्छा योजना रहिसे, बड़े गांव में कम से कम 20 लाख के भवन बन जाये, अगर वोला दे दैहव तो प्रस्ताव दे देबो, बाकी समग्र म देथ होहू, तेखर भी प्रस्ताव दे देबो, आप कना मैं पुन: निवेदन करना चाहथंव, आप सब ग्राम पंचायत के संरक्षक हरव, पंचायत के मंत्री अव, पुन: आप ग्राम पंचायत के अधिकार के प्रति चिन्ता करव, चर्चा करव । कम से कम अपन साथी मंत्री मन ला कहाव कि छोटे-छोटे काम ला वोमन विभाग ला मत देवय, ग्राम पंचायत के माध्यम से करवायें, माननीय सभापति महोदय, ए बात के निवेदन करते हुये, आप बोले के अवसर दे हाववं, तेखर लिये धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । श्रीमती संगीता सिन्हा जी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय जी, संसदीय कार्य मंत्री जी के वर्ष 2023-2024 के अनुदान मांगों के चर्चा में खड़े हंव ।

उपाध्यक्ष महोदय :- पांच मिनट में अपनी बात रखना है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अभी त शुरू करे हंव सभापति महोदय जी, मैं एक वाक्य से शुरू करथंव । कदम कदम पर नया इंम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहां आसान होता है, जो कठिन मेहनत करता है, उन्हीं के कदमों में जहां होता है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति जी, हमन लगातार 15 साल तक कठोर संघर्ष करे हन, परिश्रम करे हन ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संघर्ष के समय म आप कहां रेहेव, सिन्हा भईया रहिसे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वही करिसे, मैं पीछे से सहयोग करें हंव । कोई भी सफल पुरूष के पीछे एक महिला के हाथ रथे । वोमा मोर हाथ रहिसे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वो करिसे भई । आप कहां संघर्ष में शामिल रेंहेव ।

श्री रामकुमार यादव :- मोर दीदी रांध के देवय, त मोर भांटो हा किंजरय ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन न गा, संघर्ष सिन्हा जी करे हे, मलाई ए खाथे। वो बेचारा रांधे गड़े भर संघर्ष ही करथे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहु खाथे ।

श्री अमरजीत भगत :- इस प्रकार से इंट्रप्ट करना ठीक नहीं है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय मंत्री जी, आखिरी सत्र ए, सदन ले जई त मुस्कुराते हुये जई ना । काबर तनाव ले के जाबो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, अगर हिन्दुस्तान में कहीं कोई किसान खुश हे, वो छत्तीसगढ़ के किसान हे । ये चीज ला हम महसूस करथन, किसान ला देखके पता चलथे कि वोहा कितना खुश हे, संतुष्ट हे, एक समय रहिसे कि किसान मन चरौदा में डुबे रहाय, बहुत ज्यादा दिन के बात नई करंव, अगर 15 साल के बात करंव त 15 साल में किसान मन बहुत दुखी रहाय, कर्जा के कारण आत्महत्या करे हे । वोखर आंकड़ा भी रखे हंव । कर्जा के कारण किसान मन आत्म हत्या करें, वोला नाम दे दें, घर विवाद के, जैसे छेड़त रहिथें । सभापति महोदय, जो किसान के स्थिति मन बहुत दयनीय रहिसे, वो स्थिति ला समझते हुये हमर भूपेश बघेल जी के सरकार अऊ संसदीय कार्यमंत्री के योजना से जो उभर के सामने आये हे, गौ धन न्याय योजना आये हे, समर्थन मूल्य हे, ये सब योजना हे सभापति महोदय, वोहा कहीं न कहीं किसान भाई मन ला एक संबल प्रदान करथे अऊ आत्म निर्भर होय के एक मौका मिलिसे । साथ में सभापति महोदय जी, मैं सबसे पहली नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी के अंतर्गत बात करहूं, छत्तीसगढ़ ही ऐसे विधान सभा ए, जहां गोबर के बात होथे, अन्य कोई विधान सभा में गोबर के बात नई । हमर विपक्ष के साथी मन के जितना भी सदस्य जब भी बात करहू तो सीधा गोबर की ही बात करथे, अन्य कोई भी विषय के ज्यादा बात नइ करै। ऐ मन ला शुरू से ही गोबर से परेशानी है। हमर जो गोरब खरीदी के कार्य है, वह दो रूपये किलो में खरीदे जाथे। ये हा हरेली पर्व के दिन 20 जुलाई, 2020 से शुरूआत होये हे। ये में जो गोबर खरीदी के कार्य तो होथे, ओ मे जो स्वयं सहायता समूह के मन काम करथे, ओ मे पूरी महिला वर्ग है। जो स्वयं सहायता समूह में शामिल करे गे हे, ओ मा कही भी पूरूष मन के हाथ नहीं हे। सीधा उसमें सारे स्वयं सहायता समूह में महिला मन ही काम करथे। वहां पर जो वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाये के कार्य हे, मछलीपालन हे, बकरी पालन हे, मशरूम की खेती का कार्य हे, वहां गमला भी बनाये जाथे, वहां गोबर से दिया भी बनाये जाथे, वहां ऐलोवेरा से जूस बनाये जाथे, ऐलोवेरा से साबून बनाये जाथे, यहां तक की फिनाईल के भी काम हमर महिला वर्ग ही करथे। वहां की जो महिला मन हे वो पूरा काम करथे और वहां से ओ मन जितना भी उत्पादन करथे ओला बेचत भी हे। साथ में ओकर महिला मन के आर्थिक स्थिति में भी सुधार होये हे। सी-मार्ट के बात करत रिहीसे। आज हमर बहिनी मन हा वहां गौठान में जो भी उत्पादन करथे और सी-मार्ट के जरिये साबुन और ऐलोवेरा जेल और जितना जो भी उत्पादन करथे, वो सी-मार्ट में बेचे के काम करथे। महिला स्वयं

सहायता समूह मन 170 करोड़ 05 लाख रूपये के भुगतान किये जा चुके हे। 18 करोड़ रूपये के बोनस के भुगतान भी शामिल हवे। ये गांव के महिला मन के लिये छोटी-मोटी राशि नहीं है, यह बहुत बड़ी राशि है।

आदरणीय सभापति महोदय, में हा अपन विधान सभा के बारे में बात करहू। मोर संजारी बालोद विधान सभा में कुल 133 गौठान संचालित हे। अब तक कुल 02 लाख 04 हजार 203 क्विंटल के गोबर खरीदी किये जा चुके हे, जेकर राशि 04 करोड़ 08 लाख रूपये हे। खरीदे गये गोबर से 58 लाख 6 हजार 54 क्विंटल कम्पोस्ट खाद के उत्पादन किये जा चुके हें। जेकर राशि 5 करोड़ 96 लाख रूपये के उत्पादन होये हे। 41 हजार 598 क्विंटल कम्पोस्ट खाद के भी अऊ ओकर जो राशि हे 04 करोड़ 15 लाख रूपये में बेचे गे हे। ऐकर जो लाभांश प्राप्त होये हे, वो 01 करोड़ 60 लाख के। इस योजना में 230 स्वयं सहायता समूह मन कार्य करथे। यह छोटे-मोटे बात तो मे नहीं कहांव काबर कि आज तक 15 साल मा कभी महिला मन ला आत्मनिर्भर करै के काम नहीं करे हे। ऐ मन हमेशा अपन बारे में सोचे हे कि अपन राज कैसे करन, यहां तक की महिला या युवा साथी अउ बेरोजगार साथी के बारे में भी नहीं सोचै जो हमर माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार सोचे हे, हमर संसदीय कार्यमंत्री सोचे हे। मे हा संसदीय कार्यमंत्री जी ला बहुत-बहुत बधाई देना चाहत हव। ऐकर लिये कि जो विधायक अनुदान राशि हे ओला 04 करोड़ करे हे। काबर के इकर शासन काल में 01 करोड़ मिले। अउ 01 करोड़ में एक सी.सी. रोड ही बनाये बर हमर निधि खत्म हो जाथे, अउ दूसरे काम करना, जो कि नामुमकिन रिहीसे और सबसे बहुत-बहुत बधाई देथो।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी शुरूआत नहीं होये हे, अभी एक ही विभाग बोले हव।

सभापति महोदय :- 05 मिनट से अधिक हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हे। उसके तहत हमर किसान भाई मन ला पैसा मिलथे। कहीं न कहीं जो किश्त मा पैसा मिलथे। अभी हमर माननीय मुख्यमंत्री साहब गे रिहीसे तो ओला एक-दो झन विपक्ष के साथी मन ही उचकाए रिहीसे और वो बात ला रखिस के एक साथ पैसा दे दुहु। यदि एक साथ पैसा देथन ना तो वो एक साथ निकाल सकथे। हम तो हर तिहार में पैसा देथन, दिवाली तिहार के पहली पैसा देथन, इस तरीके से हमन स्टेप बाई स्टेप करके पैसा देथन। समय कम हे, मैं ज्यादा बात नइ करव। मे अपन क्षेत्र के ही बात रखहू।

सभापति महोदय, साथ में जो जल संसाधन विभाग हे, तांदुला जलाशय से मुख्य नहर के के.आर.डी. 75 सौ मीटर पर स्थित एक्वाडक्ट का जीर्णोद्धार कार्य, यह बहुत बड़े काम हे। मे बहुत-बहुत धन्यवाद देथो हमर मंत्री जी ला जो बालोद जिला में स्थित तांदुला जलाशय हे, जो मोर बालोद विधान

सभा के अंतर्गत आथे। मुख्य नहर से आर.डी. 7500 मीटर पर जामगांव (बी) नाला क्रॉसिंग पर स्टोन मेशनरी से 109 वर्ष पूर्व निर्मित एक्वाडक्ट कई जगह क्षतिग्रस्त रहिस। अउ ओ हा जीर्णशीर्ण होने के कारण मेशनरी ज्वाईंट से नहर के पानी छोड़े जो रिसाव होए, ओ गांव में पूरा रिवास के कारण बहुत कम मात्रा में पानी पहुंचे अउ एक्वाडक्ट ला तोड़कर नया स्ट्रक्चर बनाए के लिए पूर्व स्ट्रक्चर के जीर्णोद्धार किये जाए के निर्णय लिए गे हे मंत्री जी हा, जो कि नया जीर्णोद्धार हो ही जिससे लगभग 508 गांव मतलब 508 गांव ला लगभग एक लाख हेक्टेयर खरीफ सिंचाई हेतु भिलाई स्पात संयत्र को औद्योगिक जल प्रदाय तथा ग्रीष्म काल में लगभग एक हजार निस्तारी तालाबों को निर्बाध जल आपूर्ति किया जाना संभव हो जही। ए बहुत बड़े काम हे जेकर लिए में ससंदीय कार्यमंत्री जी ला बहुत-बहुत बधाई अउ धन्यवाद देवत हौं। बजट में मोर तांदुला परियोजना के अंतर्गत तमोरा माईनर के लाईनिंग के स्ट्रक्चर के मरम्मत के कार्य स्वीकृत हो चुके हे, ओ रूके हुए हे साथ में तांदुला परियोजना के अंतर्गत पिकरीपार माइनर लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर के मरम्मत कार्य एला करवा दूहू तो मोर ऊपर बड़े कृपा हो ही। साथ में एक बात अउ रखना चाहत हौं जो मोर बालोद विधान सभा हे। ए पूरा धनहा क्षेत्र हे अगर छत्तीसगढ़ी में बोले जाए, जहां बहुत ज्यादा धान होथे। हमर छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है ही लेकिन जो मोर एरिया गुरूर अर बालोद के हे। वहां पर बोर तो चालू हे ओ बहुत ज्यादा धनहा क्षेत्र हे। एकर लिए हमर जो बच्चा मन हे हमर बेटी बेटा मन हे ओखर लिए मे हा कृषि महाविद्यालय के मांग करथो। लगातार 4 साल से प्रयास हे कि ओ क्षेत्र ला कृषि महाविद्यालय मिले। तो में ओखरो मांग करथौं। बाकी तो बहुत अच्छा हे। हमर सरकार के कार्य बहुत शानदार हे। ऐमे कोई ना नुकूर के बात नइ हे। में बहुत-बहुत धन्यवाद् देवत हौं। आप मोला बोले के मौका दे देव में आप ला धन्यवाद् देते हुए, अपन वाणी ला विराम देवत हौं। जय हिन्द।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद्। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सबसे पहले मैं संसदीय कार्य विभाग में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा और मेरी एक पीड़ा भी है। मेरा दिनांक 16.03.2022 को मेरा एक प्रश्न लगा था। जहां रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक में अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र द्वारा अवैध कब्जे के बारे में था। 16 तारीख को इसका उत्तर आना था, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस उत्तर में इतना गलत जवाब आया। मेरा यह कहना है कि हम इसको छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी संस्था मानते हैं। हमसे लोगों को उम्मीद भी है कि अगर विधान सभा में कोई बात हो तो हम लोगों की बात को सुना जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का छोटा-मोटा काम भी नहीं होता तो गांव वाले यह बोलते हैं कि हमर विधायक हा हमर आवाज ला विधान सभा में उठाही । मतलब लोगों को इतनी उम्मीद है और यहां इस प्रकार से गलत जवाब दिया जाता है। यहां शिकायत करने के बाद, काम नहीं होता तो हम क्या उम्मीद

करें। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इनके जवाब में सीधे-सीधे यह बोला गया था कि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उसी प्रश्न के जवाब में मेरे हाथ में एक लेटर है जिसमें एस.पी. कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार, थाना इन सब लोगों के पास शिकायत हुई। सब में उनका गोल-गोल सिल लगा हुआ है और इसमें सबके हस्ताक्षर भी हैं। इनके द्वारा उत्तर में यह सीधे-सीधे कह देना कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। मेरे हाथ में यह शिकायत है। यहां हम क्या उम्मीद करें, जब अधिकारी इस प्रकार से जवाब देते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- तैं अपन दिल ला झन छोटे कर।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ता कुछ कार्यवाही होए हे का।

श्री अमरजीत भगत :- तैं एक ठन आवेदन दे दे ओ मे महाराज मन ला भी राजीव गांधी न्याय योजना से पईसा दे के प्रावधान हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एला ठीक करा देव। गलत-गलत फेर बतात हौ। अधिकारी मन ला थोड़ा से टाईट करव। ओ कोती पर्ची देकर काम करथे। पूरा गुमराह करत हे। अउ मोला इहां लगथे कि कुछु नइ होवए। बस लास्ट में हां की जीत हुई। करते।

श्री शिवरतन शर्मा :- ब्राम्हण मन ला राजीव गांधी न्याय योजना के जरूरत नई हे। ब्राम्हण मन जीवन भर आर्शीवाद देय के काम करथे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मोर समय हे थोड़ा बोलन दव। अब में सदन से का उम्मीद करव।

श्री अमरजीत भगत :- ये बात ला हमन डिनाई कहां करत हन। हमेशा महाराज मन के आशीर्वाद लेथन, आशीर्वाद लेय के बाद कुछ तो बनथे न।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, अपनी बात रखें, चलिये, उनकी बात मत सुनिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- तैंय बोलस कि राजीव गांधी न्याय योजना मा मिलही। ये कौने न्याय नई हे, अन्याय योजना हे।

श्री अमरजीत भगत :- आप सब लोगों का बहुत सम्मान है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कृपया बैठिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन हे, मोला थोड़ा सा ज्यादा समय बढ़ाकर देहू काबर की मोर टाईम में बहुत बाधा आथे। इस प्रवृत्ति के मन यज्ञ भंग करथे। जो भी बाधा डालही, ओ समय हा मोर समय मा जोड़ देहू। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करत हौं कि ये सदन मा हम बड़ा उम्मीद लेकर आथन। इस प्रकार के जवाब देना, अधिकारी मन के मनोबल बहुत बढ़ चुके हे। हम का सोचिन, यहां नये विधायक हन। अभी तक ये समझ में नई आईस, लास्ट में चाहे कुछ भी हो, अगर अइसने कार्यवाई नई हुई तो बस लास्ट में यही समझ थन कि हां की जीत हुई, हां की जीत हुई, खत्म कहानी। कार्यवाही कुछ होनी भी तो चाहिए। मैं फिर बार-बार कहत हौं कि अधिकारी मत

ला मत चढ़ाओ। ये मन हा भाड़ में जाये बराती बाजा वाले हैं। हमन हां चाहे ओहु कती बजाही और ओहु कती बजाही। मैं फिर बार-बार कहत हौं, ये मन पर्ची पहुंचा-पहुंचा कर काम करथे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- पम्मू तैं चाहत का है भाई?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं अधिकारी मन के खिचाई करत हौं।

श्री उमेश पटेल :- तोला डाकू वाला बंदूक चाहिए ना ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हां।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, टोका-टाकी न करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, एक तो उनकी पीड़ा है। 20 केस हैं फिर भी आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो। वह बोल रहे हैं कि मैं कौन से थाने में जाकर गिरफ्तारी दूं। उनको कोई गिरफ्तार करने को तैयार नहीं है और न उनका चालान पेश करने को तैयार है। रिवाल्वर मांग रहे हैं, रिवाल्वर भी नहीं दे रहे हैं। वह जवाब पूछ रहे हैं, जवाब भी नहीं दे रहे हो। बेचारे को इतना टारगेट में मत मत लो, वह बहुत अच्छा आदमी है।

श्री सौरभ सिंह :- बाचे-कुचे मा बिजली विभाग के ठेका मांगत हे, तेहू ला तुमन नई देथस।

श्री अमरजीत भगत :- प्रमोद भाई के साथ हम लोगों की पूरी सहानुभूति है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, बंदूक के बात हो गये हे। मोला न छोटे वाले बंदूक में ज्यादा तकलीफ हे ना, बड़े वाला बंदूक हे जो डाकू वाली हे, जेमा ज्यादा फारमलटी नई हे, वही दे दो।

सभापति महोदय :- चलिये, अपनी बात रखें।

श्री उमेश पटेल :- धर्मजीत भैया, पम्पू आज कहत रहिस कि माला ना वो डाकू वाला दो ठू नली वाली बंदूक वोई ला दिलवा देहू।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वोहा आसानी से मिल जाथे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करत हौं ऐसे अधिकारी मन के ऊपर थोड़ा निलंबित करा, ओला कुछ सजा देव, तेखर सेती कम से कम गलत जवाब देय बर थोड़ा सा आने वाले समय में चेतैं। अइसने कार्यवाई नई होही तो विधान सभा के कोई मर्यादा नई रह जाही। धर्मजीत भैया कहत हे, मैं समग्र के पैसा मांगहूं तेन टाइम याद दिलाहू कि आप भी ब्राम्हण हो, मैं गरीब ब्राम्हण हौं, समग्र के पैसा देहू। मैं सबसे पहले मोर क्षेत्र के कुछ मांग आपके सामने रख देथौं। माननीय मंत्री महोदय आपने विनम्र निवेदन है, नान-नान, छोट-छोट मांग है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क योजना मे जेमा सदभामा से कोटा मार्ग 2 किलोमीटर के हे। बरसात के दिन में 12 किलोमीटर घूम के जाय पडथे। ओला कौन लिखाईया होगी तो ओ डहर आपके अधिकारी लिख लेथिस। सदभामा से कोटा मार्ग को डामर वाली बन बनाओ, डब्ल्यू.बी.एम. बना देव ओला। आपसे यही निवेदन करत हौं। मोर विधानसभा में एक ठे ऐसे

गांव हे, आजादी के बाद भी तिल्दा ब्लाक में मानपुर परसदा गांव जिहां जाये के आज तक रास्ता नई हे। 400 आबादी के गांव हवै। जहां जाय के सड़कें नई हे, न डामर वाली और न कौनो प्रकार के सड़क हे। आजादी के बाद कौनो गांव में सड़क नई होना, ये बहुत दुर्भाग्य के बात हे। आप ऐला सडक बनवा देतौ। ज्यादा नई, 3 किलोमीटर के सड़क हवै। काबर के अगर कौनो रास्ता ला घेर देही, जेखर प्राइवेट जमीन हे तो गांव वाले पता नहीं कहां से जाही। हेलीकॉप्टर से उडकर जाय पड़ही। वोही नई विचारा मत तिरन। वो मानपुर परसदा मा सड़क ला बनवा देतो। एक ठो टंडवा मुख्य मार्ग से बैकुंठ मार्ग तक 1.8 किलोमीटर सड़क हे, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास हे। माननीय मंत्री महोदय, येहू ला आपसे निवेदन हे कि एला बनवा देतौ। कम से कम बडे नई तो छोटे करा दौ। लिखकर के कई ढर देहौं। आपसे निवेदन है कि कम से कम एक ब्राम्हण होने के नाते एक ब्राम्हण के मान-सम्मान के इज्जत के ख्याल रखा और ये गरीब ब्राम्हण के मांग पूरा देव। अगर ये मांग पूरा नई होही तो बहुत बेईज्जती हो जाही। आपसे विशेष रूप से निवेदन हे कि ये क्षेत्र के समस्या हे, ऐला आप कर दौ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर मांग पूरा नइ होही त मैं दुर्वासा बन जाहूं अउ दुर्वासा बन के श्राप दुहू। ये बोलत हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- हमर मंत्री महोदय बहुत अच्छा हे। मैं आपके पूरा समर्थन करत हव। आपके विभाग ल समर्थन करत हव अउ मैं बहुत उम्मीद के साथ में कहत हव। जैसे कि आप मन मंडी म पैस दे हव। वैसे समग्र में भी दुहूं। रोड के भी (व्यवधान) आ गेहे, ओला करवा दुहू। माननीय सभापति महोदय, गौठान के बात होथे। गौठान में बड़े-बड़े बात होथे। हमर डहरिया जी गौठान में कहत रहीसे गोबर ले फेयर एंड लवली क्रीम तक बनाथन। कोई बात नहीं, क्रीम बनावा, मिसाईल बनावा। अउ यूक्रेन-रूस युद्ध होथे, तेला सप्लाई करा। ओमा कोई आपत्ति नइ हे, लेकिन ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मिसाईल के उपयोग कहां होहे। अजय चंद्राकर तो करथे। (हंसी)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ओमा बना न। कोई आपत्ति नइ हे। लेकिन जो गौठान बर पइसा आथे, तेन म कुछ फंड के व्यवस्था कर लेवा। सरपंच मन ल दबाव डालकर 15वां वित्त के पैसा ल ओमा लगवात हावा। बिचारा सरपंच मन भारी पीड़ित हे। ओकर संग काम ही नइ लेवत हे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अउ कतका टाईम लेबे पम्मू? अउ कतका टाईम लेबे?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अभी तो एक ठन ही पन्ना होय हे। मोर आधा समय ल तो टोक-टोक के खा देथे। मंत्री महोदय, कहां जाथा ? बइठा न।

श्री अमरजीत भगत :- तैं कहां मिसाईल-विसाईल के बात करत हस। अब हो गइस त बइठ।

श्री धर्मजीत सिंह :- पम्मू, चौबे जी को देखकर दे रहा है। बाकी कोइ मतलब नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- मिसाईल के बात करिहा ता महाराज डरा जाही। मिसाईल के बात मत करा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अब गोबर ले भैया मन क्रीम बनाथे त मैं कहे मिसाईल तक बना लेवा । एमा कोई दिक्कत नइ हे, लेकिन गौठान म पइसा त देवा। सरपंच के 15वां वित्त के पैसा ल दबाव डाल-डाल कर ओमा लगवात हावा। मनरेगा म लगवात हावा। कुछ फण्ड के व्यवस्था कर लेवा। बाकी जेन बनाना हे, तेन बनावा। मोटर कार बनावा, कोई आपत्ति नइ हे, लेकिन आप मन सरपंच ऊपर दबाव मत डाला। दूसरा पंचायत विभाग के बात हावय। माननीय महोदय, हमर बलौदा बाजार में ग्राम पंचायत सुहैला के एक ठन घटना बताथव। मतलब पंचायत विभाग के इतना दादागिरी हावय, इतना दादागिरी हावय कि यहां पूरा भेदभाव हावय। बिना नोटिस के सरपंच मन के घर मन ला तोड़वा देवत हे अउ मान ले कि कुछ कार्रवाई करबे। बिना नोटिस के घर दुआर टूटथे, बुलडोजर पकड़ अउ एकर बर ही हड़ताल होइसे। एकर बर शिकायत होइस, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नइ होइस। काबर। काबर कि जानत हावा कि एक झन कांग्रेसी के संरक्षण प्राप्त हे। बिना शासन के अनुमति से बहुत बड़े काम्प्लेक्स बन गे। शिकायत हो गे। आने पार्टी के मन बना के देख देवय। तत्काल रात कन तोड़ दिही। अतको भेदभाव मत करा। ठीक हे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हे, लेकिन एतको ज्यादाती बेकार हे। कोनो ल एतना प्रताड़ित करके ककरो घर द्वार ल तोड़ना अउ अवैध बनाना, ओकर कार्रवाई नइ होना। कतको शिकायत होई, हड़ताल होइस, चक्काजाम होइस, वहां के धरना म बइठीस, लेकिन कोई कार्रवाई नइ होइस। मैं यहां बोलथव। होना-जाना त कुछ नइ हे। मोला अच्छा लागत हे, एकर सेती बोलथव। सभापति महोदय, मैं आप ल जल संसाधन विभाग में बताना चाहूं। नहर में ठिलाथे न। दू ठन नहर हावय। बलौदाबाजार केनाल और लवन केनाल। ओ पानी देहे बर भेदभाव देखथे। कांग्रेस के विधायक संग जाना चाहिए, आने विधायक संग नइ जाना चाहिए। उहू पानी ल कम ज्यादा छोड़थे। एमा काय भेदभाव। मैं दावे के साथ कहत हव। मोर विधानसभा क्षेत्र म पानी ढीले के बेर कम कर देथे। कइसे करबे। शासन के दबाव हावय। वहां के जो किसान हे, ओकरो आप मन सरकार हावा। आप मन भी मंत्री हा, मुख्यमंत्री हा त इतना तो कम से नहीं करना चाहिए। राजनीति म अपन स्तर ल इतना नहीं गिराना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहत हव कि छोटे-छोटे मानसिकता ल छोड़कर कम से कम हमर विधानसभा क्षेत्र म जइसे होवत हे, जइसे कि राजनीति म गंदगी फैलत हे। ओला माननीय मंत्री मन, आप मन से निवेदन हे। माननीय उमेश पटेल प्रभारी मंत्री ल, माननीय डहरिया जी के बहुत वर्चस्व प्राप्त हे। आपसे भी निवेदन हे कि इसे असामाजिक तत्व ल बढ़ावा मत देवा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कॉम्प्लेक्स बनइया मन तो तोरे पुराना संगवारी हे यार।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नोहय, नोहय।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तैं हर ही ओकर पहली सिफरिश करत रहे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं, मैं जानबे नइ करव।

श्री सौरभ सिंह :- अब बिगड़ गेहे थोड़-बहुत।

सभापति महोदय :- शर्मा जी, समाप्त करिये।

श्री उमेश पटेल :- तोर इहां ये हे का कि पानी ल सुबह कांग्रेस मन लिही अउ मझनिहा भाजपा मन लिही अउ शाम के जोगी वाला मन लिही?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उहां पानी ल ठीले के टाइम म भेदभाव करथे।

श्री उमेश पटेल :- ओइल तो मैं समझना चाहत हव। समय ल बांधे रइथे का?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मार कित कम ढीलथे अउ आने कति ज्यादा ढीलथे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मोर मांग ही कहां पूरे होहे?

सभापति महोदय :- 10 मिनट से अधिक हो गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- 5-10 मिनट तो ओ डहर खा देथे न। (हंसी) अब रहन दे। मैं हर भ्रष्टचार के बात नइ करव। ये विभाग म ज्यादा भ्रष्टाचार करहू त जो पइसा देवइया हे ते हर भी नइ मिलही। (हंसी) माननीय सभापति महोदय, एकर सेती ज्यादा बोलना बेकार हे। (हंसी) बस मोर छोटे-छोटे मांग हे । माननीय बाबा साहब आप ओला मंत्री जी से एप्रोच करके मोर 3 ठन रोड के मांग हे तेन ला करवा देहू अउ समग्र के पैसा दे दूहू । बस अतके निवेदन करत हंओं अउ बाकी बिक्कट बढ़िया विभाग हे, अच्छा चलत हे । (हंसी) चलत रहए, मंत्री जी बहुत बढ़िया हावय । अब हमर मन के गरीब ब्राह्मण मन के ख्याल रखे रहय, बस अतके कहना चाहत हंओं । माननीय सभापति महोदय, आप मोला बोले बर समय देहा ओकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री रामकुमार यादव जी ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- प्रमोद भाई, आपके जैसे गरीब ब्राह्मण पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाता भाई बन जायें । यही प्रार्थना कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मोर हर विधानसभा में हमर मन के वोट हावय । तें हा ओला देख लेबे ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने अपने आपको गरीब ब्राह्मण बोला, मैं आपको उसके लिये बोल रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान मांग के समर्थन में खड़े हंओं । आज अगर कृषि विभाग के बात करे जाये तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री के ओ बात ला याद करथओं जो पूरा देश ला, पूरा विश्व ला एक संदेश दे रिहिस हे । अउ कहे रिहिस हावय जय जवान, जय किसान । प्रधानमंत्री ओ समय कहे रिहिस हे कि कोई भी प्रदेश या कोई भी देश अगर उंहां जवान खुश हे, अउ ओ प्रदेश अउ देश मा किसान खुश हे, ओ प्रदेश अउ देश ला आगे बढ़य से कोइ नइ रोक सकय । ऐला पूर्व प्रधानमंत्री जी हा कहे रिहिस हे लेकिन 15 साल के सरकार में ये भारतीय जनता

पार्टी के मन ओ किसान ला रोआये के काम करिस अउ कौन किसान ? जेन धरती के सीना ला चीर करके अन्न उपजाथे अउ सबके भरण-पोषण करथे ओ किसान ला दबाये के काम करे रिहिन हे ।

सम्माननीय सभापति जी, चाहे आधुनिक दुनिया में आप कतको कन बम-बारूद बना लेवओ । बड़े-बड़े आविष्कार कर लेवओ या ये देश के प्रधानमंत्री जी के कुछ मित्रों मन ला बहुत पैसा-कोड़ी कमा डारय लेकिन खाही सिर्फ अन्न ला । कोई पैसा-कोड़ी ला नइ खावन । हां अतका जरूर हे कि ओ किसान जो अन्न उपजाथे ओ हर कम पइसा के चउंर ला खाथे । अउ जो बड़े-बड़े उद्योगपति हावय ते मन जवां फूल कहरे वाला चउंर ला खाथे लेकिन अन्न ही खाथे । ओकरे खातिर मैं कहना चाहत हंओं कि आज हमर सरकार, मोर भूपेश बघेल जी के सरकार, मोर रविन्द्र चौबे मंत्री जी हा जब अच्छा काम करत हे ता ओमन हंसी उड़ात हैं । ओ किसान जे किसान हर 15 साल के सरकार मा अपन दू जोड़ा धोती ला बदले नइ सकय । भैंसा हा एक ठन मर जाये, दूसरा भैंसा ला ले नइ सकय । अपन बेटी ला, बाढ़े रहय ता ओकर चिंता करत रहय कि कइसे मैं खेती करओं ? कइसे मोर बेटी के शादी करओं? ओ चिंता मा डूबे रहय ओ किसान ला आगे बढ़ाय के काम करथे अउ ओमन के एमन हंसी उड़ाय के काम करथे ।

माननीय सभापति महोदय, आज हम इंहां विधायक हन । जनता-जनार्दन से चुनकर आये हन । कल का होही तेन ला छोड़ दो लेकिन आने वाला समय आप ला जरूर एकर जवाब दिही । आप मन हा किसान ला दबाय के काम करत हा । 15 साल ले आप ला मौका मिले रिहिस हे । काबर आप मन कर्जा माफ नइ करओ ? आप मन ये समझथओ कि ओ गांव के भोला-भाला गरीब आदमी मन ला इंदिरा आवास के नाम मा ओमन ला धूल झोंक के इंहां पर बस में बइठा के ले आहा अउ सटकाहा बरा ला खवा करके, भजिया ला खवा करके तुमन भाषण देके ये समझथओ कि हमन सरकार ला पलट देबो । ये क्षेत्र के जनता, छत्तीसगढ़ के जनता देखत हे कि कोन काकर हित मा काम करत हे ।

माननीय सभापति महोदय, अगर जल संसाधन के बात किया जाये । जल संसाधन, कहे गे हावय कि ये शरीर हमर बने हावये । ये शरीर हा 75 परसेंट, 80 परसेंट पानी मा चलथे । मात्र 20 परसेंट हा ऐमन जो काजू-बादाम खाते इही मा चलथे । शरीर हा 80 परसेंट पानी मा चलथे, उसी प्रकार से ये धरती हा पानी से टिके हे । लेकिन एमन 15 साल में का करिन ? 15 साल में पानी के स्त्रोत हा नीचे होत जात हे । आज सब विधायक मन ला फोन आथे कि 15 साल में ऐमन कहूं मेर डेम नइ बनइस । मैं मरवाही चुनाव प्रचार मा गे रहेओं ।

श्री सौरभ सिंह :- तोर इंहां तो 3 ठन बैराज बन गे हे, ओकर पानी के का होथे ? जेन जमीन डूबे रिहिस तेकर पइसा नइ पाये हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- ओहर उद्योगपति बर बनाये रहेओ । रामकुमार यादव हा उही दुख ला रोअत हावए, सब दिन तुंहर दुख मा बस । ये विधायक बने हंओं 4 साल ता 4 साल सिर्फ जल संसाधन विभाग में मैं हा किंदरथओं । इसका मुआवजा दे दो, इसका ऐसा होगा । इही मन के दुख मा मैं हां पूरा डूबे

हांवओं । मैं चुनाव प्रचार में मरवाही गे रहे हंओं । मैं उंहां बड़का डेम ला देखेओं ता पूछेंओं । मैं कहेंओं किसान भईया हो, ये डेम हा कब के बने हावय ? एला भारतीय जनता पार्टी वाला मन बनाए हे का । ओमन का जवाब दिस, फूटे हे तेला छबवात तलक नइ हे गा, ए हा कांग्रेस के जमाना मा बने हे कहिस । उसी प्रकार से मैं जहां जहां भी गे हववं, जहां जहां भी डेम बने हे ओ कांग्रेस के जमाना मा बने हे । एमन 15 साल तक ओखर गेट ला बेचके खाए पिऐ के काम करे हे । का बात करथे एमन ? सभापति जी, इतिहास गवाह हे, आप एमेर अच्छा अच्छा बात करके, हमन के भाषण ला सुन सुन के तुमन अच्छा कहत होही सोचत हौ । बिल्कुल बिल्कुल आपके बात ला सब देखत हावय, सुनत हावय । मैं आप ला कहना चाहत हौं मैं जे क्षेत्र में रथौं । उहां मंत्री जी के बने के बाद 7 ठा स्टापडेम पास होए हे 7 ठा । एमन 15 साल मा उहां 1ठा नइ करिस । सन् 2000 मा जब छत्तीसगढ़ अलग होइस ओ समय कहन जब जब कांग्रेस के सरकार आथे, किसान के काम करथे, गरीब के काम करथे । ओखरे खातिर कहे हे कांग्रेस का हाथ, गरीबों के साथ । अउ एमन ओ समय हमर कांग्रेस सरकार हा बनाए रहिस हे नहर ला । एमन कुछु नइ बनाए सकिस । यहां तक के नहर हा टूट फूट के बंद हो गे रिहिस हे । कई जगह तो एमन नहर ला पाटे दिन हावय । का बात करथे एमन । आज मैं जे क्षेत्र मा रथौं ओ क्षेत्र में मोर मंत्री जी हा, मोर मुख्यमंत्री जी हा आज नहर बनाए के भी काम करथे अउ एमन खाली गरीब अउ किसान ला दबाए के काम करथे । अब आज मैं गरीब के बात करौं । मोर मंत्री जी हर, मुख्यमंत्री जी हर मछली पालन ला कृषि के संज्ञा दे हे, कृषि मा जोड़े हे । मछली पालन, कुकरी पालन, भेड़ी पालन, छेरी पालन । काबर के मैं गरीब घर के हौं तो मैं गरीब के बात जा जानथौं । जिस प्रकार से गौतम अडाणी के ओखर बेटा के जन्म दिन हो ही तो ओखर जन्म दिन में ओमन मर्सीडीज़ कार लेथे, तो कार लेकर ओमन जतका खुश होथे ओखर ले मार गरीब आदमी मन 2 ठी छेरी अउ 2 ठी कुकरी पाथे तो खुश होथे। काबर कि हम गरीब हन, गरीब के जादा सपना नइ राहय। लेकिन एमन 15 साल मा गरीब के लिए न तो छेरी दिस, न भेड़ी दिस, न मछली दिस । बड़े बड़े आदमी मन ला पैसा दिस, ले जाओ, ले जाओ पानी ले जाओ, यहां का लोहा ले जाओ, यहां का कोयला ले जाओ । हमन कहूं आड़ा बाडा के गेट मा फंस जाथन तो 10 मिनट तक खड़ रहिथत तो ट्रेन मा सिर्फ कोयला भागत रथे । अइसन लागथे मोर जिव के करेला ला लेकर भागत हे । 20 मिनट खड़े रहिथत तो कोयला के ट्रेन चलथे, आदमी के ट्रेन नइ चलय । कभी आदमी के ट्रेन में बइठ जाहू तो आदमी के गाड़ी ला खड़ा कर देथे अउ कोयला ला दिल्ली लेकर भागत रथे । एमन के सरकार । सभापति जी मैं जानत हौं, समय अमूल्य है । एमन के लबारी ला सुन सुन के सुन सुन के मोर रूआं खड़े हो जाथे । मैं कांपथौं लेकिन काय करिहौ, काबर लबारी जादा झनेच मारय । एमन रोज सुत के उठथें तो एमन गुनथे कतका कन लबारी मारबो तो हमर गोठ ला पतियाही । अरे विपक्ष ला बइठे हो सित्तो ला गोठियाहो । जादा लबारी मारिहौ तो एक ठन फिलिम कस हो जाही । वो फिलिम मा वो हर बार लबारी मारय, सित्तो ला कहिस

तभी नइ पतियाइस । उसी प्रकार के तुमन अतका लबारी मारथो, तुम्हर गोठ ला कोई नइ पतियाय । भले हम कम पढ़े लिखे हर लेकिन हम गांव के गरीब के बात ला समझथन, गांव के आदमी के बात ला जानथन । सभापति जी, मोर क्षेत्र के कुछ मांग हे । वइसे तो महाराज मोला बहुत कुछ दे हे । शर्मा जी हा ठीक कहिस हे, महाराज करा कोई जाथे तो कोई खाली हाथ नइ आए । पक्ष राहय या विपक्ष राहय, वो दरबार मा जाथे तो हांसत हुए आथे । मोर क्षेत्र मा बहुत सारा दे हे लेकिन 2 ठा चीज के मांग करत हौं । मोर क्षेत्र के मालखरौदा में अउ अड़भार में पशु औषधालय नइ हे, ओखर भवन नइ हे ओखर बर मांग करत हौं । मोर क्षेत्र मा जांजगीर जिला हर मैदानी क्षेत्र हे, उहां जंगल नइ पावव। वन विभाग का हे हमन कभी नइ जानन । उहां जहां वन हावय उहां कई प्रकार के आय के साधन हे । उहां खनिज सम्पदा हे, हमन इहां जो किसान के लइका मन पढ़थे लिखथे । हमन लइका दुर्ग, भिलाई आकर पढथे तो कृषि पढ़े बर कुछ खोल देतिस तो लोग लइका उंहां पढतिन । हमर रविन्द्र चौबे जी ला बहुत सुरता करथन, वइसे भी सुरता करबो, बहुत अच्छा काम करे हे । मैं अउ मांग कर हांवव, मोर क्षेत्र में जो मुआवजा रूके हावय, काबर ओ समय में एमन ला डेम खोले के जल्दी रिहिस हे, एमन ला ओ उद्योगपति ला पानी दे के बहुत जल्दी रहिस हे, ओखर खातिर स्टाप डेम ला जल्दी बना दिस अउ मुआवजा ओमन ला दो साल, तीन साल बाद मिलत हे।

समय :

6:00 बजे

श्री सौरभ सिंह :- राहुल गांधी ला तो रेंगवाय रेहेस, ओ समय तो कांग्रेस पार्टी में नई रेहेस। राहुल गांधी जी रेंगे रहिए हे। ए 6 महीना पहली कहां रहिस हे, 2 दिन पहली टिकट दे हस।

श्री रामकुमार यादव :- सौरभ जी, ओखर आंदोलनकारी जन्म देने वाला रामकुमार यादव ए।

श्री सौरभ सिंह :- हम मना थोड़ी करत हन। परंतु ओ बेचारा मन ला पईसा तो देवा दे। साढ़े चार साल होगे, तोला देवाही करके टुकुर-टुमर ताकत हे।

श्री रामकुमार यादव :- 15 साल में तुमन किसान मन ला 1 रूपया नई देहा। लेकिन मोर सरकार अभी ओमन ला 1 हजार करोड़ से ज्यादा दे डारिस। अरे भाई धीरे-धीरे होथे। कोई लईका हा जनमथे, ता एक दू पांव रेंगथे की एके कर सररा कूद देथे। तुमन 15 साल में एक पांव नई चला सकव, अभी तुमन मन ला सररा.....।

सभापति महोदय :- विषय पर आईए।

श्री रामकुमार यादव :- मैं आपसे निवेदन करत हंव कि मोर क्षेत्र के मांग हे, अधिकारी मन भी सुनत हे, ओमन से निवेदन हे, जतका एक दिन दीया बाती ला बार के मोर क्षेत्र के मुआवजा ला देखय, एमन सफ्फा ला नठवा के पका दे हे, मैं आपसे निवेदन करत हंव। इसी प्रकार से मोर क्षेत्र में बहुत सारा कंपनी मन पानी ले गेहे। एक ठन बात हे एखर बाद मोर बात समाप्त हे। जैसे कि जेमन कंपनी खोले

हे, ओला प्रभावित मानथे, अउ उहां के किसान मन के बेटा मन ला नौकरी लगाथे। जहां पे पानी ले गे हे तिहों के जमीन बुड़े हे, उहू ला प्रभावित मानना चाहिए। अउ जतका बडे बड़े कंपनी हे ओमन हा आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक ले आ करके उहां के लईका मन के नौकरी लगथे। अउ जेखर पानी मा बुड़ के जमीन हा स्वाहा हो गे हे ते मन के नई लगावय, मोर आपसे निवेदन हे, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन हे, कि अइसे गांव के प्रभावित किसान मा ला भी जेमन पानी में बुड़े हे ओला उद्योगपति मन अपन-अपन कंपनी मा नौकरी देवए, अइसे निवेदन करते हुए, मैं अपन वाणी ला विराम देथव। सभापति जी, आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती इंदू बंजारे जी।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं। सम्माननीय संगीता दीदी ने एक पंक्ति के साथ शुरूआत की थी। मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार को एक पंक्ति समर्पित करना चाहूंगी।

तूफान ज्यादा हो तो कस्तियां डूब जाती है।

और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है।।

सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं हमारे क्षेत्र की जो विशेष समस्या पंचायत विभाग की है, मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इंदू जी एकात ठन अउ सुना। (हंसी)

श्रीमती इंदू बंजारे :- भैया, लास्ट में सुनाहूं। अभी मोर मांग ला रख लेथव। ओखर बाद आखिरी में सुना देहूं। सभापति महोदय, पंचायत विभाग में जो ग्राम पंचायत सचिव होते हैं, वे चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, हर योजना का क्रियान्वयन पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी है। यह तमाम कार्यो का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत और सचिव के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इनकी स्थिति अभी हवा लें लटकी हुई है। इन्होंने कई बार हड़ताल किया, आंदोलन किया और हमारे सम्मानीय टी.एस. बाबा साहब जी ने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि आने वाले समय में जब भी बजट सत्र होगा उसमें उन लोगों का शासकीयकरण किया जाएगा। लेकिन 2023-24 के बजट में जो हमारे ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनकी स्थिति वहीं की वहीं हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि सारा कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है और इनकी स्थिति हवा में लटकी है, वे बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, उनका शासकीयकरण कर दीजिए ताकि वे भी अपने अस्तित्व को पहचान सके। सभापति महोदय, साथ ही मैं गौ सेवक के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में जो प्रशिक्षित गौसेवक हैं, उनके प्रशिक्षण का प्रांरभ 1999 में मध्यप्रदेश में जब सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के

शासनकाल में हुआ था, 3 महीने का संवैधानिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण, कुल मिलाकर उनके 6 महीने का प्रशिक्षण हुआ था। 2006 में उनका संवैधानिक कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण होता है, उनका भी उन्हें प्रशिक्षण दिया था और 2016 से 2017 तक वह प्रशिक्षण संचालित रहा। जब छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सत्ता में नहीं आई थी तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा था कि जो प्रशिक्षित गौसेवक हैं, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें शामिल करेंगे, उनको नौकरी देंगे, लेकिन उनके घोषणा पत्र के अनुरूप इन्होंने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिसके कारण हमारे गौ-सेवक आज भी दर-दर भटक रहे हैं। चूंकि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरवा पर आधारित हैं और गौ-सेवक प्रशिक्षित हैं तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप इनके ऊपर ध्यान दें और इनके मान-सम्मान को बढ़ायें। साथ ही मैं गौठान के बारे में बोलना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी गौठान हैं केवल कहने के लिए गौठान निर्माण किये गये हैं। न तो उनमें पानी की सुविधा है और न ही चारा की सुविधा है और न ही वहां पर मवेशी रहते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था नहीं होती है। आप रोका-छेका की एक मुहिम चला देते हैं लेकिन सही मायने में उसका क्रियान्वयन नहीं होने के कारण जितने भी मवेशी हैं, वह सड़कों पर रहते हैं जिससे आये दिन अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं। मैं इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि भाग की मुर्गीपालन, मछलीपालन, पशुपालन योजना भी बहुत अच्छी योजना है। सम्मानीय रामकुमार यादव जी भी इसके बारे में बोल बोले रहे थे। इससे हमारे गरीब परिवार, गरीब तबके के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इससे निश्चित रूप से सुधरेगी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सामान्यत: बड़े-बड़े गांवों में पोस्टर के माध्यम से उन लोगों को इसकी जानकारी मिलती है लेकिन छोटे-छोटे कस्बों में प्रचार-प्रसार कम होने के कारण उनको इतनी जानकारी नहीं होती है जिससे कि वह उन योजनाओं के लाभ उठा सके। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उनका प्रचार-प्रसार होना भी जरूरी है। आपकी मछलीपालन, मुर्गीपालन, पशुपालन या बकरीपालन की जो भी योजनाएं हैं, वे सारी योजनाएं आम गरीब लोगों के लिए बहुत ही उचित हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इसके लिए आपसे विशेष निवेदन है कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से उनको योजनाओं का लाभ मिले। चूंकि ज्यादातर उनको अनुदान मांगों के बारे में जानकारी नहीं होती है और यदि आप उनको विस्तार से जानकारी उपलब्ध करा देंगे तो निश्चित रूप से वह इनका लाभ अवश्य उठाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले बजट सत्र में और नवीन बजट सत्र में मेरे भी क्षेत्र के कई ऐसे कार्य हैं जो बजट में शामिल हैं। यहां पर तो ये कार्य बजट में शामिल हो जाते हैं। हमारे सत्ता पक्ष के सारे साथी इनको मेज थपथपाकर शाबासी देते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। निश्चित रूप से हम भी आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस सदन से

अपने क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि बजट में जुड़े हुए हमारे जो कार्य हैं वह बजट से बाहर हो जाते हैं। तब हमें आम जनता का सामना करना पड़ता है और उसका खामियाजा उनके सामने फेस करना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन है कि आप केवल दुर्ग, पाटन या साजा तक ही सीमित न रहें बल्कि हमारे क्षेत्र पर भी आप विशेष ध्यान दें। चूंकि हम नये सदस्य हैं और हमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपने क्षेत्र की मांग को रखकर अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती इंदू बंजारे :- मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपसे उसकी प्रशासकीय स्वीकृति दिलाने की मांग करती हूं। साथ ही आपको याद होगा कि मैंने पिछले बजट सत्र में भुइगांव में जमुनिया नाला का प्रश्न उठाया था, जिसपर आपने कहा था कि यह प्रश्न इस सदन में 3 बार आ चुका है और आपने इस सदन के माध्यम से जांच के लिए आदेशित किया था। अभी हमारे धर्मजीत भैया बता रहे थे कि आप 8 बार विधायक बने हैं और आप इतने वरिष्ठ हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं इसलिए हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है कि आपके द्वारा इस सदन में घोषणा करने, आदेश देने के बावजूद भी आपके अधिकारियों ने आपकी बात नहीं सुनी है। लगभग पिछले बजट सत्र से यह बजट सत्र आ गया लेकिन वहां पर न तो आपके एक भी अधिकारी गये हैं और न ही उसकी जांच किये हैं और न ही कोई कदम उठाये हैं। हमें यह जानकार बहुत तकलीफ होती है कि आप इतने वरिष्ठ मंत्री हैं और आपके पूरे विभाग में बहुत अच्छा कार्य होता है लेकिन आपकी बातों की अवहेलना की जाए, यह बहुत दु:ख की बात है। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें। आप जो आदेश करते हैं उसका आपके अधिकारी पालन करें। गोबर के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई। मेरे क्षेत्र में भी हमारी कई बहनें समूह के माध्यम कार्य करती हैं लेकिन कई जगहों में यह सुनने को मिलता है कि खरीदी-बिक्री में उनको जो राशि मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाई है तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मेरे पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हमारी बहनों को जो राशि नहीं मिली है, आप उन्हें उनकी राशि उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर):- माननीय सभापति महोदय, आज मैं माननीय मंत्री जी की अनुदान मांगों पर चर्चा के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मेरी सरकार के के 5 वर्षों के कार्यकाल का यह पांचवां बजट है। इस सदन में यह मेरा पहला बजट है और मुझे आज पहली बार इस सदन में बोलने का मौका मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) इस विधान सभा में सबसे कम अनुभव और वर्तमान परिस्थिति में सबसे जूनियर के रूप में इस सदन से बहुत कुछ सीखने की अपेक्षाएं मैंने आप सभी से कर रखी है । मुझे विश्वास भी है कि इस सदन के बनाए नियमों का आप सभी के द्वारा

मुझे समय-समय पर अवगत कराए जाने पर मैं सदन की मर्यादा को बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगी । साथ ही सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की जनता के जनहित से जुड़े मामलों पर अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करूंगी, पर ये सब आप सभी वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन और सहयोग से ही संभव हो पाएगा ।

माननीय सभापति जी, सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना गोधन न्याय को पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टार गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है । छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी मजबूती प्रदान कर रही है, बल्कि अवार्ड के माध्यम से इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल रही है । गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की मात्रा 100 लाख क्विंटल हो गई है और जो गोबर खरीदी पर 200 करोड़ रूपए भुगतान किया जा चुका है । गोठान समिति के माध्यम से गौमूत्र का भी क्रय किया जा रहा है और गोठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की नई पहल गांव-गांव में बड़े पैमाने पर करने से अनेक वस्तुओं के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ है । मेरे विधान सभा क्षेत्र सरादु नवागांव में भी गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है । साथ ही वहां पेंट के उत्पादन के साथ-साथ स्व सहायता की महिलाएं सब्जी उगा रही हैं और मुर्गी पालन कर रही हैं । इसके साथ ही कम से कम 2 लाख, 89 हजार से भी अधिक ग्रामीण पशुपालन से लाभान्वित हो रहे हैं । छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद परम्परागत खेती किसानी के पुराने दिन लौटने लगे हैं । मेरी सरकार ने प्रदेश की प्रमुख फसल धान को भरपूर सम्मान दिया है और छत्तीसगढ़ देश में सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने वाला प्रथम और धान की सर्वाधिक कीमत देने वाला अव्वल और सेन्ट्रल पुल में चांवल देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है । धान के साथ ही अन्य फसलों के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है ।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने राज्य के किसानों को अब तक 16415 करोड़ रूपए की इन्पुट सब्सिडी दी है । यह केवल एक किसान ही कर सकता है । इससे साफ होता है कि किसान भाईयों को अपनी ही मेहनत की राशि प्राप्त करने के लिए परेशान होते हुए हम सबने देखा है, यह किसी से छिपी नहीं है । हमारी सरकार धान खरीदी के मामले में हर वर्ष नया रिकार्ड बना रही है । इसी वर्ष की खरीफ फसल में राज्य के 23 लाख, 42 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर 107 लाख, 53 हजार मेट्रिक टन धान खरीदी की गई है, जिसके एवज में 22037 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है । इसी के साथ छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे अधिक किसानों से धान खरीदने वाला पहला प्रदेश बन गया है । पिछली सरकार ने हमारे बस्तर के लौहण्डीगुड़ा के 1707 किसान भाईयों की 4200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी, उसे हमारी सरकार ने वापस कराया है । अगर ऐसा कोई किसान के हित में सोच सकता है तो केवल एक किसान का बेटा

यानि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ही सोच सकते हैं। साथ ही साथ धान का कटोरा के बाद छत्तीसगढ़ देश में मिलेट हब भी कहलायेगा। हमारी सरकार द्वारा कोदो और रागी की फसल को समर्थन मूल्य में खरीदे जाने के बाद हमारे कांकेर जिले में मेरे गांव नाथिया नवागांव, वहां देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) मात्र एक वर्ष की अवधि में ही मिलेटी की खेती का रकबा 69 हजार हैक्टेयर से बढ़कर 1 लाख 88 हजार हैक्टेयर हो गया है। कोदो, कुटकी और रागी की खेती के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी देने वाला देश का एक मात्र राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। कोदो, कुटकी की खेती किसानी करने वाले किसानों के साथ-साथ वहां की महिलाएं और स्वसहायता समूह को भी फायदा मिलने लगा है। रोजगार के साथ-साथ आदिवासी किसानों की आय में भी नई राह खुली है। माननीय सभापति महोदय, मिलेट के उत्पादन, विपणन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ सरकार द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी छत्तीसगढ़ टी-कॉफी बोर्ड का गठन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में माननीय श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आई है, तब से सर्वजन हिताय के कार्यों का बजट लाकर सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और मूलभूत अधोसरंचना के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है। बजट वर्ष 2023-2024 में मेरे भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के मांग अनुरूप सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु कई सारे कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मेरे क्षेत्र के विकास के और बहुत सारे कार्य हुए हैं, मैं उन कार्यों को नहीं बताकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना कहना चाहती हूं कि टाहकापार जो पुल है, वह बहुत पुरानी लंबित मांग है। माननीय मंत्री जी, उसको जल्दी से जल्दी करवा देते तो बहुत अच्छा होता। उस समय आप भी वहां गये थे, वह पुरानी मांग है। उहबा से टाहकापार पुल हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी जी पहली बार भाषण दी हैं। आपके बेहतरीन भाषण के लिए आप जितने विश्वास से बोली हैं, जितनी हिम्मत से बोली हैं, जितना शानदार बोली हैं, उसके लिए हमारी तरफ से भी बहुत-बहुत बधाई और आपके लिए शुभकामनाएं।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डवी :- धन्यवाद।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति जी, आज हमारे विभिन्न विभागों पर लगभग सवा छः- साढ़े छः घंटे लगातार बहुत अच्छी चर्चा आज इस सदन में हुई है। सबसे पहले आदरणीय

अजय भाई अजय चन्द्राकर जी, दलेश्वर जी, सम्माननीय मोहले जी, राजमन बेंजाम जी, शिवरतन भाई, कमरो जी, धर्मजीत भईया, बृहस्पत जी, डॉ. बांधी साहब, शैलेश पाण्डे जी, धरम लाल कौशिक जी, केशव चन्द्रा जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, प्रमोद शर्मा जी, रामकुमार यादव जी, इन्दू बंजारे जी और सावित्री मनोज मण्डावी जी, 17 माननीय सदस्यों ने अपने-अपने कुछ रचनात्मक और कुछ आलोचनात्मक सुझाव भी दिए।

माननीय सभापति जी, विभिन्न विभागों के कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत हुए। विभागों की जानकारी आने के बाद माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव में सुझाव होंगे, हम लोग उस पर भी अमल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, शुरूआत माननीय अजय चन्द्राकर जी ने की है, संसदीय कार्य विभाग में बोलते हुये माननीय अजय जी ने सदन की अवधि के बारे में थोड़ी चिन्ता जाहिर की है, आपकी पार्टी की जब हुकूमत थी तो आप भी सचेतक थे, पार्लियामेंट में लगातार सचेतकों की बैठकें होती है, हम भी अपनी पार्टी की तरफ से कभी गये थे, बड़ी विधान सभाओं के लिये 100 कार्यदिवस के बारे में चर्चा हुई थी, छोटी विधान सभाओं के बारे में 45 दिन का, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, लेकिन छोटी विधान सभाओं में आज 60 दिन का था और उससे छोटी विधान सभाओं में 45 दिन का था । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा में जब आप इधर बैठते थे तब भी, हम इधर बैठे हैं तब भी, कार्यदिवस लगभग 43 से 48 दिवस ही हो रहा है । इस बारे भी कोई कमी नहीं हुई है, इस बजट सत्र की अवधि के बारे में आप बार-बार कह रहे थे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पहले दिन के बैठक में आपने हमने सब तय किया है, आज भी अगर साढ़े छैः घण्टा एक डिमाण्ड पर चर्चा होगी, आप लगातार बैठेंगे, हम लोग चर्चा के लिये तैयार हैं, भागने जैसी कोई स्थिति नहीं है । आप बार-बार कह रहे थे, प्रतिपक्ष को सुनना नहीं चाहते । कल माननीय आसंदी से व्यवस्था आ गई थी, केवल यही था कि प्रतिपक्ष को अवसर ज्यादा दिया गया, मैंने और कुछ नहीं कहा है । उस समय भी किसी ने टोकाटाकी नहीं किया था । पता नहीं, आप इतना उत्तेजित क्यों हो गये थे ? केवल संसदीय कार्य और पंचायती विभाग में बोलकर अपने भाषण को आधा समाप्त कर दिये । हम तो उम्मीद करते थे, आपके भाषण में डेप्थ है, आपके वर्ड्स में ताकत है, हम लोग आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी इतना उत्तेजित हो जाते हैं । आदरणीय सभापति जी, प्रतिपक्ष का हम लोग सम्मान करते हैं, हमें भी उधर बैठने का अवसर मिला है, अभी तो आपको बैठे साढ़े चार साल हो रहे हैं । हम लोग तो 18 साल उधर बैठे हैं, 15 साल यहां और 3 साल मध्यप्रदेश की विधान सभा में बैठे हैं, प्रतिपक्ष का सम्मान होना चाहिये, हम लोग भी मानते हैं । आप उपाध्यक्ष के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, प्रतिपक्ष की गैरहाजिर में उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया । यह परम्परा तो आपने शुरू किया था ? छत्तीसगढ़ बनने के बाद आपने शुरू किया था ? हम लोगों ने उस समय भी दिया था, उसके बाद लगातार 15 साल आप इधर बैठे रहे । आदरणीय अजय जी, बाकी सारी बातें हैं, शैलेष जी ने कहा था कि माननीय विधायकों का पूरा सम्मान होना चाहिये, लगातार

जी.ए.डी. के द्वारा पत्र दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कहते हैं कि माननीय विधायकों का सम्मान लगातार बना रहना चाहिये, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । आसंदी ने केवल आपसे एक बार कहा कि समय का ध्यान रखें । आपको लगा कि शायद ज्यादा टोका जा रहा है । समय तो उतना ही हो गया ना, जितना आप चाहते थे ? माननीय शिवरतन जी, आपने कहा ना कि एक ही विभाग की आज चर्चा होनी चाहिये] समय तो उतना ही हो गया ? हम आपको भी सुनना चाहते थे। बहुत जल्दी नाराज मत हुआ करे । अभी आदरणीय कह रहे थे कि अलबर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है, आजकल आप बहुत गुस्सा करते हैं ? माननीय सभी सदस्यों ने बहुत सारे सुझाव दिये हैं, सुझावों पर जब मैं बिन्दुवार आऊंगा तो जवाब दूंगा । हम लोगो की पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ के कृषि पर आधारित है, छत्तीसगढ़ में हम लोग यह मानकर चलते हैं कि 85 प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है, शेष 15 प्रतिशत लोग हैं, उनकी भी आमदनी का साधन कृषि ही होता है । छत्तीसढ की सरकार ने साढ़े चार साल में जो काम किया, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इधर झांक कर देखियेगा, सरकार में आप भी थे, धान के बारे में चर्चा होती है तो अभी धरम भाई कह रहे थे, क्या आप उनको 2640 रूपया दे रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे थे, हम कितना दे रहे हैं, यहां के किसानों को कितना जा रहा है, यहां की इकानॉमी आपको दिख रहा होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, माननीय सभापति महोदय, बीजापुर जिले में पूरे साल भर में दो या तीन ट्रेक्टर की बिक्री होती थी और आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, minor forest produce की खरीदी, हमारे सारी न्याय योजनाओं को मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को, मजदूरों को लगभग 01 लाख 60 हजार करोड़ रूपये की राशि दी गयी है। हमारे बीजापुर के माननीय सदस्य यहां मौजूद है, आप पूछ लीजियेगा। जहां केवल तीन ट्रैक्टर की बिक्री होती थी, वहां ट्रैक्टर कंपनियों के 10 शो-रूम खुले हुए हैं। ये किस कारण से खुले हुए हैं ? यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने के कारण खुले हैं। अभी शैलेश जी कह रहे थे, मैं उनको बधाई दूंगा, वह शहर के विधायक है, मैं नहीं समझ पा रहा था कि वे एग्रीकल्चर बेस इकोनॉमी के बारे में इतनी अच्छी बात करेंगे। हमने छत्तीसगढ़ में किसानों को पैसा दिया। किसानों की खेती से ही रोजगार सृजित होता है और रोजगार सृजित होने से लोगों को काम मिलता है। उसी से व्यापार बढ़ता है। आपके कुरूद जैसे कस्बाई गांव में भी एक सरकार बनने के बाद 100-100 दुकान बने होंगे, नये खुले होंगे। (मेजों की थपथपाहट) हर चीज की बिक्री बढ़ी है। चाहे वह टेक्सटाइल मार्केट की हो, चाहे सराफा बाजार हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो। हमारे गांवों में कितने मकान बन रहे हैं ? छत्तीसगढ़ में सीमेंट छड़िया के उद्योग चलने लग गये। वह केवल इसीलिये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आदरणीय भूपेश जी ने सोचा, काम किया और लोगों की जेब में पैसे डाले।

आदरणीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब कोरोना काल आया था, सारे देश की इकोनॉमी बिगड़ गयी थी। केन्द्र सरकार ने सांसदों की निधि भी रोक दी थी। अपने कर्मचारियों के वेतन की कटौती की थी। हिंदुस्तान के 07 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन की कटौती की थी। छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उद्योग बंद थे, बाजार बंद थे, आवागमन बंद थे, हमारे सारे लॉजिस्टिक्स, सिस्टम कोलैप्स हो गये थे, बंद हो गये थे लेकिन छत्तीसगढ़ में एक काम बंद नहीं हुआ, वह किसानों की धान खरीदी और किसानों की जेब में पैसा डालने का काम। इसीलिये यह आज दिखाई दे रहा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इन योजनाओं का लाभ सीधा लोगों को दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में यह विकास हो रहा है।

आदरणीय सभापति महोदय, अभी बजट के बारे में आदरणीय कौशिक जी कह रहे थे कि बजट की कटौती हुई है, पिछले बजट का काम नहीं हो पाया है। देखिये आप भी सरकार में रहे हैं, जब सारा बजट बनता है, वह Unscrutinised रहता है। बजट वैसे ही बनाया जाता है। आप 15 साल तक हुकुमत में रहे हैं। उसके बाद प्रशासकीय स्वीकृति होती है। इस बजट के बारे में आपको कहना चाहता हूं कि यह हमारे कृषि, उद्यानिकी, पशुधन और मछली पालन का संपूर्ण बजट है। वर्ष 2019-20 में जो बजट था, उससे अभी के बजट में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोई कटौती नहीं हुई है। इसमें लगातर वृद्धि होते जा रही है। आपने एक-आत घटक में कमी देख ली और उसको कहेंगे कि बजट की कटौती हुई है, तो ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय, धान के उत्पादन, रकबा के बारे में भाई शिवरतन जी कह रहे थे। वे कल के, परसो के प्रश्न में भी कहे और आज भी चर्चा हो रही थी कि रकबा काटा जा रहा है। वर्ष 2017-18 में 38 लाख हेक्टेयर और उस साल धान का जो टोटल उत्पादन हुआ था वह 86 लाख मीट्रिक टन था और 2022-23 में 39 लाख हेक्टेयर से अधिक 140 लाख मीट्रिक टन। आपने वर्ष 2017-18 में 12 लाख किसानों के 57 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी, जबकि इस साल हमने साढ़े 23 लाख किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। तो रकबा कहां कटा ? धान का उत्पादन कहां कम हुआ ? कहां धान की खरीदी कम हुई ? रबी फसलों का भी रकबा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2018 में 15 लाख हेक्टेयर था, चार वर्षों में यह लगभग 19 लाख हेक्टेयर को पार कर दिया है, छत्तीसगढ़ में रबी फसलों का रकबा 24 प्रतिशत अधिक बढ़ा है। मिलेट्स के बारे में चर्चा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार बने हुए खाद्यान्न पदार्थ का उपयोग करके देश में संदेश देने की कोशिश की है। हमने उससे पहले छत्तीसगढ़ में लागू किया। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स मिशन लागू किया गया है। एक मात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जहां कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) और यहां न केवल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है हमारे प्रदेश में समर्थन मूल्य घोषित करने के कारण 3000 रूपये प्रति क्विंटल कोदो, 3100 रूपये प्रति क्विंटल कुटकी, रागी का प्रति क्विंटल

3578 रूपया समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। यहां केवल समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। हम इसकी खरीदी भी करने जा रहे हैं और इस साल लगभग इस रेट में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कोदो, कुटकी और रागी का उपार्जन किया। पिछले साल 52 हजार 728 क्विंटल और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक इस साल 39 हजार 410 क्विंटल की खरीदी कर ली है। इसके कारण जो फसल परिवर्तन की बात होती है हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा बढ़ाया। पहले हम धान में देते थे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय खाद्य मंत्री जी के साथ दिल्ली की बैठकों में गए थे। केन्द्र सरकार को बड़ी आपत्ति है कि आप धान के सपोर्ट प्राईज से ज्यादा पैसा क्यों देते है ? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार मिनीमम् स्पोर्ट प्राईज से एक रूपया देगी तो हम उसका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने इसीलिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और उसके बाद भी उन्होंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि आप केवल राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान देते हैं इसका आशय है कि आप धान में बोनस दे रहे हैं इसलिए हमने यह लागू किया। हमने इसमें सारी खरीफ की फसलों को शामिल किया इसलिए कोदो, कुटकी और रागी के जो रकबा है इन 4 वर्षों में इस रकबे में 1 लाख हेक्टेयर की वृद्धि अकेले कोदो, कुटकी की हुई है। यह अपने आप में उपलब्धि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में रकबा बढ़ा, किसान बढ़े, उत्पादन बढ़ा, खरीदी बढ़ी। लोगों के पास ज्यादा पैसा गया। इसके और एक कारण है ऋण की भी स्थिति बताना चाहूंगा कि हम जो शार्ट टर्म लोन लेते हैं वर्ष 2018 में जब आपकी हुकूमत का अंतिम वर्ष था तो खरीफ में 3 हजार 272 करोड़ रूपया और अभी कुल 6 हजार 347 करोड़ रूपया । इस प्रदेश में किसानों की ऋण लेने की क्षमता बढ़ी है। इसलिए दुगुने से ज्यादा इसका भी विस्तार हुआ है। किसान लगातार इसका लाभ ले रहे हैं। हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की। यह तीसरा साल मिलाकर, 18570 करोड़ रूपये का भुगतान केवल इनपुट सब्सीडी के नाम से हुआ है। सारे देश में किसानों को इतनी राशि कोई नहीं दे सकता। आप बार-बार कह रहे थे कि दिल्ली सपोर्ट प्राईज घोषित करता है। सारे हिन्दुस्तान के लिए यह सपोर्ट प्राईज घोषित होता है। छत्तीसगढ़ में किसानों को पैसा दिया जा रहा है। हम कर्ज लेते है। हम जब चावल बिक्री करते हैं तो हमको केन्द्र सरकार पैसा देती है। अब मिनिमम् सपोर्ट प्राईज में लगातार ...।

श्री सौरभ सिंह :- आप यह भी धन्यवाद् दे दीजिए कि केन्द्र सरकार, आपका 64 लाख मीट्रिक टन चावल ले रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। केन्द्र सरकार सिर्फ 64 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं ले रही है। आपने इस धान खरीदी को कमाई का माध्यम भी बनाया है। इसका माध्यम क्या है, आपने उसमें खर्चे क्या जोड़े हैं आपने केवल 5 प्रतिशत मण्डी टैक्स जोड़ दिया है। आपने कृषक कल्याण टैक्स अलग जोड़ दिया है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए इसे कमाई का माध्यम बनाया है।

श्री कवासी लखमा :- यह कोई नई बात थोड़ी है।हम हिन्दुस्तान में नहीं है हम यह नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे? उसके बाद आपके 2 साल चावल नहीं लेने से हम लोगों ने 2500 रूपये के धान को 1500, 1600 रूपये में बेचा है। उस समय केन्द्र सरकार कहां थी ? आप लोगों ने क्यों नहीं बोला?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे एक निवेदन और करता हूँ। आपके जो एक साल का जो पेमेण्ट हुआ है वह 2415 रूपये हुआ है। डिफरेंश का जो 85 रूपये है आप उसको देंगे क्या? आप यह भी बता देंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- कभी-कभी आप ऐसा बोलते हैं तो अच्छा लगता है और आप भी अच्छे लगते हैं। आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है। आपने 2100 रूपये समर्थन मूल्य की बात कही थी आपने यह दिया था? आपने 300 रूपये बोनस की बात कही थी आपने यह दिया? उन किसानों का बकाया बोनस था, यह आपने उनको दिया?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपका घोषणापत्र साथ लेकर आया हूँ। हम जो नहीं दे पाये थे, आप उसको देने वाले थे । कभी आप जनघोषणापत्र को पलट कर देख लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- हमारे घोषणापत्र को क्यों दिखा रहे हैं आप अपने घोषणापत्र को दिखाईये।

श्री सौरभ सिंह :- हम नहीं दे पाए इसलिए यहां बैठे पर बैठे हैं। जो हम दो साल का बोनस नहीं दे पाये थे, उस दो साल का बोनस देने के लिए आप भी तो बोले थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम जो नहीं दे पाये उसको आप देने वाले थे न। आप जरा पलटकर देख जो, राजा साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि इसमें लिखा है या नहीं लिखा है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग भी आपने घोषणा पत्र को पलटकर देखो।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- शिवरतन जी, जितनी शिद्दत से आप हमारे घोषणा पत्र को रखे हैं, अगर उसी शिद्दत से रमन सिंह जी काम कर दिये रहते तो आप लोग यह 14 सीट में नहीं अटके रहते।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम लोग इसको 2023 तक लेकर ही चलेंगे।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबंद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- उसमें पंजा चिन्ह बना है, अपना चिन्ह मत भूल जाइयेगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अगर किसानों को पैसा मिल रहा है तो आप परेशान क्यों हो रहे हो?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रसन्नता की बात है, परेशान नहीं हैं। आप घोषणा किये हैं उसको और दो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हम जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की नीति बनाये हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राईस दिल्ली घोषित करती है और हम खरीदते हैं। अगर केवल मिनिमम सपोर्ट प्राईस के आधार पर सारे हिन्दुस्तान के लिए होता है, ऐसा अभी बोल रहे थे तो

उत्तरप्रदेश में किसानों का धान कितने में बिकता है, आपको मालूम है ? जहां स्वयं प्रधानमंत्री जी निर्वाचित होते हैं वहां 1 हजार में धान की कीमत लेने वाला कोई नहीं है। वहां मिनिमम सपोर्ट प्राईस क्या हो जाता है। इसलिए पैसा हम देते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- शायद इसीलिए आपके विधायकों की पुन्नूलाल जी के बच्चों से संख्या कम है, पुन्नूलाल जी के बच्चों की संख्या ज्यादा है। यू.पी. में जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या है न, उससे 6 गुना ज्यादा बच्चे हमारे पुन्नूलाल मोहले जी के हैं। इसलिए ये स्थिति है।

श्री शैलेश पांडे :- उनको बदनाम कर रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- देखिये भाई, आदरणीय पुन्नूलाल जी बहुत आदरणीय हैं, मेरे मामा जी हैं। लेकिन अभी आपकी संख्या उनके बच्चों की संख्या बराबर है। (हंसी) आने वाले चुनाव के बाद वह संख्या और कम हो जायेगी। आप यह समझ लेना। माननीय सभापति जी, यह तो धान की कीमत हुई। केन्द्र सरकार ने गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राईस बढ़ाया। उत्तरप्रदेश में अभी गन्ने की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल मिलती है और वह भी एक-एक साल पेमेन्ट नहीं होता। छत्तीसगढ़ में मैं इस साल आपको पंडरिया का बता दूं, हमारे सभी गन्ना फैक्टियों में, लेकिन हमारे पंडरिया में शक्कर की रिकवरी थोड़ी ज्यादा हुई है। 459.40 रुपये प्रति क्विंटल दिये हैं। मैं अपने छत्तीसगढ़ के किसानों को बधाई देता हूं, गन्ना उत्पादन किसानों को, धान उत्पादक किसानों को, कोदो कुटकी के उत्पादक किसानों को बधाई देता हूं। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। हम लोग जब मध्यप्रदेश की विधान सभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का संकल्प लाये थे, शासकीय और अशासकीय दोनों संकल्प लाये थे। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी उस बार विधान सभा में थे। हम लोग थे। तब भी हम कहा करते थे कि हमारे हिन्दुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य छत्तीसगढ़ बनने वाला है। यहां सबसे पहले खुशहाली अगर आयेगी तो किसानों को समृद्ध करने पर आयेगी। 15 साल आपने ध्यान नहीं दिया, लगातार धोखा दिया। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसान के बेटे हैं। उन्होंने पहले दिन से, पहला हस्ताक्षर किया, आप लगातार कहते हैं कि सभी कर्जे माफ नहीं हुए। लेकिन 10 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करना वह भी छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, जब 1 लाख करोड़ का बजट नहीं था, यह किसकी हिम्मत हो सकती है। छत्तीसगढ़ में केवल किसान के बेटे की हिम्मत हो सकती है। (मेजों की थपथपाहट) 2500 रुपये की जब धान खरीदी की बात कही गई थी तो कई कांग्रेस के नेताओं को भी, आपको तो भरोसा नहीं रहा होगा, कई कांग्रेसियों को भरोसा नहीं था। क्या हम 2500 धान का समर्थन मूल्य रुपये दे पायेंगे ? लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति छत्तीसगढ का किसान इसीलिए नारा लगाता है, आपने कहा है कि आने वाले समय में 2800 रुपये मिलेगा इसका मतलब है कि धान की कीमत 2800 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी। आदरणीय साथियों, इस साल गन्ना खरीदी के लिए भी पर्याप्त राशि की व्यवस्था हमने की है, लगभग 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। माननीय सभापति जी,

गोठान, गोबर खरीदी, गोधन न्याय योजना, गोमूत्र खरीदी, उसकी बिक्री, वर्मी कम्पोस्ट प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से, , ध्यान आकर्षण के माध्यम से और आज मैं आप सबको बधाई देता हूं। माने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष का भी कृषि के बारे में बोलना कम था, आप गोधन न्याय और गोबर खरीदी और गौठान की व्यवस्था के बारे में ज्यादा बोल रहे थे। मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और यह ऐसी योजना है। नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की प्रशांसा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की । (मेजों की थथपाहट) पूरे देश में यह योजना कई अवार्ड पा चुकी है। कल ही मध्यप्रदेश के गो आयोग के अध्यक्ष यहां गौठान देखने के लिए आये थे । कई राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। इसके आंकड़े अब नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं उस दिन के प्रश्नोत्तरी में बहुत कुछ कह दिया हूं, लेकिन 211 करोड़ की गोबर खरीदी हुई है। हमारा गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक धुरी बनने जा रहा है। 211 करोड़ की गोबर की खरीदी गौठान समितियों को एस.एस.जी. की महिलाओं को और गोपालको को देय राशि, सबको अगर आप जोडेंगे और वहां हमारी चलने वाली छोटी-छोटी एक्टीविटीज हैं, उससे जो लाभ अर्जित किया जा रहा है, लगभग 430 करोड़ रूपये का व्यापार उन गोठान सिमतियों के माध्यम से किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) डेढ़ लाख महिलाओं का एस.एस.जी. से लगा हुआ है। अब अभी प्रश्न कर देते हैं । आदरणीय पूछ रहे थे। माननीय रश्मि जी के क्षेत्र में किसी स्थान में, तो यह घटनायें हैं। हमने रायपुर की घटना देखा था। हमने कई गौशालाएं आपके समय में देखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी पद यात्रा करने गये थे तब सैकड़ों गाय मर गई थी। जमीन में दफन कर दिया गया था। उसकी हड्डियों की धंधा करने वाले लोग थे और दुर्भाग्य से वहां कमल फूल का बड़ा निशान लगा हुआ था। आपकी पार्टी के सदस्य के। हम लोग उसको नहीं भूले हैं। लेकिन यह गौठान से यह आलोचना की बात नहीं है। हो सकता है कि कहीं हमारी गौठान संचालित होने में कमी हो, हमारी गौठान समितियां काम नहीं कर पा रही हो, लेकिन एक बात समझ लीजिये कि प्रतिदिन छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे पर 400 गाय की मौत होती थी। हमने सारे कलेक्टरों से जानकारी मंगाई थी। यह गोधन न्याय योजना लागू होने के बाद वह 10 प्रतिशत नहीं रहा गया है। प्रतिदिन इतनी गाय की मौत में कमी आई है। नंबर 1 पर है। धर्मजीत भैया, आप रायपुर बिलासपुर रोड में जाते हैं । अकेले रायपुर बिलासपुर रोड में 7 से 8 गाय रस्ता में दिखती थीं। आज धोखे से एकाध दिखती है। वह तो आदमी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जो गौ की सड़कों में होने वाली मौत है, वह रूक गया है। 26 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बना कर हम खेतों में डाल दिये। सारे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। नेशनल फर्टिलाईजर मिनिस्टर मनसुख एल. मांडविया जी ने कहा है कि सारे हिंदुस्तान में इसको लागू करना चाहिए। डेढ़ लाख एकड़ जमीन गौठान बनाने के नाम से सुरक्षित कर लिये हैं, गवर्नमेंट का लैंड पुल बन गया है। (मेजों की थपथपाहट) आप रोका-छेका की बात पूछ रहे थे। गांवों की परंपरा है। गौठान भी हमारी परंपरा है। रोका-छेका हरेली को होता था, लेकिन इस कार्यक्रम के

कारण 15 दिन पहले रोका-छेका हो रहा है तो फसल का जो ड्यूरेशन है। हमारा किसान 15 दिन पहले खरीफ फसल डालता है और सेकंड क्राप के लिए उसको 15 से 20 दिन एडवांस समय मिलता है। यह छत्तीसगढ़ के किसानों का इसका अतिरिक्त लाभ होने जा रहा है। (मेजों की थपथपाहट) शिवरतन भाई इस बात को समझ पायेंगे या नहीं पायेंगे, यह पता नहीं, लेकिन यह स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, भाई केशव चंद्रा जी भी थोड़ी सी कृषि यांत्रिकीकरण के बारे में कह रहे थे। सबका विस्तार हुआ है। आप क्यो परेशान होते हैं? आपकी सरकार में आपने वर्ष 2018 तक केवल 1,087 ट्रेक्टर अनुदान वितरित किये थे। इन 4 सालों में 2,827 अनुदान पर ट्रेक्टर वितरित किये जा चुके हैं। लगभग दोगुना। दूसरा, पहली बार 44 कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को दिया गया है। अभी यह प्रक्रिया लगातार जारी है। तीसरी बात, आपके 5 वर्षों की तुलना में 1021 लगभग मशीनरी बैंक और कृषि यंत्र सेवा का केंद्र यह बड़ा सब्सिडी का कार्यक्रम है । उसकी तुलना में दुगूना लगभग 2266 कृषि सेवा केंद्र हमने प्रारंभ किये हैं इसके लिये इस साल भी बजट में पर्याप्त प्रावधान रखा गया है ।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मण्डी बोर्ड के कामों के बारे में चर्चा कर रहे थे । इसमें भी लगभग 141 हाट बाजार के लिये राशि दी गयी है, लगभग 114 नवीन गोडाऊन स्वीकृत किये गये हैं । पहली बार प्राईमरी सोसायटियों में किसान लोगों के बैठने के लिये भी 455 किसान कुटीर, आप लोग और प्रस्ताव दे दीजियेगा और स्वीकृत कर देंगे लेकिन 455 किसान कुटीर बनकर के तैयार हो गये हैं । हमारा किसान जब जाता था ।

श्री सौरभ सिंह :- सिरतो में मिल जही ?

श्री रविन्द्र चौबे :- सिरतो में मिल जही । माननीय सभापति महोदय, नये कार्य कुछ प्रयोगशाला हमेशा माननीय धरम भैया का प्रश्न बीज की गुणवत्ता के बारे में रहता है । हमने इस बार बजट का प्रावधान किया है । बीज ऊर्वरक और जैविक आदान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बजट प्रावधानित किया गया है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि प्रयोगशाला हम जितने बनायेंगे वह किसानों के हित में है । 2 रूपये का गोबर खरीद रहे हैं, 10 रूपये का हम बेच रहे हैं । उसका भी टेस्टिंग लैब बनना चाहिए क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में उसकी गुणवत्ता को लेकर अनेक बार प्रश्न उठे हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आदरणीय धरम भैया, टेस्ट होथे । बिना टेस्ट के काम नइ होय ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं उस पर भी थोड़ा सा चाहता हूं कि उसमें आगे प्रोविजन रखें और करना चाहिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, आप 15 साल सरकार में रहे । पंचायत का विकास भवन बना दिये, पता नहीं क्या-क्या भवन बना दिये लेकिन कृषि भवन नहीं बना था । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ की लागत से इस बजट में प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ में इस विभाग का एक बड़ा कृषि भवन बनाया जायेगा । कुछ अनुविभागीय कार्यालय आपने बंद कर दिये थे । दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग में, मुंगेली जिले में लोरमी । हमने उसको फिर से प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया है । हमने बजट में उसके लिये प्रावधान कर दिया है । माननीय सभापति महोदय, एन.ए.बी.एल. के मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हेतु लगभग 25-25 लाख रूपये का हम लोगों ने इसके लिये भी बजट का प्रावधान किये हैं ।

माननीय सभापति महोदय, उद्यानिकी । पिछले 4 वर्षों में उद्यानिकी फसलों का जो क्षेत्र है वह बढ़कर के 8.64 लाख हेक्टेयर से, इसमें उत्पादन लगभग 1 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन लिया गया है । टी कॉफी बोर्ड के बारे में किसी माननीय सदस्य ने कहा । प्रदेश में टी काफी बोर्ड का गठन किया गया है । 525 एकड़ रकबा में कॉफी और जशपुर में 5585 एकड़ में चाय रोपण की शुरूआत हो गयी है, उसकी कार्यवाही चल रही है । उद्यानिकी फसल को भी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद हमने जीरो परसेंट ब्याज के अंडर कवर किया है । उद्यानिकी फसलों में शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का भी निर्णय इस सरकार ने लिया है और इस हेतु 18.71 करोड़ का ऋण प्रदान किया जा चुका है ।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में उत्पादित फल-सब्जियों और कृषि उत्पादों के निर्यात उचित मूल्य पर विपणन के लिये भाभा एटामिक रिसर्च से तकनीकी सहयोग से इंटिग्रेटेड पैक हाऊस स्थापना हेतु भी इस बजट में 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस साल खैरागढ़ में हाईटेक नर्सरी हेतु भी डेढ़ करोड़ का प्रावधान रखा गया है । सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये भी डेढ़ करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2018 तक भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में 19 कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ किये गये थे । पूरे 15 साल में 19, केवल 4 साल में 19 कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय । माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने केवल 4 साल में प्रारंभ कर दिया है । 2 डेयरी टेक्नालॉजी और 1 फिशरी पॉलिटेक्निक जो जोड़ेंगे तो 19 और 03 कुल 22 कॉलेज और इस साल के बजट में 5 उद्यानिकी महाविद्यालय और 03 कृषि महाविद्यालय, 08 महाविद्यालय । जो पिछले बजट में प्रस्तावित था महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रहा है । जगह चिह्नित हो गई है, बजट में प्रावधान हो गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों बहुत जल्द ही उसका उद्घाटन का कार्यक्रम होगा ।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 07 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं सभा सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि महात्मा गांधी वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय बहुत जल्द ही मूर्त रूप लेने जा रहा है ।

पशुधन विकास विभाग में बहुत अरसे बाद नए पशु औषधालय, पशु चिकित्सालय के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । पशुओं की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 14 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में उन्नयन करने हेतु प्रावधान किया गया है। 25 नवीन पशु औषधालय के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है । दतरेंगा बना हुआ था लेकिन वहां कोई काम हो नहीं पा रहा था उसकी स्थापना हेतु 2 करोड़ 18 लाख का प्रावधान मुख्य बजट में किया गया है । 17 जिला मुख्यालयों में 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला हेतु भी राशि का प्रावधान किया गया है । 14 पशु औषधालय एवं 8 पशु चिकित्सालयों तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के भवन के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है । बिलासपुर के लिए आदरणीय शैलेश जी हमेशा मांग करते रहते थे । वहां के पशु चिकित्सा विद्यालय के लिए वहां फार्म, अधोसंरचना विकास, उपकरण आदि के लिए 5 करोड़ की राशि का इस बजट में प्रावधान किया गया है । दाऊ वासुदेव कामधेनु विश्वविद्यालय के बारे में जैसा मैंने कहा 2 डेयरी टेक्नालॉजी और 1 फिशरी का कॉलेज प्रारंभ किया गया है । सभापति महोदय, हर वर्ष दो बार शत-प्रतिशत टीकाकरण का अभियान विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है । पशुधन विकास में छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा है वह मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना । प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा हेतु 163 मोबाइल वेन के माध्यम से गौठान तक पशु के त्वरित उपचार, टीकाकरण, माइनर सर्जरी एवं अन्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु जी.पी.एस. लगे मोबाइल वेन तथा पशु चिकित्सा सेवा की मॉनीटरिंग एवं परामर्श सुविधा का प्रारंभ किया जाना है । इस हेतु 31 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया गया है । सभापति जी, इस प्रकार पशुधन विकास विभाग के द्वारा काफी विकास के कार्य और आवश्यक काम किये जा रहे हैं । फिशरीज़ में भी 2-3 बिंदु बताना चाहता हूं । छत्तीसगढ़ को फिशरी में बेस्ट इन लैंड स्टेट पुरस्कार विश्व मत्स्यकीय दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा 10 लाख रूपए और पुरस्कार दिया गया है । मछली पालन के विकास हेतु आपकी हुकूमत जब थी सन् 2018 में बजट में 99.76 करोड़ रूपया था । उसमें लगातार वृद्धि करते हुए इस साल 2023-24 में 206 करोड़ 55 लाख रूपया, यानी इसकी वृद्धि लगातार हो रही है । छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राज्य माना जाता है । बीज उत्पादन लगभग 332 करोड़ फ्राय स्टेट, बीज उत्पादन के बारे में ऐसे आंकड़े भारत के मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कोस्टल स्टेट को

छोड़ दो तो छठवां राज्य हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है । इस प्रकार से केज कल्चर के बारे में अभी बात हो रही थी । धर्मजीत भइया पूछ रहे थे । आपके खुड़िया जलाशय को भी हम लोग उसमें शामिल कर रहे हैं और केज कल्चर अभी चार वर्षों में 4345 लगाएं हैं, अब यह टोटल 5021 हो गया है और आने वाले समय और इसको और बढ़ावा देने के लिए केज कल्चर का विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रतिशत जलाशयों के जल क्षेत्र को लगाने का निर्णय लिया है लेकिन भारत सरकार ने केवल एक प्रतिशत कहा है। आपके खुड़िया जलाशय के लिए भी हम अधिकारियों को निर्देश जारी कर देंगे। इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, दो प्रमुख बातें मछली पालन विभाग में हुआ है। सबसे पहले हमने मछली नीति तैयार की है। इस नीति के तहत् जो परंपरागत रूप से मछली का कार्य करने वाले लोग हैं, उसको जाति भी कह सकते हैं, ढीमर, केंवट, निषाद, कहार, मल्लाह, कहरा इनको हर काम में प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा, हमने मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट) इसके कारण लगभग किसानों को सीधा विद्युत दर में जैसे किसानों को जीरो विद्युत दर में हम छूट देते हैं, बैंक के शार्ट टर्म लोन में जीरो प्रतिशत ब्याज में देते हैं, हम जल आपूर्ति में किसानों को लगातार छूट देते हैं। उसी प्रकार अब मछली पालन करने वाले किसानों को भी इस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ में इन चारों कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन और पशुपालन में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काफी मायल स्टोन साबित होगा।

सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूं, क्योंकि इस विभाग के बारे में कम चर्चा हुई है। तीन, चार प्रमुख बिन्दु ही है। माननीय शिवरतन जी ने एक भाषण पढ़ दिया। डॉ. रमन सिंह जी कहते थे कि 20 लाख हेक्टेयर...।

(माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा खड़े होने पर)

सभापति महोदय, भाषण ही है, मैं उल्लेख ही कर रहा हूं, आप उसको फिर से मत निकालिए। मैं उल्लेख ही कर रहा हूं। 20 लाख हेक्टेयर में रूपांकित एस पर डिजाईन एरिगेशन होना था। उस समय भी जो सिंचाई क्षमता थी, वह 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नहीं थी। उसको 13 लाख हेक्टेयर किया गया, आज ही अपने भाषण में आदरणीय धर्मजीत भैया ने कहा ना कि अरपा भैंसाझार से भी सिंचाई लगभग 12 हजार, साढ़े 12 हजार हेक्टेयर में शुरू हुई है। इसी प्रकार केलो से सिंचाई शुरू हुई है, जोंक से सिंचाई शुरू हुई है, सोंढूर से सिंचाई शुरू हुई है, अन्य योजनाओं से शुरू हुई है। अगर उन सबको जोड़ेंगे और माइनर स्कीम जो है, लाईनिंग का काम छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इसलिए यह तीन लाख हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी का आंकड़ा लगातार दिया गया है। इसी आंकड़े पर आप लोग उलझे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय, मैंने जो उल्लेख किया था ना, माननीय भूपेश बघेल जी के दो बजट भाषण का उल्लेख किया था। पिछले बजट भाषण में 13 लाख 58 हजार हेक्टेयर की सिंचाई की बात की गयी थी और इस साल के बजट भाषण में 13 लाख 5 हजार हेक्टेयर की बात है तो साल भर में बढ़ने के बजाय 50 हजार आप स्वयं कम बता रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय शिवरतन जी, आप आंकड़ों में उलझ जाते हैं। तीन, चार, पांच आंकड़ें अलग-अलग तारीखों का अलग-अलग पढ़ लेते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने सिर्फ पिछले साल और इस साल के बजट भाषण का उल्लेख किया है। आप बजट भाषण को देख लीजिए नहीं तो मेरे पास दोनों कॉपी है, मैं दे देता हूं।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह आपके बनाए हुए दो डैम टूट गये थे ना।

श्री शिवरतन शर्मा :- टंकण त्रुटि मान लीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, मनियारी परियोजना से 28 हजार हेक्टेयर, अरपा भैंसाझार से 12930 हेक्टेयर, खारंग से 4757 हेक्टेयर, समोदा बैराज से 4773 हेक्टेयर, सोंढूर से 3429 हेक्टेयर, केलो से 3976 हेक्टेयर, बांगों के विस्तार से 3511 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की वृद्धि की गयी है, आप पूछ रहे थे ना। यह सामान्य है। हम लोगों ने माईनर स्कीम की भी लाईनिंग की है। आज ही खारंग का एक किसान मुझे बता रहा था, तेल एरिया तक भी गर्मी में पानी है, भरने के लिए तालाब गया है, लेकिन लोग उससे भी सिंचाई कर रहे हैं। पानी पहुंच रहा है। विस्तार हुआ है, लाईनिंग हुआ है, काम हुआ है। उसी की तो बात हो रही है। आपने दो तीन बड़ी प्रोजेक्ट के बारे में अहिरण, खारंग की चिंता की, चर्चा की। आपने बार-बार बोधघाट और वेबकॉस्ट की चर्चा की। ऐसा नहीं है कि वेबकॉस्ट को काम केवल कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद मिली है। मैं आपको 2-3 आंकड़े दे दूंगा। इसी छत्तीसगढ़ में आपने गंगरेल-तांदुला लिंक के सर्वे का काम वेबकॉस्ट को दिया था। उनको आपने अपनी हुकूमत में पहले भी काम दिया था। जब हमारी सरकार ने केवल सर्वे का काम दिया तो आप प्रश्न कर रहे थे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इसको दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हमारी परियोजनाओं में ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद समझते हैं कि यदि हमारी सिंचाई की परियोजनाएं रूकी हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपने छत्तीसगढ़ की महानदी में यह जो 6-6, 7-7 बैराज बनाये, यह केवल उद्योगतियों के लिए बनाये गये। उनसे पैसे लेकर ये बैराज बनाये गये। आपके उसमें लिखित और चिन्हित कर दिया कि इन बैराजों से किसानों को पानी नहीं मिलेगा। उसके कारण उड़ीसा के साथ हमारा डिस्पुट हुआ। महानदी का ट्रिब्यूनल बना। अभी ट्रिब्यूनल में मामला चल रहा है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ केन्द्रीय मंत्री आदरणीय भाई गजेन्द्र सिंह जी शेखावत से दिल्ली भी इसकी चर्चा की। यहां जल शक्ति मिशन की बैठक में आदरणीय गुरू गोसाई रूद्र कुमार जी भी मौजूद थे। वह यहां भी आये थे तो उन्होंने कहा-हर घर नल से जल, मैंने पूछा कि जल कहां से आएगा? इसको बनाना पड़ेगा। बगैर पैरी बनाये महानदी

कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं हो सकता है। अरिहन का पानी लाये बगैर अरपा भैंसाझार से लेकर खारंग (बिलासपुर) तक समस्या बनी रहेगी। हमारी सभी प्राथमिकता है कि हमें पेयजल के लिए पानी देना है, हमको इन्डस्ट्री के लिए पानी देना है। लगातार इन्डस्ट्रीलाइजेशन हो रहा है। लगातार सामूहिक नलकूप, सामूहिक नल-जल प्रदाय योजना से हर घर नल से जल देना है तो उसको आदरणीय पी.एच.ई. मंत्री जी स्वीकृत कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं तो बनानी पड़ेंगी। हमने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी से निवेदन किया कि उड़ीसा से हमारा विवाद चलता रहेगा। कावेरी विवाद में तो 30 साल से फैसला नहीं हुआ है। क्या हम लोग 30 साल तक लड़ते रहेंगे? हमारा जो हिस्सा बनता है उसमें आप कुछ कटौती कर लीजिए लेकिन हमको अपनी परियोजनाओं को बनाने के लिए अनुमति दे दीजिए। लेकिन राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली की सरकार ऐसा नहीं सोचती है जिसके कारण ये सारी योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। अभी छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं को पूरा करना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बजट के प्रावधानों को संक्षिप्त में बता देता हूं। वृहत सिंचाई योजना 218, मध्यम सिंचाई परियोजना 75, लघु सिंचाई योजना 840 के लिए, इन नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 230 करोड़ रूपये, लघुत्तम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 856 करोड़ रूपये, नाबार्ड की सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए 540 करोड़ रूपये, बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 125 करोड़ रूपये, बांध सुरक्षा एवं बांध पुनर्वास हेतु 98 करोड़ रूपये, सिंचाई विभाग में नवीन पदों का सृजन भी एक बड़ी समस्या है। मैं नवीन पदों के सृजन के बारे में कह रहा हूं। विधान सभा में 2 दिन पहले आदरणीय बृजमोहन जी का प्रश्न लगा था। माननीय बृजमोहन जी ने पदों की रिक्तियों के बारे में जानकारी चाही थी। जल संसाधन विभाग में बहुत रिक्तियां हैं। मैं आपको बार-बार दोष नहीं देता। आप 15 साल तक सरकार के में रहने के बाद भी सिंचाई विभाग में 1 भी नियुक्ति नहीं कर पाये। हमने 100असिसटेंट इंजीनियर (सहायक अभियंताओं) की नियुक्ति कर दी और लगभग 400 सब इंजीनियर की नियुक्ति के ऑर्डर पर साइन हुए रखे हुए हैं। केवल एक कारण है। आरक्षण का बिल राजभवन में अटक गया है। यदि 2 दिन और वक्त रहता तो छत्तीसगढ़ के 400 बेरोजगारों का हित हो जाता। वह रूक गया है। हम लगातार भर्तियां कर रहे हैं लेकिन रिक्तियों के कारण यह जरूर प्रभावित हो रहा है। इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत् हैं।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी आज की मांगों की चर्चा का विषय है। पंचायत विभाग में हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा काम लगातार सभी माननीय सदस्यों ने जनप्रतिधियों के सम्मान की बात कही । मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जितना मांगा था, उससे ज्यादा उनको निधि दी गई । उन्होंने जितना चाहा था, उससे ज्यादा उनके वेतन निर्धारित किए गए और उन्होंने जितना चाहा था, उससे ज्यादा उनको अधिकार दिए गए। आप जनप्रतिनिधियों के सम्मान की बात करते हैं । मैं एक-एक आंकड़े नहीं पढ़ना चाहता कि किसका

कितना मानदेय बढ़ाया गया, किसको कितनी पंचायत की निधि दी गई, लेकिन पहली बार हुआ। पार्षदों की भी निधि हुआ करती थी, सांसद, विधायकों की भी निधि हुआ करती थी । चन्द्राकर जी, आप भी पंचायत मंत्री थे । जिला पंचायत, जनपद पंचायत में ऐसा कभी नहीं था । आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। पंचायती राज के साथियों के सम्मेलन में पंचायत मंत्री के रूप में माननीय महाराज साहब भी थे । जितनी भी घोषणाएं आपने की, उन सारी घोषणाओं को पूरा कर दिया गया है । धर्मजीत भैया सी.आर. लिखने के बारे में पूछ रह थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, आपके उस सम्मेलन में उनको सी.आर. लिखने का अधिकार देने की बात थी और अभी तो चुनाव है न । 27-28 लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दे दीजिए, कागज में तो देना है । आप घोषणा कर दीजिए कि इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, वह भी बढ़िया मजा करे । यही दो मांग है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, जो घोषणाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वह सभी घोषणाएं लगभग पूरी हो गई हैं । 50 लाख रूपये तक के काम के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों की चर्चा होती है । मैंने उस दिन भी कहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 50 लाख तक के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्यों को करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को रहेगा, सरपंच जी को रहेगा। हम अभी भी उसमें कायम हैं, लेकिन गांव में सब प्रकार के काम होते हैं, पी.डब्ल्यू.डी. के काम होते हैं, पीएचई के काम होते हैं, उद्योग के छोटे काम होते हैं। क्या आप इजाजत देंगे कि वे सारे काम ग्राम पंचायत करे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, बिल्कुल मत देना भैया, आप सिर्फ पंचायत वाला काम बस दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- धर्मजीत भैया, जब आप उनके साथ बात करते हैं तो उनके टाईप की बात करते हैं । इधर बात करते हैं तो इनके टाईप की बात करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति जी, मैं बिल्कुल उनके टाईप बात नहीं करता । मैं उनको सिर्फ सी.आर. लिखने का अधिकार जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए बोला था और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दो, ये कहा था । एक समय में दिग्विजय सिंह जी के जमाने में था । आप कर सकते हा तो कर दो । मैं काहे को बोलूंगा कि 100 करोड़ दो या 50 लाख दो, ये सब आपका विवेक है । आपको जो देना है, दीजिए, नहीं देना है, मत दीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, मैं कह रहा था कि जितनी घोषणाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, वह सारी घोषणाएं लगभग पूरी हो गई हैं । अब कुछ घोषणाएं बची हैं, वह सतत् होती हैं । वह सी.आर. लिखने की बात है तो उसको दिखवाते हैं कि किस स्तर पर है, वह सतत् है । आज हो सकता है, कल हो सकता है । आपने राज्यमंत्री का दर्जा देने की बात कही । मैं यहां से

निकलूंगा तो जिला पंचायत के अध्यक्ष मुझसे केबिनेट का दर्जा मांगेंगे और जनपद अध्यक्ष राज्यमंत्री का दर्जा मांगेगे तो उसकी सीमा रखना जरूरी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जनपद में दे देंगे तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। जिला तक तो ठीक है, 26-27 लोग ही राज्यमंत्री बनेंगे । जनपद में इतना सायरन बजेगा कि सब परेशान हो जाएंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आप जनपद तक पहुंच गए । मोर ममा कहात हे कि सरपंचों को भी राज्यमंत्री का दर्जा देना पड़ेगा । अब ये क्या संभव है, क्या संभव नहीं है ? इस संबंध में इस सदन में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा । वे हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान बरकरार रखना चाहिए ।

माननीय सभापति जी, पेशा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ हिन्दुस्तान का 6वां राज्य बना है । ये नियम बनाने वाला 6वां राज्य बना है और इसको लागू करने वाला इस कानून को पूर्णत: छत्तीसगढ़ में, उन क्षेत्रों में जो अनुसूचित अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है, जो नोटिफाईड अधिसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इसको लागू करने के संदर्भ में हमने इसको लागू कर दिया है । पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न वर्षों में जो काम हुए हैं, उसकी भी सूची है । मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। ग्राम पंचायतों के कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेयता सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाईन डिजीटल हस्ताक्षर बनाया गया है । 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान की राशि का ऑन लाईन भुगतान किया जा रहा है । 15 वें वित्त अनुदान के व्यय में पारदर्शिता लाने हेतु ऑनलाईन आडिट की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2020-21 में 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का ऑनलाईन आडिट पूर्ण कर लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। मैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सभापति जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट कार्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2019-20, 2020-21 में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर के 11 पुरस्कार मिले हैं। अब हम पुरस्कार मांगने थोड़े ही जाते हैं। छत्तीसगढ़ को, यहां के पंचयतों को 11 पुरस्कार, वर्ष 2022 में 12 पुरस्कार छत्तीसगढ़ के पंचायतों को मिला है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, रायपुर के बनचरौदा को 5 लाख, दुर्ग के जेवरा को 5 लाख, रायपुर के सरोरा को 10 लाख, कबीरधाम जिले को 50 लाख, पाटन जनपद को 25 लाख, सूरजपुर को 25 लाख, नगरी के चिपली को 12 लाख, नगरी के हरदीभाटा को 8 लाख का, चिरमी को 8 लाख, खड़गवां के गुण्डरदेही के पैरी को 8 लाख, सूरजपुर के बसदेही को 8 लाख, सहसपुर लोहारा के केजादा को 5 लाख का पुरस्कार मिला है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, ग्राम सभा पुरस्कार, दीनदयाल सशक्तिकरण पुरस्कार, स्वच्छता, ई-गवर्नेंस, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सुशासन जैसे भारत सरकार के पुस्कार हैं, जो छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं को मिला है। कुल मिलाकर इन संस्थाओं के द्वारा लगातार बेहतर काम हो रहा है। सब आकड़ें केन्द्र सरकार के पास जाते हैं उसके बाद प्रशंसित किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में सबसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 1,841 लाख मानव दिवस सृजित किए गए थे। लगभग 60 मानव दिवस औसतन हर परिवार को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020-21 में ही 30 लाख परिवारों के 60.18 व्यक्तियों को श्रम रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020-21 में 6 लाख 11 हजार परिवारों को 100 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया गया है। देश में रिकार्ड ऊपर है न। 6 लाख 11 हजार 987 परिवारों को सौ मानव दिवस कार्य उपलब्ध कराया गया। वन अधिकार-पत्र धारक 96,421 परिवारों को सौ मानव दिवस से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एन.आर.एम. के कार्यों के तहत छत्तीसगढ़ में 82 प्रतिशत संसाधन तालाब वगैरह ये सब काम उसमें आते हैं, 82 प्रतिशत व्यय वर्ष 2022-23 में किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 66 प्रतिशत से अधिक किसी राज्य में नहीं है। इस प्रकार कृषि और उससे जुड़े कार्यों में भी 83 प्रतिशत व्यय किए गए। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 66 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

माननीय सभापति जी, पी.एम.जी.एस.वाय. कुल सड़कों के बारे में प्रशासकीय प्रतिवेदन का बार-बार उल्लेख किया है। मैं कुल सड़कों की लागत नहीं बताने वाला हूं। लेकिन पी.एम.जी.एस.वाय. में भी छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि रही है। छत्तीसगढ़ को लगातार सम्मान मिला है। इस कार्य के लिए वर्ष 2019-20 में प्रथम स्थान और वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर सड़कों की लम्बाई, सड़कों की मरम्मत उसकी गुणवत्ता, ये सारी चीजें प्रशासकीय प्रतिवेदन में उल्लेख कर दिया है। इसलिए मैं बहुत विस्तृत नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन पी.एम.जी.एस.वाय. में छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर काम हुए हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर भी इन कार्यों को प्रशंसा मिली और सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और गौरव पथ योजना के लिए लगातार चर्चा हो रही है। इस साल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 200 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब लगातार आवास की चर्चा होती है, बहुत प्रकार के आंकड़े आते हैं, कभी 16 लाख, कभी 12 लाख, कभी 7 लाख, 15 मिनट तक हमारे दोनों मंत्री जी धरम भईया से पूछ रहे थे, 16 लाख में 8 लाख बना तो 11 लाख कैसे बचा, इसका जोड़ घटाव आप ही लोग जानें, लेकिन 16 लाख के आपके पास जो आंकड़ें हैं, तीन सालों के लगभग जो केन्द्र सरकार ने टारगेट दिया था उसको जोड़कर, अलग-अलग आवासहीन नहीं है । पहले साल जो टारगेट दिया, 7 लाख के आसपास, मकान के लिये राज्यांश नहीं दे पाये, कोई बात नहीं । दूसरे साल जो राशि दी गई, उसमें भी राज्यांश की कमी रही है, उसके कारण कभी राजनीति चर्चा करेंगे, कोरोना पीरियड था, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, केन्द्र सरकार से हमको लगातार राशि लेना था, जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति कोयले का शेष, कोयले की रायल्टी, माइनिंग की रायल्टी...।

श्री शिवरतन शर्मा :- इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है तो प्रधान मंत्री आवास को आप फिर चर्चा करने की बात क्यों कर रहे हैं । महाराजा साहब, आपके पड़ोस में बैठे हैं, इनके पत्र का मैंने उल्लेख किया है, इन्होंने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखते हुये आरोप लगाया है कि लगातार प्रयास करने के बाद भी 8 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित रह गये । उनको राज्यांश नहीं दिया गया । यह आरोप मेरा नहीं है । आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य राजा साहब का है । आप इस विषय पर कुछ बोलेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय मंत्री जी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । जब उन्होंने स्वीकार करके बताया है कि ऐसी स्थिति थी और इन कारणों से राशि उपलब्ध नहीं हो पाई, कुछ कहने को बचता नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- राजा साहब आपके पत्र में बहुत से आरोप हैं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आरोप नहीं है, सुझाव है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुझाव नहीं है, आरोप है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारे मंत्रिमण्डल के बहुत वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने बातें कही है, वह सुझाव के लिये कही है । कैसी स्थिति है, यह कोई कारण नहीं था ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुझाव लिखा है कि आरोप लिखा है । मैं अभी पत्र पढ़कर सुना देता हूँ । पत्र की कापी मेरे पास है, बोले तो पढ़कर सुना देता हूँ। माननीय राजा साहब पीछे पलट जायें तो बात अलग है ? महाराजा साहब को क्या भय है, जो अपनी बात से पलट रहे हैं ? वह सार्वजनिक पत्र है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- महाराज साहब, हमसे वरिष्ठ हैं । भय में क्यों होंगे भई ? वह सुझाव दिये हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाषा पढ़कर सुना देता हूँ । मैं पत्र पढ़कर सुना देता हूँ, वह सुझाव है क्या ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वयं लिखा था, क्या लिखा था कि हम राशि उपलब्ध नहीं करा पाये, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया । वही चीज तो मंत्री जी कह रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप था ? षड़यंत्र का आरोप था ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अभी पढ़ देता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, यह समय नहीं है । शर्माजी । यह सब नहीं चलेगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- एकाध दिन प्रतिबंध लगा दीजिएगा । जब पढ़ते हैं तो हमारा ही घोषणा पत्र पढ़ते हैं, हमारी चिट्ठी पढ़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- यह सब करने के लिये विधान सभा नहीं है । (हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- एकाध बार भी तो अपना पढ़ा करो भई ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप जल्दी समाप्त करिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- समाप्त करूं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं बहुत हाथ बचाकर लिखता हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- लिखते हैं उसको स्वीकार करना चाहिये । आपने षड़यंत्र का आरोप लगाया है । समिति गठित करने में आपने आपत्ति दर्ज कराई है ।

श्री अमरजीत भगत :- This is not permitted.

श्री धर्मजीत सिंह :- बता दिये थे कि 16-8=8

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, सारी बातों का पटाक्षेप करते हुये, जो योजना के प्रारंभ में कुल स्वीकृत पात्र जो 11 लाख 76 हजार 150 लक्ष्य प्राप्त हुआ था, बाकी सारे आंकड़े अलग-अलग हैं । दो साल, तीन साल जोड़कर आप 16 लाख कह रहे हैं, जो शेष है, कभी एक साल का पढ़ते हैं, 7 लाख पढ़ते हैं । दूसरा, आपके शासन काल में आपने कितना पढ़ा। यदि महाराजा साहब की चिट्ठी का उल्लेख किया तो उसमें भी दर्ज है। 08 लाख 46 हजार 381 आवास पूर्ण है। शेष सभी आवास को पूर्ण करने के लिये इस साल के बजट में 03 हजार 238 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। (मेजों की थपथपाहट) इसलिये मैं समझता हूं कि बाकी कोई बात नहीं, बजट में इस राशि का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कितना बचेगा, मुझे यह बता दीजिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसके बाद तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा की है कि अप्रैल से सर्वे प्रारंभ होगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं बोल रहा हूं कि 2011 में जो है, उसके बाद कितना बचेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- इस आंकड़े के मुताबिक जो भारत सरकार का लक्ष्य है, वह नहीं बचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की है कि अप्रैल से फिर से सर्वे शुरू होगा और जिसको आवश्यकता होगी, जिसकी पात्रता होगी, उसको छत्तीसगढ़ सरकार आवास बनाकर देगी। आप क्यों चिंता करते हैं ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपके विचार से चिंता है। आप लोग भी चुनकर आये हैं, तो यदि आपको चिंता है तो हम लोगों को भी चिंता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- ममा, तै चिंतित हस ना। तो उत्तर दे। तुमन सहमत हव कि नइ हव।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- लोगों को आवास मिले, आप जल्दी सर्वे कराये।

श्री रविन्द्र चौबे :- भारतीय जनता पार्टी सहमत है ना ? वह पूरा लिखेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, लोगों को आवास मिले तो सहमत है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अप्रैल के सर्वे की घोषणा की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदन के सबसे वरिष्ठ साथी ने कहा कि उन्होंने सहमति दी है। अच्छा है। छत्तीसगढ़ का हित हो जायेगा।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह बदल तो जाते हैं। आप राज्यपाल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मीडिया वाले यह भी लिखेंगे। माननीय मंत्री जी, मीडिया वाले यह भी सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2011 के सर्वे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि सर्वे यू.पी.ए. सरकार के समय में हुआ था। इसलिये वह नया सर्वे कराना चाहते हैं।

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नया सर्वे तो प्रक्रिया है, इसलिये वह बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े आये हैं जिसके बारे में माननीय रविन्द्र चौबे जी ने बात कही और प्रदर्शन भी किये, फॉर्म भी भरवाएं, मिस्ड कॉल भी करवाये। मैंने निवेदन किया था कि आपके पास जितने भी आवेदन थे, वह हमको दे दीजिये, लेकिन यह अभी तक दिये नहीं है। कोई भी आंदोलन होता है तो ज्ञापन दिया जाता है। हम लोग तो खुद 15 साल विपक्ष में थे तो कभी राज्यपाल के नाम से, कभी मुख्यमंत्री के नाम से, कभी कलेक्टर के नाम से ज्ञापन देते थे। नंबर एक, डॉ. रमन सिंह जी और साथी 16 लाख के आंकड़े बोल रहे थे लेकिन अभी तक दिये नहीं है, वह मुझे दे दीजिये, मैं उसका व्हेरीफिकेशन करवाऊंगा। दूसरा, माननीय चौबे जी ने अभी अपने बजट भाषण में तत्काल उल्लेख किया कि उन्होंने 03 हजार 200 करोड़ से अधिक राशि की व्यवस्था की तो जो 2011 का सर्वे है, वह कम्प्लीट हो जायेगा। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण है, चूंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है, इस बीच में बहुत सारे हितग्राही बन गये होंगे। मैं अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था तो सब लोगों ने बोला कि अब आवास तो है लेकिन अब शादी हो गयी बच्चे हो गये, परिवार बड़ा हो गया, अब हमको और आवास चाहिए। वह भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वह भी ए.सी.सी.सी के सर्वे सूची में है। मैंने यही कहा कि यह नये हितग्राही है और भारत सरकार जनगणना नहीं करायी है तो हम सर्वे करा लेते हैं और जो पात्र हितग्राही है उसको क्रमबद्ध तरीके से उसके लिये भी राशि स्वीकृत करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) यह भी कि जो शौचालय बने हैं और जो उज्जवला गैस का मामला है, उसका भी सर्वे करायेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 01 अप्रैल से जो सर्वे शुरू करने वाले हैं, आप उससे सहमत है या नहीं ? सोच समझ के बोलियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यदि आप स्वत: सर्वे कराते हैं और राज्य सरकार उसकी राशि देती है तो हमको क्या आपत्ति है। हमको कोई आपत्ति नहीं है, सर्वे चालू कराईये।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल, धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इण्डस्ट्रियल पार्क (रिपा) के बारे में चर्चा हो रही थी। प्रथम चरण में 33 जिलों में 300 रिपा चिन्हांकित किये गये हैं। 02 करोड़ प्रति रिपा के हिसाब से 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसमें अलग-अलग लगभग 300 रिपा का काम चल रहा है। इन केन्द्रों में गोबर से पेंट निर्माण किया जा रहा है। यहां बहुत सारे स्कूलों में अब पेंट से इसकी पोताई भी का काम शुरू हो गया है। कोसा धागा निर्माण, मिलेट्स प्रसंस्करण, केला रेशा उत्पादन, मसाला प्रसंस्करण, हम यह सारी ईकाईयां रिपा के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ मैंने इसमें ध्यानाकर्षण भी लगाया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रिपा में एक जो इनका इंडस्ट्रीयल पार्क बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन पहले हो गया है और बाद में ठेका निकला है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अजय चन्द्राकर जी गिनिज बुक में जाने वाले हैं क्योंकि सदन में आप इतनी देर तक चुप नहीं बैठ सकते। (हंसी) आप दो तीन घण्टे से बिल्कुल चुप ही बैठ गये।

श्री भूपेश बघेल :- आज का सबसे बड़ा जोक यही है।

श्री अरूण वोरा :- यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हिन्दुस्तान देश, दुनिया के कौन से आश्चर्य में पहुंच गया, यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह बहुत बड़ा आश्चर्य है।
जैसा सी.एम. साहब कह रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से खबर आ गई है कि टिकट कटने वाली है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिपा का उल्लेख कर रहा था। हमारे जो गौठान के केन्द्र हैं यह रिपा के अलावा भी हम वहां भी छोटी-छोटी ईकाईयां लगातार लगा रहे हैं, लेकिन रिपा के माध्यम से हमारे गांव के छोटे-छोटे उद्यम लगाने वाले लोग हैं, रोजगार करने वाले लोग हैं उनको शेड, जगह, सुविधा, बिजली और पानी देंगे। इस प्रकार से हमारी योजना है कि छत्तीसगढ़ के गांवों को भी कुटीर उद्योग छोटे-छोटे उद्योगों का केन्द्र बनाया जाए। यह लोग बहुत सुराजी गांव योजना के बारे में पूछते हैं। यह ग्राम सुराज योजना,गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के बारे मतें पूछते हैं आखिर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? गांव का विकास ही तो है, लोगों को रोजगार देना तो है। हम पैसे की व्यवस्था तो कर रहे हैं हम बजट का आवंटन तो कर रहे हैं, हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही तो दे रहे हैं । आप 15 साल सरकार में रहे, आपने तो कभी सोचा नहीं। इस प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है तो हर बात में आलोचना उचित थोड़ी है। माननीय सौरभ जी, आपने जिस रिपा का उल्लेख किया। मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा, वह दिखवा लेंगे। उसमें क्या बात है?जहां काम में कोई परेशानी है, उसको सुधार कर अच्छा करेंगे। हम और आप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बैठे हैं। उसमें कोई शिकायत नहीं हो। इस विभाग के अंतर्गत

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन भी आता है। मैं केवल पुरस्कारों का जिक्र करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम कितना अच्छा चल रहा है। नेशनल एवार्ड वर्ष 2021 को जय मां दुर्गा स्वसहायता समूह राजनांदगांव, प्रतिज्ञा महिला संगठन छुरा गरियाबंद, को डेएन.आर.एल.एम. में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 को आस्था संकुल संगठन विकासखण्ड डोंगरगांव आत्मनिर्भर संगठन हेतु पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2019-20 में वित्तीय समावेशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को इस हेतु केन्द्र सरकार ने गोल्ड प्रथम पुरस्कार दिया। वर्ष 2019-20 में सोशल मोबलाईजेशन एण्ड कम्युनिटी फण्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ सरकार को सलिवर मेडल प्राप्त हुआ, यह आजीविका मिशन के तहत प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में वर्ष 2022-23 में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण पूर्वी राज्यों में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान, वर्ष 2022-23 में पूर्वी राज्यों में दुर्ग और बालोद जिला को द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 में नारा लेखन में प्रदेश को तृतीय स्थान और सुजल शक्ति सम्मान वर्ष 2023 में पतोरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती अंजीता गोपेश साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 8-8 राष्ट्रीय पुरस्कार इन दोनों योजनाओं में मिला। इन योजनाओं की सफलता के आंकड़े बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ में लगभग इन 4 वर्षों में 1 लाख, 3 हजार 508 समूहों को 155 करोड़ प्लस 399 करोड़ रूपये का निवेश निधि प्रदान किया गया है। एस.एच.जी. की महिलाओं को बिहान के कामों के लिए इतनी राशि अपने आप में यह दूर से दिखाता है। आखिरी में किसी ने सी मार्ट की चर्चा की । अभी कुछ जिलों में शुरूआत हुई है। आने वाले समय में आप उसको भी देखिएगा। छत्तीसगढ़ के उत्पाद के लिए वह एक बड़ा बाजार बनने वाला है। लोग उसको देखने के लिए आएंगे। अब रामदेव बाबा एक आंख दबाकर, नकली मधुरस को बेच सकते हैं तो हमारा किसान अपने उत्पाद को सी-मार्ट में क्यों नहीं बेच सकता ? ऐसे कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विभागों की मांगों में सभी माननीय सदस्यों ने अपने- अपने विचार रखे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मैं आपके विभाग की अनुदान मांगों में चर्चा में कहा था कि मनरेगा की राशि में केन्द्र सरकार की गाईडलाईन में सी.सी. गली और नाली बनाने का जो 60-40 का रेशियो है, उसको आपने रोका है, क्या आप उसको अनुमति देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- राशि में केन्द्र कटौती कर दिहिस।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका प्रस्ताव ठीक है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है, कैस के बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है कि मटेरियल सप्लाई होगा तो कैसे पेमेंट होगा, लेकिन मामा जी जहां आवश्यक होगा, उसकी भी स्वीकृति जारी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी एक मिनट। इसमें बहुत से सदस्य कोदो-कुटकी भी नहीं देखे हैं। मिलेट जरूर बोल रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया):- हमारी महिला अधिवेशन में शिविर लगा था, जितनी महिलायें मिलेट के प्रोडक्ट लगाई थीं सब बिक गया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह जो कोदो-कुटकी का कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। सबके यहां एक-एक किलो का कोदो-कुटकी का पैकेट दिलवा दीजियेगा। अब बताईये अरूण वोरा जी कहां कोदो कुटकी जाने होंगे। आप भेजवा दीजियेगा।

श्री अरूण वोरा :- मैं इसका पुलाव खाया हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय विधायक महोदय, खिचड़ी तो खाये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- खाना अलग चीज है। लेकिन देखिये, यह कहां पैदा होता है। पहले जमाने में कोदो कुटकी का चलता था, कोठी भरी रहती थी।

श्री अरूण वोरा :- मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय धर्मजीत भैया ने कहा कि कई सदस्य कोदो-कुटकी नहीं देखे होंगे। छत्तीसगढ़ का एक भी सदस्य नहीं होगा जो कोदो-कुटकी नहीं देखा होगा। दूसरा आदरणीया महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जी ने एक बड़ी मिलेट्स की प्रदर्शनी लगाई थी जहां सारे रायपुर की भीड़ थी। रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चीफ सेकेटरी को निर्देश दिया हुआ है कि आने वाले समय में मंत्रालय में भी उसके उत्पाद की बिक्री का काउंटर खोला जायेगा। यूनिवर्सिटी में खोल दिया गया है। आखिरी आपने कहा कि कोदो-कुटकी भेज दीजिए। मैं निश्चित रूप से विधान सभा सत्र की समाप्ति के पहले सभी माननीय विधायकों के पास कोदो, कुटकी, रागी और उससे बने हुए उत्पाद आपको जरूर पहुचाऊंगा। ताकि छत्तीसगढ़ सरकार में जो काम हो रहा है, जिसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने खुद की है तो वह निश्चित रूप से आप सबके सामने है। आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी सारी मांगों को सर्वसम्मति से पास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत जी आपकी चिंता हम सबकी चिंता है। आपने मुझसे भी कहा था। एक दिन तो मुख्यमंत्री जी ने खिला दिया है, एक दिन विधान सभा के अध्यक्ष की ओर से कोदो-कुटकी, रागी का उत्पाद यहां खिलाया जायेगा ताकि सब लोग परिचित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय:- मैं, पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 28, 13, 14, 16, 54, 23, 45, 75, 57, 30 एवं 80 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मागों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या 28 राज्य विधान मण्डल के लिए-उन्यासी करोड़ अठासी लाख, सैतालीस हजार रूपये

मांग संख्या 13 कृषि के लिए- पांच हजार तीन सौ चौवन करोड़, छियानबे लाख, तेरह हजार रूपये,

मांग संख्या 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय के लिए- पांच सौ छब्बीस करोड़, तिरासी लाख, सन्तावन हजार रूपये

मांग संख्या 16 मछलीपालन के लिए- तिरानबे करोड़, बाईस लाख, इंक्यावन हजार रूपये,

मांग संख्या 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए- तीन सौ पन्द्रह करोड़, नौ लाख, दस हजार रूपये

मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग के लिए- एक हजार दो सौ चौवन करोड़, दो लाख, उनहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए- आठ सौ इकतालीस करोड़ चौसारी लाख, तैंतीस हजार रूपये,

मांग संख्या 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छः सौ चौदह करोड़, इकहत्तर लाख रूपये

मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए- छिहत्तर करोड़, बीस लाख रूपये

मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय के लिए-चार हजार चार सौ दो करोड़, उनसठ लाख, नब्बे हजार रूपये तथा

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- तीन हजार दो सौ पैंतीस करोड़, सत्रह लाख, चौवहन हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- जी?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं पहले निवेदन करना चाहूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले पढ़ लीजिये, फिर निवेदन करना। महोदय, आप पढ़ना भी नहीं चाहते?

समय :

7.36 बजे

<u>अशासकीय विधेयक</u>

<u>छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021)</u>

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो निवेदन करना चाहती हैं, वह अपनी बात कह लें, फिर मैं अपनी बात कहूं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विधेयक को समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य की संस्कृति, सभ्यता एवं परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विधेयक का निर्माण विशेष समिति के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका प्रारूप विचाराधीन है। विधेयक प्रारूप पर राज्य एवं राज्य के बाहर सामाजिक तथा विधि विशेषज्ञ से परामर्श उपरांत समय-सीमा में आगामी सत्र में सदन के समक्ष विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि प्रस्तावित अशासकीय विधेयक को वापस लें।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हम दोनों का मकसद एक ही है। माननीय मंत्री जी कह रही हैं तो अच्छी बात है। अगर शासकीय विधेयक लायेंगी तो भी ठीक है। दोनों का मकसद एक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी की विचारों के सहमत हूं। मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद। आपकी सहमति होने के बाद विधेयक वापस हुआ। अब अशासकीय संकल्प। श्री अजय चंद्राकर जी। चंद्राकर जी कहां हैं?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह नाराज होकर चले गये हैं। मुझसे क्या किया जा सकता है। धर्मजीत सिंह जी। धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, चंद्राकर जी आ गये। उनको मैं बाद में अवसर दूंगा। कौशिक जी, पहले शुरू कर दीजिये। बाद में जो आये हैं, मैं उनसे लूंगा। आप अपनी बात कहें। वह आ गये हैं तो उनको स्वीकार कर लूंगा। उनका आना स्वीकार कर लूंगा, उनको बात करने का अवसर दे दूंगा। आपका आ गया था। उस समय आप बाहर में थे। मैं बाद में ले लूंगा।

(अशासकीय संकल्प 1 एवं 2 के प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य के सदन में अनुपस्थित रहने पर)

समय :
7.39 बजे

अशासकीय संकल्प

(3) सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये।"

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना में लगातार मौत हो रही है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदाय करने के संदर्भ में मैंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं सीधा भाषण कर देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधा-सीधा कह दीजिये। समय भी ज्यादा हो गया है। यदि आप लोग नाराज न हो तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाहनों की संख्या भी बढ़ी है और उसके बाद में लगातार कहीं असावधानी से चलाने के कारण, नशा के कारण और अन्य कारणों से हम देख रहे हैं कि लगातार दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं । आज कुछ गलत दिख रहा है इसलिये या तो एस-थ्री एन टू की जांच चिकित्सक से करा लीजिये । गले के माध्यम से ही आ रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- जी, मैं गया था । मैं करा लूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो लगातार दुर्घटनायें हो रही हैं और इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो मैं आपको कुछ डाटा दे देता हूं । वर्ष 2018 में 13664, वर्ष 2019 में 13899, वर्ष 2020 में 11656 और अभी वर्ष 2022 में 13686 इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार एवरेज जो साल का है वह लगभग 12,000-13,000 की औसत में है । जो दुर्घटनायें हो रही हैं । इसमें कई काल-कवलित भी हो रहे हैं और मृत्यु भी हो रही है। कई इंज्योर्ड हो रहे हैं और घटनाओं में जो गाड़ियां पकड़ में आ जाती हैं । उनका इंश्योरेंस है, बीमा है ऐसे जिनकी मृत्यु हुई है या घायल हुए हैं वे क्लेम करते हैं और क्लेम लगाकर के उनके मुआवजा की राशि मिल जाती है । साथ ही जो गाड़ी पकड़ी जाती है तो सरकार के द्वारा भी उनको 25,000 रूपये का भुगतान हो जाता है लेकिन आज जो स्थिति है । आज 4 चक्का और 8 चक्का का जमाना नहीं है, 18 चक्का, 20 चक्का, 22 चक्के की गाड़ियां चल रही हैं और इन गाड़ियों का शिकार जो हो रहे हैं । जो एक्सीडेंट होते हैं, वो गाड़ियां रूकती भी नहीं हैं और गाड़ी मारकर के निकल जाती हैं । उनके चिथड़े-चिथड़े हो जाते हैं । उसके बाद में न उनको कोई मुआवजा की राशि मिल पाती है, न उस परिवार को कोई क्षतिपूर्ति की राशि मिल पाती है और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो वंचित हो जाते हैं तो इनकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए तो मैंने कहा कि जैसे प्राकृतिक आपदा । किसी को सांप काट दिया तो 4 लाख रूपये की राशि मिल जाती है, तालाब में डूबकर खत्म हो गये तो 4 लाख रूपये

की राशि मिल जाती है, बिजली गिर गयी तो 4 लाख रूपये की राशि मिल जाती है । अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराब पीकर के जो ईंटा-भट्ठा में सो गये और ऊपर सोने के कारण, गैस के कारण 5 लोगों की मृत्यु हो गयी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके लिये 2-2 लाख रूपये की घोषणा की गयी । लेकिन जो एक्सीडेंट में काल-कवलित हुए उसको प्राकृतिक आपदा नहीं मानते और नहीं मानने के कारण परिवार उससे वंचित हो जाता है । परिवार उस व्यक्ति को भी खोता है, उनके आने वाले समय में जो कठिनाईयां होती हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे जो पीड़ित परिवार हैं । जो गाड़ियां मारकर निकल जाती हैं, पकड़ाती नहीं हैं और उसके कारण उस परिवार को एक नये पैसे की राशि उपलब्ध नहीं हो पाती । ऐसे परिवार के ऊपर में विचार करें और विचार करके उसको प्राकृतिक आपदा के रूप में 4 लाख रूपये की राशि उनको भी दी जाये या मंत्री जो उचित समझें लेकिन मेरा कहना है कि उस परिवार को कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए इसलिये मैंने जनहित के मुद्दे में, हम प्रदेश का आंकड़ा भी देख रहे हैं कि 13,000-14,000 एक्सीडेंट हो रहे हैं । मैंने दो बातों का उल्लेख किया कि जो गाड़ी पकड़ा जाती है उसमें तो राहत मिल जाती है लेकिन जो गाड़ी नहीं पकड़ाती है उसमें उस परिवार को कोई राहत की व्यवस्था नहीं है तो उसको मंत्री जी विचार कर लें । दोनों का अलग-अलग कर लें और अलग करने के बाद में जो गाड़ी मारकर के चली जाती है तो इंज्योर्ड को भी और जिनकी मृत्यु हो गयी है ऐसे प्रभावित परिवार को आपदा राशि के तहत् उनको मुआवजा मिलना चाहिए और इसीलिये मैंने इसको प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप बोलना चाहते हैं ? बोलिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन परिवार के सदस्यों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो पहली बात तो यह है कि गाड़ी तो पकड़ाती नहीं । गाड़ी के न पकड़े जाने से उनकी दुर्दशा होती है । परिवार वाले इलाज कराने जाते हैं तो इलाज नहीं हो पाता । तात्कालिक स्थिति में वे प्रायवेट में भी जाते हैं, सरकारी में भी इलाज नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो वे कैसे इलाज कराएंगे । जिस परिवार में मृत्यु होती है तो उसको 4 लाख दिया जाता है । अगर गाड़ी पकड़ी भी जाए तो वे कहते हैं कि बीमा कम्पनी जाने, हम नहीं दे पाएंगे। मैं आपको हाल ही की घटना बताना चाहूंगा । मेरे परिवार में मेरे चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हुआ । बीमा है करके एक रूपया नहीं दिया । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की । उस लड़के का ब्रेन हैमरेज हो गया था । कमर की हड्डी टूट गई थी । ऐसे कई परिवार हैं, उनकी दुर्दशा हो जाती है, कोई इलाज कराने वाला नहीं होता । माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं । मैं आरोप तो नहीं लगाउंगा । दूसरे राज्य में जाकर किसानों की

मृत्यु होने पर 50 लाख दे सकते हैं । दुर्घटना होने पर 2-2, 4-4 महीने अस्पताल में रहना पड़ता है, उनके परिवार की देखरेख करने वाला कोई नहीं होता है । किसी परिवार में एक-दो सदस्य हैं और बुजुर्ग हो चुके हैं और जिनके परिवार में एक बच्चा है, ऐसे लोगों दुर्दशा को देखते हुए मुआवजा राशि दी जाए । 4 लाख देना हो तो दें या कहें कि उनके इलाज की तत्काल व्यवस्था हो । कहा जाए कि उनका इलाज तत्काल हो । राशि भी न दें जो भी खर्चा आता है चाहे वह गाड़ी वाले से दिलाएं या बीमा कंपनी दे, लेकिन उनके लिए तात्कालिक व्यवस्था करें, मैं ऐसी आशा करता हूं । 4 लाख रूपया दिया जाए ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता दी जाती है । भारत सरकार के दिशा निर्देश में सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं है । सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है । सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी आपने जो वक्तव्य पढ़कर सुनाया है कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र अनुसार आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है । सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पथरिया में खामिया गांव के कोटवार का लड़का स्कूल गया था पढ़ने के लिए और ट्रक वाला उसे रौंदकर चला गया । मैंने एस.डी.एम. से बात की, तहसीलदार से बात की, कलेक्टर से बात की लेकिन बात करने के बाद उन्होंने कहा कि कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए एक नए पैसे की राशि आज तक उनको मुआवजे के रूप में प्राप्त नहीं हुई और इसी प्रकार से प्रदेश में चक्का जाम करेंगे तो व्यवस्था बन जाती है, सड़क को रोकेंगे तो व्यवस्था बन जाती है, लेकिन यदि चक्का जाम नहीं करेंगे तो व्यवस्था नहीं है । मंत्री जी आपने जो कहा है आपने सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश की बात की, कि प्राकृतिक आपदा नहीं है । सामान्य प्रशासन में आपके अधिकारी करने के लिए तैयार नहीं है और न ही इस दिशा निर्देश का पालन करने को तैयार है । आखिर वह परिवार कहां जाए और कैसे करे ? इसलिए मैंने आपसे कहा कि शराब पीकर ईंट भट्ठे के ऊपर सो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है तो उसको सहायता राशि मिल जाती है लेकिन यदि सड़क में चक्के के नीचे दुर्घटना हो गई तो उसको कोई राशि उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुझाव दीजिए ना क्या कहना चाहते हैं, उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा कहना यह है कि जो ट्रक में कुचले गए ट्रक नहीं पकड़ाई, मारकर चले गए । ऐसे परिवार के लिए क्षतिपूर्ति की राशि मिलनी चाहिए चाहे जो भी मिले ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष जी, यह कह रहे हैं कि अगर किसी सरकार से न मिले, यदि कोई कानूनी अड़चन है तो उसको छोड़कर आप अपना खुद का कोई फंड बनाइए या मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से उसको फंड बढ़ाकर उनको देने का काम करें । परिवहन विभाग या जैसा भी है । कुछ विचार करिये ताकि उनको राहत मिले । 2 लाख नहीं तो 1 लाख दो, 1 लाख नहीं 4 लाख दो लेकिन जितना देने है राहत के लिए विचार करिये ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, अगर रोड साईड एक्सीडेंट का सामूहिक बीमा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार करे तो एक प्रावधान बन सकता है और डेथ रेट जितना है, सालाना डेथ रेट 2 हजार, 3 हजार का है। अगर आप कुछ इंश्योरेंस अननोन एक्सीडेंटल कर दें, नोन एक्सीडेंटल को तो गवर्नमेंट से क्लेम मिल ही जाता है, न्यायालय से मिल जाता है, जो मार के भाग जाते है, उसके लिए ऐसा विचार किया जा सकता है। यह एक प्रावधान बन सकता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाईडलाईन है, मैंने उसके मुताबिक बताया। एक्सीडेंट की घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में होती है। माननीय धरमलाल कौशिक जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखा-पढ़ी कर लें, अगर वहां से लागू होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं, यहां की बात बताईए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की गाईडलाईन बता दी। अब हाथी से कुचलने पर मौत होती है, वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। पर आपने इसको शामिल किया है, आप साढ़े चार लाख रूपया देते हो। आज की तारीख में देश में सर्वाधिक दुर्घटनाओं से मृत्यु छत्तीसगढ़ में हो रही है और 75 प्रतिशत गाड़ियां नहीं पकड़ी जाती। परिवार के सामने जीविकोपार्जन का संकट तो रहता ही है और जीविकोपार्जन के संकट के साथ-साथ ईलाज का भी संकट रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाईडलाईन नहीं है तो राज्य सरकार कोई ऐसी नीति बना लें ना। राज्य आपदा कोष बना लें, इसमें कोई बहुत बड़ी राशि तो लगनी नहीं है। 10, 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था कर लेंगे तो पूरा साल चल जाएगा। आप राज्य आपदा कोष बनाकर इस काम को कर दें। माननीय मंत्री जी, यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी बताईए, इसमें कुछ करेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- सर, इसमें विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप उनसे निवेदन करिए। महोदय, विचार करेंगे बोल रहे हैं। क्या आप संकल्प वापस लेते हैं ? राज्य सरकार का कहना है कि इसमें आने वाले समय में विचार किया जाएगा। क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, विचार कर लें।

अध्यक्ष महोदय :- विचार करेंगे। अभी थोड़ी कर पाएंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो बोल रहा हूं ना विचार कर लें। यह सत्र खत्म होने के पहले उसमें कुछ दिशा निर्देश आ जाएं।

अध्यक्ष महोदय :- इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इतनी हड़बड़ाहट में नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों की कृपा से सत्र अभी 24 तारीख को समाप्त होने वाला है। इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगा। आने वाले समय में करेंगे, इतनी जल्दी कहां से विचार करेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कौशिक जी से निवेदन करता हूं कि आप केन्द्र सरकार से लागू करा दीजिए ना। अभी आप एक सप्ताह में चाहते हैं, आप एक साल में लागू करा लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- केन्द्र सरकार से लागू करा लेते तो आपको क्यों बोलते ? सर्वाधिक जो एक्सीडेंट है ना वह आपके कोरबा पाली रोड है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ना, वह हम समझते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या आप उनसे सहमत हैं ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जी बिल्कुल ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके पास भी लोग आते हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आते हैं, हम लोग भी उनको मदद करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं यह बोल रहा हूं कि उनको किसी ना किसी रूप में उनको राहत राशि मिल जाए, मेरा इतना कहना है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- राहत राशि कुछ तो मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं मिलती है ना, एक नया पैसा नहीं मिलता।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मिलती है, बिल्कुल मिलती है।

श्री धरमलाल कौशिक :- चक्काजाम करो तब मिलती है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ईलाज के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से भी देते हैं और जो मांग करते हैं उनको भी मुख्यमंत्री जी सहायता करते हैं। घटना के अनुसार करते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय एक्सीडेंट में नहीं मिलता। मृत्यु पर 25 हजार मिलता है। एक्सीडेंट में नहीं मिलता। कहां पर मिलता है आप बता दीजिए ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मृत्यु की बात कर रहे हैं ना, मृत्यु में 25 हजार रूपये तत्काल सहायता राशि मिलती है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ राज्य में सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्राकृतिक आपदा के समान मुआवजा राशि प्रदान किया जाये।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

(4) सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये।"

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प यह है सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये।"

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये।" कोई इस पर और विचार कर रहे हैं, इसका जवाब कौन दे रहा है ? माननीय मंत्री जी इसका जवाब कौन दे रहा है ? क्या आपको कुछ बोलना है?

श्री शिवरतन शर्मा :- जी, मुझे बोलना है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 22 लाख 32 हजार 711 पेंशनधारी हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आबादी के 8 प्रतिशत लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशन मिलता है। अभी तक यह पेंशन की राशि साढ़े 300 रूपये है। अभी वर्ष 2023-2024 के बजट में जो प्रावधान किया गया है, इस बजट प्रावधान में इस राशि को बढ़ाकर 500 रूपये किया गया है। मैं समझता हूं कि यह साढ़े 300 रूपये की राशि लगभग सन् 2007-2008 से चल रही है। सन् 2018 में कांग्रेस ने जो अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था, उस जन घोषणा में इन सारे पेंशन की राशि को 1000 रूपये करने की बात कही गई थी। जो 75 वर्ष से ऊपर आयु के पेंशनधारी हैं उनके पेंशन को 1500 रूपये करने की घोषणा की गई थी। मेरा पहला निवेदन यह

है कि जब आपने अपने जन घोषणा पत्र में इस बात को घोषित किया और सदन में इस जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया तो आपको अपने जन घोषणा के हिसाब से पेंशन को 1000 रूपये और 1500 रूपये करना चाहिए। मैं दूसरी बात यह कहना चाहत हूं कि यह जो 6 प्रकार की योजनाएं चलती हैं इनमें से 3 योजनाएं विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं के लिए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 2 लाख 10 हजार 483 लोगों को पेंशन मिल रहा है। यह विधवा पेंशन योजना 40 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए है। दूसरी पेंशन योजना सुखद सहारा योजना है। जिसके अंतर्गत 2 लाख 22 हजार 637 महिलाओं को पेंशन मिलता है। यह योजना 18 से 39 वर्ष तक की आयु की विधवा महिलाओं के लिए है। तीसरी योजना मुख्यमंत्री पेंशन योजना है। इस पेंशन योजना में 6 लाख 40 हजार 55 महिलाओं को पेंशन मिल रहा है। यह पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इसमें अनिवार्य कर दिया गया है कि उनका बी.पी.एल. की सर्वे सूची में नाम होना चाहिए। यदि कोई महिला विधवा हो जाती है या किसी महिला को उसका पति छोड़ देता है तो उस महिला के ऊपर क्या बीतती है, इसकी आप कल्पना कीजिए और हम उसको पेंशन से इसलिए वंचित कर देते हैं कि उस परिवार का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विधवा एवं परित्यक्तता महिलाओं के लिए गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम होने की अनिवार्यता है, उस अनिवार्यता को आप समाप्त करें और आपने जो पेंशन की राशि को साढ़े 300 से 500 रूपये कर दिया है उसको 1000 रूपये और 75 वर्ष से ऊपर वालों के पेंशन को 1500 रूपये करें। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं और यही मेरा संकल्प है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पेंशन है यदि उसमें ऐसी अड़चन आती है कि सन् 2002, 2011 और 2022 की सर्वे सूची में किसी का नाम नहीं है लेकिन गांव भर के लोग कहते हैं कि यह आदमी है। क्या ऐसे लोगों को पेंशन देने के लिए भी प्रावधान किया गया है ? क्या ग्राम सभा से विशेष उनका नाम जोड़कर उनको पेंशन देने की व्यवस्था की जा सकती है? यह उनके हित में बहुत अच्छा निर्णय होगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी वृद्धावस्था, बीमारी व दिव्यांगता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में रहकर अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ नवगठित राज्य है। अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से सभी वर्गों के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

समय :

8:00 बजे

छत्तीसगढ़ राज्य में 6 पेंशन योजनाएं संचालित हैं, जिनमें से तीन केन्द्रीय योजना है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तजन पेंशन योजना है तथा तीन राज्य स्तरीय योजना है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना व मुख्यमंत्री पेंशन योजना है । मुख्यमंत्री पेंशन योजना को छोड़कर शेष सभी योजनाओं की पात्रता गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की सर्वे सूची बीपीएल में नाम होना चाहिए । मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची को आधार बनाया गया है । पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि किया जाना शासन की प्राथमिकता में है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में हितग्राहियों के लिए पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि रूपये 350 प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रूपये प्रति माह प्रति हितग्राही की गई है । पेंशन राशि में वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है । समय-समय पर इस पर निर्णय लिया जाता है । अत: अशासकीय संकल्प की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपये प्रति माह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को 1000 रूपए प्रति माह पेंशन दिया जाएगा । यह इन्होंने जन घोषणा-पत्र में लिखा है । आज मंत्री जी मेरे संकल्प का विरोध नहीं कर रही हैं, एक प्रकार से आपने अपने जन घोषणा-पत्र को अस्वीकार कर रही हैं । क्या आप अपने जन घोषणा-पत्र को अस्वीकार कर रही हैं, स्पष्ट कर दें ? क्योंकि यह प्रस्ताव मैंने अपनी जन घोषणा-पत्र के अनुरूप लाया है और आप जन घोषणा-पत्र को अस्वीकार कर रही हैं तो बता दें कि हम अपने जन घोषणा-पत्र का पालन नहीं करेंगे।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, हम अस्वीकार कहां कर रहे हैं ? हम सरकार की आर्थिक क्षमता के साथ-साथ हम लोग, यह निरंतर सतत् प्रक्रिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आर्थिक क्षमता के साथ-साथ ये सब बातें तो जब आपने जन घोषणा-पत्र बनाया, तब आपको सोचना चाहिए था न ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हमने इतना बढ़ाया है । हो सकता है कि हमने जितना बढ़ाया है, अनुपूरक बजट में और बढ़ सकता है । यह सतत् प्रक्रिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह आपकी सरकार का आखरी बजट है, इसके बाद कौन सा बजट आना है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आप लोगों ने जो 15 साल में नहीं सोचा, कम से कम हम लोगों ने तो इसमें सोचा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर सरकार अपने जन घोषणा-पत्र को लागू करने से पीछे हट रही है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, क्या वास्तव में चूक के कारण गांव के गरीब लोग जो 2002, 2011 और 2022 की सर्वे सूची में नहीं आ सके थे । ऐसे गरीब आदमियों के लिए, उनके मानवाधिकार की रक्षा करते हुए उनको अधिकार देने के लिए कुछ फैसला कर सकते हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आपने इस बात को दूसरे शब्दों में रख दिया था ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परिवार में किसी लड़की की शादी हुई और 15 दिन या एक महीने में पति की मृत्यु हो गई या ऐसे कई परिवार हैं, जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं, उनके मां-बाप का, घर का कोई ठिकाना नहीं हैं, उनके परिवार में भी ऐसी स्थिति नहीं है । मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से परिवार हैं, जिनको सही में पेंशन जरूरत है । ऐसे जरूरतमंद परिवार में चाहे विधवा हो, जो पेंशन की पात्रता रखते हैं, जिनके बेटे पालन पोषण नहीं करते हैं, मां-बाप उनको अलग कर देते हैं, बेटे अलग रहते हैं, ऐसे परिवार के लिए आवश्यक है कि पेंशन नियम को शिथिल कर सरकार पेंशन देने विचार करेगी ? इसमें मैं अधिकतर विधवा, परित्यक्ता की बात करूंगा, ऐसे लोगों के लिए सरकार विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप कुछ और कहना चाहेंगी ? राशि की उपलब्धता होने पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ है ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन केन्द्र सरकार की योजना है । उसमें केन्द्र से जो नियम बनकर आएगा, उसी को हम लोग राज्य में संचालित कर पाएंगे । मुख्यमंत्री पेंशन योजना में बहुत सी शिथिलता है, अगर ग्राम पंचायत गरीबी रेखा में हो और किसी कारण से छूट गया है तो उनको तो हम लोग पेंशन दे रहे हैं, उनका नाम जोड़ा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- भविष्य में आप करेंगे, उनका विचार बता दीजिए और संकल्प को वापस लेने का निवेदन कर लीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सारे पेंशन में बीपीएल अनिवार्य है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना है, उसको भी बिना सूची के नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है, बिना बीपीएल सूची के नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मुख्यमंत्री पेंशन योजना में बीपीएल का क्राईटेरिया नहीं है । वहां ग्राम पंचायत लिखकर दे देंगे तो उसमें हो जाता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी किसी गांव में बिना बीपीएल सूची के पेंशन नहीं हो रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हो रहा है, आप लिस्ट दे दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मैंने पहले विधान सभा प्रश्न लगाया, उसके बाद संकल्प लेकर आया हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, आप उनसे संकल्प वापस लेने का निवेदन करिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- बोल दीजिए कि विचार करेंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ठीक है, यह सतत् प्रक्रिया है । यह हमारे जन घोषणा-पत्र में भी है, आने वाले समय में विचार करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह सतत प्रक्रिया नहीं है। ये आपके घोषणा-पत्र का हिस्सा है। आपने जन घोषणा-पत्र को आत्मसात किया है। यह अंतिम बजट है। इस अंतिम बजट में इसकी व्यवस्था इस संकल्प से माध्यम से करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपना निवेदन करिये।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- आने वाले समय में विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये सदस्य महोदय, आप कुछ विचार कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैं वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि " सदन का यह मत है कि प्रदेश में सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपया प्रतिमाह, 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपये प्रतिमाह, सर्व विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा परित्यक्तता महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सत्यनारायण जी शर्मा

(माननीय सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के सदन में अनुस्थित रहने के कारण उनका अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।)

अशासकीय संकल्प के लिये नहीं

(1) सदन का यह मत है कि छत्तीसगढ़ मे सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, सदन का यह मत है कि" छत्तीसगढ़ में सस्ते एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था की जाये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है कि मुझ से गलती हुई है, ऐसा मुझको लगता है। यह मेरा जो संकल्प है, वह परिवहन विभाग से संबंधित नहीं था। यह नगरीय प्रशासन विभाग से संबंधित था।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- जवाब दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप चाहे, नहीं तो मैं उसी में बोल देता हूं, जो मैं बोलना चाहता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे रायपुर शहर है, कोरबा है और जो अन्य शहर हैं, उसमें धमतरी भी शामिल है, जिसमें कलेक्टर की अध्यक्षता में सोसायटी गठित हुई थी। उसमें केन्द्रांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 20 प्रतिशत और नगर निगम का 30 प्रतिशत अंश था। मैंने इसको क्यों लिखा हूं, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। उत्तर आया है, जो भी आया है। दुर्ग से एयरपोर्ट के लिए बस चलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि वहां से लाइट मेट्रो चलायेंगे। सिटी बस नहीं चालू हो पा रही है। एक आदमी जो एयरपोर्ट जायेगा, उसको कम से कम ढाई हजार रूपये लगते हैं। अभी वर्तमान में जो सिटी बस है, माननीय मुख्यमंत्री समेत वहां 5 मंत्री हैं। कोई न कोई किसी का आदमी है तो वह चालू नहीं हो पा रही है। क्योंकि उस लाईन में चलती है। सब किसी न किसी के आदमी हैं। आप कोरबा का पता लगा लीजिये कि कोरबा में कितनी बसें हैं और कितनी बसें चालू हैं। धमतरी के बारे में कलेक्टर ने लिखा है कि फिर बस चलाने के लिए 17 लाख 62 हजार रूपये प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। धमतरी अर्बन सोसायटी की साधारण सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार सिटी बसों की मरम्मत करवाकर आपरेटर के चयन करने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में विशेष घटना घट गई। यह जो मुख्यमंत्री स्लम योजना है, उसको भी सिटी बस के संचालन में शामिल करके दूसरी सोसायटी बना दी गई। अब रायपुर में एग्रीकल्चर कालेज से टाटीबंध तक जाना है, उसको आखिरी सीमा माने या कुम्हारी तक जाना है, उसको सीमा माने तो कोई भी परिवहन की व्यवस्था नहीं है। आप किसी को भेजकर रेल्वे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने की यात्रा करवा लें, 8-9 सौ रूपये टैक्सी वाले लेंगे। लम्बी दूरी की बसों के लिए मेरा कुछ नहीं कहना था। जो शहर विकसित हुए हैं, जैसे रायपुर में वर्तमान में 67 बस संचालित है, तो उसमें 44 में ले-देकर 20-22 बसें चलती हैं। नहीं तो नहीं चलती है। उसकी मानीटरिंग का कोई सिस्टम नहीं है। उसके किराये का कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जिस गति में चलना चाहिए, उस गति से नहीं चल रहा है। उसका हाल यह है कि जिन-जिन शहरों में है, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव और रायपुर में जहां-जहां स्वीकृत हुई थी, सब जगह मरणासन्न में है। माननीय अध्यक्ष

महोदय, हम विधानसभा के दूसरे हफ्ते में है, 4-5 अच्छे भाषण हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 भाषण हो गए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के भाषण हो गए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के भाषण हो गये, उन सब भाषणों को सुनकर ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ हैप्पीनेस इंडेक्स में गुएना जो देश आते थे, उससे ज्यादा उपर आ जायेगा, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जायेगी, स्थायी तौर पर दुनिया का कोई भी देश हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया का कोई भी देश नहीं हरा सकता । जनसमस्याओं में इतने अच्छे अच्छे भाषण हुये हैं तो मेरा इसमें आग्रह है कि इसमें परिवहन विभाग का कोई ही रोल नही है । सभी शहरों में सोसायटियां बनी हुई है, मरणासन्न में है, कोई देखने वाला नहीं है, जो बंद है उनको शुरू करने के लिये पैसे का कोई इंतजाम नहीं है और आम आदमी लूट रहा है । सौभाग्य है कि माननीय मंख्यमंत्री जी बैठे हैं, उन्हें कोई भी सुझाव दो तो सकारात्कता से लेते हैं, होना न होना बाद का विषय है, लेकिन इनको मैं भी स्वीकार करता हूँ कि वह कोई भी सुझाव सकारात्मकता से लेते हैं । स्थानीय स्वशासन विभाग का सूडा इसको संचालित करता है । आप सूडा के किसी भी अधिकारी से पूछ लो तो वह पता करके बतायेगा कि यहां और वहां की क्या स्थिति है ।मेरा आपसे यह आग्रह है कि छत्तीसगढ़ को स्थायी तौर पर दुनिया के सबसे सुखी क्षेत्रफल में शामिल करे, पूरी समस्या हल हो चुकी है, चार पांच भाषण से मुझे लगा ।

अध्यक्ष महोदय :- इसका जवाब कौन देंगे ? कौन मंत्री जवाब दे रहे है ?

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ.शिव कुमार डहरिया) :- यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र अंर्तगत महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक स्थलों में यातायात की सुविधा अत्यन्त दुरूह हो चुकी है । यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मंजली वाहनो को निरन्तर अनुज्ञापन...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यही कहा कि मेरे से गलती हो गई है करके, वह उत्तर मैं पढ़ लिया । संपूर्ण प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है, परमिट है, कौन से बस कौन सी टैक्सी का, क्या किराया है, मुझे मिल गया है, उसके संलग्न परिपत्र को भी मैंने ध्यान से पढ़ लिया है । मैंने इस बात को जो उठाया था, स्थानीय शासन के द्वारा जो 7-8 शहरों में सिटी बस संचालन होती है, वह अव्यवस्थित है, उसके लिये मैंने इस बात को उठाया था, यदि वह उत्तर है तो दे दें । नहीं तो फिर वह उत्तर मैं पढ़ चुका हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया:- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड के समय कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन अब व्यवस्था दुरूस्त की जा रही है, कही पर किसी जगह की बात है तो माननीय सदस्य बता दें, उसको दिखवा लेंगे और संकल्प वापस ले लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्टिकूलर जगह की नही बताता । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि पर्टिकूलर कहां ठीक चल रही है, पर्टिकूलर एक जगह बता दें कि यहां ठीक चल रही है । मुझसे मत पूछें, शासन प्रशासन में वह बैठे हैं, मैं नहीं बैठा हूँ ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में अच्छा चल रहा है, इसको कहा दिक्कत है, वह तो बताये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी मैंने धमतरी का बताया, अब मैंने रायपुर का पढ़कर बताया,मैंने कोरबा का बताया, मैंने दुर्ग का उदाहरण दिया, भाटापारा, बलौदाबजार, का उदाहरण दिया, राजनांदगांव का उदाहरण दिया, रायपुर का बता दें कि कितने बस स्वीकृत हैं और कितनी चलती है । माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैंने कहा कि वह सकारात्कमता से लेते हैं । कृपा करके मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ, इसका प्रशासकीय ढंग से उत्तर न दें । मैं तुरन्त वापस ले लूंगा, लेकिन आप आत्मवंचना को, आत्ममुग्धता को छोड़िये । छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक समस्या बाकी है, बाकी 99 समस्या हल हो चुकी है, यदि स्वीकार करते हैं तो ठीक है । उत्तर मत दीजिए, मालूम है । आप यह कहे दें कि बिना उत्तर के वापस ले लें तो मैं ले लेता हूँ । मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, उनके संज्ञान में आ गया है, आपकी कार्यक्षमता भी देख ली है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मैं इसमें बोलना चाहता हूँ ।

अध्यक्षमहोदय :- इसमें कह दीजिए कि भविष्य में इस बोर में विचार किया जायेगा । अनुरोध कर लीजिए कि वापस ले लें ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इसको दिखवा लेंगे । कृपया वापस ले लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको संबोधित करके वापस ले लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपका शहर भी इसमें शामिल है, जहां आपरहते हैं दुर्ग से एअरपोर्ट लोग आते हैं, जहां से लोग मेट्रो चलवा रहे हैं । रायपुर के कलेक्टर और कमिश्नर को फोन करके पूछ लीजिए, क्या स्थिति है, धमतरी कलेक्टर को मैंने बताया, यह बलौदाबाजार, भाटापारा वाले बैठे हैं, किसी के लिये कोई इंतजाम नहीं है, सब डिपो में ख़ड़ी है कंडम हो चुकी है । आप कुछ करें यह आग्रह है । माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात आ गई है, मैं वापस ले लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने को सहमत हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो कह दिया कि मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

अनुमति प्रदान की गई ।

संकल्प वापस हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि "बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाइनों को पूर्णत: अण्डर ग्राऊंड किया जाये।"

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि सदन का यह मत है कि "बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाइनों को पूर्णत: अण्डर ग्राऊण्ड किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अशासकीय संकल्प इसलिये प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि एक अशासकीय संकल्प पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर की हवाई सेवा के लिये इस सदन में 26 करोड़ रूपये दिये थे। बिलासपुर में अण्डर ग्राऊण्ड बिजली करना इसलिये भी आवश्यक है कि वह पुराना शहर है और पूरे शहर में चारों तरफ बेतरतीब मकड़ जाल सरीखे लाइन खींची हुई है। वहां पर आये दिन हुकिंग, दुर्घटानाएं, आग जलने की घटनाएं होती हैं और सुंदर और व्यवस्थित शहर भी अव्यवस्थित दिखाई देने लगता है। राजधानी और न्यायधानी, जब यहां पर सरकार में बैठकर आप फैसला करते हैं तो वहां की न्यायधानी में लोगों को न्याय मिलता है परंतु जब रायपुर और बिलासपुर दोनों को देखा जाये तो हम लोग बहुत पीछे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जब आप वहां पढ़ते थे, उस जमाने का ही बिलासपुर दिखाई देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब हवाई सेवा में पैसा दिया तो मुझे लगा कि वह इसमें भी जरूर पैसा देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि बिलासपुर का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत कम है। बिलासपुर के विकास की दर भी अभी बहुत कम है। लेकिन बिलासपुर में कोल इण्डिया, एन.टी.पी.सी. और बड़े-बड़े उद्योग के लोग हैं। वहां सी.एस.ई.बी. भी है और सी.एम. साहब भी है। इतने लोगों की मदद से बिलासपुर में किसी एक छोटे से हिस्से में प्रयोग के तौर पर यदि आप विद्युत लाइन अण्डर ग्राउण्ड करने के लिये स्वीकृति देंगे तो मुझे लगता है कि बिलासपुर के विकास के लिये...

श्री भूपेश बघेल :- मैं सुन रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, आप तो सुन रहे हैं। आपका जो जवाब आया है, वह भी बहुत बढ़िया है। मैंने पढ़ा है और वह तथ्यात्मक जवाब है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इसमें खर्चा होगा, यह तो मैं भी जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि इसमें कई दिक्कतें भी आयेगी। लेकिन मेरी दिली इच्छा है और आप सब के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिलासपुर के लिये यह काम एक प्रयोग के तौर पर करने का कष्ट करें। एक छोटे से किसी भी एक हिस्से में करिये, एक-दो किलोमीटर के हिस्से में करिये। यदि वह सफल होता है तो इसको आप आगे भी करिये। मैं कई शहरों में गया हूं, वहां अण्डर ग्राऊण्ड फिटिंग हो रही है। आपके पास तो एन.टी.पी.सी. है, आपके पास कोल इण्डिया है। हमने उनको जमीन दी है, वे हमारा कोयला, खदान से निकालते हैं। यदि आप उनके सी.एस.आर. के मद से भी लेकर किसी एक टुकड़े में प्रयोग के तौर पर यह काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं इसीलिये आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वैसे भी

आप पहले मुख्यमंत्री है, जो इतनी बार बिलासपुर जाते है। सबसे ज्यादा बार बिलासपुर जाने वाले मुख्यमंत्री आप है और इसका मतलब है कि आपको बिलासपुर से प्रेम है। आपके इस प्रेम का इजहार करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उनको आपसे भी प्रेम है।

श्री धर्मजीत सिंह :- "तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी।"

आप यह रायपुर, दुर्ग और भिलाई का प्रेम रखिये, हमको भी उसका सम्मान है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, बिलासपुर में आपकी नजरें इनायत होनी चाहिए। आप जब यह काम करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। मैं सिर्फ बिलासपुर बोल रहा हूं, बाकी उसमें हम सब आ जाते हैं। बिलासपुर एक पुराना शहर है, वहां अध्यक्ष जी पढ़े हैं, आपका वहां प्रेम है, हमारे चौबे जी का भी वहां पर प्रेम है, हमारे अजय चंद्राकर जी भी वहीं से पढ़कर आये हैं। तभी तो आप सब यहां पर उनकी योग्यता को देख रहे हैं। आप एक बार विचार करिये। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक किलोमीटर के टुकड़े में अण्डर ग्राऊण्ड करने का प्लान बनावाईये और यदि वह सक्सेस होता है तो यह आइडिया सब जगहों के लिये लागू हो सकता है। आप छोटे-छोटे टुकड़े में करिये। हम यह कहां बोल रहे हैं कि पूरे बिलासपुर में करिये। आपने इसमें बताया है कि कई सौ किलोमीटर का रेंज है। मैं उतने के लिये नहीं बोल रहा हूं। कोल इण्डिया के आगे वाला ही करवा दीजिये, उन्हीं को बोलकर करवा दीजिये। आप उनके चेयरमेन को, सी.एम.डी. को बुलवाईये, वह यहां आयेंगे। उनको बोलिये कि इसे अण्डर ग्राउण्ड करवाना है और पैसा तुम दोगे। वह सब रूपया तो ले जाते हैं। यह लोग सी.एस.आर. मद का रूपया यहां दो लाख दिया। पानी टंकी बनावाये, एक ठोक प्लास्टिक का डब्बा रखवा दिया, ऐसा करके जो करोड़ों रूपया नवरत्न कंपनी है, वह करोड़ों रूपया कमाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे यही वसूली करवाकर, यहीं जनता को समर्पित करा दीजिए। अगर यह बिलासपुर में करेंगे तो यह एक बहुत बेहतरीन मिसाल होगा। अभी मैं किसी शहर का उदाहरण दूंगा तो हो सकता है कि मेरा बनता काम बिगड़ जाए। मैं अभी बनारस बाबा जी दर्शन करने कॉरीडोर में गया था। मैं वहां से जब निकला तो कुछ एरिया में वहां अण्डर ग्राउण्ड बिजली की फिटिंग हुई है। पता ही नहीं चल रहा था कि यहां बिजली का वायर है, लेकिन हर जगह कुछ डब्बा टाईप का एक-एक प्वाईंट बना था। आप करा दीजिए वैसे ही बिलासपुर कई प्रकार से बहुत खुदा हुआ है। यह खोदेने वोदने का झंझट भी नहीं रहेगा। उसी में सब लग जाएगा। तो आप यह कार्य करवा दीजिए। आप यह तो बोलिए कि मैं अपोलो से लेकर कोल इण्डिया तक के ऑफिस तक एक किलोमीटर करवाऊंगा । मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्ययवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो शहर बस गये है। रायपुर जैसे मान लीजिए पुराना रायपुर है। माननीय बृजमोहन जी ने उसके अण्डर ग्राउण्ड करने के लिए बात की है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब नगर निगम सीमा में कहीं पर भी जो कॉलोनियां शामिल होती हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी शहरी क्षेत्र में जो कॉलोनियां शामिल होती हैं। अभी रियल स्टेट का काम वैसे भी तेज है। रेरा के नियमों में यह संशोधन करवाया जाए, अब कोई निश्चित तारीख से, एक अप्रैल, एक मई से जिसको भी नया अनुमोदन देंगे तो उसमें अण्डर ग्राउण्ड फिटिंग होनी चाहिए। आप यह भी करवा देंगे तो कोलोनाईजर है उसका पैसा जाएगा, शासन का पैसा नहीं जाएगा। हम दुर्घटनाओं से बचेंगे। रेरा के जो भी अनुमोदन के तौर तरीके हैं उसमें अब तक जो स्वीकृत हो गई है उसको छोड़ दें। मई जून किसी भी तारीख से इसको सुनिश्चित कर दें कि इसको अण्डर ग्राउण्ड किया जायेगा। मान लीजिए नगर निगम हैण्ड ओव्हर करेगी, अब अधूरे में जिसको हैण्ड ओव्हर करेगी तो उसमें उसको अण्डर ग्राउण्ड ही किया जायेगा। बाकी धर्मजीत सिंह जी की जो भावना है वह सार्वजनिक है और अच्छी बात है जो हम शहरीकरण में बढ़ रहे हैं तो अच्छे शहर के तौर भी दिखें। हिन्दुस्तान के सभी बड़े शहरों में लगभग अब अण्डर ग्राउण्ड हो चुके हैं। बेंगलौर, दिल्ली, हैदराबाद, जो नई चीजें हैं सब अण्डर ग्राउण्ड है। तो मैंने कहा कि यहां 99 प्रतिशत समस्या हल हो चुकी है। एकाध प्रतिशत ऐसी छुट-पुट बाकी है तो उसके बाद हम सबसे सुखी प्रान्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने अशासकीय संकल्प लाया है कि "बिलासपुर न्यायधानी की विद्युत लाईनों को पूर्णत: अण्डर ग्राऊंड किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव अच्छा है और पूरा देश उस दिशा में धीरे-धीरे आगे भी बढ़ रहा है और मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि बिलासपुर में भी 33 के.व्ही. लाईन के 1.6 किलोमीटर, 11 के.व्ही. लाईन के 1.27 किलोमीटर और निम्न दाब लाईन के 6.62 किलोमीटर, अभी तक यह मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत अण्डर ग्राउण्ड कर लिया गया है। उसी प्रकार से स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिलासपुर में 11 के.व्ही. लाईन के 1.15 किलोमीटर और निम्न दाब के 2.08 किलोमीटर यह स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया गया। अभी जो प्रस्तावित है वह स्मार्ट सिटी बिलासपुर के लिए 2.38 किलोमीटर 23 के.व्ही. लाईन के लिए, 11 के.व्ही. लाईन के लिए 16.55 किलोमीटर और निम्न दाब के लिए 8.01 किलोमीटर के लिए भेजा गया है और पूरे प्रदेश में आर.डी.एस. योजना के तहत 211 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाईन के 160 किलोमीटर लाईन के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह काम हुआ है और आगे भी यह प्रस्तावित है। मैं समझता हूँ कि जैसे-जैसे राशि उपलब्ध होती है, स्मार्ट सिटी योजना है। जैसे अभी मैंने बताया कि हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे भी हैं।

वह प्रस्ताव स्वीकृत होगा तो और वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से भी लगातार स्वीकृत किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। माननीय सदस्य से चाहूंगा कि अशासकीय संकल्प वापस ले लें।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, यह उनके संज्ञान में आ गया है। वैसे भी मेरा विश्वास है कि जब वह हवाई अड्डे के लिये राशि दिये हैं तो इसको भी जरूर करेंगे। इसलिए मैं विश्वास के साथ कि मुख्यमंत्री जी बिलासपुर के बिजली भर की नहीं, हर चीजों की ओर विशेष ध्यान देंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय सदस्य संकल्प वापस लेने हेतु सहमत हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि ये सदन की संपत्ति है इसलिए मुझे सदन से अनुमति लेनी पड़ेगी।

क्या सदन संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान करता है?

अनुमति प्रदान की गई।

संकल्प वापस हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 को 11.00 बजे दिन के लिए स्थगित।

(रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2023 (फाल्गुन 29, शक सम्वत् 1944) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक :- 17 मार्च, 2023 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं